THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES ACT, 1973[1]

[Act No. 10 of 1973]

As Amended by

U. P. Act No. 29 of 1974, U.P. Act No. 21 of 1975, U.P. Act No. 5 of 1977, U.P. Act No. 12 of 1978, U.P. Act No. 15 of 1980, U.P. Act No. 10 of 1982, U.P. Act No. 25 of 1982, U.P. Act No. 4 of 1983, U.P. Act No. 6 of 1983, U.P. Act No. 18 of 1984, U.P. Act No. 9 of 1985, U.P. Act No. 15 of 1986, U.P. Act No. 19 of 1987, U.P. Act No. 9 of 1988, U.P. Act No. 26 of 1989, U.P. Act No. 1 of 1992, U.P. Act No. 5 of 1994, U.P. Act No. 20 of 1994, U.P. Act No. 4 of 1995, U.P. Act No. 14 of 1995, President Act No. 4 of 1996, U.P. Act No. 12 of 1997, U.P. Act No. 18 of 1997, U.P. Act No. 9 of 1998, U.P. Act No. 10 of 1999, U.P. Act No. 11 of 1999, U.P. Act No. 20 of 1999, U.P. Act No. 21 of 1999, U.P. Act No. 1 of 2004, U.P. Act No. 23 of 2004, U.P. Act No. 28 of 2006, U.P. Act No. 5 of 2007, U.P. Act No. 6 of 2009 and U.P. Act No. 11 of 2010.

An Act to amend and consolidate the law relating to certain Universities.

[2][It is hereby enacted as follows :]

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, commencement and application.—This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in Gazette, appoint and different dates may be appointed in relation to different existing Universities and references to commencement of this Act in relation to an existing University shall be construed as the date on which this Act comes into force in relation thereto.

(3) In its application to the Varanaseya Sanskrit Vishvavidyalaya (which after the coming into force of this Act in relation to that University shall be called the Sampurnanad Sanskrit Vishvavidyalaya), the State Government may, [3][from time to time] by notification in the Gazette, make such exceptions or modifications not affecting the substance, in the provisions of this Act, as the circumstances may require.

---

1. *Vide* Notification No. 2978 (2)/XVII-V-I-170/72, dated 2 September, 1973.
2. Subs. U.P. Act No. 29 of 1974.
3. Ins. by U.P. Act No. 21 of 1975 (w.e.f. 2-5-1975).

उत्तर प्रदेश
राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973[1]

(अधिनियम संख्या 10 सन् 1973)

(अद्यतन यथा संशोधित)

1974 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 29, 1975 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1977 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1978 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 1980 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 15, 1982 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 1982 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 25, 1983 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 1983 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 6, 1984 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 18, 1985 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1986 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 15, 1987 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 19, 1988 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1989 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 26, 1992 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, 1994 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 1994 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 20, 1995 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 1995 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 14, 1996 का राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 4, 1997 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 1997 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 18, 1998 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1999 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 1999 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 11, 1999 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 20, 1999 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 2004 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, 2004 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 23, 2006 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 28, 2007 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 5, 2009 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 6, 2010 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 11 ।

कतिपय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधि को संशोधित और समेकित करने के लिए अधिनियम

[2][इसे एतद्द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है।]

अध्याय I
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के नाम से जाना जा सकेगा।

(2) यह उस तारीख को प्रभाव में आयेगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत कर सकेगी और भिन्न विद्यमान विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी विद्यमान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के लिए सन्दर्भों का उस तारीख के रूप में अर्थान्वयन किया जायेगा जब यह अधिनियम उसके सम्बन्ध में लागू होता है।

(3) वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, (जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् उस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जायेगा,) के लिए उसके उपयोजन में, राज्य सरकार [3][समय-समय पर] गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों में सारांश को प्रभावित न करने वाले ऐसे अपवादों अथवा उपान्तरणों को कर सकेगी जैसा परिस्थितियों में अपेक्षा की जाये।

---

1. देखें : दिनांक 2 सितम्बर, 1973 की अधिसूचना संख्या 2978(2)/XVII-V-1-170/72।
2. 1974 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. वर्ष 1975 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 21 द्वारा अन्तःस्थापित (2-5-1975 से प्रभावी)।

(4) (a) In its application to the Kashi Vidyapith after it is established as a University under sub-section (2) of Section 4, the State Government may, by notification in the Gazette, make such exceptions or modifications not affecting the substance, in the provisions of this Act, as the circumstances may require.

(b) [1][* * *]

COMMENTS

Construction of the Act.—If two construction of a particular Regulation are possible, it is not expedient for the High Court to reverse a devision of an educational authority on the ground that the construction placed by the said authority on the relevant regulation appears to the High Court less reasonable than the alternative construction which it is pleased to accept. It was held that the High Court should interefere with them only when it thinks, it must do so in the interest of justice. *Principal, Patna College* v. *K. S. Raman*, A.I.R. 1966 S.C. 707.

If there is a conflict between the ordinances and regulations, the ordinances will prevail and the regulations must stand out. *Aligarh Muslim University* v. *Nadir Raza Naqvi*, 1978 Labour and Industrial Cases 991; *Akshaibar Lal* v. *Vice-Chancellor*, A.I.R. 1961 S.C. 619.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires :

(1) *"Acadamic Council"*, *"Court"* and *"Executive Council"* means respectively the Academic Council, the Court and the Executive Council of the University;

(2) *"Affiliated College"* means an institution affiliated to the University in accordance with the provisions of this Act and Statutes of that University;

(3) *"Area of the University"* means the area specified in respect of the University by or under Section 5 or Section 4, as the case may be;

(4) *"Associated College"* means any institution recognised by the University and authorised under the provisions of [2][this Act and the Statutes of the University] to provide for the teaching necessary for admission to a degree of the University;

(5) *"Autonomous College"* means an affiliated or associated college declared as such in accordance with the provisions of Section 42;

[3][(5-A) "The expression *"other backward classes of citizens"* shall have the same meaning as in the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994];

---

1. Omitted by U.P. Act No. 29 of 1974.
2. Subs. by Section 5 of U.P. Act No. 29 of 1974 for the words "this Act".
3. Ins. by Section 2 of U.P. Act No. 20 of 1994 (w.e.f. 15-7-1994).

(4) (क) काशी विद्यापीठ के लिए उसके उपयोजन में, उसके धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो जाने के पश्चात्, राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों में सारांश को प्रभावित न करने वाले ऐसे अपवादों अथवा उपान्तरणों को कर सकेगी जैसा परिस्थितियों में अपेक्षा की जाये।

(ख) [1][* * *]

टिप्पणियाँ

अधिनियम का अर्थान्वयन—यदि किसी विशिष्ट विनियम के दो अर्थान्वयन सम्भव हों, तो उच्च न्यायालय के लिए यह समीचीन नहीं है कि वह शैक्षिक प्राधिकारी के विनिश्चय को इस आधार पर अभिशून्य करार दे कि सुसंगत विनियम पर उक्त प्राधिकारी द्वारा किया गया अर्थान्वयन उच्च न्यायालय को उस वैकल्पिक अर्थान्वयन से कम युक्तियुक्त लगता है जिसे स्वीकार करने में उसे संतोष है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय को केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब वह ऐसा करना न्याय के हित में समझे। *प्रधानाचार्य, पटना कालेज* बनाम *के० एस० रमन*, ए० आई० आर० 1966 एस० सी० 707 ।

यदि अध्यादेशों और विनियमों में कोई विरोधाभास हो, तो अध्यादेश अभिभावी होंगे एवं विनियम पृथक् कर दिये जायेंगे। *अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी* बनाम *नादिर रज़ा नक़वी*, 1978 लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 991; *अक्षयवर लाल* बनाम *उपकुलपति*, ए० आई० आर० 1961 एस० सी० 619।

2. परिभाषायें—इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षा न की जाये :

(1) *''विद्या परिषद्'', ''सभा''* एवं *''कार्यपरिषद्''* विश्वविद्यालय की क्रमशः कार्यपरिषद् सभा और कार्यपरिषद् से अभिप्रेत है;

(2) *''सम्बद्ध महाविद्यालय''* इस अधिनियम और उस विश्वविद्यालय के परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्था से अभिप्रेत है;

(3) *''विश्वविद्यालय का क्षेत्र''* धारा 5 या जैसा विषय हो धारा 4 द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से अभिप्रेत है;

(4) *''सहयुक्त महाविद्यालय''* ऐसी किसी भी संस्था से अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय की उपाधि हेतु प्रवेश के लिए आवश्यक अध्यापन का प्रावधान करने हेतु [2][इस अधिनियम एवं विश्वविद्यालय के परिनियमों] के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान की गयी हो और इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो;

(5) *''स्वायत्त महाविद्यालय''* ऐसे सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से अभिप्रेत है जिसे धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार इस रूप में घोषित किया गया हो;

[3][(5-क) अभिव्यक्ति *''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग''* का वही अर्थ होगा, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में दिया गया है];

---

1. 1974 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा लोपित।
2. पदावली ''इस अधिनियम'' के लिए 1974 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1994 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 20 द्वारा अन्तःस्थापित (15-7-1994 से प्रभावी)।

[1][5-B) *"Central Board of Studies"* means the Central Board of Studies referred to in Section 18-B];

(6) *"Constituent College"* means an institution maintained by the University or by the State Government and named as such by the Statutes;

[2][(6-A) *"Co-ordination Council"* means the Co-ordination Council constituted under-Section 18-A];

(7) *"Director"* in relation, to an Institute, means the head of such Institute;

(8) *"Existing University"* means the University of Lucknow, [3][* * *], Agra [4][which shall from September 24, 1995 be called Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra, Gorakhpur, [5][which shall with effect from the date of the commencement of the Utar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 1997 be called Deen Dayal Upadhyaya, Gorakhpur University, Gorakhpur], Kanpur [6][which shall be called Shri Shahu Ji Maharaj University, Kanpur with effect from September 24, 1995 and Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur with effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1997] or Meerut [7][which shall from January 17, 1994 be called Chaudhary Charan Singh University, Meerut] or the Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, as the case may be;

(9) *"Faculty"* means a faculty of the University;

[8][(9-A) *"Foundation course"* means a course of greater awareness of oneself and of the social, cultural and natural environmemt],

(10) *"Hall (or college) of a University"* means a unit of residence for students maintained or recognised by the University at which provision is made for imparting tutorial and other supplementary instructions;

(11) *"Hostel of a University"* means a unit of residence for students maintained or recognised by the University, other than a hall, and "hostel of an affiliated or associated college" means a unit of residence for students of that college;

(12) *"Institute"* means an Institute established by the University under Section 44;

---

1. Ins. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).
2. Ins. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).
3. The word "Allahabad" omitted by Act No. 26 of 2005 (w.e.f. 14-7-2005). Now See : University of Allahabad Act, 2005 (26 of Act), p. No. 141.
4. Ins. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 23-9-1995).
5. Ins. by U.P. Act No. 18 of 1997 (w.e.f. 16-8-1997).
6. Subs. by Section 206 of U.P. Act No. 12 of 1997.
7. Ins. by Section 206 of U.P. Act No. 5 of 1994 (w.e.f. 17-1-1994).
8. Ins. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).

[1][(5-ख) *''केन्द्रीय अध्ययन परिषद्''* धारा 18-ख में निर्दिष्ट केन्द्रीय अध्ययन परिषद् से अभिप्रेत है];

(6) *''घटक महाविद्यालय''* ऐसी संस्था से अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा या राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किया जाता हो और परिनियमों द्वारा उसे इस रूप में नामांकित किया गया हो;

[2][(6-क) *''समन्वय परिषद्''* धारा 18-क के अधीन गठित समन्वय परिषद् से अभिप्रेत है];

(7) *''निदेशक''* किसी संस्था के सम्बन्ध में उस संस्था के प्रधान से अभिप्रेत है;

(8) *''विद्यमान विश्वविद्यालय''* लखनऊ विश्वविद्यालय, [3][* * *], आगरा [4][जो 24 सितम्बर, 1995 से डॉ० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा के नाम से जाना जायेगा], गोरखपुर [5][जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ होने की तारीख से दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के नाम से जाना जायेगा], कानपुर [6][जो 24 सितम्बर, 1995 से श्री शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के नाम से तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ होने की तारीख से क्षत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के नाम से जाना जायेगा] अथवा मेरठ [7][जो 17 जनवरी, 1994 से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के नाम से जाना जायेगा] अथवा जैसा विषय हो सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है;

(9) *''संकाय''* विश्वविद्यालय के संकाय से अभिप्रेत है;

[8][(9-क) *''आधार पाठ्यक्रम''* किसी व्यक्ति की स्वयं के एवं सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक वातावरण के प्रति और अधिक जागरूकता से अभिप्रेत है];

(10) *''विश्वविद्यालय का छात्र निवास (अथवा महाविद्यालय)''* विद्यार्थियों के लिए निवास की ऐसी इकाई से अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त है, जहां अनुशिक्षण एवं अन्य सम्पूरक निर्देशों को प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है;

(11) *''विश्वविद्यालय का छात्रावास''* छात्र निवास को छोड़कर विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यताप्राप्त विद्यार्थियों के लिए निवास की इकाई से अभिप्रेत है और ''सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के छात्रावास'' उस महाविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की इकाई से अभिप्रेत है;

(12) *''संस्थान''* धारा 44 के अधीन स्थापित संस्थान से अभिप्रेत है;

---

1. 1996 के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्त:स्थापित (11-7-1995 से प्रभावी)।
2. 1996 के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्त:स्थापित (11-7-1995 से प्रभावी)।
3. 2005 के अधिनियम संख्यांक 26 द्वारा शब्द ''इलाहाबाद'' लोपित (14-7-2005 से प्रभावी) अब देखें इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (2005 का 26), पृष्ठ संख्या 141।
4. 1996 के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्त:स्थापित (23-9-1995 से प्रभावी)।
5. 1997 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 18 द्वारा अन्त:स्थापित (16-8-1997 से प्रभावी)।
6. 1997 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. 1994 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्त:स्थापित (17-1-1994 से प्रभावी)।
8. 1996 के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्त:स्थापित (11-7-1995 से प्रभावी)।

(13) *"Management"* in relation to an affiliated or associated colleg means the Managing Committee or other body charged wi managing the affairs of that college and recognised as such by t University;

[1][Provided that in relation to any such college maintain by a Municipal Board or a Nagar Mahapalika, the expressic *"Management"*, means the Education Committee of such Boa or Mahapalika as the case may be and the expression *"Head of t Management"* means the Chairman of such Committee];

(14) *"Prescribed"* means prescribed by Statutes;

(15) *"Principal"*, in relation to an affiliated, associated or a constitue college, means the head of such college;

(16) *"Registered graduate"* means a graduate of the Universi registered under the provisions of this Act of under any enactme repealed by this Act;

(17) *"Statutes"*, *"Ordinances"* and *"Regulations"* means respectivel the Statutes, Ordinances and Regulations of the University;

[2][(18) *"Self finance course"* means a course with respect to which a financial liabilities shall be borne by the Management of a associated or affiliated college or by a University];

[3][(19) *"Teacher"* in relation to the provisions of this Act except Chapte XI-A, means a person employed in a University or in an institute o in a constituent or affiliated or associated college of a Universit for imparting instructions of guiding or conducting research in an subject or course approved by that University and includes Principal or Director];

(20) *University"* means an existing University or a nev University established after the commencement of this Act unde Section 4;

(21) *"Working Men's College"* means an affiliated or associated college recognised as such in accordance with the provisions of Section 43.

SYNOPSIS

1. Difference between "affiliated" and "associated" Colleges.
2. Meaning of 'University'.
3. Recognition by the University.
4. The word "means' when used in definition clause.
5. Discrimination—Constitution of India, 1950,—Article 14—U.P. State Universities Act, 1973.
6. Review—Power of Vice-Chancellor.
7. Public Service and post.

---

1. Ins. by U.P. Act No. 12 of 1978.
2. Subs. by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 11-7-2003).
3. Subs. by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 11-7-2003).

(13) *''प्रबन्ध तंत्र''*, किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में, प्रबन्ध समिति या ऐसे अन्य निकाय से अभिप्रेत है जिसे उस महाविद्यालय के कार्यकलाप का प्रबन्ध करने के लिए भारित किया गया है और उसे विश्वविद्यालय द्वारा उस रूप में मान्यता प्रदान की गई है :

[1][परन्तु यह कि नगर पालिका परिषद् या नगर महापालिका द्वारा अनुरक्षित ऐसे किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में, अभिव्यक्ति ''प्रबन्ध तंत्र'' उस परिषद् या जैसा विषय हो, महापालिका की शिक्षा समिति से अभिप्रेत है और अभिव्यक्ति ''प्रबन्ध तंत्र का अध्यक्ष'' उस समिति के अध्यक्ष से अभिप्रेत है।]

(14) *''विहित''* परिनियमों द्वारा विहित से अभिप्रेत है;

(15) *''प्राचार्य''* किसी सम्बद्ध, सहयुक्त या घटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में, उस महाविद्यालय के प्रधान से अभिप्रेत है;

(16) *''पंजीकृत स्नातक''* इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अथवा इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन पंजीकृत विश्वविद्यालय के स्नातक से अभिप्रेत है;

(17) *''परिनियम''*, *''अध्यादेश''* और *''विनियम''* क्रमश: विश्वविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों से अभिप्रेत है;

[2][(18) *''स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम''* ऐसे पाठ्यक्रम से अभिप्रेत है जिसके सम्बन्ध में सभी वित्तीय दायित्वों को किसी सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र अथवा विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा];

[3][(19) *''अध्यापक''* अध्याय XI-क को छोड़कर इस अधिनियम के प्रावधानों के सम्बन्ध में किसी विश्वविद्यालय में या संस्थान में या विश्वविद्यालय के घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में उस विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किसी भी विषय या पाठ्यक्रम में शिक्षण प्रदान करने या मार्गदर्शन देने या अनुसन्धान करने के लिए नियोजित व्यक्ति से अभिप्रेत है और उसमें प्राचार्य अथवा निदेशक सम्मिलित है];

(20) *''विश्वविद्यालय''* विद्यमान विश्वविद्यालय अथवा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् धारा 4 के अधीन स्थापित नये विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है;

(21) *''श्रमजीवी महाविद्यालय''* धारा 43 के प्रावधानों के अनुसार इस रूप में मान्यता प्राप्त सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से अभिप्रेत है।

टिप्पणियाँ

1. सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों के मध्य अन्तर
2. विश्वविद्यालय का अभिप्राय
3. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान करना
4. शब्द ''अर्थ'' की परिभाषा खण्ड में प्रयुक्त
5. भेदभाव—भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 14—उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973
6. पुनर्विलोकन उपकुलपति की शक्ति—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973
7. लोक सेवा और पद

---

1. 1978 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 2004 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 1 द्वारा प्रतिस्थापित (11-7-2003 से प्रभावी)।
3. 2004 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 1 द्वारा प्रतिस्थापित (11-7-2003 से प्रभावी)।

1. Difference between "affiliated" and "associated" Colleges.—Those colleges, which are recognised by the residential Universities are known as associated colleges, and those colleges which get recognition from residential-cum-affiliating' and affiliating Universities are known as affiliated colleges. Both types of these colleges are privately run colleges. *Miss Meena Mukherji* v. *Chancellor, Allahabad University*, A.I.R. 1972 All. 381.

2. Meaning of 'University'—Incorporation of the University by law means establishment and incorporation of University by an enactment relating to the incorporation of the University in exercise of the legislative powers given in Item 32 or the State List in VII Schedule or the Constitution of India. Hindi Sahitya Sammelan is merely a Society registered under the Societies Registration Act and as such, it cannot be called a University. *Babu Lal* v. *Vice-Chancellor, Rewa*, 1975 M.P.L.J. 620.

The word "University" means University established by law in the State of Uttar Pradesh. It can on no account mean a University established by law in the State of Nepal. The degree of the Universities established in other countries have to be expressly recognised on the principle of reciprocity. *Ram Surat* v. *Satya Narain*, 1972 Labour and Industrial Cases 255.

3. Recognition by the University.—A decision of the Executive Council under Statute 27-A framed under the Agra University Act would amount to recognition by the University, within the meaning of the above sub-clause because no specific mode of recognition has been prescribed under the Act. *P.C. Sikand* v. *Vice-Chancellor, Agra University*, 1979 All. L.J. (N.O.C.), 801 (D.B.).

4. The word "means' when used in definition clause.—When a particular word is defined to "mean" such and such, that definition is *prima facie* restrictive and exhaustive. *Vanguard Fire and General Insurance Co. Ltd.* v. *Fraser and Ross*, A.I.R. 1960 S.C. 971.

5. Discrimination—Constitution of India, 1950—Article 14—U.P. State Universities Act, 1973—It defines "Constituent College"—Read with first statute of Lucknow University. Statute No. 12.01, Section 2 (19), in this "teacher of the University" has been defined. In the G.O. dated 23-10-97, certain retiral benefits like addition of *ad hoc*, Administrative and temporary in total service length and including non-practising allowance in pay in committing retiral benefits have been provided. These benefits are refused by the respondents to the teachers of the Lucknow Medical College. It was held that the Lucknow Medical College is a constituent College as per Section 2 (6) and Statute 12.01 and teachers of Medical College are teachers of the University as per Section 2 (19). Therefore, claim of petitioners teachers of Medical College is denied because of violation of Article 14. It was considered a case of clear discrination. *Dr. A.R. Sircar* v. *State of U.P.*, (2002) 1 U.P.L.B.E.C. 615 (All.).

6. Review—Power of Vice-Chancellor—In a certain case, where a question arose whether the Vice-Chancellor has got a power of review in respect of granting recognition to the Committee of Management of an institution, in such an event, it was held that power of review is a power created by the statute and no such power is available to the Vice-Chancellor under the Universities Act or statute of Gorakhpur University.—*Jawwad Ali Shah Imambara Muslim Girls Degree College Society, Gorakhpur and others* v. *Vice-Chancellor, Deen Dayal Upadhya, Gorakhpur University and others*, (2007) 1 U.P.L.B.E.C. (Sum) 54 (Alld.).

1. ***सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों के मध्य अन्तर***—वह महाविद्यालय, जिन्हें आवासिक विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, सहयुक्त महाविद्यालयों के नाम से जाना जाता है, एवं वह महाविद्यालय 'जिन्हें आवासिक और सम्बद्धक' तथा सम्बद्धक विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त होती है, सम्बद्ध महाविद्यालयों के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों प्रकार के महाविद्यालय गैर-सरकारी रूप से चलाये जाने वाले महाविद्यालय होते हैं। *मिस मीना मुखर्जी* बनाम *कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय,* ए० आई० आर० 1972 इला० 381।

2. ***विश्वविद्यालय का अभिप्राय***—विधि द्वारा विश्वविद्यालय के निगमन का अभिप्राय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची के मद 32 में प्रदत्त विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के निगमन से सम्बन्धित अधिनियमित द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन से है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत सोसाइटी मात्र ही है, इस तरह से उसे विश्वविद्यालय नहीं कहा जा सकता। *बाबू लाल* बनाम *उपकुलपति, रींवा,* 1975 एम० पी० एल० जे० 620।

शब्द "विश्वविद्यालय" का अभिप्राय उत्तर प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से है। इसका अभिप्राय कभी भी नेपाल राज्य में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से नहीं हो सकता है। अन्य देशों में स्थापित विश्वविद्यालयों की उपाधियों को पारस्परिकता के सिद्धान्त पर अभिव्यक्त रूप से मान्यता प्रदान की जानी पड़ेगी। *राम सूरत* बनाम *सत्य नारायण,* 1972 लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 255।

3. ***विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान करना***—आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम के अधीन विरचित परिनियम 27-क के तहत कार्यपरिषद् का निर्णय उपरोक्त उपखण्ड की अर्थ व्याप्ति के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता की कोटि में आयेगा क्योंकि अधिनियम के अधीन मान्यता की कोई विनिर्दिष्ट पद्धति प्रदान नहीं की गयी है। *पी० सी० सिकन्द* बनाम *उपकुलपति, आगरा विश्वविद्यालय,* 1979 ए० एल० जे० (एन० ओ० सी०) 801 (डी० बी०)।

4. ***शब्द "अर्थ" की परिभाषा खण्ड में प्रयुक्त***—जब किसी शब्द को अमुक अर्थ में परिभाषित किया जाता है, तो वह परिभाषा प्रथमदृष्ट्या संकुचित और निःशेष होती है। *वेंगार्ड फायर एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स को० लि०* बनाम *फ्रेसर एण्ड रोस,* ए० आई० आर० 1960 एस० सी० 971।

5. ***भेदभाव—भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 14—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973***—इसमें संघटक महाविद्यालय को परिभाषित किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में परिनियम संख्या 12.01, धारा 2 (19) के साथ पठन करते हुए विश्वविद्यालय के अध्यापक को परिभाषित किया गया है। दिनांक 23-10-1997 के शासनादेश में विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए कतिपय सेवानिवृत्ति के लाभों को प्रदान किया गया है जैसे कि कुल सेवा अवधि में तदर्थ, प्रशासनिक एवं अस्थायी को सम्मिलित किया जाना और सेवा निवृत्ति के लाभों को कारित करने में वेतन में गैर-व्यवसाय के भत्ते को सम्मिलित करना। इन लाभों को प्रत्यर्थीगण द्वारा लखनऊ मेडिकल कालेज के अध्यापकों को वंचित किया गया है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि लखनऊ मेडिकल कालेज धारा 2 (6) एवं परिनियम 12.01 के अनुसार संघटक महाविद्यालय है एवं मेडिकल कालेज के अध्यापक धारा 2 (19) के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यापक है। इसलिए मेडिकल कालेज के अध्यापक-याचीगण का दावा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए नामंजूर किया गया इसे भेदभाव का स्पष्ट वाद माना गया। *डॉ० ए० आर० सरकार* बनाम *उ० प्र० राज्य,* (2002) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 615 (इला०)।

6. ***पुनर्विलोकन उपकुलपति की शक्ति—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973***—कतिपय वाद में जहाँ पर प्रश्न उठा कि क्या किसी संस्था की प्रबन्ध समिति को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में उपकुलपति को पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, ऐसी स्थिति में यह अभिनिर्धारित किया कि पुनर्विलोकन की शक्ति परिनियम द्वारा सृजित शक्ति है और विश्वविद्यालय अधिनियम अथवा गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम के अधीन उपकुलपति को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। *जव्वाद अली शाह इमाम बाड़ा मुस्लिम गर्ल्स डिग्री कालेज सोसाइटी, गोरखपुर एवं अन्य* बनाम *उपकुलपति, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं अन्य,* (2007) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० (सम०) 54 (इला०)।

7. Public Service and post.—These words are contained in Section 2 (c) (iv) of U.P. State Universities Act, 1973. The word "Professor" has been defined in Section 2 (19) of the Act. As a result, the view adopted by the Division Bench in the case of *Dr. Vipin Agrawal* v. *University of Allahabad*, 1997 (3) ESC 1710 (All) (DB) is not correct that it comes within Section 2 (c) (iv). Thus, the word "Professor" is covered by Section 2 (19) also.—*Dr. Jagdamba Singh and others* v. *Vice-Chancellor, University of Allahabad and another*, (2010) 3 U.P.L.B.E.C. 2563.

CHAPTER II

THE UNIVERSITIES

3. Incorporation of Universities.—(1) The Chancellor, the Vice-Chancellor and the members of the Executive Council, the Court and the Academic Council for the time being holding office as such in any University shall constitute a body corporate by the name of that University.

(2) Each University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by its name.

COMMENT

Regisrar not a legal entity—Under sub-section (2) of Section 3 of this Act, a University has perpetual succession and a common seal and the University is entitled to sue and to be sued by its name. The Registrar of the University is not a legal entity, therefore he is not entitled to sue or to be sued. If he is authorised by rule or otherwise, he may be competent to sign the pleadings on behalf of the University, but he cannot sue or be sued as a Registrar. In such a suit, no relief can be granted against the University. *Commissioner of Taxes* v. *Golak Nath*, A.I.R. 1979 Gauhati 10.

4. Establishment of new Universities and alteration of the areas or names of Universities.—(1) With effect from such date as the State Government may by notification in the Gazette appoint in that behalf, there shall be established a University of Kumaun at Naini Tal and a University of Garhwal [1][which shall from April 25, 1989 be called the Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University] at Srinagar (District Garhwal) of the areas respectively specified in the Schedule.

[2][(1-A) With effect from such date or dates as the State Government may by notification in the Gazette appoint in this behalf, there shall be established—

(a) a University of Bundelkhand at Jhansi;

(b) a University of Avadh at Faizabad [3][which shall be called the Doctor Ram Manohar Lohia University, Faizabad with effect from June 18, 1994, and the Doctor Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad with effect from July 11, 1995] [4][* * *]

---

1. Ins by Section 206 U.P. Act No. 26 of 1989 (w.e.f. 24-4-1989).
2. Ins. by U.P. Act No. 29 of 1974.
3. Subs. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).
4. *Omitted* by U.P. Act No. 19 of 1987.

7. लोक सेवा और पद—इस पदावली को उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 2 (म) (iv) में अन्तर्विष्ट किया गया है। "प्रोफेसर" को अधिनियम की धारा 2 (19) में परिभाषित किया गया है। पारिणामिक रूप से *डॉ० विपिन अग्रवाल* बनाम *इलाहाबाद विश्वविद्यालय,* 1997 (3) ई० एस० सी० 1710 (इला०) (डी० बी०) के वाद में खण्डपीठ द्वारा अपनाया गया यह मत सही नहीं है कि वह धारा 2 (म) (iv) के अन्तर्गत आता है। इस तरह से शब्द "प्रोफेसर" इस अधिनियम की धारा 2 (19) द्वारा भी आच्छादित है। *डॉ० जगदम्बा सिंह* बनाम *कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,* (2010) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2563।

अध्याय II

विश्वविद्यालय

3. विश्वविद्यालयों का निगमन—(1) कुलपति, उप कुलपति और कार्यपरिषद, सभा और विद्या परिषद के तत्समय किसी भी विश्वविद्यालय में इस रूप में पद धारण करने वाले सदस्य, उस विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय का गठन करेंगे।

(2) प्रत्येक विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुहर होगी और वह अपने नाम से वाद को लाएगा और उस पर वाद को लाया जाएगा।

टिप्पणी

रजिस्ट्रार विधिक सत्ता नहीं—इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर होता है तथा वह अपने नाम से वाद चलाने का हकदार होता है एवं उस पर वाद चलाया जा सकता है। विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार कोई विधिक सत्ता नहीं है और इसलिए वह वाद चलाने का हकदार नहीं है एवं उस पर वाद नहीं चलाया जा सकता। यदि नियम द्वारा या अन्य प्रकार से प्राधिकृत हो तो वह विश्वविद्यालय की ओर से अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम हो सकता है, लेकिन वह रजिस्ट्रार के रूप में वाद नहीं चला सकता और न ही उस पर वाद चलाया जा सकता है। ऐसे वाद में विश्वविद्यालय के विरुद्ध कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। *आयकर आयुक्त* बनाम *गोलक नाथ,* ए० आई० आर० 1979 गौहाटी 10 ।

4. नये विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं विश्वविद्यालयों के क्षेत्रों अथवा नामों में परिवर्तन—(1) उस तारीख से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना के माध्यम से इस निमित्त नियत कर सकेगी, अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमश: क्षेत्रों के लिए नैनीताल में कुमायूं विश्वविद्यालय, श्रीनगर (जिला गढ़वाल) में गढ़वाल विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा [1][जिसे 25 अप्रैल, 1989 से हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जायेगा]।

[2][(1-क) उस तारीख या तारीखों से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना के माध्यम से नियत कर सकेगी, अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमश: क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित की स्थापना की जायेगी—

(क) झांसी में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय;

(ख) फैजाबाद में अवध विश्वविद्यालय [3][जिसे 18 जून, 1994 से डॉ० राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद के नाम से और 11 जुलाई, 1995 से डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद के नाम से जाना जायेगा]; [4][* * *]

---

1. [illegible] के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 26 द्वारा अन्त:स्थापित (24-4-1989 से प्रभावी)।
2. [illegible] के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा अन्त:स्थापित।
3. [illegible] के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्त:स्थापित (11-7-1995 से प्रभावी)।
4. [illegible] के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा लोपित।

(c) a University of Rohilkhand at Bareilly [1][which shall with effect from the date of the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 1997 be called Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly];

[2][(d) a University to be known as Purvanchal University at Jaunpur, which shall, with effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1999, be called "Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur],

[3]["(e) a University to be known as the Urdu, Uttar Pradesh Arabi Pharsi University at Lucknow."]

for the areas respectively specified in the Schedule.

(1-B) in relation to the Universities to be established under sub-section (1-A)—

(a) the State Government shall appoint interim officers of the Universities (other than the Chancellor) and shall constitute interim authorities of such Universities in such manner as it thinks fit;

[4][(b) the officers appointed and members of the authorities constituted under Clause (a) shall hold office [5][* * *] until the appointment of officers or the constitution of the authorities in accordance with Clause (c) [6][or such other earlier date as may be specified by the State Government in this behalf];

[7][Provided that the State Government may, by notification extend the term of the member of such authorities for a period not exceeding one year].

(c) the State Government shall take steps for the appointment of officers and constitution of authorities of such Universities in accordance with the provisions of this Act, so that the same may be completed before the expiry of the respective terms of the interim officers and members under Clause (b)].

(2) With effect from such date as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint in that behalf the institution known as Kashi Vidyapith at Varanasi shall be deemed to be a University established under the provisions of this Act [8][which shall be called Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi with effect from July 11, 1995].

(3) As from the date appointed under sub-section (2)—

(i) the society known as the Kashi Vidyapith, Varanasi shall be dissoloved, and all property movable and immovable, and rights,

1. Ins. by U.P. Act No. 18 of 1997 (w.e.f. 16-8-1997).
2. Subs. by U.P. Act No. 11 of 1999 (w.e.f. 8-1-1999).
3. Ins. by U. P. Act No. 11 of 2010 (w.e.f. 1-10-2009).
4. Subs. by U.P. Act No. 12 of 1978.
5. *Deleted* by U.P. Act No. 19 of 1987.
6. Subs. by U.P. Act No. 19 of 1987.
7. Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.
8. Ins. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).

(ग) बरेली में रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय [1][जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ होने की तारीख से महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के नाम से जाना जायेगा];

[2][(घ) जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम से विदित विश्वविद्यालय, जिले उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ होने की तारीख से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के नाम से जाना जायेगा];

[3][(ङ) विश्वविद्यालय को उर्दू, उत्तर प्रदेश अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ के रूप में जाना जायेगा।]

(1-ख) उपधारा (1-क) के अधीन स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में—

(क) राज्य सरकार विश्वविद्यालय के अन्तरिम अधिकारियों (कुलपति को छोड़कर) की नियुक्ति करेगी और वह उन विश्वविद्यालयों के अन्तरिम प्राधिकारियों का ऐसी रीति से गठन करेगी जिसे वह उपयुक्त समझे;

[4][(ख) खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकारियों के सदस्य तब तक पद धारित करेंगे [5][* * *] जब तक कि अधिकारियों की नियुक्ति अथवा प्राधिकारियों का गठन खण्ड (ग) के अनुसार न हो [6][अथवा ऐसी अन्य पूर्वोत्तर तारीख पर जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियत किया जा सकेगा] :

[7][परन्तु यह कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों के कार्यकाल को ऐसी अवधि तक विस्तारित कर सकेगी जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी]।

(ग) राज्य सरकार उन विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की नियुक्ति और प्राधिकारियों के गठन के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कदम उठायेगी ताकि उसे खण्ड (ख) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों और सदस्यों के क्रमशः कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पूर्ण किया जा सके।]

(2) उस तारीख से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना के माध्यम से उस निमित्त नियत करे, वाराणसी में काशी विद्यापीठ के नाम से विदित संस्थान को इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के रूप में समझा जायेगा [8][जिसे 11 जुलाई, 1995 से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के नाम से जाना जायेगा]।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियत तारीख से—

(i) काशी विद्यापीठ, वाराणसी के नाम से विदित सोसाइटी का विघटन हो जायेगा, और उस सोसाइटी की स्थावर एवं जंगम सभी सम्पत्तियां एवं अधिकार, शक्तियां तथा विशेषाधिकार

---

1. 1997 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 18 द्वारा अन्तःस्थापित (16-8-1997 से प्रभावी)।
2. 1999 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 11 द्वारा प्रतिस्थापित (18-1-1997 से प्रभावी)।
3. 2010 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 11 द्वारा प्रतिस्थापित (1-10-2009 से प्रभावी)।
4. 1978 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1987 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा लोपित।
6. 1987 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 19 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्तःस्थापित।
8. 1996 के राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्तःस्थापित (11-7-1995 से प्रभावी)।

powers and privileges of the society shall be transferred to the vest in the University and shall be applied to the objects and purposes for which the University is established;

(ii) all debts, liabilities and obligations of the said society shall be transferred to the University and shall thereafter be discharged and satisfied by it;

(iii) all references in any enactment to the said society shall be construed as reference to the University;

(iv) any will, deed or other document, whether made or executed before or after the commencement of this Act which contains any request, gift or trust in favour of the said society shall be construed as if the University was therein named instead of such society;

(v) subject to the provisions of this Act, every person employed immediately before the said date in the said society shall with effect from that date, become an employee of the University by the same tenure and upon the same conditions of service or conditions as similar thereto as changed circumstances may permit, as he would have held under the said society, if such notification had not been issued.

(4) The State Government may, by notification in the Gazette—

(a) increas the area of a University;

(b) diminish the area of a University; or

(c) alter the name of a University;

Provided that no such notification shall be issued except with the previous approval by resolution, of both the Houses of the State Legislature.

(5) Any notification under this section amy contain such provision of the amendment of the Schedule, and the Statutes, Ordinances and Regulations of the University or Universities affected by such notification as may be necesary to give effect to the provisions of the notification and thereupon the Schedule and such Statutes, Ordinances and Regulations shall stand amended accordingly.

(6) Without prejudice to the generally of the provisions of sub-section (5), any notification under this section may provide for the following matters namely—

(a) provisions in respect of representation of various interests or classes of persons in the authorities of the University or Universities affected by the said notification;

(b) provisions for exercise of option by registered graduates of any then existing University to continue to remain registered graduates of same University or to get registered with a newly-established University so, however, that no person shall be registered graduate of more than one University;

(c) such other supplement, incidental and consequential provisions as the State Government may deem necessary.

विश्वविद्यालय को अन्तरित तथा उसमें निहित हो जायेंगे और उन उद्देश्यों एवं प्रयोजनों के लिए लागू किए जायेंगे जिनके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है;

(ii) उक्त सोसाइटी के सभी ऋण, दायित्व और बाध्यतायें विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जायेंगी और तत्पश्चात् उनका निर्वहन एवं समाधान उसके द्वारा किया जायेगा;

(iii) उक्त सोसाइटी के लिए किसी भी अधिनियमिति में सभी सन्दर्भ उस विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में अर्थानवित किये जायेंगे;

(iv) कोई भी वसीयत, विलेख या अन्य दस्तावेज, चाहे उन्हें इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् निष्पादित किया गया हो, जिसमें उक्त सोसाइटी के पक्ष में कोई भी निवेदन, दान या न्यास का उसी प्रकार के अर्थान्वयन किया जायेगा मानो उसमें उस सोसाइटी के बजाय विश्वविद्यालय को बताया गया हो;

(v) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, उक्त सोसाइटी में उक्त तारीख के तत्काल पूर्व नियोजित प्रत्येक व्यक्ति उस तारीख से प्रभावी उसी कार्यावधि एवं सेवा की उन्हीं शर्तों पर या उस जैसी शर्तों पर विश्वविद्यालय का कर्मचारी बन जायेगा जिनकी परिवर्तित परिस्थितियां अनुमति दें, जिसे उसने उक्त सोसाइटी के अधीन उस दशा में धारित किया होता यदि उस अधिसूचना को जारी किया गया होता।

(4) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना के माध्यम से—

(क) विश्वविद्यालय के क्षेत्र में वृद्धि कर सकेगी;

(ख) विश्वविद्यालय के क्षेत्र को कम कर सकेगी; अथवा

(ग) विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन कर सकेगी :

परन्तु यह कि राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा पूर्वानुमोदन के सिवाय ऐसी कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की जायेगी।

(5) इस धारा के अधीन किसी भी अधिसूचना में उस अधिसूचना द्वारा प्रभावित विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालयों की अनुसूची, तथा परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के संशोधन के ऐसे प्रावधान को अन्तर्विष्ट कर सकेगी जो उस अधिसूचना के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों और तत्पश्चात् वह अनुसूची एवं वो परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम तद्नुसार संशोधित हो जायेंगे।

(6) उपधारा (5) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन किसी भी अधिसूचना में निम्नलिखित मामलों के लिए प्रावधान किया जा सकेगा, अर्थात्—

(क) उक्त अधिसूचना द्वारा प्रभावित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों में व्यक्तियों के विभिन्न हितों या वर्गों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में प्रावधान;

(ख) उस समय विद्यमान किसी विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातकों द्वारा उसी विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातक बने रहने या किसी नये स्थापित किये गये विश्वविद्यालय में पंजीकरण कराने के विकल्प का प्रयोग करने हेतु प्रावधान, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक से अधिक विश्वविद्यालय का पंजीकृत स्नातक नहीं होगा;

(ग) ऐसे अन्य सम्पूरक, आनुषंगिक तथा पारिणामिक प्रावधान जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक समझे।

Explanation.—For the purposes of this section and Section 5 "Kashi Vidyapith" means the institution known as Kashi Vidyapith at Varanasi established and administered by the Society known as Kashi Vidyapith registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) in respect of which the Nirikshak Sabha of the said Society has passed a resolution on 28th May, 1972 requesting the State Government to take over the entire movable and immovable properties of the said institution and to convert it into a State University.

5. Territorial exercise of powers.—(1) Save as otherwise provided by or under this Act. The powers conferred on each University (other than the Sampurnanad Sanskrit Vishvavidyalaya [1][* * *] shall be exercisable in respect of the area for the time being specified against it in the Schedule.

(2) The Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya may affiliate institutions situated in any part of the territory of India and recognize teachers of, and admit to its examinations candidates from such territory or abroad :

Provided that the Vishvavidyalaya shall not—

(a) affiliate an institution outside Uttar Pradesh, or

(b) recognize any teacher employed in an institution situated outside Uttar Pradesh and maintained by any Government;

except upon the recommendation of the Government concerned.

(3) [2][* * *]

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the powers conferred on the [3][[4][Chhatrapati] Shahu Ji Maharaj University, Kanpur] in respect of institution and research in the Ayurvedic and Unani systems of medicine and advancement and dissemination of knowledge thereof shall be exercisable throughout Uttar Pradesh.

[5][(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the homoeopathic educational or instructional institutions throughout Uttar Pradesh may be affiliated to the [6][Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra or [7][Chhatrapati] Shahu Ji Maharaj University, Kanpur]].

[8][(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (1) of Section 37, the institutions established or proposed to be established for imparting education or instruction in Western Medical Science as defined in the

1. Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2008, omitted by U.P. Act No. 6 of 2009 [received assent of the Governor on 24-2-2009 and published on 25-2-2009 in U.P. Gazette, Extra-ordinary, Part 1, Section (a)].
2. Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2008, omitted by U.P. Act No. 6 of 2009 [received assent of the Governor on 24-2-2009 and published on 25-2-2009 in U.P. Gazette, Extra-ordinary, Part 1, Section (a)].
3. Subs. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 23-9-1995).
4. Subs. for "Shri" by U.P. Act No. 12 of 1997.
5. Ins. by U.P. Act No. 14 of 1977.
6. Subs. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 23-9-1995).
7. Subs. for "Shri" by U.P. Act No. 12 of 1997.
8. Ins. by Presidents Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 25-8-1995).

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 5 के प्रयोजनों के लिए, "काशी विद्यापीठ" उस संस्थान से अभिप्रेत है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन पंजीकृत काशी विद्यापीठ के रूप में विदित सोसाइटी द्वारा वाराणसी में स्थापित और प्रशासित काशी विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है, जिसके सम्बन्ध में उक्त सोसाइटी की निरीक्षक सभा में 28 मई, 1972 को राज्य सरकार से उक्त संस्थान की सम्पूर्ण स्थावर और जंगम सम्पत्तियों का अधिग्रहण करने और उसे राज्य विश्वविद्यालय में संपरिवर्तित करने का निवेदन करते हुए संकल्प पारित किया है।

5. शक्तियों के राज्य क्षेत्र का प्रयोग—(1) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक विश्वविद्यालय सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़कर [1][* * *] को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अनुसूची में उसके सामने विनिर्दिष्ट तत्समय क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रयोग किया जा सकेगा।

(2) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में स्थित संस्थाओं को सम्बद्ध कर सकेगा और ऐसे राज्यक्षेत्र के या विदेश के अध्यापकों को मान्यता प्रदान कर सकेगा और अपनी परीक्षाओं के लिए उस राज्यक्षेत्र या विदेश से अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय सम्बन्धित सरकार की सिफारिश के सिवाय—

(क) उत्तर प्रदेश से बाहर संस्था को सम्बद्ध नहीं करेगा, अथवा

(ख) उत्तर प्रदेश से बाहर अवस्थित तथा किसी भी सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्था में नियोजित किसी भी अध्यापक को मान्यता प्रदान नहीं करेगा।

(3) [2][* * *]

(4) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, औषधि की आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धतियों की संस्था एवं अनुसंधान कार्य के सम्बन्ध में [3][[4][छत्रपति] शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर] और उनके ज्ञान की वृद्धि और प्रसार के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में किया जा सकेगा।

[5][(5) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होम्योपैथिक शैक्षिक और शैक्षणिक संस्थाओं को [6][डॉ० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा अथवा [7][छत्रपति] शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर] से सम्बद्ध किया जा सकेगा।]

[8][(6) उपधारा (1) अथवा धारा 37 की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, भारतीय चिकित्सा उपाधि अधिनियम, 1916 में यथा परिभाषित परिश्चमी चिकित्सा विज्ञान, अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी अथवा प्रबन्धन की उत्तर प्रदेश में कहीं भी शिक्षा या निर्देश प्रदान करने के लिए स्थापित या

---

1. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 6 द्वारा लोप किया गया [24-2-2009 को राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त और उ० प्र० गजट असाधारण, भाग 1, अनुभाग (क) में दिनांक 25-2-2009 को प्रकाशित]।
2. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 6 द्वारा लोप किया गया [24-2-2009 को राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त और उ० प्र० गजट असाधारण, भाग 1, अनुभाग (क) में दिनांक 25-2-2009 को प्रकाशित]।
3. 1996 के राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा प्रतिस्थापित (23-9-1995 से प्रभावी)।
4. 1997 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा "श्री" के लिए प्रतिस्थापित किया गया।
5. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा अन्तःस्थापित।
6. 1996 के राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक 6 द्वारा प्रतिस्थापित (23-9-1995 से प्रभावी)।
7. 1997 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा "श्री" के लिए प्रतिस्थापित।
8. 1996 के राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्तःस्थापित (25-8-1995 से प्रभावी)।

Indian Medical Degrees Act, 1916, engineering technology or managemen anywhere in Uttar Pradesh may, subject to such directions as may be issued by the State Government in this behalf, be affiliated to any University].

[1][(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the powers conferred on the Uttar Pradesh Urdu, Arabi, Pharsi University at Lucknow in respect of education and research in Urdu, Arabic and Persian and advancement and dissemination of knowledge thereof shall be exercisable throughout Uttar Pradesh.]

COMMENT

Affiliation to Degree College by University.—In a certain case, where the petitioner-degree college was situate at Allahabad, it was given an affiliation by the Veer Bahadur Singh, Purvanchal University (Jaunpur University), but by Amendment of Schedule by U.P. Act No. 28 of 2006 [U.P. State University (Amendment) Act, 2006], entire district of Allahabad was transferred to territorial jurisdiction of Kanpur University (Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur). Thus, the petitioner college was asked to obtain its affiliation from Kanpur University. No objection certificate granted earlier to the petitioner college can be of no use. *Committee of Management, Indravas Kumari Memorial Degree College, Anapur, Allahabad* v. *State of U.P. and others,* (2007) 2 U.P.L.B.E.C. 1733 (Alld.).

6. University open to all classes and creed.—The University shall be open to all persons irrespective of class or creed, but nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study a larger number of students than may be determined by the Ordinances :

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for admission of students belonging to [2][the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or Other Backward Classes of citizens].

7. Powers and duties of the University.—The University shall have the following powers and duties, namely—

(1) to provide for instruction in such branches of learning as the University may think fit, and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge;

(2) to admit any college to the privileges of affiliation or recognition or to enlarge the privileges of any college already affiliated or recognised, as the case may be, or to withdraw or curtail any such privilege and to guide and control the work of affiliated and associated colleges;

(3) to institute degrees, diplomas and other academic distinctions;

(4) to hold examinations for and to grant and confer degrees, diplomas and other academic distinctions to and on persons, who—

(a) have pursued a course of study in the University, a constituent college or an affiliated college, or associated college; or

1. Ins. by U. P. Act No. 11 of 2010 (w.e.f. 1-10-2009).
2. Subs. by U.P. Act No. 20 of 1994 (w.e.f. 15-7-1994).

स्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित संस्थायें इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा जारी किये जा सकने वाले निदेशों के अध्यधीन किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध की जा सकेगी।]

[1][(7) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, उर्दू, अरबी, और फारसी में शिक्षा और अनुसंधान एवं उसके ज्ञान की वृद्धि तथा विस्तार के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की प्रदत्त शक्तियां सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रयोग की जायेंगी।]

टिप्पणी

विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री कालेज को सम्बद्धता—धारा 5 (1) एवं अनुसूची—कतिपय वाद में जहाँ याची डिग्री कालेज इलाहाबाद में अवस्थित था, उसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय (जौनपुर विश्वविद्यालय) द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी थी। लेकिन 2006 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 28 [उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006] द्वारा अनुसूची के संशोधन द्वारा इलाहाबाद का सम्पूर्ण जिला कानपुर विश्वविद्यालय (छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर) के प्रादेशित क्षेत्राधिकार में अन्तरित कर दिया गया। इस तरह से, याची महाविद्यालय से यह कहा गया कि वह कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करे। याची महाविद्यालय को इससे पूर्व प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता है। *प्रबन्ध समिति, इन्द्रावास कुमारी मेमोरियल डिग्री कालेज, आनापुर, इलाहाबाद बनाम उ० प्र० राज्य एवं अन्य*, (2007) 2 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1733 (इला०)।

6. विश्वविद्यालय सभी वर्गों एवं सम्प्रदायों के लिए खुला रहेगा—विश्वविद्यालय वर्ग या सम्प्रदाय को ध्यान में रखे बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा, लेकिन इस धारा में कही गयी किसी भी बात का विश्वविद्यालय से किसी भी पाठ्यक्रम में उससे भी अधिक संख्या में विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अपेक्षा नहीं की जायेगी जिसे अध्यादेशों द्वारा अवधारित किया जाये :

परन्तु यह कि इस धारा में कही गयी किसी भी बात का [2][अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों] के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्रावधानों को करने से विश्वविद्यालय को निवारित करना नहीं समझा जायेगा।

7. विश्वविद्यालय की शक्तियां एवं कर्तव्य—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां एवं कर्तव्य होंगे, अर्थात्—

(1) ज्ञान की ऐसी शाखाओं में शिक्षण की व्यवस्था करना जिन्हें विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे, तथा अनुसंधान के लिए और ज्ञान की वृद्धि तथा प्रसार के लिए प्रावधानों को करना;

(2) किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार प्रदान करना अथवा पहले से सम्बद्ध या जैसा विषय हो मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के विशेषाधिकारों में वृद्धि करने, या वापस लेने या उनमें कमी करने तथा सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों का मार्गदर्शन करना और उनके कार्य को नियंत्रित करना;

(3) उपाधियों, डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टिताओं को प्रस्तुत करना;

(4) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं को आयोजित करना एवं ऐसे व्यक्तियों को उपाधियों, डिप्लोमाओं और अन्य शैक्षिक विशिष्टिताओं को प्रदान करना, जिन्होंने—

(क) विश्वविद्यालय, संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय, या सहयुक्त महाविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रम का अनुशीलन किया है; अथवा

---

1. 2010 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 11 द्वारा प्रतिस्थापित (1-11-2009 से प्रभावी)।
2. 1994 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 20 द्वारा प्रतिस्थापित (15-7-1994 से प्रभावी)।

(b) have carried on research in the University or in any institution recognised in that behalf by the University or independently, under conditions laid down in the Statutes and the Ordinances; or

(c) have pursued a course of study by correspondence whether residing within the area of the University or not, and have been registered by the University, subject to such conditions as may be laid down in the Statutes and Ordinances as external candidates; or

(d) are teachers or other employees in the University or in an Institute or in a constituent or affiliated or associated college or in any other educational institution under conditions laid down in the Statutes and the Ordinances or are inspecting officers permanently employed in the Department of Education of the State Government and have carried on private studies under conditions laid down in the Statutes and the Ordinances; or

(e) are women residing within the area of the University and have carried on private studies under conditions laid down in the Statutes and Ordinances; or

(f) are blind and are residing within the area of the University and have carried on private studies under conditions laid down in the Statutes and the Ordinances.

(5) to hold examinations for and to grant the degree of Bachelor of Arts or Commerce or Master of Arts or Commerce to persons residing within the area of the University who have carried on private studies under conditions laid down in the Statutes and the Ordinances;

(6) to confer honorary degree or other academic distinction in the manner and under conditions laid down in the Statutes;

(7) to grant such diplomas to, and to provide such lectures and instructions for persons, not being students of the University, as the University may determine;

(8) to co-operate or collaborate with other Universities and authorities in such manner and for such purposes as the University may determine;

(9) to institute teaching posts required by the University and to appoint persons to such posts;

(10) to recognize teachers for giving instruction in halls;

(11) to lay down the conditions of affiliation or recognition of colleges and to satisfy itself by periodical inspection and otherwise that those conditions are satisfied;

(12) to institute and award scholarships, fellowships (including travelling fellowship), studentships and prizes in accordance with the Statutes and the Ordinances;

(ख) विश्वविद्यालय में या उस विश्वविद्यालय में उस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी संस्था में या स्वतन्त्र रूप से परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अनुसंधान किया है; अथवा

(ग) पत्राचार के माध्यम से चाहे विश्वविद्यालय के किसी क्षेत्र में रहते हुए हो या नहीं अध्ययन के पाठ्यक्रम का अनुशीलन किया है और विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन जिन्हें परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट किया जाये, वाह्य अभ्यर्थियों के रूप में पंजीकृत किया गया है; अथवा

(घ) विश्वविद्यालय में या किसी संस्थान में या संघटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में या परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अन्य किसी शैक्षिक संस्थाओं में अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी हैं अथवा वे राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में स्थायी रूप से नियोजित निरीक्षण करने वाले अधिकारी हैं और जिन्होंने परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निजी अध्ययन किया हैं; अथवा

(ङ) विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर निवास करने वाली स्त्रियां हैं और जिन्होंने परिनियमों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन को किया है; अथवा

(च) नेत्रहीन हैं और विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तथा जिन्होंने परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययनों को किया है;

(5) विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास कर रहे व्यक्तियों के लिए कला अथवा वाणिज्य स्नातक या कला अथवा वाणिज्य के स्नातकोत्तर के लिए परीक्षाओं को आयोजित करना और उनके लिए उपाधि प्रदान करना जिन्होंने परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन को किया है;

(6) परिनियमों में निर्दिष्ट रीति से और उसके अधीन निर्दिष्ट शर्तों के अधीन सम्मानिक उपाधियों अथवा अन्य शैक्षिक विशिष्टिताओं को प्रदान करना;

(7) ऐसे व्यक्तियों के लिए जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नहीं हैं, ऐसे डिप्लोमाओं को प्रदान करना, अथवा ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षा सम्बन्धी निर्देशों का प्रावधान करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित कर सकेगा;

(8) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए सहयोग अथवा सहकार्य करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित कर सकेगा;

(9) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन पदों को संस्थित करना और उन पदों के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(10) छात्र निवास में शिक्षण प्रदान करने के लिए अध्यापकों को मान्यता प्रदान करना;

(11) महाविद्यालयों की सम्बद्धता अथवा मान्यता की शर्तों को निर्दिष्ट करना और समय-समय पर निरीक्षण द्वारा या अन्यथा अपना समाधान करना कि उन शर्तों को पूरा किया गया है;

(12) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्ति, अधिछात्रवृत्तियां (जिनमें यात्रा अधिछात्रवृत्ति सम्मिलित है) विद्यावृत्तियों एवं पारितोषकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(13) to institute and maintain halls and hostels and to recognize places of residence for students of the University, the Institutes or the constituent or associated colleges affiliated; or

(14) to demand and receive such fees and other charges as may be fixed by the Ordinances;

(15) to supervise and control the residence and to regulate the discipline of students of the University, the Instute and the constituent of affiliated or associated colleges and to make arrangements for promoting their health;

(16) to create administrative, ministerial and other necessary posts and to make appointments thereto; and

(17) to do all such acts and things, whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be requisite in order to further the objects of the University.

COMMENT

Powers and duties of the University.—It is the duty of the University to obey the rules and regulations by which it professor to be bound and not adversely affect the rights of others. *Virendra Kapur* v. *University of Jodhpur*, A.I.R. 1964 Raj. 161 (F.B.); *Mirza Shokat Beg* v. *University of Rajasthan*, A.I.R. 1979 Raj. 37.

[1][7-A. **Additional powers and duties of certain University.**—Upon being authorised by the State Government by notification under the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951, [2][Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra or [3][Chhatrapati] Shahu Ji Maharaj University, Kanpur], as the case may be, shall—

(a) hold examinations for and grant diplomas in Homoeopathy;

(b) take over the functions of holding of examinations for courses prescribed by the Board of Homoeopathic Medicine constituted under the said Act and granting diplomas and shall exercise and perform all the powers and functions of such Board under the said Act with respect to holding of such examinations and granting of diplomas].

[4][7-B. **Additional power and duties of certain Universities.**—Upon being authorized by the State Government by notification the Uttar Pradesh Urdu, Arabi, Pharsi University shall help, effiliate and facilitate the minority educational institutions providing higher education.]

CHAPTER III

INSPECTION AND INQUIRY

8. **Visitation.**—(1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct, of the University or any constituent college or any Institute maintained by the University, including its buildings, libraries, laboratories, workshops and

1. Ins. by Act No. 14 of 1977 (w.e.f. 8-8-1977).
2. Subs by President Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 23-9-1995).
3. Subs. for "Shri" by U.P. Act No. 12 of 1997 (w.e.f. 12-8-1997).
4. Ins. by U.P. Act No. 11 of 2010.

(13) विश्वविद्यालय संस्थानों अथवा संघटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए छात्र निवासों एवं छात्रावासों को संस्थित करना और उन्हें अनुरक्षित करना तथा निवास के स्थानों को मान्यता प्रदान करना;

(14) ऐसे शुल्कों और अन्य प्रभारों की मांग करना एवं उन्हें प्राप्त करना जिन्हें अध्यादेशों द्वारा नियत किया जा सकेगा;

(15) विश्वविद्यालय, संस्थान और संघटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के निवास का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनके अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य के सुधार के लिए प्रबन्ध को करना;

(16) प्रशासनिक या लिपिकवर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उनके लिए नियुक्तियों को करना; और

(17) ऐसे सभी कार्यों एवं चीजों को करना चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषंगिक हो या नहीं जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के उद्देश्य से अपेक्षित हो सकते हैं।

टिप्पणी

विश्वविद्यालय के कर्तव्य और शक्तियाँ—विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह उन नियमों तथा विनियमों का पालन करे जिनसे आबद्ध होने की वह प्रव्यंजना करता है न कि वह अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करेगा। *वीरेन्द्र कपूर* बनाम *जोधपुर विश्वविद्यालय,* ए० आई० आर० 1964 राज० 161 (एफ० बी०); *मिर्जा शौकत बेग* बनाम *राजस्थान विश्वविद्यालय,* ए० आई० आर० 1979 राज० 37।

[1][**7-क. कतिपय विश्वविद्यालय की अतिरिक्त शक्तियां एवं कर्तव्य**—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक औषधि अधिनियम, 1951 के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, [2][डॉ० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा अथवा जैसा विषयक हो [3][छत्रपति] शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर]—

(क) होम्योपैथी में डिप्लोमाओं के लिए परीक्षाओं को आयोजित करेगा और उन्हें प्रदान करेगा;

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन गठित होम्योपैथी औषधि परिषद् द्वारा निधारित पाद्यक्रमों के लिए परीक्षाओं को आयोजित करने के कार्यों को हाथों में लेना और डिप्लोमाओं को प्रदान करना तथा उन परीक्षाओं को आयोजित करने एवं डिप्लोमाओं को प्रदान करने के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अधीन उस परिषद् से सभी शक्तियों का प्रयोग करना और कार्यों का संपादन करना।]

[4][**7-ख. कतिपय विश्वविद्यालयों की अतिरिक्त शक्ति एवं कर्तव्य**—अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाली अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को सम्बद्धता में सहायता करेगा और सुविधा प्रदान करेगा।]

अध्याय III

निरीक्षण और जाँच

8. परिदर्शन—(1) राज्य सरकार को विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संघटक महाविद्यालय या संस्था का जिसमें उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, कार्यशालाएँ और उपस्कर सम्मिलित हैं और विश्वविद्यालय अथवा उन महाविद्यालयों या संस्थान द्वारा किये जाने वाले अथवा संचालित किये जाने वाली परीक्षाओं, अध्यापन और अन्य कार्यों का ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें

---

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा अन्तःस्थापित (8-8-1977 से प्रभावी)।
2. 1996 के राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा प्रतिस्थापित (23-9-1995 से प्रभावी)।
3. 1997 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा ''श्री'' को प्रतिस्थापित (12-8-1997 से प्रभावी)।
4. 2010 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 11 द्वारा प्रतिस्थापित (1-11-2009 से प्रभावी)।

equipment and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University or such colleges or Institute or to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University or such college or such Institute.

(2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the University of the same through the Registrar, and any person nominated by the Executive Council may be present at such inspection or inquiry as representative of the University and he shall have the right to be heard as such :

Provided that no legal practitioner shall appear, plead or act on behalf of the University at such inspection or inquiry.

(3) The person of persons appointed to inspect or inquire under sub-section (1) shall have all the powers of a Civil Court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, for the purpose of taking evidence on oath and enforcing the attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects, and shall be deemed to be a Civil Court within the meaning of [1][Sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973], and any proceeding before him or them shall be deemed to be judicial proceeding within the meaning of Sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.

(4) The State Government shall address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(5) The Vice-Chancellor shall then within such time as the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council.

(6) If the University authorities do not within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the Government may, after considering any explanation which the University authorities may furnish, issue such directions as it may think fit, and the University authorities shall be bound to comply with such directions.

(7) The State Government shall send to the Chancellor a copy of every report of an inspection or inquiry caused to be made under sub-section (1) and of every communication received from the Vice-Chancellor under sub-section (5) and of every direction issued under sub-section (6) and also of every report or information received in respect of compliance or non-compliance with such direction.

(8) Without prejudice to the provisions of sub-section (6) if the Chancellor on consideration of any document or material referred to in sub-section (7) of this section including any report of an inquiry held before the commencement of this Act, is of opinion that the Executive Council has failed to carry out its functions or has abused its powers, he may, after giving it an opportunity of

1. Subs. by U.P. Act No. 5 of 1977.

का निदेशित कर सकेगी, निरीक्षण कराने का अथवा उस विश्वविद्यालय या उस महाविद्यालय या उस संस्थान के प्रशासन तथा वित्त से सम्बन्धित किसी भी मामले के सम्बन्ध में उसी प्रकार से जांच कराने का भी अधिकार प्राप्त होगा।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण अथवा जाँच को कराने का निर्णय लेती है, तो वहाँ वह विश्वविद्यालय को उसके बारे में रजिस्ट्रार के माध्यम से सूचित करेगी और कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत कोई भी व्यक्ति ऐसे निरीक्षण या जाँच के समय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होगा और उसे उस रूप में सुने जाने का अधिकार प्राप्त होगा :

परन्तु यह कि कोई भी विधि व्यवसायी ऐसे निरीक्षण अथवा जाँच के समय विश्वविद्यालय की ओर से उपसंजात नहीं होगा, अभिवचन या कार्य नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण अथवा जाँच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद के विषय में विचारण करते समय शपथ पर साक्ष्य को लेने तथा साक्षियों की उपस्थिति कराने एवं दस्तावेजों और तात्विक वस्तुओं के प्रस्तुतीकरण को विवश करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का [1][दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 एवं 346] की अर्थव्याप्ति में सिविल न्यायालय होना समझा जायेगा, और उसके अथवा उनके समक्ष किसी भी कार्यवाही का भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 एवं 228 की अर्थव्याप्ति में न्यायिक कार्यवाही होना समझा जायेगा।

(4) राज्य सरकार उपकुलपति को उस निरीक्षण अथवा जाँच के परिणाम के सन्दर्भ में सम्बोधित करेगी और उपकुलपति कार्यपरिषद् को राज्य सरकार के विचारों को ऐसी सलाह के साथ जिसे राज्य सरकार प्रस्तावित कर सकेगी के साथ उस पर की जाने वाली कार्रवाई पर संसूचित करेगी।

(5) उपकुलपति तब ऐसे समय के भीतर जिसे राज्य सरकार नियत कर सकेगी उसके समक्ष कार्यपरिषद् द्वारा की गयी अथवा किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के सम्बन्ध में रिपोर्ट दाखिल करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय प्राधिकारीगण युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के लिए कार्रवाई नहीं करते हैं, तो सरकार ऐसे किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण प्रदान कर सकेंगे, ऐसे निदेशों को जारी कर सकेंगी जिन्हें वह उपयुक्त समझे, और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(7) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कराये जाने वाले निरीक्षण अथवा जाँच की प्रत्येक रिपोर्ट की और उपधारा (5) के अधीन उपकुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन जारी प्रत्येक निदेश की और साथ ही ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट या संसूचना की भी, जिसे उस निदेश के अनुपालन अथवा अननुपालन के सम्बन्ध में प्राप्त किया गया हो, प्रति कुलपति को प्रेषित करेगी।

(8) उपधारा (6) के प्रावधानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कुलपति की, इस धारा की उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज या सामग्री, जिसमें इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व आयोजित जांच की कोई भी रिपोर्ट सम्मिलित है, के विचारण पर, यह राय हो कि कार्यपरिषद् अपने कार्यों को करने में असफल हुआ है अथवा उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है तो वह उसे लिखित स्पष्टीकरण दाखिल करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, यह आदेशित कर सकेगा कि उक्त कार्यपरिषद्

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

submitting a written explanation, order that in supersession of the s Executive Council, an *ad hoc* Executive Council, consisting of the V Chancellor and such other persons not exceeding ten in number as Chancellor may appoint in that behalf including any member of the superse Executive Council, shall for such period not exceeding two years as Chancellor may from time to time specify, and subject to the provisions of s section (11), exercise and perform all the powers and functions of the Execu Council under this Act.

(9) Nothing in Section 20 shall apply to the composition of the *ad* Executive Council that may be constituted under sub-section (8).

(10) Upon an order being made under sub-section (8), the term of office o members of the Executive Council superseded thereby, including *ex-of* members shall cease and all such members shall vacate their offices as such

(11) During the period of operation of an order under sub-section (8), provisions of this Act, shall have effect subject to the following modificati namely :

(a) in Section 20, after sub-section (5), the following sub-section s be deemed inserted :

"(6) A meeting of the Executive Council shall be held at l once every two months";

(b) in Section 21, in sub-section (1), after the words 'subject to provisions of this Act', the words 'and subject also to the contr the Chancellor' shall be deemed inserted;

(c) in Section 24, in sub-section (2), the words, 'and shall upc requisition in writing signed by not less than one-fourth of the t membership of the Court' shall be deemed omitted.

(12) A fresh Executive Council shall be consituted in accordance with provisions of Section 20 with effect from the expiration of the perioc opration of an order under sub-section (8).

(13) Any Statute, Ordinance, Regulation or order made during the perio operation of an order under sub-section (8), in accordance with the provision this Act, as deemed modified by virtue of the provisions of sub-section (shall, notwithstanding the expiration of such period, continue in force u amended, repealed or rescinded in accordance with the provisions of this Ac

CHAPTER IV

OFFICER OF THE UNIVERSITY

9. Officers of the University.—The following shall be the officers of University—

(a) the Chancellor;

(b) in the case of Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya only, Pro-Chancellor;

(c) the Vice-Chancellor;

(d) in the case of Universities referred to in sub-section (1) of Sec 14, the Pro-Vice-Chancellor;

के अतिष्ठान में उपकुलपति अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो संख्या में 10 से अधिक नहीं होंगे, जिन्हें कुलपति अतिष्ठित कार्यपरिषद् के किसी भी सदस्य को सम्मिलित करते हुए उस निमित्त नियुक्त कर सकेगा, को सम्मिलित करते हुए तदर्थ कार्यपरिषद् ऐसी अवधि के लिए जो दो वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे कुलपति समय-समय पर विनिर्दिष्ट कर सकेगा और उपधारा (11) के प्रावधानों के अध्यधीन इस अधिनियम के अधीन कार्यपरिषद् की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सभी कार्यों का संपादन कर सकेगा।

(9) धारा 20 में कही गयी कोई भी बात तदर्थ कार्यपरिषद् की संरचना के लिए लागू नहीं होगी जिसका उपधारा (8) के अधीन गठन किया जा सकेगा।

(10) उपधारा (8) के अधीन किये जा रहे आदेश पर, तद्द्वारा अतिष्ठित कार्यपरिषद् के सभी सदस्यों, जिनमें पदेन सदस्य सम्मिलित हैं, के पद का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा और ऐसे सभी सदस्य उस रूप में अपने पदों को रिक्त कर देंगे।

(11) उपधारा (8) के अधीन आदेश के प्रवर्तन की अवधि के दौरान, इस अधिनियम के प्रावधानों का निम्नलिखित रूपान्तारणों के अध्यधीन प्रभाव होगा अर्थात् :

(क) धारा 20 में, उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा का अन्तःस्थापित होना समझा जायेगा :

"(6) कार्यपरिषद् की बैठक प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार बुलायी जायेगी";

(ख) धारा 21 में, उपधारा (1) में, पदावली "इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन" के पश्चात् पदावली "और कुलपति के नियंत्रणाधीन भी" का अन्तःस्थापित होना समझा जायेगा;

(ग) उपधारा (4) में, उपधारा (2) में, पदावली, "और सभा की कुल सदस्यता के कम से कम एक चौथाई द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यपेक्षा पर" का लोपित किया जाना समझा जायेगा।

(12) उपधारा (8) के अधीन आदेश के प्रवर्तन की अवधि के समाप्त होने से प्रभावी धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार नई कार्यपरिषद् का गठन किया जायेगा।

(13) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जैसा कि वे उपधारा (11) के प्रावधानों के कारण उपान्तरित समझे जायेंगे, उपधारा (8) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन की अवधि में बनाया गया कोई भी परिनियम, अध्यादेश, विनियम या आदेश ऐसी अवधि के समाप्त होने पर तब तक प्रभावी बना रहेगा जब तक कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसे संशोधित, निरसित या विखण्डित न कर दिया जाये।

अध्याय IV

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9. विश्वविद्यालय के अधिकारी—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे—

(क) कुलपति;

(ख) केवल सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की दशा में प्रति कुलपति;

(ग) उप कुलपति;

(घ) धारा 14 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों की दशा में, प्रति कुलपति;

(e) the Finance Officer;

(f) the Registrar;

[1][(ff) the Controller of examinations, if any, appointed];

(g) the Deans of the Faculties;

(h) the Dean of Students Welfare;

(i) such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

COMMENT

Officers of University.—Officers of the University does not mean the emplayees of University. Unless the context otherwise requires the expression used here should ordinarily be trested as carrying the same meaning throughout the Act. *Subhas Chandra* v. *State of H.P.*, 1978 Lab. I.C. 1294 (D.B.) : 1978 (1) S.L.R. 681.

10. The Chancellor.—(1) The Governor shall be the Chancellor of the University. He shall, by virtue of his office, be the Head of the University and the President of the Court and shall, when present, preside at meeting of the Court and at any convocation of the University.

(2) Every proposal for the conferment of an honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.

(3) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to furnish such information or records relating to the administration of the affairs of the University as the Chancellor may call for.

(4) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by or under this Act or the Statutes.

11. Pro-Chancellor.—(1) Maharaja Vibhuti Narain Singh of Varanasi shall continue to be the Pro-Chancellor for life of the Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya.

(2) The Pro-Chancellor shall, in the absence of the Chancellor, priside at meetings of the Court and at any convocation of the Vishvavidyalaya.

(3) The Pro-Chancellor shall have such other powers as may be conferred upon him by or under this Act or the Statutes.

12. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be whole time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor except as provided by sub-section (5) or sub-section (10) from amongst the persons whose names are submitted to him by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (2).

(2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following members, namely—

(a) one person (not being a person connected with the University, an Institute a constituent college, an associated or affiliated college or a hall or hostel) to be elected by the Executive Counsel [2][at least three months before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of his term];

1. Ins. by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25-2-1995).
2. Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.

(ङ) वित्त अधिकारी;

(च) रजिस्ट्रार;

[1][(चच) नियुक्त किया गया परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई हो];

(छ) संकायों का संकायाध्यक्ष;

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(झ) ऐसे अन्य अधिकारी जिनका परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी होना घोषित किया जा सकेगा।

टिप्पणी

विश्वविद्यालय के अधिकारी—विश्वविद्यालय के अधिकारियों का अभिप्राय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से नहीं है। जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, यहाँ प्रयुक्त अभिव्यक्ति "विश्वविद्यालय के अधिकारी" का साधारणतया वही अर्थ माना जायेगा जो कि सम्पूर्ण अधिनियम में दिया गया है। *सुभाष* चन्द्र बनाम *हिमाचल प्रदेश राज्य,* 1978 लेबर इण्डस्ट्रियल केसेज, 1294 (डी० बी०) : 1978 (1) एस० एल० आर० 681।

10. कुलपति—(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान तथा सभा का अध्यक्ष होगा तथा जब कभी उपस्थित हो, सभा की बैठक में तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह में अध्यक्षता करेगा।

(2) सम्मानिक उपाधि के प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलपति की पुष्टि के अध्यधीन होगा।

(3) उपकुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों से सम्बन्धित ऐसी सूचना अथवा अभिलेख प्रदान करे जिसकी कुलपति जाँच करे।

(4) कुलपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी जिन्हें उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अथवा उनके अधीन प्रदान किया जा सकेगा।

11. प्रति कुलपति—(1) वाराणसी के महाराजा विभूति नारायण सिंह सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के आजीवन प्रति कुलपति बने रहेंगे।

(2) प्रति कुलपति, कुलपति की अनुपस्थिति में सभा की बैठकों और विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह में अध्यक्षता करेगा।

(3) प्रति कुलपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी जिन्हें उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अथवा उनके अधीन प्रदान किया जा सकेगा।

12. उप-कुलपति—(1) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसे कुलपति द्वारा उन व्यक्तियों में से उपधारा (5) अथवा उपधारा (10) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय नियुक्त किया जायेगा जिनके नामों को उपधारा (2) के प्रावधान के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे दाखिल किया जाये।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) एक ऐसा व्यक्ति (जो विश्वविद्यालय, संस्थान, संघटक महाविद्यालय, सहयुक्त अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय या छात्र निवास या छात्रावास से सम्बद्ध नहीं है) कार्यपरिषद् द्वारा [2][उस तारीख के कम से कम तीन माह पूर्व जब उप-कुलपति के पद में उसकी कार्यावधि के समाप्त होने के कारण रिक्ति उत्पन्न होने वाली है, निर्वाचित किया जायेगा];

---

1. 1995 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा अन्त:स्थापित (25-2-1995 से प्रभावी)।
2. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्त:स्थापित।

(b) one person who is or has been a Judge of the High Court of Judicature at Allahabad including the Chief Justice thereof nominated by the said Chief Justice; and

(c) one person to be nominated by the Chancellor who shall also be the convenor of the Committee :

[1][Provided that where the Executive Council fails to elect any person in accordance with Clause (a), then the Chancellor shall nominate in addition to the person nominated by him under Clause (c), one person in lieu of the representative of the Executive Council.]

(3) The Committee shall, as far as may be, at least sixty days before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of term or resignation under sub-section (7), and also whenever so required and before such date as may be specified by the Chancellor, submit to the Chancellor the names of not less than three and not more than five persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor. The Committee shall, while submitting the names, also forward to the Chancellor a concise statement showing the academic qualifications ans other distinctions of each of the persons so recommended, but shall not indicate any order of preference.

(4) Where the Chancellor does not consider any one or more of persons recommended by the Committee to be suitable for appointment as Vice-Chancellor or if one or more of the persons recommended is or are not available for appointment and the choice of the Chancellor is restricted to less than three persons, he may require the Committee to submit a list of fresh names in accordance with sub-section (3).

(5) If the Committee in the case referred to in sub-section (3) or sub-section (4) fails or is unable to suggest any names within the time specified by the Chancellor, [2][or if the Chancellor does not consider any one or more of the fresh names recommended by the Committee to be suitable for appointment as Vice-Chancellor] another Committee consisting of three persons of academic eminence shall be consitituted by the Chancellor which shall submit the names in accordance with sub-section (3).

(6) No act or proceeding of the Committee shall be invalidated merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so.

[3][(7) (a) Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 years;

(b) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date he enters upon his office or till he attains the age of sixty eight years whichever is earlier;

(c) The Vice-Chancellor who has not attained the age of sixty-five years may be appointed as such for second term :

---

1. Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.
2. Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977 and shall be deemed always to have been inserted.
3. Subs. by U.P. Act No. 26 of 2007 (w.e.f. 25-8-2007).

(ख) एक व्यक्ति जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रह चुका है जिसमें उसका मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित है, उक्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामोदिष्ट किया गया हो।

(ग) एक ऐसा व्यक्ति, जिसे कुलपति द्वारा नामोदिष्ट किया जायेगा, जो समिति का आयोजक भी होगा :

[1][परन्तु यह कि जहाँ कार्यपरिषद् खण्ड (क) के अनुसार किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पाती है, तो कुलपति खण्ड (ग) के अधीन उसके द्वारा नामोदिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त कार्य परिषद् के, प्रतिनिधि के बदले एक व्यक्ति को नामोदिष्ट करेगी।]

(3) समिति, जहाँ तक सम्भव हो उस तारीख के कम से कम साठ दिन पूर्व, जब उपकुलपति के पद में उपधारा (7) के अधीन कार्यकाल की समाप्ति अथवा त्याग-पत्र के कारण रिक्ति उत्पन्न होने वाली है और साथ ही जब कभी इस प्रकार अपेक्षित हो और उस तारीख के पूर्व जिसे कुलपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, कुलपति को, कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच ऐसे व्यक्तियों के नामों को दाखिल करेगी जो उपकुलपति के पद को धारित करने के लिए उपयुक्त हो। समिति, नामों को दाखिल करते समय, कुलपति के समक्ष इस प्रकार सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताएं और अन्य विशिष्टताओं को दर्शित करते हुए संक्षिप्त विवरण को अग्रेषित करेगी, लेकिन वह अभिमान के किसी भी क्रम को नहीं बतायेगी।

(4) जहाँ कुलपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या अधिक का उप कुलपति के रूप में नियुक्त हेतु उपयुक्त होना नहीं समझता है अथवा यदि सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हैं अथवा है और कुलपति का चुनाव तीन व्यक्तियों से कम तक सीमित है तो वह समिति से उपधारा (3) के अनुसार नये नामों की सूची दाखिल करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(5) यदि समिति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट किये गये बाद में कुलपति द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर किन्हीं नामों का सुझाव देने में विफल होती है अथवा, असमर्थ है [2][अथवा यदि कुलपति उप कुलपति के रूप में नियुक्ति हेतु उपयुक्त समिति द्वारा सिफारिश किये गये नये नामों में से किसी एक या अधिक पर विचार नहीं करता है], तो शैक्षिक प्रतिष्ठा के तीन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए कुलपति द्वारा एक अन्य समिति का गठन किया जायेगा जो उपधारा (3) के अनुसार नामों को दाखिल करेगी।

(6) समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र उसके सदस्यों में रिक्ति अथवा रिक्तियों की विद्यमानता के कारण अथवा कार्यवाहियों में किसी ऐसे व्यक्ति के भाग लेने के कारण, जिसका बाद में ऐसा करने का हकदार न होना पाया गया हो, अविधिमान्य नहीं हो जायेगा।

[3][(7) (क) उप-कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो;

(ख) उप-कुलपति उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद को धारित करेगा जब वह अपने पद को धारित करता है अथवा जब तक वह अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता जो भी पहले हो;

(ग) उप-कुलपति जिसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, उस रूप में द्वितीय अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा :

---

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्तःस्थापित और उसका सदैव अन्तःस्थापित किया जाना समझा जायेगा।
3. 2007 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 26 द्वारा प्रतिस्थापित (25-8-2007 से प्रभावी)।

Provided that the Vice-Chancellor may by writing under his hand addressed to the Chancellor, resign his office, and shall cease to hold his office on the acceptance by the Chancellor of such resignation].

(8) Subject to the provisions of this Act, the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be determined by the State Government by general or special order in that behalf.

(9) The Vice-Chancellor shall not be entitled to the benefit of any pension, insurnace or provident fund constituted under Section 33 :

[1][Provided that when any teacher or other employee of any University or any affiliated or associated college is appointed as Vice-Chancellor, he shall be allowed to continue to contribute to the provident fund to which he is a subscriber and the contribution or the University shall be limited to what it had been contributing immediately before his appointment as Vice-Chancellor].

(10) In any of the following circumstances (of the existence of which the Chancellor shall be the sole Judge), the Chancellor may appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor for a term not exceeding six months as he may specify—

(a) where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs or is likely to occur by reason of leave or any other cause, not being resignation or expiry of term of which a report shall forthwith be made by the Registrar to the Chancellor;

(b) where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs and it cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of sub-sections (1) to (5);

(c) any other emergency :

Provided that the Chancellor may, from time to time, extend the term of appointment of any person to the office of Vice-Chancellor under this sub-section, so however, that the total term of such appointment (including the term fixed in the original order) does not exceed one year.

(11) Until a Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) or sub-section (5) or sub-section (10) assumes office, the Pro-Vice-Chancellor, if any, or where there is no Pro-Vice-Chancellor, the senior-most Professor of the University in the case of the University of Gorakhpur and any University mentioned in or specified under Section 38, or the seniormost Principal of an affiliated College in the case of any other University shall discharge the duties of the Vice-Chancellor as well.

[2][(12) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor.

1. Ins. by U.P. Act No. 21 of 1975 and shall be deemed always to have been inserted.
2. Ins. by U.P. Act No. 20 of 1994 (w.e.f. 15-7-1994).

परन्तु यह कि उपकुलपति कुलपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा, और उसका कुलपति द्वारा उस त्याग-पत्र के स्वीकार किये जाने पर अपने पद को धारित करना बंद हो जायेगा।]

(8) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, उप कुलपति की परिलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जा सकेगा।

(9) उप कुलपति धारा 33 के अधीन गठित किसी पेंशन, बीमा अथवा भविष्य निधि का हकदार नहीं होगा :

[1][परन्तु यह कि जब किसी विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के किसी अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी को उप कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे भविष्यनिधि में अंशदान करते रहने की अनुमति दी जायेगी जिसका वह अभिदायकर्ता है और विश्वविद्यालय का अंशदान उस तक सीमित रहेगा जिसके लिए वह उप कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के तत्काल पूर्व अंशदान करता आ रहा था।]

(10) निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी में, जिनके विद्यमान होने के बारे में कुलपति एकमात्र निर्णायक होगा कुलपति 6 माह से अनधिक की अवधि के लिए उप-कुलपति के पद पर किसी ऐसे उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा जिसे वह विनिर्दिष्ट करे—

(क) जहाँ उप कुलपति के पद में रिक्ति अवकाश के कारण या अन्य किसी कारण से, जो त्याग-पत्र अथवा उस कार्यावधि की समाप्ति नहीं है, उत्पन्न होती है अथवा उसका उत्पन्न होना सम्भाव्य है, जिसकी रिपोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा कुलपति को अविलम्ब दी जायेगी;

(ख) जहाँ उपकुलपति के पद में रिक्ति उत्पन्न होती है और उसे उपधारा (1) से (5) के प्रावधानों के अनुसार सुविधाजनक ढंग से और शीघ्र ही न भरा जा सकता हो;

(ग) अन्य कोई आपात स्थिति :

परन्तु यह कि कुलपति, समय-समय पर, इस उपधारा के अधीन उप-कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की कार्यावधि को विस्तारित कर सकेगा, किन्तु ऐसे कि उस युक्ति की कुल कार्यावधि (मूल आदेश में नियत कार्यावधि सहित) एक वर्ष से अधिक न हो।

(11) जब तक उपधारा (2) या उपधारा (5) या उपधारा (10) के अधीन नियुक्त उप कुलपति पद को धारित करता है, प्रति उपकुलपति, यदि कोई हो अथवा जहाँ कोई प्रति उप-कुलपति न हो तो गोरखपुर विश्वविद्यालय और धारा 38 में उल्लिखित अथवा उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय की दशा में उस विश्वविद्यालय का वरिष्ठतम प्रोफेसर अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय की दशा में सम्बद्ध महाविद्यालय का वरिष्ठतम प्राचार्य उप-कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

[2][(12) यदि कुलपति की राय में, उप-कुलपति इस अधिनियम के प्रावधानों का इच्छायुक्त ढंग से कार्यान्वयन करने से लोप कर देता है अथवा उससे इन्कार कर देता है अथवा अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, अथवा यदि कुलपति को अन्यथा यह लगता है कि उप-कुलपति के पद में बने रहना विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल है, तो कुलपति, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जिसे वह उपयुक्त समझे, आदेश द्वारा उपकुलपति को अपसारित कर सकेगा।

1. 1975 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 21 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1994 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 20 द्वारा अन्तःस्थापित।

(13) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (12) the Chancellor may order that till further orders—

(a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled under sub-section (8);

(b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order].

SYNOPSIS

1. Notice to all the Members of the Committee is a must.
2. Sufficiency of the notice of the meeting of the Council.
3. Members of Committee to be elected by Executive Council.
4. Chancellor has the power to pass successive orders.
5. Nature of inquiry.
6. Power to appoint not to be arbitrary.
7. Removal of the Vice-Chancellor.

1. *Notice to all the Members of the Committee is a must.*—It is necessary that notice must be issued to all the members of the Committee. If for one reason or the other one of them could not attend that does not make the meeting of others illegal. In such circumstances, where there is no rule or regulation or any other provision for fixing the quorum, the presence of the majority of the members would constitute it a valid meeting and matters considered thereat cannot be held to be invalid. *Ishwar Chand* v. *Satyanarain Sinha and others*, A.I.R. 1972 S.C. 1812.

2. *Sufficiency of the notice of the meeting of the Council.*—Seven day's notice required by the provision under the regulations should mention the business to be transacted at the meeting and should be accompanied by an agenda specifying the business to be transacted in the meeting. Only four days notice was held to be insufficient and the recommendations of the said committee was held to be invalid. *Kashi Nath Mishra* v. *Allahabad University*, A.I.R. 1967 All. 101.

3. *Members of Committee to be elected by Executive Council.*—The election of the member has to be conducted according to the system of proportional representation by means of a single transferable vote. *Kashi Nath Mishra* v. *Allahabad University*, A.I.R. 1967 All. 101.

4. *Chancellor has the power to pass successive orders.*—In the case of *Chancellor, Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya* v. *Jagdish Narain Pandey*, A.I.R. 1969 Allahabad 376, a Full Bench of the Allahabad High Court had occasion to consider, Section 12 (6) of the U.P. Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya Act which is similar to sub-section (10) of this section and it was held that the Chancellor had the power to pass successive orders. It was further held that if this power is misused or colourably exercised or if the power is exercised in the absence of existence of requisite conditions, such exercise of the power may be called in question by appropriate legal proceedings and may be struck down by the Court in appropriate cases, but that would not mean that the power does not exist.

5. *Nature of inquiry.*—The inquiry must be held in a manner consistent with the basic concept of justice and fair play. *State of Orissa* v. *Dr. (Miss) Binapani*, A.I.R. 1967 S.C. 1269 (1271).

(13) उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लम्बनकाल के दौरान अथवा उसके अनुध्यान में कुलपति यह आदेशित कर सकेगा कि अग्रेतर आदेशों के होने तक—

(क) वह उपकुलपति, उपकुलपति के पद के कार्यों का संपादन करने से विरत रहेगा, लेकिन वह उप परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह उपधारा (8) के अधीन अन्यथा हकदार था;

(ख) उपकुलपति के पद के कार्यों का आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा पालन किया जायेगा।]

टिप्पणियाँ

1. समिति के सभी सदस्यों को बैठक की नोटिस देना अनिवार्य
2. कार्य परिषद् की बैठक की नोटिस की पर्याप्तता
3. कार्य परिषद् द्वारा समिति के सदस्य का चुनाव
4. कुलपति को उत्तरोत्तर आदेशों को पारित करने की शक्ति प्राप्त है
5. जाँच की प्रकृति
6. नियुक्ति करने की शक्ति निरंकुश नहीं होनी चाहिए
7. उपकुलपति का अपसारण

1. समिति के सभी सदस्यों को बैठक की नोटिस देना अनिवार्य—यह आवश्यक है कि समिति के सभी सदस्यों को नोटिस जारी की जायेगी। यदि किसी कारण से उनमें से कोई उपस्थित नहीं हो पाता है तो इससे अन्य व्यक्तियों की बैठक अविधिक नहीं हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में गणपूर्ति को नियत करने के लिए कोई नियम या विनियम अथवा कोई प्रावधान नहीं है तो सदस्यों के बहुमत से वैध बैठक का गठन होगा एवं उसमें विचार किये गये मामलों का अवैध होना नहीं माना जा सकता है। *ईश्वर चन्द* बनाम *सत्यनारायण सिंहा एवं अन्य,* ए० आई० आर० 1972 एस० सी० 1972।

2. कार्य परिषद् की बैठक की नोटिस की पर्याप्तता—विनियमों के अधीन प्रावधान द्वारा अपेक्षित 7 दिन की नोटिस में भी बैठक में संव्यवहार किये जाने वाले काम-काज का उल्लेख होना चाहिए और इसके साथ में बैठक में संव्यवहार किये जाने वाले काम-काज को विनिर्दिष्ट करते हुए कार्य सूची को संलग्न किया जाना चाहिए। इस वाद में केवल 4 दिन की नोटिस अपर्याप्त मानी गयी थी और इसलिए उक्त समिति की सिफारिश अवैध ठहरायी गयी। *काशी नाथ मिश्रा* बनाम *इलाहाबाद विश्वविद्यालय,* ए० आई० आर० 1967 इला० 101।

3. कार्य परिषद् द्वारा समिति के सदस्य का चुनाव—कार्य परिषद् की समिति के सदस्य का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार किया जायेगा। *काशी नाथ मिश्रा* बनाम *इलाहाबाद विश्वविद्यालय,* ए० आई० आर० 1967 इला० 101।

4. कुलपति को उत्तरोत्तर आदेशों को पारित करने की शक्ति प्राप्त है—*कुलपति, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय* बनाम *जगदीश नारायण पाण्डेय,* ए० आई० आर० 1969 इलाहाबाद 376 के वाद में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ को इस धारा की उपधारा (10) के समान, उ० प्र० वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम (1956 का 28) की धारा 12 (6) पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ एवं उस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कुलपति को उत्तरोत्तर आदेशों को पारित करने की शक्ति प्राप्त है। अग्रेतर यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि इस शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है अथवा छद्म रूप से प्रयोग किया जाता है अथवा यदि इस शक्ति का अपेक्षित शर्तों की विद्यमानता के अभाव में प्रयोग किया जाता है, तो उस शक्ति के प्रयोग को समुचित विधिक कार्यवाहियों में प्रश्नगत किया जा सकेगा और समुचित वादों में उसे समाप्त किया जा सकेगा, लेकिन उसका अभिप्राय यह नहीं होगा कि वह शक्ति विद्यमान ही नहीं है।

5. जाँच की प्रकृति—जाँच को न्याय और निष्पक्षता की मूल धारणा से सुसंगत रीति से किया जायेगा। *उड़ीसा राज्य* बनाम *डॉ० (कु०) बीना पानी,* ए० आई० आर० 1967 एस० सी० 1269 (1271)।

6. Power to appoint not to be arbitrary.—The power to appoint a Vice-Chancellor has its source in the University. It must not be exercised arbitrarily. It can be exercised only for good cause, i.e. in the interested of the University and only when it is found after due inquiry held in the manner consistent with the rules of natural justice, that the holder of the office is unfit to continue as Vice-Chancellor. *Bool Chand v. Kurukshetra University,* A.I.R. 1968 S.C. 292.

7. Removal of the Vice-Chancellor.—Under the First Statutes framed by the University, in case, the Chancellor is of the opinion that the Vice-Chancellor has, intentionally and wilfully, violated the provisions as this Act or omitted to carry out them or misused the powers vested in him and if it appears to the Chancellor that the said Vice-Chancellor's continuance in his office is not in the interests or the University, the Chancellor, after due inquiry, by an order, may remove him from his office. *Comments based on the provisions of the Act.*

13. Powers and duties of the Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall—

(a) exercise general supervision and control over the affairs of the University including the constituent colleges and the Institutes maintained by the University and its affiliated and associated colleges;

(b) give effect to the decisions of the authorities of the University;

(c) in the absence of the Chancellor, preside at meetings of the Court and at any convocation of the University;

(d) be responsible for the maintenance of discipline in the University;

[1][(e) be responsible for holding and conducting the University examinations properly and at due time and for ensuring that the results of such examinations are published expeditiously and that the academic session of the University starts and ends on proper dates].

(2) He shall be an *ex officio* member and Chairman of the Executive Council, Academic Council and the Finance Committee.

(3) He shall have the right to speak in and otherwise to take part in the meeting of any other authority or body of the University but shall not by virtue of his sub-section be entitled to vote.

(4) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances and he shall, without prejudice to the powers of the Chancellor [2][under Sections 10 and 68] possess all such powers as may be necessary in that behalf.

(5) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the Executive Council, the Court, the Academic Council and the Finance Committee :

Provided that he may delegate this power to any other officer of the University.

---

1. Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.
2. Subs. by U.P. Act No. 29 of 1974.

6. नियुक्ति करने की शक्ति निरंकुश नहीं होनी चाहिए—उपकुलपति को नियुक्त करने की शक्ति का स्रोत विश्वविद्यालय अधिनियम में है। इसका प्रयोग निरंकुश ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग केवल अच्छे हेतुक के लिए अर्थात् विश्वविद्यालय के हित में ही किया जा सकता है और केवल तभी जब, नैसर्गिक न्याय के नियमों से सुसंगत रीति से जांच करने के पश्चात् यह पाया जाये कि उस पद का धारक उपकुलपति के रूप में बने रहने के लिए अनुपयुक्त है। *बूल चन्द* बनाम *कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,* ए० आई० रि० 1968 एस० सी० 292।

7. उपकुलपति का अपसारण—विश्वविद्यालय द्वारा विरचित प्रथम परिनियमों के अधीन, यदि कुलपति को यह राय है कि उपकुलपति ने जानबूझ कर और इच्छायुक्त ढंग से इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और उनका पालन करने से लोप किया है अथवा अपने में निहित की गयी शक्तियों का दुरुपयोग किया एवं कुलपति को यह लगता है कि उक्त उपकुलपति का अपने पद में बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो कुलपति सम्यक् जांच के पश्चात्, आदेश से उसे उसके पद से अपसारित कर सकेगा। (टिप्पणी अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित)।

13. उपकुलपति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य—(1) उपकुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और वह—

(क) विश्वविद्यालय और उसके सम्बद्ध एवं सहयुक्त महाविद्यालयों द्वारा अनुरक्षित संघटक महाविद्यालयों और संस्थानों सहित विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी बनायेगा;

(ग) कुलपति की अनुपस्थिति में, सभा की बैठकों एवं विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा;

(घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

[1][(ङ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को आयोजित करने एवं उन्हें समुचित ढंग से और सम्यक् समय पर संचालित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उन परीक्षाओं के परिणामों को शीघ्र ही प्रकाशित किया जाये और यह कि विश्वविद्यालय का शैक्षिक सत्र समुचित तारीखों पर प्रारम्भ हो तथा समाप्त हो।]

(2) वह कार्यपरिषद्, विद्या परिषद् एवं वित्त समिति का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष होगा।

(3) उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी अथवा निकाय की बैठक में बोलने और अन्य प्रकार से उसमें भाग लेने का अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन वह इस उपधारा के आधार पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(4) उपकुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के प्रावधानों का सत्यनिष्ठा से पालन करे और वह [2][धारा 10 एवं 68 के अधीन] कुलपति की शक्तियों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन सभी शक्तियों को धारित करेगा जो उस निमित्त आवश्यक हो।

(5) उपकुलपति को कार्यपरिषद्, सभा, विद्या परिषद् और वित्त समिति की बैठकों को आयोजित करने अथवा उन्हें आयोजित कराने की शक्ति प्राप्त होगी :

परन्तु यह कि वह विश्वविद्यालय के अन्य किसी भी अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

---

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1974 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा प्रतिस्थापित।

(6) Where any matter [1][other than the appointment of teacher of t University] is of urgent nature requiring immediate action and the same cou not be immediately dealt with by any officer or the authority or, other body the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vic Chancellor may take such action as he may deem fit and shall forthwit report the action taken by him to the Chancellor and also to the office authority, or other body who or which in the ordinary course would have deal with the matter :

Provided that no such action shall be taken by the Vice-Chancello without the previous approval of the Chancellor, if it would involve a deviation from the provisions of the Statutes or the Ordinances :

Provided further that if the officers, authority or other body is of opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor who may either confirm the action taken by the Vice-Chancellor or annual the same or modify it in such manner, as he thinks fit and thereupon, it shall cease to have effect or, as the case may be, take effect in the modified form, so however, that such annulment or modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the order of the Vice-Chancellor :

Provided also that any person in the service of University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section, shall have the right to appeal against such action to the Executive Council within three months from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon, the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(7) Nothing in sub-section (6) shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorised and provided for in the budget.

(8) Where the exercise of the power by the Vice-Chancellor under sub-section (6) involves the appointment of an officer [2][* * *], such appointment shall terminate on appointment being made in the prescribed manner or on the expiration of a period of six months from the date of the order of the Vice-Chancellor, whichever is earlier.

(9) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be laid down by the Statutes and the Ordinances.

SYNOPSIS

1. Nature of the opportunity to be provided by the Vice-Chancellor.
2. Offence involving moral turpitude.
3. Entertaining of oral complaint/Explanation by the Vice-Chancellor.
4. No power to make *ad hoc* appointment.
5. Power of the Vice-Chancellor quasi-judicial.

1. Ins. by U.P. Act No. 1 of 1992 (w.e.f. 22-11-1991).
2. The words "or a teacher of the University" omited by U.P. Act No. 1 of 1992 (w.e.f. 22-11-1991).

(6) जहां [1][विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति को छोड़कर] अन्य कोई भी मामला अत्यावश्यक प्रकृति का है जिसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है और उससे विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य ऐसे किसी निकाय द्वारा तत्काल संव्यवहार नहीं किया जा सकता था, जो इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन उससे संव्यवहार करने के लिए सशक्त था, तो वहां उपकुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जिसे वह उपयुक्त समझे और वह अपने द्वारा की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट अविलम्ब कुलपति को और साथ ही उस अधिकारी, प्राधिकारी, अथवा अन्य निकाय को देगा जिसने साधारण अनुक्रम में उस मामले से संव्यवहार किया होता :

परन्तु यह कि कुलपति के पूर्वानुमोदन के बिना उपकुलपति द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जायेगी यदि वह परिनियमों या अध्यादेशों के प्रावधानों से विचलन में लिप्त होता हो :

परन्तु अग्रेतर यह कि यदि उन अधिकारियों, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय की यह राय हो कि उस कार्रवाई को नहीं किया जाना चाहिए था तो वह मामला कुलपति के समक्ष निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो उपकुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई की पुष्टि कर सकेगा अथवा उसे रद्द कर सकेगा या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह उपयुक्त समझे और तत्पश्चात् उसका प्रभावी होना बन्द हो जायेगा अथवा जैसा विषय हो उस उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा किन्तु ऐसे निष्प्रभावी होने या उपान्तरित होने का उपकुलपति द्वारा अथवा उसके आदेश के अधीन पूर्वतन की गयी किसी भी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परन्तु यह भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो इस उपधारा के अधीन उपकुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई से क्षुब्ध है, को उस कार्रवाई के विरुद्ध कार्यपरिषद् के समक्ष उस तारीख से तीन माह के भीतर अपील करने का अधिकार प्राप्त होगा जिस पर उस कार्रवाई पर विनिश्चय की सूचना उसे दी जाती है और उसके पश्चात् कार्यपरिषद् उपकुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई की पुष्टि कर सकेगी, उसे उपान्तरित कर सकेगी या उसे अभिशून्य करार दे सकेगी।

(7) उपधारा (6) में कही गयी किसी भी बात का उपकुलपति को ऐसे किसी भी व्यय को उपगत करने के लिए सशक्त करना नहीं समझा जायेगा जिसे करने के लिए वह सम्यक् रूप से प्राधिकृत नहीं है और जिसका बजट में प्रावधान नहीं किया गया है।

(8) जहाँ उपधारा (6) के अधीन उपकुलपति द्वारा शक्ति के प्रयोग में किसी अधिकारी [2][* * *] की नियुक्ति अन्तर्वलित है तो वहाँ वह नियुक्ति निर्धारित रीति से नियुक्ति के किए जाने पर अथवा जो भी पहले हो, उपकुलपति के आदेश की तारीख से छः माह की अवधि के समाप्त होने पर समाप्त हो जायेगी।

(9) उपकुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट किया जाये।

टिप्पणियाँ

1. अवसर की प्रकृति का उपकुलपति द्वारा बताया जाना
2. नैतिक अधमता को अन्तर्वलित करते हुए अपराध
3. कुलपति द्वारा मौखिक परिवाद/स्पष्टीकरण ग्रहण करना
4. तदर्थ नियुक्ति की कोई शक्ति
5. उपकुलपति की शक्ति न्यायिक-कल्प प्रकृति की

---

1. 1972 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 1 द्वारा अन्त:स्थापित (22-11-1991 से प्रभावी)।
2. पदावली ''अथवा विश्वविद्यालय के अध्यापक'' का 1992 के उ०प्र० अधिनियम संख्यांक 1 द्वारा लोपित (22-11-1991 से प्रभावी)।

1. *Nature of the opportunity to be provided by the Vice-Chancellor.*—Unless a person is made aware of the fact that he is being accused of some thing, question of refuting the allegations or putting in his defence does not arise. If action has been taken against any person without making him aware of the accusation levelled against him, it would necessarily follow that an opportunity to put in his defence has been denied to him. *Shafi Ahmad* v. *Roorkee University*, 1978 All. L.J. 567.

2. *Offence involving moral turpitude.*—The respondent-University had reinstated petitioner Shri Jaswant Singh Sajwan who had been convicted under Section 60 of the Excise Act, and was imposed a fine of Rs. 150 for possessing two pouches of illicit liquor. From the factual background, it may be presumed that the University was not treating the possession of illicit liquor as an offence involving moral turpitude. The action of the respondents in terminating the services of the petitioner who have been held guilty of similar offence under Section 60 of the Excise Act was arbitrary and discriminatory. *Parashu Ram Semwal* v. *The Registrar, Hemwati Nandan Bahuguna, Garhwal University, Srinagar, Garhwal*, (2001) 1 U.P.L.B.E.C. 93 (All.).

3. *Entertaining of oral complaint/Explanation by the Vice-Chancellor.*—Where a person does not make a complaint or give an explanation in writing, the Vice-Chancellor or the Proctor cannot over look the complaint or explanation made orally. Non-consideration of the oral explanation of the person proceeded against even though he does not put in appearance, would be a flaw which would vitiate the proceedings of the inquiry committee as it would amount to violation of the principle of natural justice. Special Appeal No. 193 of 1973, *Vice Chancellor of University of Allahabad* v. *Shri Jagdish Chandra Dixit and others* decided by Division Bench on 27-9-1973.

4. *No power to make* ad hoc *appointment.*—As is clear from the provision of this section, the Vice-Chancellor should not be given any power to make *ad hoc* appointment of a teacher of the University. *Dr. Prabhu Narain Saxena* v. *Vice-Chancellor, Dr. Bheem Rao Ambedkar University, Agra*, (2001) 1 U.P.L.B.E.C. 86 (All.).

5. *Power of the Vice-Chancellor quasi-judicial.*—According to Clause (d) of sub-section (1), the Vice-Chancellor is expected to exercise quasi-judicial powers in punishing students for breach of discipline. *Gajadhar Prasad* v. *Allahabad University*, A.I.R. 1966 All. 477.

14. The Pro-Vice-Chancellor.—(1) This section applies only to the Universities of Lucknow, [1][* * *] and Gorakhpur and to any other University specified in that behalf by the State Government by notification in the Gazette.

(2) The Vice-Chancellor, if he considers necessary, may appoint a Pro-Vice-Chancellor from amongst the Professors of the University.

(3) The Pro-Vice-Chancellor appointed under sub-section (2) shall discharge his duties in addition to his duties as a Professor.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall hold office at the pleasure of the Vice-Chancellor.

(5) The Pro-Vice-Chancellor shall get an honorarium of Rupees three hundred per month.

---

1. The word "Allahabad" omitted by Act No. 26 of 2005 (w.e.f. 14-7-2005).

1. अवसर की प्रकृति का उपकुलपति द्वारा बताया जाना—जब तक व्यक्ति को इस तथ्य से भिज्ञ नहीं किया जाता कि उसे किसी बात के लिए दोषारोपित किया जा रहा है, तब तक आरोपों को खण्डित करने अथवा अपनी प्रतिरक्षा को करने का प्रश्न नहीं उठता है। यदि उसे उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप से भिज्ञ किये बिना कोई कार्रवाई की जाती है, तो आवश्यक रूप से यह परिणामित होगा कि उसे अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने से वंचित किया गया है। *शाहब अहमद* बनाम *रुड़की विद्यालय,* 1978 ए० एल० जे० 567।

2. नैतिक अधमता की अन्तर्वलित करते हुए अपराध—प्रत्युत्तरदाता-विश्वविद्यालय ने याची श्री जसवन्त सिंह सजवान को पुनर्बहाल किया था जिसे उत्पादक शुल्क अधिनियम की धारा 60 के अधीन सिद्धदोष किया गया था और उसे दो पाउच अवैध मदिरा रखने के लिए 150 रु० का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था। तथ्यात्मक भूमि से यह उपधारित किया जा सकता है कि विश्वविद्यालय अवैध मदिरा के कब्जे को नैतिक अधमता अन्तर्वलित करते हुए अपराध के रूप में नहीं मान रहा था। याची, जिसे उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 60 के अधीन इसी प्रकार के अपराध का दोषी पाया गया, की सेवाओं को समाप्त करने में प्रत्युत्तरदातागण की कार्रवाई मनमानापूर्ण एवं भेदभावकारी था। *परशु राम सेमवाल* बनाम *रजिस्ट्रार, हेमवती नन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल,* (2001) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 53 (इला०)।

3. कुलपति द्वारा मौखिक परिवाद/स्पष्टीकरण ग्रहण करना—जहाँ कोई व्यक्ति लिखित रूप में परिवाद नहीं करता है अथवा लिखित स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो उपकुलपति अथवा प्रॉक्टर मौखिक रूप से किये गये परिवाद अथवा स्पष्टीकरण की अनदेखी नहीं कर सकता है। उस व्यक्ति के, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गयी हो, मौखिक स्पष्टीकरण के बारे में अविचारण, भले ही उसने उपसंजाति न की हो, ऐसा दोष होगा जो जांच समिति की कार्यवाहियों को दूषित कर देगा क्योंकि वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के उल्लंघन की कोटि में आयेगा। *उपकुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय* बनाम *श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित एवं अन्य,* शीर्षकान्तर्गत वर्ष 1973 की विशेष अपील सं० 193, खण्डपीठ द्वारा 27-9-1973 को विनिश्चित।

4. तदर्थ नियुक्ति की कोई शक्ति—जैसा कि इस धारा के प्रावधानों से स्पष्ट है, उपकुलपति को विश्वविद्यालय के अध्यापक की तदर्थ नियुक्ति की कोई नियुक्ति प्रदान नहीं की जानी चाहिए। *डॉ० प्रभु नारायण सक्सेना* बनाम *उपकुलपति, डॉ० भीम राव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा,* (2001) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 86 (इला०)।

5. उपकुलपति की शक्ति न्यायिक-कल्प प्रकृति की—उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसार, उपकुलपति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अनुशासन के भंग हेतु विद्यार्थियों को दण्डित करने में न्यायिक-कल्प शक्तियों का प्रयोग करेगा। *गजाधर प्रसाद* बनाम *इलाहाबाद विश्वविद्यालय,* ए० आई० आर० 1966 इलाहाबाद 477।

14. प्रति उपकुलपति—(1) यह धारा केवल लखनऊ, [1][* * *] और गोरखपुर के विश्वविद्यालयों के लिए और गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट किये गये अन्य किसी भी विश्वविद्यालय के लिए लागू होती है।

(2) उप-कुलपति, यदि वह आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों में से प्रति उप-कुलपति को नियुक्त कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रति उपकुलपति प्रोफेसर के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(4) प्रति उपकुलपति उपकुलपति के प्रसाद पर पद को धारित करेगा।

(5) प्रति उपकुलपति को तीन सौ रुपये प्रतिमाह का मानदेय प्राप्त होगा।

---

1. शब्द "इलाहाबाद" का 2005 के अधिनियम संख्या 26 द्वारा लोपित (14-7-2005 से प्रभावी)।

(6) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters, as may be specified by the Vice-Chancellor in this behalf from time to time and shall preside over the meetings of the University in the absence of the Vice-Chancellor and shall exercise such other powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him by the Vice-Chancellor.

NOTIFICATION

English translation of Shiksha Anubhag-10, Noti. 3452/XV-X-94-6 (6)-94, dated November 14, 1994, published in the U.P. Gazette, Extra., Part 4 Section (Kha), dated 14th November, 1994

In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 14 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act No. 10 of 1973) as amended and re-enacted by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974 (U.P. Act No. 29 of 1974), the Governor is pleased to specify with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the following other Universities to which Section 14 of the said Act shall apply :

(1) The University of Agra.

(2) The University of Kanpur.

(3) Chaudhary Charan Singh University, Meerut.

(4) Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi.

(5) Kashi Vidyapith, Varanasi.

(6) The University of Kumaun.

(7) Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University.

(8) Doctor Ram Manohar Lohia University, Faizabad.

(9) The University of Bundelkhand.

(10) The University of Rohilkand.

15. The Finance Officer.—(1) There shall be a Finance Officer for the University, who shall be appointed by the State Government by a notification published in the Official Gazette and his remuneration and allowances shall be paid by the University.

(2) The Finance Officer shall be responsible for presenting the budget (annual estimates) and the statement of accounts to the Executive Council and also for drawing and disbursing funds on behalf of the University.

(3) He shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Executive Council but shall not be entitled to vote.

(4) The Finance Officer shall have the duty—

(a) to ensure that no expenditure, not authorised in the budget, is incurred by the University (otherwise than by way of investment);

(b) to disallow any proposed expenditure which may contravene the provisions of this Act or the terms of any Statutes or Ordinances;

(6) प्रति उपकुलपति उपकुलपति की ऐसे मामलों के सम्बन्ध में सहायता करेगा जिन्हें उपकुलपति द्वारा इस निमित्त समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा और वह उपकुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय की बैठकों में अध्यक्षता करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जिन्हें उपकुलपति द्वारा उसे समनुदेशित या प्रत्यायोजित किया जा सकेगा।

अधिसूचना

दिनांक 14 नवम्बर, 1994 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग-4, अनुभाग (ख) के पृष्ठ 2 पर प्रकाशित दिनांक 14 नवम्बर, 1994 की शिक्षा अनुभाग-10 अधिसूचना 3452/XV-X-94-6(6)-94 का अंग्रेजी अनुवाद

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 29) द्वारा यथा संशोधित और पुन: अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (वर्ष 1973 का राष्ट्रपति महोदय का अधिनियम संख्या 10) की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल महोदय ने गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित अन्य विश्वविद्यालयों को विनिर्दिष्ट करने में संतोष का अनुभव किया है जिनके लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 लागू होगी,—

(1) आगरा विश्वविद्यालय;

(2) कानपुर विश्वविद्यालय;

(3) चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ;

(4) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी;

(5) काशी विद्यापीठ, वाराणसी;

(6) कुमायूं विश्वविद्यालय;

(7) हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, गढ़वाल;

(8) डॉ० राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद;

(9) बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय;

(10) रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय।

15. वित्त अधिकारी—(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा की जायेगी एवं उसके पारिश्रमिक तथा भत्तों को विश्वविद्यालय द्वारा संदाय किया जायेगा।

(2) वित्त अधिकारी बजट (वार्षिक प्राक्कलन) और लेखा विवरणों को कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने और साथ ही विश्वविद्यालय की ओर से निधियों को निकालने एवं उनका संवितरण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) उसे कार्यपरिषद् की कार्यवाहियों में बोलने और अन्य प्रकार से उनमें भाग लेने का अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन वह मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(4) वित्त अधिकारी के निम्न कर्तव्य होंगे—

(क) यह सुनिश्चित करना कि ऐसा कोई भी व्यय, जिसे बजट में प्राधिकृत नहीं किया गया है, विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोग को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से) उपगत नहीं किया जायेगा;

(ख) ऐसे किसी भी प्रस्तावित व्यय को अननुज्ञात करना जिससे इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा किन्हीं परिनियमों अथवा अध्यादेशों के निबन्धनों का अतिलंघन होता हो;

(c) to ensure that no other financial irregularity is committed and to take steps to set right any irregularities pointed out during audit;

(d) to ensure that the property and investments of the University are duly preserved and managed.

(5) The Finance Officer shall have access to and may require the production of such records and documents of the University and the furnishing of such information pertaining to its affairs as in his opinion may be necessary for the discharge of his duties.

(6) All contracts shall be entered into and signed by the Finance Officer on behalf of the University.

(7) Other powers and functions of the Finance Officer shall be such as may be prescribed.

16. The Registrar.—(1) The Registrar shall be a whole-time Officer of the University.

(2) The Registrar shall be appointed in accordance with, and his conditions of service shall be governed by rules made under Section 17.

(3) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University.

(4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University. He shall be *ex officio* Secretary of the Executive Council, the Court, [1][the Academic Council and the Admissions Committee] and of every Selection Committee for appointment of teachers of the University, and shall be bound to place before these authorities all such information as may be necessary for transaction of their business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and Ordinances are required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not, by virtue of this sub-section, be entitled to vote.

[2][(5) [* * *]

(6) The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University save such as may be provided for by rules made under Section 17.

[3][**16-A. The Controller of Examination.**—(1) This section applies only to the Universities of Lucknow, Allahabad, Gorakhpur and Kanpur and to any other University specified in that behalf by the State Government by notification in the Official Gazette.

(2) The Controller of Examination shall be a whole time Officer of the University.

(3) The Controller of Examination shall be appointed by the State Government by a notification published in the Official Gazette and his remuneration and allowances shall be paid by the University.

1. Subs. by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25-2-1995).
2. Omitted by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25-2-1995).
3. Ins. by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25-2-1995).

(ग) यह सुनिश्चित करना कि अन्य कोई वित्तीय अनियमितता कारित न की जाये और अंकेक्षण के दौरान बतायी गयी किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कदमों को उठाना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति एवं विनियोगों को सम्यक् रूप से परिरक्षित एवं प्रबन्धित किया जाये।

(5) वित्त अधिकारी को विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त होगी और वह उनके प्रस्तुत किये जाने तथा उसके कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी सूचना के प्रदान करने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में, उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(6) सभी संविदाओं को वित्त अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की ओर से किया जायेगा और उसके द्वारा उन पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां एवं कार्य वो होंगे जिन्हें निर्धारित किया जा सकेगा।

16. **रजिस्ट्रार**—(1) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) रजिस्ट्रार को धारा 17 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा और उसकी सेवा की शर्तें उनके द्वारा शासित होंगी।

(3) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय के अधीन अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति प्राप्त होगी।

(4) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुहर की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्यपरिषद् सभा, [1][विद्या परिषद् और प्रवेश समिति] का और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह इन प्राधिकारियों के समक्ष उन सभी सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जो उनके कामकाज को करने के लिए आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जिन्हें परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किया जा सकेगा, जिनकी कार्यपरिषद् या उपकुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये, लेकिन वह इस उपधारा के आधार पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(5) [2][* * *]

(6) रजिस्ट्रार को धारा 17 के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा यथा उपबन्धित को छोड़कर विश्वविद्यालय में किसी भी कार्य के लिए कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा न ही वह उसे स्वीकार करेगा।

[3][**16-क. परीक्षा नियंत्रक**—(1) यह धारा केवल लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर और कानपुर के विश्वविद्यालयों के लिए और शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा राज्यपाल द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट अन्य किसी भी विश्वविद्यालय के लिए लागू होती है।

(2) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक एवं भत्तों को विश्वविद्यालय द्वारा संदाय किया जायेगा।

---

1. 1995 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा प्रतिस्थापित (25-2-1995 से प्रभावी)।
2. 1995 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा लोपित (25-2-1995 से प्रभावी)।
3. 1995 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा अन्तःस्थापित (25-2-1995 से प्रभावी)।

(4) The Controller of Examinations shall be responsible for the due custody of the records pertaining to his work. He shall be *ex-officio* Secretary of the Examinations Committee of the University and shall be bound to place before such Committee all such information as may be necessary for transaction of its business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and Ordinances as required, from time to time, by the Excutive Council or the Vice-Chancellor but he shall not, by virtue of this sub-section, be entitled to vote. He may require, from any office or institute of the University, the production of such return or the furnishing of such information as may be necessary for the discharge of his duties.

(5) The Controller of Examinations shall have Administrative control over the employees working under him and have, in this regard all the powers of the Registrar.

(6) Subject to the Superintendence of the Examinations Committee the Controller of Examinations shall conduct the Examinations and make all other arrangements therefore and be responsible for the due execution of all processes connected thereiwth.

(7) The Controller of Examinations shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University, except in accordance with the order of the State Government.

(8) While the Controller of Examinations is for any reason is unable to act or the office of Controller of Examinations is vacant, all the duties of the office shall be performed by such person as may be appointed by the Vice-Chancellor, untill the Controller of Examinations resumes his duties or, as the case may be, the vacancy is filled.

[1][**16-B. Duties of Registrar with respect to examinations in certain Universities.**—In the Universities to which the provisions of Section 16-A do not apply, the duties of the Controller of Examinations shall be discharged by the Registrar and with respect to such Universities the Registrar shall be deemed to be the Controller of Examinations for the purposes of this Act].

17. Centralisation of services of Registrars, Deputy Registrars and Assistant Registrars.—(1) The State Government shall, by rules made by notification in the Official Gazette, provide for the creation of a separate service of Registrars, Deputy Registrars and Assistant Registrars, common to all the Universities and regulate the recruitment to and conditions of service of persons appointed to any such service :

[2][Provided that any rules made under this sub-section may be made retrospectively to a date not earlier than October 31, 1975].

(2) When any such service is created, the persons then serving on [3][the administrative posts of Registrars, Deputy Registrars and Assistant Registrars], if confirmed before May 14, 1973, shall be absorbed in the service

1. Ins. by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25-2-1995).
2. Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.
3. Subs. by U.P. Act No. 29 of 1974.

(4) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह उन सभी सूचनाओं को उस समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जो उसके कामकाज को करने के लिए आवश्यक हो सकेंगी। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी संपादन करेगा जो कार्यपरिषद् अथवा उपकुलपति द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षित परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किये जा सकेंगे, लेकिन वह इस उपधारा के आधार पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय अथवा संस्थान से उस विवरणी के प्रस्तुत किये जाने अथवा उस सूचना के प्रदान करने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हों।

(5) परीक्षा नियंत्रक को अपने अधीनस्थ कार्य कर रहे कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण प्राप्त होगा और उसे इस सम्बन्ध में रजिस्ट्रार की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(6) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अध्यधीन परीक्षा नियंत्रक को परीक्षाओं को संचालित करना होगा और उनके लिए अन्य सभी प्रबन्धों को करना होगा एवं वह उससे सम्बद्ध सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से विश्वविद्यालय में किसी भी कार्य के लिए कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा न ही वह उसे स्वीकार करेगा।

(8) जबकि परीक्षा नियंत्रक किसी भी कारण से कार्य करने के लिए असमर्थ है अथवा परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त है तो उस पद के सभी कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाये, जब तक कि परीक्षा नियंत्रक अपने कर्तव्यों का भार ग्रहण न कर ले अथवा जैसा विषय हो रिक्ति न भर दी जाये।

[1][**16-ख. कतिपय विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार के कर्तव्य**—उन विश्वविद्यालय में, जिनके लिए धारा 16-क के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, परीक्षा नियंत्रक के कर्तव्यों का निर्वहन रजिस्ट्रार द्वारा किया जायेगा और उन विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में, रजिस्ट्रार का इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए परीक्षा नियंत्रक होना समझा जायेगा।

17. रजिस्ट्रारों, उप रजिस्ट्रारों और सहायक रजिस्ट्रारों की सेवाओं का केन्द्रीकरण—(1) राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा बनाये गये नियमों के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य रजिस्ट्रारों, उप-रजिस्ट्रारों और सहायक रजिस्ट्रारों की पृथक् सेवा के सृजन का उपबन्ध करेंगे और ऐसी किसी सेवा के लिए नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती को और सेवा की शर्तों को शासित करेंगे :

[2][परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों को ऐसी तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से किया जायेगा जो 31 अक्टूबर, 1975 के पूर्व न हो।]

(2) जब ऐसी किसी सेवा का सृजन किया जाता है तो [3][रजिस्ट्रारों, उप-रजिस्ट्रारों तथा सहायक रजिस्ट्रारों के प्रशासनिक पदों] पर उस समय सेवारत व्यक्तियों को यदि 14 मई, 1973 के पूर्व स्थायी किये गये हों, अन्तिम रूप से सेवा में आमेलित कर लिया जायेगा, और उक्त पदों पर सेवारत अन्य व्यक्तियों को,

---

1. 1995 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा अन्तःस्थापित (25-2-1995 से प्रभावी)।
2. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. 1974 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा प्रतिस्थापित।

finally, and other persons serving on the said posts may, if found suitable, be absorbed in such service either provisionally or finally, and if, in the later case, any person is not absorbed finally, then his services shall be deemed to have been terminated on payment of one month's salary as compensation.

(3) Where any person referred in sub-section (2) is absorbed in the service, the conditions of service applicable to him shall not be less advantageous than those applicable to him before his absorption, except that he shall be liable to transfer from one University to another :

[1][Provided that such absorption in the service shall not operate as a bar against holding or continuing to hold any disciplinary proceeding against a member of the service in respect of any act committed before the date of such absorption].

(4) All rules made under this section shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session for a total period of not less than thirty days extending in its one session or more than one successive sessions and shall unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Gazette subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

18. Other Officers.—The powers of officers of the University other than the Chancellor, the Pro-Chancellor, the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor [2][The Finance Officer, the Registrar and the Controller of Examinations, if any appointed], shall be such as may be laid down by the Statutes and the Ordinances.

[3][CHAPTER IV-A

CO-ORDINATION COUNCIL AND CENTRAL BOARD OF STUDIES

18-A. Co-ordination Council.—(1) There shall be a Co-ordination Council which shall consist of the Chancellor as its Chairman, and the following other members, namely :

(i) the Vice-Chancellors of the Universities;

(ii) the Chairman of the Uttar Pradesh State Council of Higher Education;

(iii) the Secretary to the State Government in the judicial Department;

(iv) the Secretary to the State Government in the Finance Department;

(v) the Secretary to the Governor;

(vi) the Secretary to the State Government in the Higher Education Department who shall be *ex-officio* at the Co-ordination Council.

(2) Subject to the recommendations of, or guidelines issued by, the University Grants Commission, the powers and functions of the Co-ordination Council shall be as follows, namely :

1. Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977 and shall be deemed to have always been inserted.
2. Subs. by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25-2-1995).
3. Chapter IV-A ins. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).

यदि उपयुक्त पाये जायें, उस सेवा में या तो अस्थायी रूप से या अन्तिम रूप से आमेलित किया जा सकेगा। और यदि पश्चात्वर्ती दशा में किसी व्यक्ति को अन्तिम रूप से आमेलित नहीं किया जाता है तो उसकी सेवाओं का मुआवजे के रूप में एक माह के वेतन के संदाय पर समाप्त कर दिया जाना समझा जायेगा।

(3) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को सेवा में आमेलित किया जाता है तो उसे उपलब्ध सेवा की शर्तें उसके आमेलन के पूर्व उसके लिए प्रयोज्य शर्तों से कम लाभकारी नहीं होंगी, सिवाय इसके कि वह एक विश्वविद्यालय से किसी अन्य विश्वविद्यालय में अन्तरित किये जाने के लिए दायी होगा :

[1][परन्तु यह कि सेवा में ऐसा आमेलन उस आमेलन की तारीख के पूर्व कारित किसी भी कार्य के सम्बन्ध में सेवा के सदस्य के विरुद्ध किसी भी आनुशासनिक कार्यवाही को करने या करते रहने के विरुद्ध कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।]

(4) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, जैसे ही उन्हें उनके बनाये जाने के पश्चात् यथा शीघ्र राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह अपने एक सत्र में अथवा एक से अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में विस्तारित होते हुए कम से कम तीस दिन की कुल अवधि के लिए सत्र में हो और वह, जब तक कोई पश्चात्वर्ती तारीख नियत न की गयी हो, ऐसे उपान्तरणों या निष्प्रभावों के अध्यधीन गजट में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा; जिन्हें संसद के दोनों सदन उक्त अवधि के दौरान करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार कि ऐसे किसी भी उपान्तरण या निष्प्रभाव का उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18. **अन्य अधिकारी**—कुलपति, प्रति कुलपति, उप कुलपति, प्रति उप कुलपति, [2][वित्त अधिकारी, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई नियुक्त किया गया हो], को छोड़कर विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियां वह होंगी जिन्हें परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

[3][अध्याय IV-क

समन्वय परिषद् और केन्द्रीय अध्ययन परिषद्

18-क. **समन्वय परिषद्**—(1) एक समन्वय परिषद् होगी जिसमें उसके अध्यक्ष के रूप में कुलपति और निम्नलिखित अन्य सदस्य अन्तर्विष्ट होंगे, अर्थात् :

(i) विश्वविद्यालयों के कुलपति;

(ii) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा राज्य परिषद्;

(iii) न्यायिक विभाग में राज्य सरकार का सचिव;

(iv) वित्त विभाग में राज्य सरकार का सचिव;

(v) राज्यपाल का सचिव;

(vi) उच्चतर शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का सचिव, जो समन्वय परिषद् का पदेन होगा।

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के, अथवा उसके द्वारा जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अध्यधीन, समन्वय परिषद् की शक्तियाँ एवं कार्य निम्नवत् होंगे, अर्थात् :

---

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्तःस्थापित और उसका सदैव अन्तःस्थापित किया जाना समझा जायेगा।
2. 1995 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा प्रतिस्थापित (25-2-1995 से प्रभावी)।
3. 1996 के राष्ट्रपति अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्तःस्थापित अध्याय IV-क (11-7-1995 से प्रभावी)।

(a) to recommend common courses of study for a Bachelor's Degree;

(b) to recommend in respect of the constitution of a Central Board of Studies for the foundation course or for each subject or group of subjects;

(c) to recommend ways and means of co-operation in academic programmes amongst the Universities;

(d) to consider and recommend matters of common intrest to the Universities.

(3) The Co-ordination Council shall meet at Lucknow or at such other place and at such intervals as the Chancellor may determine.

18-B. Central Board of Studies.—(1) There shall be Central Board of Studies for the foundation course or such other subjects or group of subjects as the Chancellor may, on the recommendation of the Co-ordination Council, by order, direct.

(2) The Central Board of Studies for the foundation course shall consist of—

(i) one teacher from each University not below the rank of a Reader or a Principal of an affiliated or associated college, nominated by the Vice-Chancellor; and

(ii) five educationists who are on the Eminent Professors' lists of the University Grants Commission nominated by the Chancellor on the recommendation of the Co-ordination Council.

(3) The Central Board of Studies for other subjects or group of subjects shall consist of—

(i) the Convenor, Board of Studies of each University in respect of the subject or group of subjects for which the Central Board of Studies is to be constituted :

Provided that if a University does not have a Board of Studies in the subject or group of subjects, the Vice-Chancellor may nominate any teacher not below the rank of a Reader in the University or a Principal of an affiliated or associated college;

(ii) one Head of the Department in an affiliated or associated college nominated by the Chancellor, taching the subject up to the post-graduate level;

(iii) one Head of the Department in an affiliated or associated college nominated by the Chancellor, teaching the subject up to the degree level;

(iv) three experts on the subject who are on the Eminent Professors' list of the University Grants Commission, nominated by the Chancellor on the recommendation of the Co-ordination Council; and

(v) two other experts on the subject from outside the State nominated by the Chancellor.

(4) The Chancellor shall nominate the Chairman of the Central Board of Studies,—

(i) for foundation course from amongst the members referred to in Clause (i) of sub-section (2); and

(क) स्नातक की उपाधि के लिए अध्ययन के सामान्य पाठ्यक्रमों की सिफारिश करना;

(ख) आधार पाठ्यक्रम के लिए अथवा प्रत्येक विषय के लिए या विषयों के समूह के लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद् के गठन के सम्बन्ध में सिफारिश करना;

(ग) विश्वविद्यालयों में शैक्षिक कार्यक्रमों में सहयोग के तरीकों एवं माध्यमों की सिफारिश करना;

(घ) विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य हित के मामलों पर विचार करना और सिफारिश करना।

(3) समन्वय परिषद् लखनऊ में अथवा ऐसे अन्य स्थान पर और ऐसे अन्तराल पर बैठक करेगी जिसे कुलपति अवधारित कर सकेगा।

18-ख. केन्द्रीय अध्ययन परिषद्—(1) आधार पाठ्यक्रम अथवा ऐसे अन्य विषयों या विषयों के समूह के लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद् होगा जिन्हें कुलपति, समन्वय परिषद् की सिफारिश पर, आदेश द्वारा निर्देशित कर सकेगा।

(2) आधार पाठ्यक्रम के लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद् में निम्न सम्मिलित होंगे—

(i) प्रत्येक विश्वविद्यालय से एक अध्यापक जो रीडर अथवा सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्राचार्य की पंक्ति से अनिम्न होगा जिसे उपकुलपति द्वारा मनोनीत किया जायेगा; और

(ii) पाँच शिक्षाविद् जो समन्वय परिषद् की सिफारिश पर कुलपति द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ख्यातिलब्ध प्रोफेसरों की सूचियों पर हों।

(3) अन्य विषयों अथवा विषयों के समूह के लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद् में निम्न सम्मलित होंगे—

(i) उस विषय या विषयों के समूह के सम्बन्ध में, जिनके लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद् का गठन किया जाना हो, प्रत्येक विश्वविद्यालय के अध्ययन परिषद् का आयोजन :

परन्तु यह कि यदि विश्वविद्यालय का विषय या विषयों के समूह में अध्ययन परिषद् न हो, तो उप-कुलपति विश्वविद्यालय में रीडर के अथवा सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्राचार्य की पंक्ति से अनिम्न किसी भी अध्यापक को मनोनीत कर सकेगा;

(ii) कुलपति द्वारा मनोनीत सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में एक विभागाध्यक्ष जो स्नातकोत्तर स्तर तक के विषय का अध्यापन करता हो;

(iii) कुलपति द्वारा मनोनीत सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में एक विभागाध्यक्ष जो उपाधि स्तर तक के विषय का अध्यापन करता हो;

(iv) उस विषय पर तीन विशेषज्ञ, जो समन्वय परिषद् की सिफारिश पर कुलपति द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ख्यातिलब्ध प्रोफेसरों की सूची में हो; और

(v) कुलपति द्वारा मनोनीत राज्य से बाहर उस विषय पर दो अन्य विशेषज्ञ।

(4) कुलपति केन्द्रीय अध्ययन परिषद् के अध्यक्ष को मनोनीत करेगा—

(i) उपधारा (2) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट सदस्यों में से आधार पाठ्यक्रम के लिए; और

(ii) for other subject or group of subjects, from amongst the memb referred to in Clauses (i) and (ii) of sub-section (3).

(5) The constitution of the Central Board of Studies and the nomination the Chairman and the members thereon, other than *ex officio* members, sh be notified by the State Government.

(6) The term of the Central Board of Studies shall be three years from th date of notification referred to in sub-section (5) and the term of the Chairm and the members shall be co-terminous with it :

Provided that the term of office of a member nominated to fill a casu vacancy shall be for the remainder of his predecessor's term.

(7) Subject to the recommendations of, or guidelines issued by, th University Grants Commission, the functions of the Central Board of Studi shall be as follows, namely :

(a) subject to the recommendations of the Co-ordination Council an the approval of the Chancellor, to prescribe the courses of stu and examinations, and the academic calendar, and to recomme text-books and other books for under-graduate level;

(b) to consider and report on any matter referred it by the Co ordination Council, or the Chancellor; and

(c) to perform such other functions consistent with this Act within su time as the Chancellor may, by an order in writing, require it perform.

(8) In carrying out its functions, the Central Board of Studies may consu such experts also who are not its members.

(9) The recommendations of the Central Board of Studies approved by th Chancellor shall come into force in respect of all Universities in the State wit effect from the date as may be specified by the Chancellor.

(10) The Chancellor may at any time suspend, modify or amend an decision of the Central Board of Studies on the ground that it does not fulfil th objective set out in this section and may direct such Board to consider the matte afresh.

18-C. Secretarial assistance.—The Uttar Pradesh State Council of Highe Education constituted under the Uttar Pradesh State Council of Highe Education Act, 1995, shall provide secretarial assistance to the Co-ordinatio Council and the Central Board of Studies.]

CHAPTER V

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

19. Authorities of the University.—The following shall be the authoritie of the University—

(a) the Executive Council;

(b) the Court;

(c) the Academic Council;

(d) the Finance Committee;

(ii) उपधारा (3) के खण्ड (i) तथा (ii) में निर्दिष्ट सदस्यों में से अन्य विषय अथवा विषयों में से समूह के लिए।

(5) केन्द्रीय अध्ययन परिषद् के गठन और उस पर अध्यक्ष एवं सदस्यों, पदेन सदस्यों को छोड़कर, का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(6) केन्द्रीय अध्ययन परिषद् का कार्यकाल उपधारा (5) में निर्दिष्ट अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष होगा और अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल उसके साथ ही समाप्त हो जायेगा :

परन्तु यह कि आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए मनोनीत सदस्य के पद की कार्यकाल उसके पूर्ववर्ती के कार्यकाल की शेष बची हुई अवधि के लिए होगा।

(7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के, अथवा उसके द्वारा जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अध्यधीन केन्द्रीय अध्ययन परिषद् के कार्य निम्नवत् होंगे, अर्थात् :

(क) अध्ययन पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं, और शैक्षिक कलेण्डर को निर्धारित करने, और पूर्व स्नातक स्तर के लिए पाठ्यपुस्तकों एवं अन्य पुस्तकों को सिफारिश करने के लिए समन्वय परिषद् की सिफारिशों और कुलपति के अनुमोदन के अध्यधीन;

(ख) समन्वय परिषद्, अथवा कुलपति द्वारा उसके समक्ष निर्दिष्ट किसी भी मामले पर विचार करना और उस पर रिपोर्ट देना; और

(ग) ऐसे समय के भीतर जिसे कुलपति, लिखित आदेश द्वारा उससे संपादित करने की अपेक्षा करें, इस अधिनियम से सुसंगत ऐसे अन्य कार्यों को संपादित करना।

(8) अपने कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय अध्ययन परिषद् उन विशेषज्ञों से भी परामर्श कर सकेगी जो उसके सदस्य नहीं हैं।

(9) कुलपति द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय अध्ययन परिषद् की सिफारिशें राज्य में सभी विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में उस तारीख से प्रभावी होंगी जिसे कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(10) कुलपति केन्द्रीय अध्ययन परिषद् के किसी भी विनिश्चय को इस आधार पर किसी भी समय निलम्बित, उपान्तरित अथवा इस आधार पर संशोधित कर सकेगा कि उसने इस धारा में अपवर्णित उद्देश्यों को पूरा नहीं किया है और वह उस परिषद् को मामले पर नये सिरे से विचार करने के लिए निदेशित कर सकेगा।

18-ग. सचिवीय सहायता—उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा राज्य परिषद् अधिनियम, 1995 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा राज्य परिषद् समन्वय परिषद् और केन्द्रीय अध्ययन परिषद् को सचिवीय सहायता प्रदान करेगी।]

अध्याय V

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

19. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे,—

(क) कार्यपरिषद्;

(ख) सभा;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति;

(e) the Boards of Faculties;

(f) the Selection Committees for appointment of teachers University;

(g) the Admissions Committee;

(h) the Examinations Committee; and

(i) such other authorities as may be declared by the Statute authorities of the University.

20. Constitution of the Executive Council.—(1) The Executive Counc consist of—

(a) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman thereof;

(b) the Pro-Vice-Chancellor, if any;

(c) the Deans of two Faculties, by rotation in the manner prescrib

[1][(cc) two members from amongst the Professors or Readers belong the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and two member amongst the Professors or Readers belonging to other back classes of citizen;]

[2][(d) in the case of Universities of Kumaon and Bundelkhand an Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra, the Chhat Shahu Ji Maharaj University, Kanpur, the Hemvati Na Bahuguna Garhwal University, the Chaudhary Charan University, Meerut, the Doctor Ram Manohar Lohia A University, Faizabad and Mahatma Jyotiba Phule Rohilk University, Bareilly,—

(i) one Professor other than the Pro-Vice-Chancellor or a referred to in Clause (c) above, one Reader and one Lectu the University to be selected in the manner prescribed;

(ii) three Principals and two other teachers of affili colleges, to be selected in the manner prescribed;

and in the case of any other University notified under sub-se (1) of Section 37, four Principals and four teachers of affili college to be selected in the manner presribed;

(dd) in the case of Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur Univer Gorakhpur,—

(i) one Professor other than the Pro-Vice-Chancellor or a D referred to in Clause (c) above, one Reader and one Lecture the University to be selected in the manner prescribed;

(ii) one representative of Maharana Pratap Siksha Parish Gorakhpur to be elected by the said Parishad from among members;

(iii) three Principals and two other teachers of affiliate colleg to be selected in the manner prescribed;]

1. Ins. by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 11-7-2003).
2. Subs. by U.P. Act No. 20 of 1999.

(ङ) संकायों के परिषद्;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समितियाँ;

(छ) प्रवेश समिति;

(ज) परीक्षा समिति; और

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के रूप में घोषित किया जा सकेगा।

20. कार्य परिषद् का गठन—(1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) उप-कुलपति जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) प्रति उप-कुलपति, यदि कोई हो;

(ग) निर्धारित रीति से चक्रानुक्रम से दो संकायों के संकाया अध्यक्ष;

[1][(गग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रोफेसरों या रीडरों से दो सदस्य एवं नागरिकों अन्य पिछड़े वर्गों के प्रोफेसरों या रीडरों से दो सदस्य];

[2][(घ) कुमाऊ और बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालयों और डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, हेमवती नन्दन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद और महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की दशा में,—

(i) उपरोक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्रति उप-कुलपति अथवा संकायाध्यक्ष को छोड़कर एक प्रोफेसर, विश्वविद्यालय का एक रीडर और एक प्रवक्ता निर्धारित रीति से चयनित किया जायेगा;

(ii) सम्बद्ध महाविद्यालयों के 3 प्राचार्य और दो अन्य अध्यापक जिनका चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा;

और धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किसी अन्य विश्वविद्यालय की दशा में सम्बद्ध महाविद्यालय के 4 प्राचार्यों और चार अध्यापकों का चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा;

(घघ) दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की दशा में,—

(i) उपरोक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्रति उप-कुलपति अथवा संकायाध्यक्ष को छोड़कर एक प्रोफेसर, विश्वविद्यालय का एक रीडर तथा एक प्रवक्ता का चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा;

(ii) महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद्, गोरखपुर के एक प्रतिनिधि का चयन उक्त परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से किया जायेगा;

(iii) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य और दो अन्य अध्यापकों का चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा];

---

1. वर्ष 2004 उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 1 द्वारा अन्तःस्थापित (11-7-2003 से प्रभावी)।
2. 1999 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 20 द्वारा प्रतिस्थापित।

(e) in the case of University mentioned in or notified under sub-section (1) of Section 38—

(i) two Professors [other than the Pro-Vice-Chancellor or a Dean referred to in Clause (c) above], two Readers and two Lecturers of the University, to be selected in the manner prescribed;

(ii) one Principal of an associated college to be selected in the manner prescribed;

(f) four persons to be elected by members of the Court from among such of them as are not enrolled as students of or in the service of the University or an Institute or of a constituent college or an affiliated or associated college or hall or hostel;

(g) four persons of academic eminence to be nominated by the Chancellor :

[1][Provided that one of the persons so nominated shall be a person who is or has been a Judge of the Supreme Court or High Court].

[2][(h) one person, from amongst the reputed industrialists who have made valuable contribution in the field of Higher Education to be nominated by the State Government].

[3][(2) The term of office of members mentioned in—

(i) Clauses (c), [4][(cc)], (d) and (e) of sub-section (1) shall be one year;

(ii) Clause (f) of sub-section (1) shall be three years; and

(iii) [5][Clause (g) or Clause (h)] of sub-section (1) shall be two years].

(3) No person shall be a member of the Executive Council under Clause (f) or Clause (g) [6][or Clause (h)] of sub-section (1) for more than two consecutive terms.

(4) Notwithstanding anything in sub-section (1), no person shall be elected or nominated as a member of the Executive Council unless he is a graduate.

(5) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Executive Council if he or his relative accepts any remuneration for any work in or for the University or any contract for the supply of goods to or for the execution of any work for the University :

Provided that nothing in this sub-section apply to the acceptance of any remuneration by a teacher as such or for any duties performed in connection with an examination conducted by the University or for any duties as Superintendent or Warden of a training unit or any hall or hostel or proctor or tutor for any duties of a similar nature in relation to the University.

1. Ins. by U.P. Act No. 9 of 1988 (w.e.f. 15-1-1988).
2. Ins. by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25-2-1995).
3. Subs. by U.P. Act No. 10 of 1982 (w.e.f. 8-7-1981).
4. Ins. by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 11-7-2003).
5. Subs. by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25-2-1995).
6. Ins. by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25-2-1995).

(ङ) धारा 38 की उपधारा (1) में अथवा उसके अधीन उल्लिखित विश्वविद्यालय की दशा में,—

(i) विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर (उपरोक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्रति उप-कुलपति या संकायाध्यक्ष को छोड़कर), दो रीडर एवं दो प्रवक्ता, जिनका चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा;

(ii) सहयुक्त महाविद्यालय का एक प्राचार्य जिसका चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा,

(च) सभा के सदस्यों द्वारा उनमें से ऐसे चार व्यक्तियों का चयन किया जायेगा जो उस विश्वविद्यालय या संस्था के अथवा संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त या छात्र निवास या छात्रावास के विद्यार्थियों के रूप में नामांकित अथवा उसकी सेवा में नहीं है;

(छ) कुलपति द्वारा चार शैक्षिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों को नामांकित किया जायेगा :

[1][परन्तु यह कि इस प्रकार मनोनीत व्यक्तियों में से एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रह चुका है।]

[2][(ज) प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक व्यक्ति जिसने उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया है, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा।]

[3][(2) निम्न में उल्लिखित सदस्यों के पद का कार्यकाल—

(i) उपधारा (1) के खण्ड (ग), [4][(गग)], (घ) और (ङ) में एक वर्ष होगा;

(ii) उपधारा (1) के खण्ड (च) में तीन वर्ष होगा; और

(iii) [5][उपधारा (1) के खण्ड (छ) अथवा खण्ड (ज) में दो वर्ष होगा।]

(3) कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के खण्ड (च) खण्ड (छ) [6][अथवा खण्ड (ज)] के अधीन लगातार दो कार्यावधियों के लिए कार्य परिषद् का सदस्य नहीं होगा।

(4) उपधारा (1) में किसी भी बात के होते हुए, किसी भी व्यक्ति को कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में तब तक चयनित या मनोनीत नहीं किया जायेगा जब तक कि वह स्नातक न हो।

(5) कोई व्यक्ति कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और सदस्य बनने के लिए उस दशा में निरर्हित हो जायेगा जब वह अथवा उसका रिश्तेदार विश्वविद्यालय में या उसके लिए किसी कार्य या विश्वविद्यालय के लिए माल के प्रदाय अथवा किसी कार्य के निष्पादन के लिए किसी संविदा के लिए पारिश्रमिक को स्वीकार कर लेता है :

परन्तु यह कि इस उपधारा में कही गयी कोई भी बात अध्यापक द्वारा उस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा प्रशिक्षण इकाई के या किसी छात्र निवास अथवा छात्रावास के अधीक्षक अथवा वार्डेन के रूप में अथवा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इसी प्रकार की प्रकृति के किन्हीं कर्तव्यों के लिए, प्राक्टर अथवा आनुशिक्षक के रूप में किसी पारिश्रमिक के स्वीकार किये जाने के लिए लागू नहीं होगी।

---

1. 1988 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 9 द्वारा अन्तःस्थापित (15-1-1988 से प्रभावी)।
2. 1995 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा अन्तःस्थापित (25-2-1995 से प्रभावी)।
3. 1982 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 10 द्वारा प्रतिस्थापित (8-7-1981 से प्रभावी)।
4. 2004 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 1 द्वारा अन्तःस्थापित (11-7-2003 से प्रभावी)।
5. 1995 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा प्रतिस्थापित (25-2-1995 से प्रभावी)।
6. 1995 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा अन्तःस्थापित (25-2-1995 से प्रभावी)।

Explanation.—In this section *"relative"* means the relations defined in Section 6 of the Companies Act, 1956 and includes the wife's (or husband's) brother, wife's (or husband's) father, wife's (or husband's) sister, brother's son and brother's daughter.

COMMENT

Meaning of "relative".—The word "relative" refers to only those persons who are related to a person by blood or marriage. *Raj Kishore Sharma* v. *Kisan Shiksha Samiti*, 1978 A.L.J. 1007.

21. Powers and duties of Executive Council.—(1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University, and subject to the provisions of this Act, have the following powers, namely—

- (i) to hold and control the property and funds of the University;
- (ii) to acquire or transfer any movable or immovable property on behalf of the University;
- (iii) to make, amend or repeal Statutes and Ordinances;
- (iv) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes;
- (v) to prepare the budget of the University;
- (vi) to award scholarships, fellowships, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances;
- (vii) to appoint officers, teachers and other employees of the University and to define their duties and the conditions of their service, and to provide for the filling of temporary casual vacancies in their posts;
- (viii) [1][* * *] to fix the fees, emoluments and travelling and other allowances of the examiners;
- (ix) [2][Subject to the provisions of Section 37] to admit any college to the privileges of affiliation or recognition or enlarge the privileges of any college already affiliated, recognised or withdraw or curtail any such privilege;
- (x) to arrange for and direct the inspection of Institute, affiliated associated or constituent colleges, halls, hostels and other places of residence of students;
- (xi) to direct the form and use of the common seal of the University;
- (xii) to regulate and enforce discipline among members of the teaching administrative and other staff of the University in accordance with the Statutes and the Ordinances;
- (xiii) to manage and regulate the finance, accounts, investments property, business and all other administrative affairs of the University, and for that purpose, to appoint such agents as it may think fit;

---

1. Omitted by U.P. Act No. 5 of 1977.
2. Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.

***स्पष्टीकरण*—**इस धारा में, ''रिश्तेदार'' कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निर्धारित रिश्तेदारों से अभिप्रेत है और इसमें पत्नी का (अथवा पति का) भाई, पत्नी का (अथवा पति का) पिता, पत्नी की (अथवा पति की) बहन, भाई का पुत्र और भाई की पुत्री सम्मिलित है।

टिप्पणी

***रिश्तेदार का अभिप्राय*—**शब्द ''रिश्तेदार'' मात्र उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करता है जो किसी व्यक्ति के रक्त अथवा विवाह से सम्बन्धित हैं। *राज किशोर शर्मा* बनाम *किसान शिक्षा समिति,* 1978 ए० एल० जे० 1007।

21. कार्य परिषद् की शक्तियाँ और कर्तव्य—(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान अधिशासी निकाय होगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्—

(i) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारित एवं नियंत्रित करना;

(ii) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम अथवा स्थावर सम्पत्ति को अर्जित अथवा अन्तरित करना;

(iii) परिनियमों एवं अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना अथवा उन्हें निरसित करना;

(iv) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध निधियों का प्रशासन करना;

(v) विश्वविद्यालय के बजट को तैयार करना;

(vi) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्ति, अधिछात्र वृत्तियां निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक और अन्य पारितोषिकों को प्रदान करना;

(vii) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना तथा उनकी सेवा के सम्बन्ध में उनके कर्तव्यों एवं शर्तों को परिभाषित करना एवं उनके पदों में अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए प्रावधान करना;

(viii) परीक्षकों के शुल्कों, परिलब्धियों और यात्रा तथा अन्य भत्तों को नियत करने के लिए [1][* * *];

(ix) [2][धारा 37 के प्रावधानों के अध्यधीन] किसी भी महाविद्यालय की सम्बद्धता या मान्यता के सम्बन्ध में विशेषाधिकारों को प्रदान करना अथवा पहले से सम्बद्ध, मान्यता प्राप्त किसी भी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को प्रदान करना अथवा ऐसे किसी भी विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना;

(x) संस्थाओं, सम्बद्ध, सहयुक्त या संघटक महाविद्यालयों, छात्र निवासों, छात्रावासों और विद्यार्थियों के निवास के अन्य स्थानों के लिए प्रबन्ध करना और उनके निरीक्षण का निदेश करना;

(xi) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के निर्माण एवं प्रयोग का निदेश करना;

(xii) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारियों के सदस्यों के मध्य अनुशासन को विनियमित तथा लागू करना;

(xiii) विश्वविद्यालय के वित्तों, लेखों, विनियोगों, सम्पत्ति, कामकाज और उसके अन्य सभी प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबन्ध तथा उन्हें विनियमित करना और उस प्रयोजनार्थ उन अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना जिन्हें वह उपयुक्त समझे;

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा लोपित।
2. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

(xiv) to invest any money belonging to the University (including any income from trust and endowed property) in such stocks, funds, shares or securities as it shall from time to time think fit or in the purchase of immovable property in India, with the like power of varying such investment from time to time;

(xv) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

(xvi) to enter into, vary, carry out, and cancel contracts on behalf of the University;

(xvii) to regulate and determine all other matters concerning the University as well as Institutes, constituent, affiliated and associated colleges in accordance with this Act, the Statutes and the Ordinances.

(2) No immovable property of the University shall, except with the prior sanction of the State Government, be transferred (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management) by the Executive Council by way of mortgage, sale, exchange, gift or otherwise nor shall any money be borrowed, or advance taken on the security thereof except as a condition of receipt of any grant-in-aid of the University from the State Government, or, with the previous sanction of the State Government, from any other person.

(3) No expenditure in respect of which approval of the State Government is required by this Act or the Statutes or Ordinances shall be incurred except with such approval previously obtained, and no post shall be created either in the University or in any Institute or constituent college maintained by the University except with the prior approval of the State Government, [1][or except in accordance with any general or special order of the State Government].

[2][(3-A) The Executive Council may, with the prior approval of the University Grants Commission and the State Government create supernumerary post of a teacher of the University with a view to enabling a teacher who is for the time being holding a responsible position of national importance in India or abroad in educational administration or other similar assignments, to retain his lien and seniority as such teacher and also to continue to earn increments in his pay scale during the period of his assignment and to contribute towards provident fund and earn retirement benefits, if any, in accordance with Statutes :

Provided that no salary shall be payable to such teacher by the University for the period of such assignment].

(4) The pay and other allowances to various categories of the employees of the University or of any Institute or constituent college or affiliated or associated college shall be such as may be approved by the State Government.

(5) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year fixed by the Finance Committee.

---

1. Ins. by U.P. Act No. 21 of 1975.
2. Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.

(xiv) विश्वविद्यालय के किसी धन को जिसमें न्यास और विन्यासित सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय सहित ऐसे स्कन्धों, निधियों, अंशों अथवा प्रतिभूतियों में जिन्हें वह समय-समय पर उपयुक्त समझे या भारत में किसी स्थावर सम्पत्ति को क्रय करने में विनियोजित करना एवं समय-समय पर ऐसे विधान में परिवर्तन करना;

(xv) विश्वविद्यालय के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक भवनों, स्थानों, फर्नीचर और साधित्र प्रदान करना;

(xvi) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाओं को करना, उनमें फेरबदल करना, कार्यान्वित करना और उन्हें रद्द करना;

(xvii) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय साथ ही संस्थाओं, संघटक, सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों से सम्बन्धित अन्य सभी मामलों को विनियमित तथा अवधारित करना।

(2) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्य परिषद् बंधक, विक्रय, विनिमय, दान अथवा अन्य प्रकार से विश्वविद्यालय की किसी भी स्थावर सम्पत्ति को प्रबन्धक के साधारण अनुक्रम में प्रत्येक माह किराये पर देने के सिवाय, न तो अन्तरित करेगी और न ही सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय हेतु कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूमि पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(3) ऐसा कोई भी व्यय जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार के अनुमोदन की इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अपेक्षा की जाती है, सिवाय पूर्व में प्राप्त किये गये उस अनुमोदन के उपगत नहीं किया जायेगा तथा या तो विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी भी संस्था या संघटक महाविद्यालय में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय, [1][अथवा राज्य सरकार के किसी भी सामान्य या विशेष आदेश को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से कोई भी पद सृजित नहीं किया जायेगा]।

[2][(3-क) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, विश्वविद्यालय के अध्यापक के अतिरिक्त पद का उस अध्यापक को, जो तत्समय भारत में या विदेश में शिक्षा सम्बन्धी प्रशासन या अन्य किसी प्रकार के समनुदेशनों में राष्ट्रीय महत्व के उत्तरदायित्वपूर्ण पद को धारित कर रहा है, अपने धारणाधिकार को तथा अध्यापक के रूप में वरिष्ठता को प्रतिधारित करने और अपने समनुदेशन की अवधि के दौरान अपने वेतनमानों में वृद्धि को उपार्जित करते रहने एवं परिनियमों के अनुसार भविष्य निधि के लिए अंशदान करने एवं सेवानिवृत्ति के लाभों, यदि कोई हों को उपार्जित करने के लिए समर्थ बनाने के उद्देश्य से अतिरिक्त पद का सृजन कर सकेगी :

परन्तु यह कि कोई वेतन उस अध्यापक के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उस समनुदेशन की अवधि के लिए संदेश नहीं होगा।

(4) विश्वविद्यालय के या किसी संस्थान के या संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों के लिए वेतन एवं अन्य भत्ते ऐसे होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा।

(5) कार्य परिषद् वित्त समिति द्वारा नियत किये गये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपगत किये जाने वाले आवर्ती तथा अनावर्ती व्ययों की सीमा को पार नहीं करेगी।

---

1. 1975 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 21 द्वारा अन्त:स्थापित।
2. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा अन्त:स्थापित।

(6) The Executive Council shall not take any action in regard to the number, qualifications and emoluments of teachers, and the fees payable to examiners, except after considering the advice of the Academic Council and the Boards of Faculties concerned.

(7) The Executive Council shall give due consideraiton to every resolution of the Court, and take such action thereon as it shall deem fit and report to the Court, the action taken or, as the case may be, the reasons for non-acceptance of the resolution.

(8) The Executive Council may, subject to any conditions laid down in the Statutes, delegate such of its powers as it deems fit to an officer or any other authority of the University, or to a Committee appointed by it.

SYNOPSIS

1. Notice of meetings of Executive Council is a must.—A Division Bench of Andhra Pradesh High Court laid down the propositions relating to the law of meetings—

(a) The concept of "meeting" takes within its ambit "the coming together of persons";

(b) The purpose of a notice is to enable the persons entitled to participate in a meeting to attend the meeting and to participate in the deliberations to be taken thereat;

(c) If a meeting is convened without notice to the persons, entitled to the same, the meeting will be invalid and the consequential proceedings taken thereat also will be afflicted with the same kind of infirmity. *Grandhi Raghurama Gupta* v. *Revenue Divisional Officer*, A.I.R. 1973 A.P. 174.

2. Passing of resolution—Procedure must be followed.—A University is a legal entity. It has neither a living mind nor voice like a human being. It can express its will only through a formal resolution, and therefore, it can only act in its corporate capacity by resolutions properly considered, carried and duly recorded in the manner laid down by its

(6) कार्य परिषद् अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा परिलब्धियों, और विद्या परिषद् तथा सम्बन्धित संकायों के परिषदों की सलाह पर विचार करने के पश्चात् अन्य किसी भी प्रकार से परीक्षकों को संदेय शुल्क के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं करेगी।

(7) कार्य परिषद् न्यायालय के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक् विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह उपयुक्त समझे और न्यायालय को की गयी कार्यवाही अथवा जैसा विषय हो, संकल्प की अस्वीकृति के कारणों की रिपोर्ट देगी।

(8) कार्य परिषद्, परिनियमों में निर्दिष्ट किन्हीं शर्तों के अध्यधीन अपनी ऐसी शक्तियों को जिन्हें वह उपयुक्त समझे, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को अथवा अपने द्वारा नियुक्त की गयी समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

टिप्पणियाँ

1. कार्य परिषद् की बैठकों की नोटिस का दिया जाना अनिवार्य
2. संकल्प का पारित किया जाना—प्रक्रिया का पारित किया जाना अनिवार्य
3. कार्य परिषद्—विश्वविद्यालय का प्रधान कार्य निकाय
4. विचारणीय मद का सदैव कार्य-सूची में होना आवश्यक नहीं
5. नोटिस का अननुपालन कब अधित्यजित
6. त्यजन का सिद्धान्त—कब अवलम्ब लिया जाना चाहिए
7. समुचित नोटिस न देने का परिणाम
8. अनुसमर्थन द्वारा शून्य संकल्प वैध नहीं हो सकता
9. संकल्प को मात्र दर्ज करना ही कोई अनुसमर्थन नहीं
10. कार्य परिषद् के सदस्य का पद-लोक पद
11. नियुक्ति—कार्यपरिषद् सदस्य द्वारा उसके संकल्प को चुनौती नहीं दे सकती
12. नियुक्ति आदेश का पुनर्विलोकन, उपान्तरण या प्रतिसंहरण नहीं किया जा सकता
13. यदि उपकुलपति जाँच में अपना साक्ष्य देता है, तो वह कार्य परिषद् की बैठक में सम्मिलित नहीं हो सकता
14. नियुक्ति करने के पूर्व अध्यादेशों को विरचित करने की कोई बाध्यता नहीं
15. नियुक्त करने की शक्ति में सेवा से मुक्त करने की शक्ति सम्मिलित है भले ही अधिनियम द्वारा यथापेक्षित अध्यादेश न किया गया हो
16. उपकुलपति द्वारा की गयी नियुक्ति अवैध

1. कार्य परिषद् की बैठकों की नोटिस का दिया जाना अनिवार्य—आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने कार्य परिषद् की बैठकों की विधि से सम्बन्धित प्रतिपादनों को निम्न प्रकार से निर्दिष्ट किया है—

(क) "बैठक" की धारणा अपनी परिधि में "सभी व्यक्तियों का एक साथ आना" समाविष्ट करती है;

(ख) नोटिस का उद्देश्य बैठक में भाग लेने के हक़दार व्यक्तियों को बैठक में सम्मिलित होने और उसमें होने वाले विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए समर्थ बनाना है;

(ग) यदि बैठक को उसमें भाग लेने के हकदार व्यक्तियों को नोटिस दिये बिना आयोजित किया जाता है, तो बैठक अवैध हो जायेगी एवं उसमें की गयी पारिणामिक कार्यवाहियाँ भी उसी प्रकार के शैथिल्य प्रभावित होंगी। *ग्रंथी रघुरामा गुप्ता* बनाम *राजस्व परगना अधिकारी*, ए० आई० आर० 1973 आन्ध्र प्रदेश 174।

2. संकल्प का पारित किया जाना—प्रक्रिया का पारित किया जाना अनिवार्य—विश्वविद्यालय विधिक सत्ता है। इसका किसी मनुष्य की भाँति न तो जीवित मस्तिष्क होता है, न कि स्वर। यह अपनी इच्छा को केवल औपचारिक संकल्प के माध्यम से ही व्यक्त कर सकता है और इसलिए, वह केवल अपने संविधान द्वारा निर्दिष्ट रीति से ही समुचित ढंग से विचार किये गये, कार्यान्वित और सम्यक् रूप से अभिलिखित

constitution. If it is expected under the rules of the University that such resolutions are required to be moved and passed, the meeting of the Executive Council is called and every member of the body entitled to take part in the meeting, must be given a notice so as to enable him/her to express his/her views. In such circumstances, an omission to give proper notice even to a single member would invalidate the meeting and as a result, the resolutions which are to be passed, will also get invalidated. Here, it is worthwhile to note that the substance is more important than the form and if there is substantial compliance with the spirit and substance of the law, an unessential defect in form, will not defeat what is otherwise a proper and valid resolution. *Vice-Chancellor* v. *S. K. Ghosh*, A.I.R. 1954 S.C. 217.

3. *Executive Council—Principal Executive body of the University.*—The Executive Council is the principal Executive body of the University. It is an "authority" within the meaning of Section 19 of the Act. The University is a legal entity and a corporation as provided under Section 3 of the Act. Since the University is not a natural person, the functions of the Executive Council are very vital for the administration of the University. Wide powers are conferred on the Executive Council under this section for the running of the University. Residuary power has been conferred by Clause (xvii) empowering the Executive Council to regulate and determine all other matters concering the University as well as institutes, constituent, affiliated and associated colleges in accordance with the Act, the statutes and the ordinances. The normal way in which the decisions of the Executive Council are made, is by means of a resolution passed at a properly constituted meeting of the Executive Council. The manner in which the resolutions of the Executive Council should be passed, was considered by the Hon'ble Supreme Court of India in the case of *Vice-Chancellor* v. *S.N. Ghosh*, A.I.R. 1954 S.C. 217.

4. *Item to be considered need not be always on the agenda.*—It is not always necessary that before a matter is considered by the Executive Council, the said matter should be one of the items of the Agenda of the said meeting. *The King* v. *Pulsford*, (1828) 108 E.R. 1073 (B); *La Compagnie De Mayville* v. *Whitlay*, 1896 (1) Ch. 788 (C) and *Parker and Cooper Ltd.* v. *Reading*, 1926 (1) Ch. 975 (D).

5. *Non-compliance of notice, when waived off.*—In a case where notice is not issued to all the members as required by the Rules, but the said member comes and attends the meeting, the said irregularity will be deemed to have been waived by the said member and any decision taken in the meeting of the Executive Council cannot be challenged on the ground of non-compliance of the Rules. *Vice-Chancellor* v. *S.K. Ghosh*, A.I.R. 1954 S.C. 217.

6. *Principle of waiver—When can be invoked.*—The principle of waiver can only be invoked when all the members were present in the meeting. The doctrine of internal management cannot be pressed in aid to protect *ultra vires* acts. *Kashi Nath Mishra* v. *Allahabad University*, A.I.R. 1967 All. 101 (105).

7. *Effect of—When proper notice is not given.*—There is no diference in a case where no notice is served on members and a case where notice is served but the members are prevented from attending the meeting either by law or by use of physical force. In both the contingencies, the members do not get reasonable opportunity to attend the meeting; and therefore any business transacted at such a meeting cannot be held valid. *M. G. Gupta* v. *Agra University*, 1975 (1) Labour and Industrial Cases 3.

There does not seem to be any difference in point of principles between a case of there being a meeting convened without a notice to a person entitled to attend the meeting

संकल्पों द्वारा अपनी निगमित प्रास्थिति में ही कार्य कर सकता है। यदि विश्वविद्यालय के नियमों में इस बात की अपेक्षा की जाती है कि ऐसे संकल्पों का प्रस्तुत एवं पारित किया जाना अपेक्षित है, तो कार्यपरिषद् की बैठक बुलायी जाती है, एवं निकाय के प्रत्येक सदस्य को जिसे उस बैठक में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है, नोटिस दी जानी आवश्यक होती है ताकि वह उसमें भाग ले सके एवं अपने मत को व्यक्त कर सके। इन परिस्थितियों में एक भी सदस्य को नोटिस देने की चूक बैठक को अविधिमान्य बना देगी और पारिणामिक रूप से संकल्प जिन्हें पारित किया जाना है, भी अविधिमान्य हो जायेंगे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सार स्वरूप से अधिक महत्वपूर्ण है और यदि विधि का सारतः पालन किया जाता है, तो स्वरूप में अनावश्यक दोष उस संकल्प को विफल नहीं कर देगा जो अन्यथा आवश्यक रूप से समुचित और वैध संकल्प है। *उपकुलपति* बनाम *एस० के० घोष*, ए० आई० आर० 1954 एस० सी० 217।

3. कार्य परिषद्—विश्वविद्यालय का प्रधान कार्य निकाय—कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान कार्य निकाय है। यह अधिनियम की धारा 19 की अर्थव्याप्ति में ''प्राधिकारी'' है। विश्वविद्यालय विधिक सत्ता है और अधिनियम की धारा 3 के अधीन यथा उपबंधित निगम है। चूंकि विश्वविद्यालय प्राकृत व्यक्ति नहीं है, इसलिए, कार्य परिषद् के कार्य विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। विश्वविद्यालय को चलाने के लिए इस धारा के अधीन कार्य परिषद् को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की जाती है। खण्ड (xvii) द्वारा कार्य परिषद् को अवशिष्ट शक्ति प्रदान की जाती है जिसमें कार्यपरिषद् को विश्वविद्यालय और साथ ही संस्था, घटक, सम्बद्ध एवं सहयुक्त महाविद्यालयों से सम्बन्धित अन्य सभी मामलों को अधिनियम परिनियमों एवं अध्यादेशों के अनुसार विनियमित तथा अवधारित किया जाता है। सामान्य तरीका, जिसमें कार्य परिषद् के विनिश्चयों को किया जाता है, कार्य परिषद् की समुचित ढंग से गठित बैठक में पारित संकल्प के माध्य से है। किस तरह से कार्य परिषद् के संकल्प को पारित किया जाना चाहिए, इस पर भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *उपकुलपति* बनाम *एस० के० घोष*, ए० आई० आर० 1954 एस० सी० 217 के वाद में विचार किया गया।

4. विचारणीय मद का सदैव कार्य-सूची में होना आवश्यक नहीं—यह आवश्यक नहीं कि किसी मामले पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किये जाने के पूर्व, उक्त मामले का उक्त बैठक की कार्यसूची के मदों में से एक होना चाहिए। *द किंग* बनाम *पुल्सफोर्ड*, (1928) 108 ई० आर० 1073 (बी०); *ला कॉम्पेन डी मेवीले* बनाम *बाइटले*, 1896 (1) चां० 788 (सी०), और *पारकर एण्ड कूपर लि०* बनाम *रीडिंग*, 1926 (1) चां० 975 (डी)।

5. नोटिस का अनुपालन कब अधित्यजित—ऐसे किसी वाद में, जहाँ नियमावली द्वारा यथा अपेक्षित सभी सदस्यों को नोटिस जारी नहीं की जाती, लेकिन उक्त सदस्य आता है और बैठक में सम्मिलित होता है, तो उक्त अनियमितता का उक्त सदस्य द्वारा त्यजित किया जाना समझा जायेगा और कार्य परिषद् की बैठक में लिए जाने वाले विनिश्चय को नियमों के अनुपालन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। *उपकुलपति* बनाम *एस० के० घोष*, ए० आई० आर० 1954 एस० सी० 217।

6. त्यजन का सिद्धान्त—कब अवलम्ब लिया जाना चाहिए—त्यजन के सिद्धान्त का अवलम्ब केवल तभी लिया जा सकता है जब सभी सदस्य बैठक में उपस्थित हों। अधिकारातीत कृत्य को संरक्षण प्रदान करने के लिए आन्तरिक प्रबन्धन के सिद्धान्त का लागू नहीं किया जा सकता। *काशी नाथ मिश्रा* बनाम *इलाहाबाद विश्वविद्यालय*, ए० आई० आर० 1967 इला० 101 (105)।

7. समुचित नोटिस न देने का परिणाम—ऐसे किसी वाद, जहाँ सदस्य को कोई नोटिस तामील नहीं की जाती और ऐसे किसी वाद जहाँ नोटिस तो तामील की जाती है, लेकिन सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने से या विधि द्वारा या शारीरिक बल के प्रयोग द्वारा निवारित किया जाता है, के मध्य कोई अन्तर नहीं है। दोनों ही आकस्मिकताओं में सदस्यों को बैठक में सम्मिलित होने का युक्तियुक्त अवसर प्राप्त नहीं होता; और इसलिए, ऐसी बैठक में किया गया कोई भी कामकाज वैध नहीं ठहराया जा सकता। *एम० जी० गुप्ता* बनाम *आगरा विश्वविद्यालय*, 1975 (1) लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 3।

बैठक में सम्मिलित होने के हक़दार व्यक्ति को नोटिस के बिना बैठक को आयोजित करने के वाद तथा ऐसे वाद के मध्य सिद्धान्तों के बिन्दु पर किसी भी अन्तर का होना प्रतीत नहीं होता है जहाँ ऐसे व्यक्ति का

and case where such a person was found being prevented by the interested party from attending the meeting. *M. G. Gupta* v. *Agra University*, 1975 (1) Labour and Industrial Cases 3.

8. *Void resolution cannot be valid by ratification.*—Order rassed in violation of principles of natural justice is void. Any subsequent affirmance or reiteration of that decision by the same authority or by the appellate or revisional authority does not validate that decision. Repeated re-affirmance of a void or resolution is not sufficient to make the original action valid or legal. *M.G. Gupta* v. *Agra University*, 1975 (1) Labour and Industrial Cases 3.

9. *Mere noting of a resolution not a ratification.*—Mere noting of resolution does not amount to ratification. *G. D. Chawla* v. *University of Jodhpur*, 1976 (1) Labour and Industrial Cases 713.

10. *Office of member of Executive Council—A public office.*—Membership of Executive Council is not merely an office, but it is a public office. A graduate of the University, who is a registered one, has a right to seek for a writ of quo warrant, if such a person has been elected in clear violation of the statutes and ordinances. *Satish Chandra Sharma* v. *University of Rajasthan, Jaipur*, 1970 R.L.W. 403.

11. *Appointment—Member of Executive Council cannot challenge its resolution.*—A member of the Executive Council cannot challenge an appointment of the Readers and Professors made by the Executive Council itself as he is not a rival candidate and his interest is not affected. *K.P. Yayaraman Reddy* v. *Bangalore University*, 1973 (2) S.L.R. 239.

12. *Appointment order cannot be reviewed, modified or rescinded.*—If an appointment order has been issued and the employee has assumed office, then the order cannot be reviewed, modified or rescinded. *R.V. Swamy* v. *Vice-Chancellor*, 1973 (1) S.L.R. 889.

13. *If V.C. gives his evidence in inquiry, he cannot attend the meeting of Executive Council.*—Every judicial or quasi-judicial authority required to act judicially must act impartially free from bias. A biased judge is disqualified to determine disputes before him. The same principle would apply to a statutory authority required to act judicially. Bias vitiates judicial as well as quasi-judicial decisions.

The doctrine of bias was applicable to the Executive Council and the members of the Executive Council were required to be free from bias while considering and deciding the charges against the petitioner. Participation of biased members in the proceedings of the Executive Council was bound to vitiate its decision.

The Vice-Chancellor and one of the members of the Executive Council who were biased against the petitioner. Their participation in the meeting of the Executive Council rendered resolution terminating the petitioner's services void. *M.G. Gupta* v. *Agra University*, 1975 (1) Labour and Industrial Cases 3.

14. *Making an appointment—Framing of ordinances not obligatory.*—It is not obligatory on the Executive Council to frame the ordinance relating to qualification of teachers before it can exercise its powers to appoint a teacher. *Harish Chandra Khare* v. *Chancellor, Allahabad University*, Writ 3911 of 1969 decided on 29-4-1970 by the Allahabad High Court.

15. *Power to appoint includes the power to dispense with service even if an ordinance as required by the Act not made.*—The Executive Council has the power to take action against the officers, teachers and other employees of the University even though no ordinances have been framed laying down the terms and conditions under which the said action can be taken against the persons concerned. *Aligarh Muslim University* v. *Nadir Raza Naqvi*, 1978 A.L.J. 950 : 1978 Labour and Industrial Cases 991.

हितबद्ध पक्षकार द्वारा बैठक में सम्मिलित होने से निवारित किया गया हो। *एम० जी० गुप्ता* बनाम *आगरा विश्वविद्यालय,* 1975 (1) लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 3 ।

8. अनुसमर्थन द्वारा शून्य संकल्प वैध नहीं हो सकता—नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए पारित आदेश शून्य होता है। उसी प्राधिकारी द्वारा या अपील अथवा पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा उस विनिश्चय की पश्चात्वर्ती अभिपुष्टि या उसका दोहराया जाना उस विनिश्चय को वैधकृत नहीं करता है। बारम्बार शून्य आदेश अथवा संकल्प का पुनः अभिपुष्टिकरण मूल कार्रवाई को वैध या विधिक बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। *एम० जी० गुप्ता* बनाम *आगरा विश्वविद्यालय,* 1975 (1) लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 3 ।

9. संकल्प को मात्र दर्ज करना ही कोई अनुसमर्थन नहीं—संकल्प को मात्र दर्ज करना ही अनुसमर्थन की कोटि में नहीं आता। *जी० डी० चावला* बनाम *जोधपुर विश्वविद्यालय,* 1976 खण्ड I, लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 713।

10. कार्य परिषद् के सदस्य का पद—लोक पद—कार्य परिषद् की सदस्यता न केवल पद है, बल्कि वह एक लोक पद है। विश्वविद्यालय का स्नातक, जो पंजीकृत स्नातक है, को अधिकार पृच्छा की रिट माँगने का अधिकार प्राप्त है, बशर्ते ऐसे व्यक्ति को परिनियमों और अध्यादेशों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए निर्वाचित किया गया हो। *सतीश चन्द्र शर्मा* बनाम *राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर,* 1970 आर० एल० डब्ल्यू० 403।

11. नियुक्ति—कार्यपरिषद् सदस्य द्वारा उसके संकल्प को चुनौती नहीं दे सकती—कार्य परिषद् का सदस्य स्वयं कार्य परिषद् द्वारा की गयी रीडरों एवं प्रोफेसरों की नियुक्ति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि वह प्रतिद्वंदी अभ्यर्थी नहीं है एवं उसका हित प्रभावित नहीं होता है। *के० पी० यारमन रेड्डी* बनाम *बंगलौर विश्वविद्यालय,* 1973 (2) एस० एल० आर० 235।

12. नियुक्ति आदेश का पुनर्विलोकन, उपान्तरण या प्रतिसंहरण नहीं किया जा सकता—यदि नियुक्ति आदेश को जारी किया गया तथा कर्मचारी ने पद धारण कर लिया है, तो उस आदेश का पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, न ही उसे उपान्तरित या प्रतिसंहृत किया जा सकता है। *आर० वी० स्वामी* बनाम *उपकुलपति,* 1973 (1) एस० एल० आर० 889।

13. यदि उपकुलपति जाँच में अपना साक्ष्य देता है, तो वह कार्य परिषद् की बैठक में सम्मिलित नहीं हो सकता—प्रत्येक न्यायिक अथवा न्यायिक कल्प प्राधिकारी, जिससे न्यायिक रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, को पक्षपात रहित होकर निष्पक्ष ढंग से कार्य करना होगा। पक्षपातपूर्ण न्यायाधीश अपने समक्ष विवादों का अवधारण करने के लिए अनर्हित है। यदि सिद्धान्त उस वैधानिक प्राधिकारी के लिए भी लागू होती है जिससे न्यायिक रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। पक्षपात से न्यायिक और साथ ही न्यायिक कल्प विनिश्चय भी दूषित हो जाते हैं। पक्षपात का सिद्धान्त कार्य परिषद् के लिए भी प्रयोज्य था और कार्य परिषद् के सदस्यों से यह अपेक्षा की गयी थी कि वह याची के विरुद्ध आरोपों पर विचार करने एवं उन्हें विनिश्चित करने की अपेक्षा की गयी। कार्यपरिषद् की कार्यवाही में पक्षपातपूर्ण सदस्यों की भागीदारी निश्चित रूप से उसके विनिश्चय को दूषित करने के लिए बाध्य थी। उपकुलपति और कार्य परिषद् के एक सदस्य, जिन्होंने जाँच समिति के समक्ष याची के विरुद्ध साक्ष्य दिया था, याची के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण थे। कार्य परिषद् की बैठक में उनकी भागीदारी से याची की सेवाओं का समाप्त करने का संकल्प शून्य हो गया था। *एम० जी० गुप्ता* बनाम *आगरा विश्वविद्यालय,* 1975 (1) लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल केसेज 3 ।

14. नियुक्ति करने के पूर्व अध्यादेशों को विरचित करने की कोई बाध्यता नहीं—कार्य परिषद् के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह अध्यापकों की नियुक्ति करने की शक्ति का प्रयोग करने के पूर्व अध्यापकों की अर्हता से सम्बन्धित अध्यादेश विरचित करे। *हरीश चन्द्र खरे* बनाम *कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,* वर्ष 1969 की रिट 3911, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 29-4-1970 को विनिश्चित।

15. नियुक्त करने की शक्ति में सेवा से मुक्त करने की शक्ति सम्मिलित है भले ही अधिनियम द्वारा यथापेक्षित अध्यादेश न किया गया हो—कार्य परिषद् के पास विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है, भले ही उन निबन्धनों एवं शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए कोई अध्यादेश विरचित न किया गया हो जिनके अधीन उक्त कार्रवाई को सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है। *अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी* बनाम *नादिर रजा नकवी,* 1978 ए० एल० जे० 950 : 1978 लेबर एण्ड इण्डियन केसेज 991।

16. Appointment made by Vice-Chancellor invalid.—According to Clause (vii) of sub-section of this section, the power to appoint on Assistant Registrar vests with the Executive Council. If an appointment is made by the Vice-Chancellor, it is *ultra vires* and invalid. *Vice-Chancellor* v. *Shiv Shankar Singh*, Special Appeal No. 46 of 1975 decided on 10-3-1975 (D.B.).

22. The Court.—The Court shall consist of the following members, namely:

Class I—*Ex officio Members*

(i) the Chancellor;

(ii) the Members of the Executive Council;

(iii) the Finance Officer.

Class II—*Life Members*

(iv) in the case of an existing University, every person who was a life member of the Court or Senate immediately before the commencement of this Act.

Class III—*Representatives of Teachers, etc.*

(v) all heads of departments of the University and of constituent colleges maintained by it;

(vi) the Deans of Faculties of Medicine and Engineering, if they are not members of the Executive Council;

(vii) two representatives of provosts and wardens of hostels and halls of the University and of its constituent colleges and Institutes to be selected by rotation in the manner prescribed;

(viii) all Principals of constituent colleges maintained by the State Government;

(ix) fifteen teachers to be selected in the manner prescribed;

(x) two representatives of the managements of the affiliated or associated colleges to be selected by ratation in the manner prescribed.

Class IV—*Registered Graduates*

(xi) fifteen representatives of registered graduates to be elected, by registered graduates of such standing as may be prescribed from amongst such of them as are not in the service of the University or of an Institute or of a constituent college or in the service or connected with the management of affiliated college, associated college, hall or hostel.

Class V—*Representation of Students*

(xii) one student from each of the Faculties, who having secured the highest marks in that Faculty at the preceding degree examination of any University is pursuing a course of study for a post-graduate degree or a law or a medical or engineering degree in the University (including an affiliated or associated college);

Class VI—*Nominees of Chancellor*

(xiii) [1][* * *]

---

1. Omitted by U.P. Act No. 29 of 1974.

16. उपकुलपति द्वारा की गयी नियुक्ति अवैध—इस धारा की उपधारा (1) के खण्ड (vii) के अनुसार, सहायक रजिस्ट्रार को नियुक्त करने की शक्ति कार्य परिषद् में निहित है। यदि नियुक्ति को उपकुलपति द्वारा किया जाता है, तो वह अधिकारातीत एवं अवैध है। *उपकुलपति* बनाम *शिव शंकर सिंह,* 10-3-1975 को विनिश्चित वर्ष 1975 की विशेष अपील संख्या 46।

22. सभा—सभा में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात्—

श्रेणी I—पदेन सदस्य

(i) कुलपति;

(ii) कार्य परिषद् के सदस्य;

(iii) वित्त अधिकारी;

श्रेणी II—आजीवन सदस्य

(iv) किसी विद्यमान विश्वविद्यालय की दशा में, प्रत्येक सदस्य, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व सभा या सीनेट का आजीवन सदस्य था;

श्रेणी III—अध्यापकों के प्रतिनिधि आदि

(v) विश्वविद्यालय के और उसके द्वारा पोषित संघटक महाविद्यालयों के सभी विभागाध्यक्ष;

(vi) औषधि और अभियांत्रिकी के संकायाध्यक्ष, बशर्ते वे कार्य परिषद् के सदस्य न हों;

(vii) विश्वविद्यालय और उसके संघटक महाविद्यालयों एवं संस्थानों के छात्रावासों और छात्र निवासों के प्रोवोस्टो तथा वार्डनों के दो प्रतिनिधियों का चयन निर्धारित रीति से चक्रानुक्रम द्वारा किया जायेगा।

(viii) राज्य सरकार द्वारा पोषित संघटक महाविद्यालयों के सभी प्राचार्य;

(ix) पन्द्रह अध्यापक जिनका चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा;

(x) सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों के प्रबन्ध तंत्र के दो प्रतिनिधियों का निर्धारित रीति से चक्रानुक्रम द्वारा चयन किया जायेगा;

श्रेणी IV—पंजीकृत स्नातक

(xi) पंजीकृत स्नातकों में से पन्द्रह प्रतिनिधियों का उस प्रास्थिति वाले पंजीकृत स्नातकों द्वारा चयन किया जायेगा जिन्हें उनमें से ऐसे व्यक्तियों में से विहित किया जा सकेगा, जो विश्वविद्यालय की या किसी संस्थान की या किसी संघटक महाविद्यालय की सेवा में नहीं है अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय, छात्र-निवास अथवा छात्रावास के प्रबन्ध तंत्र में सेवा में नहीं है या उससे सम्बद्ध नहीं है;

श्रेणी V—विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व

(xii) संकायों में से प्रत्येक में से एक विद्यार्थी जिसने किसी भी विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती उपाधि की परीक्षा में उस संकाय में अधिकतम अंकों को प्राप्त किया है और वह विश्वविद्यालय में [सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय सहित] किसी स्नातकोत्तर उपाधि या विधि या चिकित्सीय या अभियांत्रिकी उपाधि के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम का अनुशीलन कर रहा है;

श्रेणी VI—कुलपति के नाम निर्देशिती

(xiii) [1][* * *]

---

1. 1971 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा लोपित।

Class VII—*Representatives of the State Legislature*

(xiv) two members of the Legislative Council to be elected by it;

(xv) five members of the Legislative Assembly to be elected by it.

(2) The term of office of members of each class, except Classes I, II and V, mentioned in sub-section (1) shall be three years and the term of the members of the said Class V shall be one year.

23. Powers and duties of the Court.—The Court shall be an advisory body subject to the provisions of this Act, it shall have the following powers and functions, namely :

(a) to review, from time to time, the broad policies and programmes of the University and to suggest measures for the improvement and development of the University;

(b) to consider and pass resolutions on the annual report and the annual accounts of the University and the audit report thereon;

(c) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice; and

(d) to perform such other duties and exercise such other functions as may be assigned to it by this Act or the Statutes or by the Chancellor.

24. Meeting of the Court.—(1) The Court shall meet once a year on a date to be fixed by the Vice-Chancellor and such meeting shall be called the annual meeting of the Court.

(2) The Vice-Chancellor may, whenever he thinks fit, and shall, upon a requisition in writing signed by not less than one-fourth of the total membership of the Court, convene a special meeting of the Court.

25. Academic Council.—(1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances :

(a) shall have the control and general regulation of, and be responsible for the maintenance of standard of instruction, education and research carried on or imparted in the University;

(b) may advise the Executive Council on all academic matters including matters relating to examinations conducted by the University; and

(c) shall have such powers and duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.

(2) The Academic Council shall consist of the following members, namely—

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) the Deans of all Faculties, if any;

(iii) all Heads of Departments of the University and where there is no department in a subject in the University, the senior-most teacher from affiliated colleges, representing that subject on the Faculty concerned;

(iv) all Professors of the University who are not Heads of Departments;

श्रेणी VII—राज्य विधानमण्डल के प्रतिनिधि

(xiv) विधान परिषद् के दो सदस्यों का उसके द्वारा चुनाव किया जायेगा;

(xv) विधान सभा के पांच सदस्यों का उसके द्वारा चुनाव किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) में श्रेणी I, II तथा V के सिवाय प्रत्येक वर्ग के सदस्यों के पद का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और उक्त श्रेणी V के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।

23. सभा की शक्तियाँ एवं कर्तव्य—सभा सलाहकारी निकाय होगी और इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन उसकी निम्नलिखित शक्तियों एवं कार्य होंगे, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय के परिषद् की पालिसियों और कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करना और विश्वविद्यालय के सुधार एवं विकास के उपायों का सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों तथा उन पर अंकेक्षण रिपोर्ट पर विचार करना तथा संकल्पों को पारित करना;

(ग) किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में कुलपति को सलाह देना जिसे उसके समक्ष सलाह के लिए निर्दिष्ट किया जाये; और

(घ) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या कुलपति द्वारा उसे समनुदेशित किये जा सकने वाले ऐसे अन्य कर्तव्यों का संपादन करना और ऐसे अन्य कार्यों का प्रयोग करना।

24. सभा की बैठक—(1) सभा कुलपति द्वारा नियत की जाने वाली तारीख पर वर्ष में एक बार बैठक करेगी और उस बैठक को सभा की वार्षिक बैठक कहा जायेगा।

(2) उपकुलपति, जब कभी वह उपयुक्त समझे सभा की कुल सदस्यता के कम से कम एक चौथाई द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यपेक्षा पर सभा की विशेष बैठक को आयोजित कर सकेगा और करेगा।

25. विद्यापरिषद्—(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय के प्रधान विद्या निकाय को भी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अध्यधीन—

(क) विश्वविद्यालय में चलाये जाने वाले या दिए जाने वाले अनुदेश, शिक्षा और शोध के मानक को बनाये रखने के नियंत्रण और सामान्य विनियमन को रखेगी और उसके लिए उत्तरदायी होगी;

(ख) कार्यपरिषद् को, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में मामलों सहित सभी विद्या सम्बन्धी मामलों पर सलाह दे सकेगी; और

(ग) ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को प्राप्त करेगी जिन्हें परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किया जा सकेगा अथवा उस पर अधिरोपित किया जा सकेगा।

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(i) उपकुलपति;

(ii) सभी संकायों, यदि कोई हों, के संकायाध्यक्ष;

(iii) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष और जहाँ विश्वविद्यालय में किसी विषय में कोई विभाग न हो तो सम्बन्धित संकाय पर उस विषय का प्रतिनिधित्व करने वाले सम्बद्ध महाविद्यालयों से वरिष्ठतम अध्यापक;

(iv) विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर, जो विभागाध्यक्ष नहीं हैं;

(v) the Principals of constituent colleges and the Directors of Institutes, if any;

(vi) two Professors, from each constituent college, if any, by rotation in order of seniority to be determined in the manner prescribed;

(vii) three Principals of affiliated or associated colleges to be selected by rotation in the manner prescribed;

(viii) fifteen teachers to be selected in the manner prescribed;

(ix) the Dean of Students Welfare;

(x) the Librarian of the University; and

(xi) five persons of academic eminence to be co-opted in the manner prescribed :

[1][Provided that if there is no member belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or the other backward classes of citizen in the Academic Council constituted under this sub-section, the Vice-Chancellor may nominate two members belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and two members belonging to other backward classes or citizen from amongst the teachers of the University by rotation in the manner prescribed.]

(3) Subject to the provisions of Section [2][65], the term of office of members other than *ex officio* members shall be such as may be prescribed.

26. The Finance Committee.—(1) The Finance Committee shall consist of—

(a) the Vice-Chancellor;

[3][(aa) the Secretary to the State Government in the Higher Education Department;

(aaa) the Secretary to the State Government in the Finance Department];

(b) the Pro-Vice-Chancellor, if any;

(c) the Registrar;

[4][(cc) the Controller of Examinations];

(d) one person, not being a member of the Executive Council or the Academic Council or a person in the service of the University or an Institute or of a constituent college, or a member of the Managing Committee of any affiliated or associated college, or a person in the service of such college, to be elected by the Executive Council; and

(e) the Finance Officer who shall also be the Secretary of the Committee.

[5][(1-A) A member referred to in Clause (aa) or Clause (aaa) of sub-section (1) may, instead of attending any meeting of the Finance Committee himself, depute an officer not below the rank of a Joint Secretary to the State Government and an officer so deputed shall also have the right to vote.]

1. Ins. by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 11-7-2003).
2. Subs. for "60" by U.P. Act No. 5 of 1977.
3. Ins. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).
4. Ins. by U.P. Act No. 14 of 1995 (w.e.f. 25-2-1995).
5. Ins. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).

(v) संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्य और संस्थान, यदि कोई हो, के निदेशक;

(vi) प्रत्येक संघटक महाविद्यालय, यदि कोई हो, से वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा दो प्रोफेसरों को निर्धारित रीति से अवधारित किया जायेगा।

(vii) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के तीन प्राचार्यों का चयन निर्धारित रीति से चक्रानुक्रम द्वारा किया जायेगा;

(viii) पन्द्रह अध्यापकों का चयन निर्धारित रीति से किया जायेगा;

(ix) विद्यार्थियों के कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(x) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष; और

(xi) शैक्षिक प्रतिष्ठा के पांच सदस्यों का चुनाव निर्धारित रीति से किया जायेगा।

[1][परन्तु यह कि यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का कोई भी सदस्य इस उपधारा के अधीन गठित विद्या परिषद् में नहीं है तो उपकुलपति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के दो सदस्यों और विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के दो सदस्यों को निर्धारित रीति से चक्रानुक्रम द्वारा मनोनीत कर सकेगा।]

(3) धारा [2][65] के प्रावधानों के अध्यधीन पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों के पद का कार्यकाल वह होगा जिसे निर्धारित किया जाये।

26. वित्त समिति—वित्त समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) उपकुलपति;

[3][(कक) उच्च शिक्षा विभाग में राज्य सरकार का सचिव;

(ककक) वित्त विभाग में राज्य सरकार का सचिव];

(ख) प्रति-उपकुलपति, यदि कोई हो;

(ग) रजिस्ट्रार;

[4][(गग) परीक्षा नियंत्रक];

(घ) एक व्यक्ति जो कार्यपरिषद् या विधान परिषद् का सदस्य अथवा विश्वविद्यालय की या किसी संस्थान की या संघटक महाविद्यालय की सेवा में व्यक्ति या किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का सदस्य या उस महाविद्यालय की सेवा में नहीं है, कार्य परिषद् द्वारा चुना जायेगा; और

(ङ) वित्त अधिकारी, जो समिति का सचिव भी होगा।

[5][(1-क) उपधारा (1) के खण्ड (कक) अथवा (खण्ड ककक) में निर्दिष्ट सदस्य स्वयं वित्त समिति की बैठक में सम्मिलित होने के बजाय किसी अधिकारी को, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के अनिम्न पंक्ति का नहीं होगा, प्रतिनियुक्त कर सकेगा और इस प्रकार प्रतिनियुक्त किये गये अधिकारी को मतदान करने का भी अधिकार प्राप्त होगा]।

---

1. 2004 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 1 द्वारा अन्तःस्थापित परन्तुक (11-7-2003 से प्रभावी)।
2. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा "60" के लिए प्रतिस्थापित।
3. 1996 के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. 1995 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 14 द्वारा अन्तःस्थापित (25-2-1995 से प्रभावी)।
5. 1996 के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्तःस्थापित (11-7-1995 से प्रभावी)।

(2) The Finance Committee shall advise the Executive Council on matters relating to the administration of property and funds of the University. It shall, having regard to the income and resources of the University, fix limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the ensuing financial year and may, for any special reasons, revise during the financial year the limits of expenditure so fixed and the limits so fixed shall be binding on the Executive Council.

(3) The Finance Committee shall have such other powers and duties as may be conferred or imposed on it by this Act or the Statutes.

[1][(4) Unless a proposal having financial implication has been recommended by the Finance Committee, the Executive Council shall not take a decision thereon, and if the Executive Council disagrees with the recommendations of the Finance Committee, it shall refer the proposal back to the Finance Committee with reasons for the disagreement and if the Executive Council again disagrees with the recommendation of the Finance Committee the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.]

27. The Faculties.—(1) The University shall have such Faculties as may be prescribed.

(2) Each Faculty shall comprise such departments of teaching as may be prescribed and each department shall have such subjects of study as may be assigned to it by the Ordinance.

(3) There shall be a Board of each Faculty, the constitution (including the term of office of its members) and powers and duties of which shall be such as may be prescribed.

(4) There shall be a Dean of each Faculty who shall be chosen from amongst the Professors by rotation in order of seniority and shall hold office for three years.

[2][Provided that in the case of a Medical, Engineering, Ayurvedic or Fine Arts College, the Prinicpal of such colleges shall be the *ex offico* Dean of Medical, Engineering, Ayurvedic or Fine Arts Faculty, as the case may be];

Provided further that where there is more than one such college, the Deanship of each such Faculty shall rotate amongst the Principals of such colleges :

[3][Provided also that if there is no Professor in the Faculty, the office of Dean shall be held by Readers, and if there are no Readers, then by other teachers in that Faculty, by rotation in order of seniority].

(5) The Dean shall be the Chairman of the Board of Faculty and be responsible for—

(a) the organization and conduct of the teaching and research work of departments comprised in the Faculty; and

(b) the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty.

1. Ins. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).
2. Subs. by U.P. Act No. 29 of 1974.
3. Subs. by U.P. Act No. 5 of 1977.

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों के प्रशासन से सम्बन्धित मामलों पर कार्य परिषद् को सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय एवं स्रोतों को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती कुल व्यय की सीमाओं को नियत करेगी और किन्हीं विशेष कारणों से वह इस प्रकार नियत किये गये व्ययों की सीमाओं को उस वित्तीय वर्ष के दौरान पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत की गयी सीमाएं कार्य परिषद् पर आबद्धकर होंगी।

(3) वित्त समिति को ऐसी अन्य शक्तियाँ एवं कर्तव्य प्राप्त होंगे जिन्हें इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदान या उस पर अधिरोपित किया जा सकेगा।

[1][(4) जब तक वित्त समिति द्वारा वित्तीय विवक्षा को रखने वाले प्रस्ताव की सिफारिश न की गयी हो, तब तक कार्य परिषद् उस पर निर्णय नहीं लेगी और यदि कार्यपरिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत है तो वह उस असहमति के लिए वित्त समिति को प्रस्ताव वापस निर्दिष्ट कर देगी और यदि कार्यपरिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिश से असहमत है तो मामले को कुलपति के समक्ष निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर दिया गया विनिश्चय अन्तिम होगा।]

27. संकाय—(1) विश्वविद्यालय के ऐसे संकल्प होंगे जिन्हें निर्धारित किया जा सकेगा।

(2) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग सम्मिलित होंगे जिन्हें निर्धारित किया जा सकेगा और प्रत्येक विभाग में अध्ययन् के ऐसे विषय होंगे जिन्हें अध्यादेश द्वारा उसे समनुदेशित किया जा सकेगा।

(3) प्रत्येक संकाय का परिषद् होगा, जिसका गठन (उसके सदस्यों के पद के कार्यकाल सहित) और शक्तियाँ एवं कर्तव्य, ऐसे होंगे जिन्हें निर्धारित किया जा सकेगा।

(4) प्रत्येक संकाय का संकायाध्यक्ष होगा जिसे वरिष्ठता के क्रम से चक्रानुक्रम द्वारा प्रोफेसरों में से चुना जायेगा :

[2][परन्तु यह कि मेडिकल, अभियांत्रिकी, आयुर्वेदिक या ललित कला महाविद्यालय की दशा में उन महाविद्यालयों का प्राचार्य मेडिकल, अभियांत्रिकी, आयुर्वेदिक या जैसा विषय हो, ललित कला संकाय का पदेन संकायाध्यक्ष होगा] :

परन्तु अग्रेतर यह कि जहाँ एक से अधिक ऐसे महाविद्यालय हों तो ऐसे प्रत्येक संकाय के संकायाध्यक्ष का पद उन महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से चक्रानुक्रम में होगा :

[3][परन्तु यह भी कि यदि संकाय में कोई प्रोफेसर न हो तो संकायाध्यक्ष का पद रीडरों द्वारा धारित किया जायेगा और यदि कोई रीडर न हों तो उस संकायाध्यक्ष में अन्य अध्यापकों द्वारा वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा धारित किया जायेगा]।

(5) संकायाध्यक्ष संकाय के पषिद् का सभापति होगा और वह निम्न के लिए उत्तरदायी होगा—

(क) संकाय में सम्मिलित किये गये विभागों के अध्यापन तथा शोधकार्य का संगठन एवं संचालन; और

(ख) संकाय के सम्बन्ध में परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् पालन।

---

1. 1996 के राष्ट्रपति के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्तःस्थापित (11-7-1995 से प्रभावी)।
2. 1974 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1977 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(6) In each department of teaching in the University, there shall be a Head of the Department whose appointment shall be regulated by Statutes :

Provided that every person holding the office of Head of Department immediately before the date of commencement of this sub-section shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, continue to hold office on the same terms and conditions as he held immediately before the said date].

(7) The Head of Deprtment shall be responsible to the Dean for the organization of teaching in the department and have such other powers and duties as may be provided in the Ordinances.

(8) There shall be constituted in accordance with the provisions of the Ordinances, Boards of Studies in respect of different subjects of study and more than one subject may by assigned to one Board of Studies.

SYNOPSIS

1. Office of Dean of Faculty—A public office.
2. If only one Professor in a Faculty, he will continue to be the Dean.

1. *Office of Dean of Faculty—A public office.*—The office of Dean of Faculty in University is a public office and it is of substantive character and as such a petition challenging his appointment and seeking a writ of *quo warranto* will lie. *Rameshwaram Bhadada* v. *University of Jodhpur*, 1973 (2) S.L.R. 716.

2. *If only one Professor in a Faculty, he will continue to be the Dean.*—If there is only one Professor, he will get representation in the Senate without there being only election, and such representation to a Dean is not envisaged in the scheme of the Act by the process of election. *K.S. Siddalingaiah* v. *State*, A.I.R. 1979 Karnataka 190.

28. Admissions Committee.—(1) There shall be an Admissions Committee of the University the constitution of which shall be such as may be provided for in the Ordinances.

(2) The Admission Committee shall have the power to appoint such number of sub-committees as it thinks fit.

(3) Subject to the superintendence of the Academic Council and to the provisions of sub-section (5), the Admissions Committee shall lay down the principles or norms governing the policy of admission to various courses of studies in the University and may also nominate a person or a sub-committee as the admitting authority in respect of any course of study in an institute or a constituent college maintained by the University.

(4) Subject to the provisions of sub-section (5), the Committee may issue any direction as espects criteria or methods of admission [2][(including the number of students to be admitted)] to constituent colleges maintained by the State Government and affiliated or associated colleges, and such directions shall be binding on such colleges.

[3][(5) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act,—

1. Subs. by U.P. Act No. 29 of 1974.
2. Ins. byU.P. Act No. 21 of 1975.
3. Subs. by U.P. Act No. 20 of 1974 (w.e.f. 15-7-1994).

[1][(6) विश्वविद्यालय में अध्यापन के प्रत्येक विभाग में, एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायेगी :

परन्तु यह कि इस उपधारा के प्रारम्भ होने की तारीख के तत्काल पूर्व विभागाध्यक्ष के पद को धारित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम एवं परिनयमों के प्रावधानों के अध्यधीन, पद को उन्हीं निबन्धनों एवं शर्तों पर धारित करता रहेगा जिसे उसने उक्त तारीख के ठीक पहले धारित किया था।]

(7) विभागाध्यक्ष विभाग में अध्यापन के कार्य को संगठित करने के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसे ऐसी अन्य शक्तियाँ एवं कर्तव्य प्राप्त होंगे जिन्हें अध्यादेशों में प्रदान किया जा सकेगा।

(8) अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार अध्ययन के भिन्न विषयों के सम्बन्ध अध्ययन परिषदों का गठन किया जायेगा और एक अध्ययन परिषद् को एक से अधिक विषय समनुदेशित किये जा सकेंगे।

टिप्पणियाँ

1. संकाय के संकायाध्यक्ष का पद-लोक पद
2. यदि संकाय में केवल एक ही प्रोफेसर है, तो वह संकायाध्यक्ष बना रहेगा

1. संकाय के संकायाध्यक्ष का पद-लोक पद—विश्वविद्यालय में संकाय के संकायाध्यक्ष का पद लोक पद होता है और वह मूल प्रकृति का है और इस तरह से, उसकी नियुक्ति को चुनौती देते हुए एवं अधिकार पृच्छा की रिट की मांग करते हुए याचिका दाखिल की जा सकेगी। *रामेश्वरम् भदादा* बनाम जोधपुर *विश्वविद्यालय,* 1973 (2) एस० एल० आर० 716।

2. यदि संकाय में केवल एक ही प्रोफेसर है, तो वह संकायाध्यक्ष बना रहेगा—यदि किसी संकाय में केवल एक ही प्रोफेसर है, तो उसे सीनेट में, बिना किसी चुनाव के हुए ही, प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, और संकायाध्यक्ष के लिए उस प्रतिनिधित्व के बारे में चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अधिनियम की योजना में परिकल्पना नहीं की जाती है। के० *एस० सिद्दालिंगय्यह* बनाम *राज्य,* ए० आई० आर० 1979 कर्नाटक 190।

28. प्रवेश समिति—(1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी जिसका गठन ऐसा होगा जिन्हें अध्यादेश में प्रावधानित किया जा सकेगा।

(2) प्रवेश समिति को उतनी संख्या में उपसमितियां नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त होगी जितनी वह उपयुक्त समझे।

(3) विद्यापरिषद् के अधीक्षण और उपधारा (5) के प्रावधानों के अध्यधीन, प्रवेश समिति विश्वविद्यालय में अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीति को शासित करते हुए सिद्धान्तों अथवा मानकों को निर्दिष्ट करेगी और वह विश्वविद्यालय द्वारा पोषित संस्थान या संघटक महाविद्यालय में अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति का उपसमिति को भी प्रवेश देने वाले प्राधिकारी के रूप में मनोनीत कर सकेगी।

(4) उपधारा (5) के प्रावधानों के अध्यधीन, समिति राज्य सरकार द्वारा पोषित संघटक महाविद्यालयों और सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों को प्रवेश के मानदण्डों या पद्धतियों [2][प्रवेश दिये जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या समेत] के सम्बन्ध में कोई भी निदेश जारी कर सकेगी और ऐसे निदेश उन महाविद्यालयों पर आबद्धकर होंगे।

[3][(5) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए—

---

1. 1974 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1975 के उ० प्र० अधिनियम 21 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. 1974 के उ० प्र० अधिनियम 20 द्वारा प्रतिस्थापित (15-7-1994 से प्रभावी)।

(a) reservation of seats for admission in any course of study in University, Institute, constituent college, affiliated college or associated college for the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens may be made and regulated by such orders as the State Government may, by notification, make in that behalf :

Provided that reservation under this clause shall not exceed fifty per cent of the total number of seats in any course of study :

Provided further that reservation under this clause shall not apply in the case of an institution established and administered by minorities referred to in Clause (1) of Article 30 of the Constitution :

Provided also that the reservation under this clause shall not apply to the category of Other Backward Classes of citizens specified in Schedule II to the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 :

(b) admission to medical and engineering colleges and to courses of instruction for degrees in education and Ayurvedic or Unani systems of medicine (including the number of students to be admitted), shall subject to Clause (a), be regulated by such orders (which if necessary may be with retrospective effect, but not effective prior to January 1, 1979) as the State Government may by notification, make in that behalf :

Provided that no order regulating admission under this clause shall be inconsistent with the rights of minorties in the matter of establishing and administering educational institutions of their choice;

(c) in making an order under Clause (a), the State Government may direct that any person who wilfully acts in a manner intended to contravene, or defeat the purposes of the order shall be punishable with imprisonment for a term not exceeding three months or with fine not exceeding one thousand rupees,or with both, as may be specified in the order.

(5-A) Every order made under Clause (a) of sub-section (5) shall be laid, as soon as may be, before both Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of Section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Govenment under any Uttar Pradesh Act].

(6) No student admitted to any college in contravention of the provisions of this section shall be permitted to take up any examination conducted by the University, and the Vice-Chancellor, shall have the power to cancel any admission made in such contravention.

SYNOPSIS

1. Admission must be on the basis of merits.
2. University-wise reservation.
3. University wise reservation—Extent.
4. Extent of reservation.
5. Purpose and object of reservation in admission.
6. Action for infraction of guidelines against affiliated college.

(क) विश्वविद्यालय, संस्थान, संघटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा सहयुक्त महाविद्यालय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण ऐसे आदेशों द्वारा किया एवं विनियमित किया जा सकेगा जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से उस निमित्त कर सकेगी :

परन्तु यह कि इस खण्ड में आरक्षण किसी भी पाठ्यक्रम में सीटों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु अग्रेतर यह कि इस खण्ड के अधीन आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित एवं प्रशासित संस्था की दशा में लागू नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि इस खण्ड में आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची 11 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की कोटि के लिए लागू नहीं होगा।

(ख) मेडिकल और अभियांत्रिकी महाविद्यालयों और शिक्षा एवं औषधि की आयुर्वेदिक या यूनानी पद्धतियों में उपाधि के लिए शिक्षा के पाठ्क्रमों (प्रवेश दिये जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या समेत) में प्रवेश, खण्ड (क) के अध्यधीन ऐसे आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा (जो यदि आवश्यक हो भूतलक्षी प्रभाव के साथ होगा लेकिन 1 जनवरी, 1979 के पूर्व प्रभावकारी नहीं) जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस निमित कर सकेगी :

परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन प्रवेश को विनियमित करने वाला कोई भी आदेश अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित और प्रशासित करने के मामले में अल्पसंख्यकों के अधिकारों से असंगत नहीं होगा।

(ग) खण्ड (क) के अधीन आदेश को करने में, राज्य सरकार यह निदेश कर सकेगी कि कोई भी व्यक्ति, जो उस आदेश के प्रयोजनों का अतिलंघन करने या उन्हें विफल बनाने के लिए आशयित रीति से कार्य करता है, ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन माह से अधिक नहीं होगी अथवा अर्थदण्ड से, जो एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(5-क) उपधारा (5) के खण्ड (क) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, जैसे ही उसे किया जाता है, विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के प्रावधान उसी प्रकार से लागू होंगे जैसे कि वे किसी भी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।]

(6) इस धारा के प्रावधानों का अतिलंघन करते हुए किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश दिये गये किसी भी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा को करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और उपकुलपति को ऐसे उल्लंघन में किये गये किसी भी प्रवेश को निरस्त करने की शक्ति प्राप्त होगी।

टिप्पणियाँ

1. प्रवेश को मेरिट के आधार पर ही किया जाना चाहिए
2. विश्वविद्यालयानुसार आरक्षण
3. विश्वविद्यालयानुसार आरक्षण—विस्तार
4. आरक्षण की सीमा
5. प्रवेश में आरक्षण का प्रयोजन एवं उद्देश्य
6. सम्बद्ध महाविद्यालय के विरुद्ध मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अतिलंघन के लिए कार्रवाई

1. ***Admission must be on the basis of merits.***—In all cases of selection whether it be a civil post or in a college or in any other institution maintained by the State, the most meritorious candidate, if he does not suffer from any other disability, is required to be selected by the appropriate selection authority, and if the same is not done, it is well settled that the same would result in violation of Article 14 of the Constitution of India. *Dr. Y. Shantha* v. *Government Medical College,* A.I.R. 1978 Karnataka 66.

2. ***University-wise reservation..***—Where in a certain case, the validity of this rule came up for consideration that 70% of the seats at the post-graduate level be reserved for the Delhi University graduates and the remaining 30% open to all including the graduate of Delhi. It was observed that 70 per cent reservation is too high and as such would be unconstitutional. Krishna Iyer, J., who gave the majority judgment, observed as follows :

"We recognise that institution-wise reservation is constitutionally circumscribed and may become *ultra vires,* if recklessly resorted to. But, even such rules, until revised by competent authority or struck down judicially, will rule the root. That is why we have to concede that until the signport of "no admission for outsiders" is removed from other Universities and some fair percentage of seats in other Universities is left for open competition the Delhi students cannot be made martyrs of the Constitution. *Dr. Jagdish Saran* v. *Union of India,* A.I.R. 1980 S.C. 820 : 1980 (2) SCC 768.

3. ***University-wise reservation—Extent.***—University-wise reservation was challenged as unconstitutional. It was held by the Supreme Court that under certain circumstances, University-wise classification and reservation was constitutionally permissible. *D.N. Chachale* v. *State of Mysore,* (1971) Supp. S.C.R. 608 : (1971) 2 S.C.C. 293 : A.I.R. 1971 S.C. 1762.

4. ***Extent of reservation.***—Reservation is not an end, but a means a means to secure social and economic justice. However, the real solution lies in eliminating the causes that have led to the social, educational and economic backwardness of the weaker section of the community. But till, such time as that is not achieved, reservation is a measure "compensatory in character", means to "mitigate surmountable obstacles to ensure equality of opportunity. *State of Kerala* v. *N. M. Thomas,* A.I.R. 1976 S.C. 490.

Where 54 seats were reserved out of 100, it was held by the learned Chief Justice that it would destroy equality. *T. Devadasan* v. *Union of India,* A.I.R. 1964 S.C. 179.

1. प्रवेश को मेरिट के आधार पर ही किया जाना चाहिए—चयन के सभी मामलों में, चाहे वह सिविल पद हो या महाविद्यालय में या राज्य द्वारा पोषित अन्य किसी भी संस्था में, सर्वाधिक मेधावी अभ्यर्थी, यदि वह किसी अन्य निर्योग्यता से ग्रसित नहीं है, समुचित चयन प्राधिकारी द्वारा चुना जाना अपेक्षित है और यदि उसे नहीं किया जाता है, तो यह स्थापित है कि उससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। *डॉ० वाई० शान्था* बनाम *गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज,* ए० आई० आर० 1978 कर्नाटक 66।

2. विश्वविद्यालयानुसार आरक्षण—जहाँ किसी वाद में, इस नियम की वैधता पर विचार किया गया था कि स्नातकोत्तर स्तर पर 70 प्रतिशत सीटें दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातकों के लिए आरक्षित की जायें और शेष 30 प्रतिशत दिल्ली के अन्य स्नातकों सहित सभी के लिए उपलब्ध हों। यह सम्प्रेक्षण किया गया कि 70 प्रतिशत आरक्षण अत्यन्त अधिक है और इस तरह से, असंवैधानिक होगा। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, जिन्होंने बहुमत का निर्णय दिया था, ने निम्नवत् सम्प्रेक्षण किया था :

''हम इस बात को मान्यता देते हैं कि संस्था-अनुसार आरक्षण संवैधानिक रूप से सीमाबद्ध है और यदि उसका बिना सोचे विचारे अवलम्ब लिया गया, तो अधिकारातीत हो जायेगा। लेकिन ऐसे नियम भी, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षित या न्यायिक रूप से समाप्त न कर दिये जायें, पूर्णरूपेण लागू होंगे। यही कारण है कि हमें यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि जब तक 'बाहरी व्यक्तियों को कोई प्रवेश नहीं' का संकेत पर अन्य विश्वविद्यालय से नहीं हटा दिया जाता और अन्य विश्वविद्यालयों में सीटों को कुछ समुचित प्रतिशत खुली प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं छोड़ा जाता, तब तक दिल्ली के विद्यार्थियों को संविधान का शहीद नहीं बनाया जा सकता। *डॉ० जगदीश सरन* बनाम *भारत संघ,* ए० आई० आर० 1980 एस० सी० 820 : 1980 (2) एस० सी० सी० 768।

3. विश्वविद्यालयानुसार आरक्षण—विस्तार—प्रस्तुत वाद में, विश्वविद्यालयानुसार आरक्षण को असंवैधानिक मानकर चुनौती दी गयी थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कतिपय परिस्थितियों में, विश्वविद्यालयानुसार वर्गीकरण एवं आरक्षण सांवैधानिक रूप से अनुज्ञेय था। *डॉ० एन० चन्वाले* बनाम *मैसूर राज्य,* (1971) सप्ली० एस० सी० आर० 608 : (1971) 2 एस० सी० सी० 293 : ए० आई० आर० 1971 एस० सी० 1762।

4. आरक्षण की सीमा—आरक्षण लक्ष्य नहीं है, बल्कि साधन है—ऐसा साधन जिससे सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति होती है। तथापि, वास्तविक हल उन कारणों को समाप्त करने में निहित है जिनके कारण समुदाय के दुर्बल वर्ग के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन की उत्पत्ति होती है। लेकिन, अब तक चूंकि उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए आरक्षण ''क्षतिपूरक प्रकृति का उपाय है'', ''अवसर की समानता को सुनिश्चित करने के लिए अजेय अवरोधों के प्रभाव को कम करना है। *केरल राज्य* बनाम *एन० एम० थामस,* ए० आई० आर० 1976 एस० सी० 490।

जहाँ 100 सीटों में से 54 सीटें आरक्षित थीं, विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि इससे समानता नष्ट हो जायेगी। *टी० देवादासन* बनाम *भारत संघ,* ए० आई० आर० 1964 एस० सी० 179।

Reservation is permissible only to a limited extent. The maximum permissible limit of the reservation was first considered by the Supreme Court some 12 years after coming into force of the Constitution in *M.R. Balaji* v. *State of Mysore*, A.I.R. 1963 S.C. 649. It was held that......speaking generally and in a broad way, a special provision should be less than 50 per cent; how much less than 50 per cent would depend upon the relevant prevailing circumstances in each case. The question posed was whether 50 per cent was the maximum limit of reservation or that Balaji's case permitted reservation even beyond 50 per cent. In that case, it was held by this Court that reservation of more than half of the seats in an educational institution for being filled up from members of the backward classes is constitutional. *M. R. Balaji* v. *State of Mysore*, A.I.R. 1963 S.C. 649.

5. ***Purpose and object of reservation in admission.***—According to Article 46 of the Constitution, the State shall promote with special care, the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.

It cannot be gainsaid that when the Constitution come into force, a section of the population was socially and educationally backward. The causes, according to the backward class commission of backwardness amongst the educationally and socially backward classes, were—

(1) Traditional apathy for education on account of social and environmental conditions or accupational handicaps;
(2) Poverty and lack of educational institution in rural areas;
(3) Living in inaccesible areas;
(4) Lack of residential hostel facilities;
(5) Unemployment among the educated which acts as damper on the desire of the members to educate their children;
(6) Lack of adequate educational aids such as free studentship, scholarship and monetary grants;
(7) Defective educational system which does not train students for appropriate occupations and professions. *M.R. Balaji* v. *State of U.P.*, A.I.R. 1963 S.C. 649.

6. ***Action for infraction of guidelines against affiliated college.***—The guidelines issued by the Universities to all the colleges of Education affiliated thereto for the purposes of admission to the B.Ed. course are totally well encompassed within the statutory sanction. Consequently, it would follow that for the infraction of the guidelines, University is entitled to take action against the college and withdraw the affiliation and refuse registration to the students admitted in contravention thereof. *Kurukshetra University* v. *Rural College of Education (F.B.)*, A.I.R. 1980 Punjab and Haryana 103.

7. ***State Government can run Medical and Engineering Colleges.***—The State Government can run Medical and Engineering Colleges, it cannot be denied the power to admit such qualified students as pass the reasonable tests laid down by it. This is a power which every private owner of a college will have, and the Government which runs its own colleges, cannot be denied that power. *Chitralekha* v. *State of Mysoure*, A.I.R. 1964 S.C. 1823.

8. ***Parties to the petition challenging admission.***—It is necessary that selected candidates as well as the University should be made parties to the writ petition otherwise it would not be maintainable. *Padamraj Samarendra* v. *State*, A.I.R. 1979 Pat. 266 (F.B.).

आरक्षण केवल सीमित सीमा तक ही अनुज्ञेय है। आरक्षण की अधिकतम अनुज्ञेय सीमा पर पहली बार उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के प्रभावी होने के लगभग 12 वर्ष के पश्चात् *एन० आर० बालाजी* बनाम *मैसूर राज्य,* ए० आई० आर० 1963 एस० सी० 649। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सामान्यतौर और व्यापक रूप से, विशेष प्रावधान 50 प्रतिशत से कम होना चाहिए; 50 प्रतिशत से कितना कम होना चाहिए, यह प्रत्येक वाद में सुसंगत विद्यमान परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या 50 प्रतिशत की सीमा आरक्षण की अधिकतम सीमा है अथवा यह कि क्या बालाजी के वाद में 50 प्रतिशत से अधिक के आरक्षण की अनुमति दी गयी थी। उस वाद में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पिछड़े वर्गों के सदस्यों से भरे जाने के लिए किसी शैक्षिक संस्था में सीटों के आधे से अधिक आरक्षण असांवैधानिक है। *एम० आर० बालाजी* बनाम *मैसूर राज्य,* ए० आई० आर० 1963 एस० सी० 649।

5. प्रवेश में आरक्षण का प्रयोजन एवं उद्देश्य—संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्य और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जब संविधान लागू हुआ, तो जनसंख्या का एक भाग सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ था। पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार, शैक्षिक रूप से एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों में पिछड़ेपन के कारण निम्नवत् हैं—

(1) सामाजिक एवं पर्यावरणीय दशाओं या व्यवसाय सम्बन्धी निर्योग्यताओं के कारण शिक्षा हेतु पारम्परिक उदासीनता;

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता और शैक्षिक संस्थाओं की कमी;

(3) दूर-दराज के क्षेत्रों में रहना;

(4) आवासिक छात्रावास सुविधाओं की कमी;

(5) शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी जो लोगों को अपने बच्चों को शिक्षित करने की इच्छा को हतोत्साहित करना है;

(6) पर्याप्त शिक्षा सम्बन्धी सहायता की कमी जैसे कि शिक्षा शुल्क की माफी, स्कालरशिप एवं धन सम्बन्धी अनुदान;

(7) दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था जो विद्यार्थियों को समुचित व्यवसायों और वृत्तियों के लिए प्रशिक्षित नहीं करती है। *एम० आर० बालाजी* बनाम *उ० प्र० राज्य,* ए० आई० आर० 1963 एस० सी० 649।

6. सम्बद्ध महाविद्यालय के विरुद्ध मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अतिलंघन के लिए कार्रवाई—विश्वविद्यालयों द्वारा अपने से सम्बद्ध सभी शिक्षा कालेजों को जारी बी० एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों को वैधानिक स्वीकृति में समाविष्ट किया गया है। पारिणामिक रूप से यह परिणामित होगा कि मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अतिलंघन के लिए, विश्वविद्यालय उस महाविद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई करने एवं सम्बद्धता को वापस लेने तथा उसके उल्लंघन में प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों का पंजीयन करने से इन्कार करने का हक़दार है। *कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय* बनाम *रूरल कालेज आफ एजुकेशन (एफ०बी०),* ए० आई० आर० 1980 पंजाब और हरियाणा 103।

7. राज्य सरकार मेडिकल और इन्जीनियरिंग कालेजों को चला सकती है—राज्य सरकार मेडिकल कालेजों एवं इन्जीनियरिंग कालेजों को चला सकती है, उसे ऐसे अर्हित विद्यार्थियों को प्रवेश देने की शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता जो उसके द्वारा निर्दिष्ट युक्तियुक्त परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हैं। यह ऐसी शक्ति है जिसे प्रत्येक कालेज का निजी स्वामी प्राप्त करेगा और सरकार जो अपने निजी कालेजों को चलाती है, उस शक्ति से वंचित नहीं की जा सकती। *चित्र लेखा* बनाम *मैसूर राज्य,* ए० आई० आर० 1964 एस० सी० 1823।

8. प्रवेश को चुनौती देते हुए याचिका में पक्षकार—यह आवश्यक है कि चयनित अभ्यर्थियों और साथ ही विश्वविद्यालय को रिट याचिका में पक्षकार बनाया जाना चाहिए, अन्यथा वह समर्थनीय नहीं होगा। *पद्मराज समरेन्द्र* बनाम *राज्य,* ए० आई० आर० 1979 पटना 266 (एफ० बी०)।

9. Authority to be estopped in case of breach of ordinance.—Where in a certain case, a student is admitted in violation or breach of an ordinance issued by the University and the ordinance further provided that the University authorities had the power to grant exemption from the operation of any of the ordinances governing the admission of the student, it was held that the admission of the student in such a case was only contrary to the ordinance, and not *ultra vires*, but only an irregular act and as such, the doctrine that there could be estoppel against the statute had no application in the case. *Delhi University* v. *Ashok Kumar*, A.I.R. 1968 Delhi 131; *K.K. Jacob* v. *Madurai University (D.B.)*, A.I.R. 1978 Madras 315.

10. In certain circumstances, students can resort to estoppel.—An admission made contrary to the provisions of this section is illegal, but in certain circumstances, the students can allege that the University is estopped from cancelling the admission of the student was permitted to prosecute his course of study throughout the academic years. If provisional admission made, the authorities are estopped from cancelling the admission after the academic year is over. *Delhi University* v. *Ashok Kumar*, A.I.R. 1968 Delhi 131.

11. Student—Research scholar included.—Any one joining the research classes is as much a student of the University as a student studying in B.A., B.Sc. or B.Com.—Special Appeal No. 193 of 1973, *Vice-Chancellor, University of Allahabad* v. *Jagdish Chandra Dixit*, decided by Division Bench of Allahabad High Court on 27-9-1973.

12. Application of equitable estoppel against University.—Where a student was admitted to M.A. Part I, though the said student was not eligible and he did not secure the minimum prescribed percentage of marks in a B.A. examination, the University had informed the concerned college that the said student's admission be cancelled but since the college did not inform the student and the said stduent regularly attended the class throughout the academic year and was informed only a few days before the examination. It was held that in the circumstances, the principle of equitable estoppel and the University could not refuse her from appearing at the examination. *Miss Sangeeta* v. *Prof. U. N. Singh*, A.I.R. 1980 Delhi 27.

13. Allahabad University Act, 2005—Sections 28 (1), 28 (2), 28 (5), 8 (2), 3 (n) and 7—First Statute of University, Statutes 30 (4) and 30 (5)—Motilal Nehru College (MLNC) and Swaroop Rani Nehru Hospital (SRNH) are University Colleges. In the instant cases, the State Government had raised an issue by way of two applications that Statute 30 (4) be amended by the Executive Council of the University so as to exclude the said MLNC and SRNH as University Colleges. It was held that the power, which is to be exercised by the Executive Council of the University under Section 28 (2) of the Act, is a legislative power. Thus, a direction cannot be issued to be Executive Council to consider about the applications of the State Government to amend the First Statute of the University. The contention of the State Government is regards discrination *vis-a-vis* Kamla Nehru Post Graduate Medical Institute, Allahabad and Harish Chandra Research Institute was not admitted. Besides, the a State Government's this plea was also not accepted that as the MLNC was a constituent College of the University under U.P. State University Act, 1973, therefore, it should continue as such under Section 8 (2) of Act, 2005 also. It is for the legislation to determine whether a particular college will be a University College or not. Since the MLNC and SRNH have been declared University Colleges under Statute 30 (4), therefore the said applications of the State Government were rejected. *Satish Chaturvedi* v. *State of U.P.*, (2007) 1 U.P.L.B.E.C. (Sum) 22 (Alld).

9. प्राधिकारी को अध्यादेश के उल्लंघन की दशा में विबंधित किया जायेगा—जहाँ कतिपय वाद में, किसी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा जारी अध्यादेश के उल्लंघन अथवा भंग में प्रवेश दिया जाता है तथा अध्यादेश में अग्रेतर यह प्रावधान किया गया हो कि विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को विद्यार्थी के प्रवेश को शासित करते हुए अध्यादेशों में से किसी के प्रवर्तन से छूट प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, तो ऐसी दशा में यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे वाद में विद्यार्थी का प्रवेश केवल अध्यादेश के ही विरुद्ध था, न कि उक्त अधिकारातीत था, बल्कि वह केवल अनियमित कृत्य ही था और इस तरह से, यह सिद्धान्त, कि परिनियम के विरुद्ध विबन्ध हो सकता था, वर्तमान वाद में लागू नहीं होता है। *दिल्ली विश्वविद्यालय* बनाम *अशोक कुमार*, ए॰ आई॰ आर॰ 1968 दिल्ली 131; *के॰ के॰ जैकब* बनाम मदुरई *विश्वविद्यालय (डी॰ ओ॰)*, ए॰ आई॰ आर॰ 1978 मद्रास 315।

10. कतिपय परिस्थितियों में विद्यार्थी विबन्ध का अवलम्ब ले सकता है—इस धारा की उपधारा (6) के प्रावधानों के विरुद्ध किया गया प्रवेश अविधिक है, लेकिन कतिपय परिस्थितियों में, विद्यार्थी यह अभिकथन कर सकते हैं कि विश्वविद्यालय को उस प्रवेश को रद्द करने से विबंधित किया जाता है, बशर्ते विद्यार्थी को पूर्ण शैक्षिक वर्ष में अपने अध्ययन के पाठ्यक्रम को अभियोजित करने की अनुमति दी गयी हो। यदि अनन्तिम प्रवेश दिया गया हो, प्राधिकारीगण को शैक्षिक वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् प्रवेश को रद्द करने से विबंधित किया जाता है। *दिल्ली विश्वविद्यालय* बनाम *अशोक कुमार*, ए॰ आई॰ आर॰ 1968 दिल्ली 131।

11. विद्यार्थी-शोध छात्र सम्मिलित—शोध कक्षाओं में प्रवेश लेने वाला कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय का उतना ही विद्यार्थी है जितना कि बी॰ ए॰, बी॰ एस॰ सी॰ अथवा बी॰ काम का विद्यार्थी होता है, 27-9-1973 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा विनिश्चित उपकुलपति, *इलाहाबाद विश्वविद्यालय* बनाम *जगदीश चन्द्र दीक्षित* शीर्षकान्तर्गत वर्ष 1973 की विशेष अपील संख्या 193।

12. साम्यपूर्ण विबन्ध का विश्वविद्यालय के विरुद्ध लागू होना—जहाँ किसी विद्यार्थी को एम॰ ए॰, भाग I में प्रवेश दिया गया था, यद्यपि उक्त विद्यार्थी पात्र नहीं था और उसने बी॰ ए॰ परीक्षा में अंकों के निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत को प्राप्त नहीं किया था, विश्वविद्यालय ने सम्बन्धित महाविद्यालय को यह सूचित किया था कि उक्त विद्यार्थी के प्रवेश को रद्द कर दिया जाये, लेकिन चूंकि महाविद्यालय ने विद्यार्थी को सूचित नहीं किया था तथा उक्त विद्यार्थी नियमित रूप से पूरे शैक्षिक वर्ष कक्षा में उपस्थित होता रहा और परीक्षा के कुछ ही दिन पूर्व सूचित किया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि विद्यमान परिस्थितियों में साम्यपूर्ण विबन्ध का सिद्धान्त लागू हुआ और विश्वविद्यालय उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से इन्कार नहीं कर सकता था। *कु॰ संगीता* बनाम *प्रो॰ यू॰ एन॰ सिंह*, ए॰ आई॰ आर॰ 1980 दिल्ली 27।

13. इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005—धारा 28 (1), 28 (2), 28 (5), 8 (2), 3 (ण) एवं 7—विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम, परिनियम 30 (4) एवं 30 (5)—मोतीलाल नेहरू कालेज (एम॰ एल॰ एन॰ सी॰) एवं स्वरूपरानी नेहरू हास्पिटल (एस॰ आर॰ एन॰ एच॰) विश्वविद्यालय महाविद्यालय है। प्रस्तुत वाद में राज्य सरकार ने दो आवेदनों द्वारा यह विवाद्यक उठाया था कि परिनियम 30 (4) को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् द्वारा संशोधित किया जाए जिससे कि पूर्वोल्लिखित एम॰ एल॰ एन॰ सी॰ तथा एस॰ आर॰ एन॰ एच॰ को विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के रूप में अपवर्जित किया जा सके। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 28 (2) के अधीन विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति विधायी शक्ति है। अतः, कार्यपरिषद् को यह निदेश जारी नहीं किया जा सकता है कि वह विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम को संशोधित करने के लिए राज्य सरकार के अभ्यावेदनों पर विचार करे। कमला नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद और हरिश्चन्द्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के सम्बन्ध में भेदभाव को लेकर राज्य सरकार के तर्क को स्वीकार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य के इस अभिवाक् को भी स्वीकार नहीं किया गया है कि चूंकि एम॰ एल॰ एन॰ सी॰ उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय था, उसे उस रूप में अधिनियम, 2005 की धारा 8 (2) के अधीन बने रहना चाहिए। विधान का यह कर्तव्य है कि वह यह अवधारित करे कि क्या कोई विशिष्ट महाविद्यालय विश्वविद्यालय महाविद्यालय होगा या नहीं। चूंकि धारा 30 (4) के अधीन एम॰ एल॰ एन॰ सी॰ एवं एस॰ आर॰ एन॰ एच॰ को विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के रूप में घोषित किया गया है, इसलिए वे राज्य के ऐसे आवेदन नामंजूर कर दिये गये हैं। *सतीश चतुर्वेदी* बनाम *उ॰ प्र॰ राज्य*, (2007) 1 यू॰ पी॰ एल॰ बी॰ ई॰ सी॰ (सम॰) 22 (इला॰)।

14. U. P. State University Act, 1973, Section 28 (5)—Reservations for girl-students.—In a certain case, where Notifications dated 26-8-1989 and 16-6-2000 were issued by Governor/Chancellor in which preference for branch and institution upto one-third of total seats of girl-candidates was provided, whereas there was no reservations in any other statutory provision for the girls. U.P. State Engineering Admission Test, 2001 was organised. Government Orders dated 17-5-94 and 22-11-95 were also issued in between to the same effect. Does such preference violate Articles 14, 15 (1) and 15 (4) of Constitution of India read with Article 29 (2)? Does such preference amount to indirect reservation? It was held that preference/indirect reservation to girls provided by notification, while no such reservations was under any statute, is *ultra vires. Sandeep Poddar* v. *State of U.P.*, (2001) 3 U.P.L.B.E.C. 1968 (Alld.).

15. U.P. State Universities (Regulation of Admission to Courses of Instructions for Degree in Education in Affiliated, Associated and Constitutent Colleges) Orders, 1987—Government Order dated 9-9-2004.—In a certain case, where a dispute arose regarding the management quota of seats as to who will determine the percentage of management quota of seats—State Government or University to which the institution is affiliated. In such an event, a question arose whether G.O. dated 9-9-2004 is binding on the University and on the institution as well. Whether fixation of management quota seats under G.O. dated 9-9-2004 to the extent of 15% is arbitrary and violative of decision of Supreme Court in *T.M.A. Pai's* case, (2002) 3 U.P.L.B.E.C. 2817 (S.C.). Whether the Committee constituted by the State Government in *Inslamic Academy's* case, (2003) 3 U.P.L.B.E.C. 2424 (S.C.), having not recommended any percentage of management quota seats for the academic year 2003-04, the quota of 50-80% should be applied for the year 2004-05 also. Whether the management is entitled to fill in the management quota seats on the basis of the marks obtained in graduate courses. *Association of Professional Colleges and others* v. *State of Uttar Pradesh and another*, (2005) 1 U.P.L.B.E.C. 554 (Alld.).

29. Examinations Committee.—(1) There shall be an Examinations Committee in the University, the constitution of which shall be as may be provided for in the Ordinances.

(2) Except as provided in sub-section (2) of Section 42, the Committee shall supervise generally all examinations of the University, including moderation and tabulation, and perform the following other functions, namely :

(a) to appoint examiners and moderators and if necessary, to remove them;

(b) to review from time to time the results of University examinations and submission of reports thereon to the Academic Council;

(c) to make recommendations to the Academic Council for the improvement of the examination system;

(d) to scrutinise the list of examiners proposed by the Board of Studies, finalise the same and declare the result of the University.

(3) The Examinations Committee may appoint such number of sub-committee as it thinks fit, and in particular may delegate to any one or more persons or sub-committees the power to deal with and decided cases relating to the use of unfair means by the examines.

14. उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 28 (5)—कन्या-अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण—जहाँ कतिपय वाद में राज्यपाल/कुलपति द्वारा दिनांक 26-8-1989 और 16-6-2000 की अधिसूचनाओं को जारी किया गया था जिसमें कन्या अभ्यर्थियों के कुल स्थानों के एक तिहाई तक की शाखा एवं संस्था को वरीयता का प्रावधान किया गया था जबकि अन्य किसी भी प्रावधान में लड़कियों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया था, उ० प्र० राज्य अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा, 2001 आयोजित की गयी, इसी विषयक इसी बीच दिनांक 17-5-1994 एवं 22-11-1995 के शासनादेश भी जारी किये गये। क्या ऐसा अधिमान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (1) तथा 15 (4) सपठित अनुच्छेद 29 (2) का उल्लंघन करता है। क्या ऐसा अधिमान लड़कियों के लिए अप्रत्यक्ष आरक्षण के समतुल्य है, यह अभिनिर्धारित किया गया कि लड़कियों के लिए अधिमान/अप्रत्यक्ष आरक्षण, जबकि अधिसूचना द्वारा प्रदत्त किसी भी परिनियम के अधीन ऐसा कोई भी आरक्षण अधिकारातीत माना गया। *संदीप पोद्दार बनाम उ० प्र० राज्य,* (2001) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1968 (इला०)।

15. उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय (सम्बद्ध, सहयुक्त और संघटक महाविद्यालयों में शिक्षा में डिग्री हेतु शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रवेश का विनियमन) आदेश, 1987, दिनांक 9-9-2004 का शासनादेश—कतिपय वाद में जहाँ सीटों के सम्बन्ध में प्रबन्धतंत्र के कोटे को लेकर विवाद उठा था कि सीटों के प्रबन्ध-तंत्र के कोटे का प्रतिशत का अवधारण कौन करेगा राज्य सरकार या विश्वविद्यालय जिससे संस्था सम्बद्ध है। ऐसी दशा में यह प्रश्न उठा कि क्या दिनांक 9-9-2004 का शासनादेश विश्वविद्यालय और साथ ही संस्था पर आबद्धकर है। क्या 15 प्रतिशत की सीमा तक दिनांक 9-9-2004 के शासनादेश के अधीन सीटों के सम्बन्ध में प्रबन्धतंत्र के कोटे का निर्धारण *टी० एम० ए० पई,* (2002) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2817 (एस० सी०) के वाद में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का उल्लंघनकारी है। क्या *इस्लामिक एकेडमी,* (2003) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2424 *(एस० सी०)* के वाद में उच्चतम न्यायालय के निदेशों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 2-7-2003 के शासनादेश के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के शैक्षिक वर्ष 2003-04 के लिए प्रबन्धतंत्र के कोटे की सीटों के लिए किसी भी प्रतिशत की सिफारिश न करने के कारण 50 प्रतिशत का कोटा वर्ष 2004-05 के लिए भी लागू होगा। क्या प्रबन्धतंत्र स्नातक पाठ्यक्रमों में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर प्रबन्धतंत्र के कोटे की सीटों को भरने का हकदार है। *एसोसिएशन आफ प्रोफेशनल कालेजेज एवं अन्य* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं एक अन्य,* (2005) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 554 (इला०)।

29. परीक्षा समिति—(1) विश्वविद्यालय में परीक्षा समिति होगी जिसका गठन अध्यादेशों में यथा उपबन्धित किया जायेगा।

(2) धारा 42 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय, समिति अनुशीमन एवं सारिणीकरण समेत विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का सामान्य तौर पर पर्यवेक्षण किया जायेगा और वह निम्नलिखित अन्य कार्यों का संपादन करेगी अर्थात्—

(क) परीक्षकों तथा अनुशीमकों की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अपसारित करना;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों की समय-समय पर समीक्षा करना और उन पर कार्य परिषद् को रिपोर्ट दाखिल करना;

(ग) परीक्षा पद्धति के सुधार के लिए विद्या परिषद् से सिफारिशें करना;

(घ) अध्ययन परिषद् द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना उसे अन्तिम रूप प्रदान करना एवं विश्वविद्यालय के परिणाम को घोषित करना।

(3) परीक्षा समिति उतनी संख्या में उपसमिति की नियुक्ति कर सकेगी जितनी वह उपयुक्त समझे और विशेषकर किसी एक या अधिक व्यक्तियों या उपसमितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग से सम्बन्धित मामलों से संव्यवहार करने और उन्हें विनिश्चित करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

[1][(4) Notwithstanding anything contained in this Act, it shall be lawful for an Examination Committee or, as the case may be, for a sub-committee or any person to whom the Examinations Committee has delegated its power in this behalf under sub-section (3), to debar an examinee from future examinations of the University, if in its or his opinion, such examinee is guilty of using unfair means at any such examinations].

30. Other Authorities.—The constitution, powers and duties of other authorities of the University shall be such as may be prescribed.

CHAPTER VI

APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF TEACHERS AND OFFICERS

31. Appointment of Teachers.—(1) Subject to the provisions of this Act, the teachers of the University and the teachers of an affiliated or associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government [2][* * *]) shall be appointed by the Executive Council or the Management of the affiliated or associated college, as the case may be, on the recommendation of a Seclection Committee in the manner hereinafter provided. [3][The Selection Committee shall meet as often as necessary].

(2) The appointment of every such Teacher, Director and Principal not being an appointment under sub-section (3), shall in the first instance be on probation for one year which may be extended for a period not exceeding one year.

Provided that no order if termination of service during or on the expiry of the period of probation shall be passed—

(a) in the case of a teacher of the University, except by order of the Executive Council made after considering the report of the Vice-Chancellor and (unless the teacher is himself the Head of the Department), the Head of the Department concerned;

(b) in the case of Principal of an affiliated or associated college, except by order of the Management; and

(c) in the case of any other teacher of an affiliated or associated college, except by order of the Management made after considering the report of the Principal and (unless such teacher is the senior-most teacher of the subject), also of the seniormost teacher of the subject :

[4][Provided further that no such order of termination shall be passed except after notice to the teacher concerned giving him an opportunity of explanation in respect of the grounds on which his services are proposed to be terminated :

Provided also that if a notice is given before the expiry of the period of probation or the extended period of probation, as the case may be, the period of

1. Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.
2. The words "or by a local authority" omitted by U.P. Act No. 12 of 1978.
3. Ins. by U.P. Act No. 1 of 1992 (w.e.f. 22-11-1991).
4. Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.

[1][(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, परीक्षा समिति अथवा जैसा विषय हो उपसमिति या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति प्रत्यायोजित की है, के लिए किसी परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, बशर्ते उसकी राय में वह परीक्षार्थी ऐसी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी हो।]

30. अन्य प्राधिकारी—विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां एवं कर्तव्य ऐसे होंगे जिन्हें निर्धारित किया जा सकेगा।

अध्याय 6

अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें

31. अध्यापकों की नियुक्ति—(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के अध्यापकों और सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार द्वारा अपवर्जित रूप से पोषित महाविद्यालय को छोड़कर) के अध्यापकों [2][* * *] सम्बद्ध या जैसा विषय हो, सहयुक्त महाविद्यालय को कार्यपरिषद् या प्रबन्धन-तंत्र द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर ऐसी रीति से की जा सकेगी जिसका प्रावधान किया गया हो [3][चयन समिति, जितनी बार आवश्यक हो, बैठक करेगी]।

(2) ऐसे प्रत्येक अध्यापक, निदेशक एवं प्राचार्य की नियुक्ति, जिसकी नियुक्ति उपधारा (3) के अधीन न हुई हो, प्रथम बार में एक वर्ष की परिवीक्षा पर होगी जिसे एक वर्ष से अनधिक विस्तारित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि सेवा की समाप्ति परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसके समाप्त होने के पश्चात् हुई हो, कोई भी आदेश पारित नहीं किया जायेगा—

(क) विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में, उपकुलपति एवं (जब तक स्वयं अध्यापक विभागाध्यक्ष न हो), सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् कार्य परिषद् के आदेश के सिवाय;

(ख) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की दशा में, प्रबन्धतन्त्र के आदेश के सिवाय;

(ग) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अन्य किसी अध्यापक की दशा में, प्राचार्य की रिपोर्ट और (जब तक वह अध्यापक उस विषय का वरिष्ठतम अध्यापक न हो) और साथ ही उस विषय के वरिष्ठतम अध्यापक की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् प्रबन्धतन्त्र द्वारा किए गए आदेश के सिवाय :

[4][परन्तु अग्रेतर यह कि सेवा समाप्ति का ऐसा कोई भी आदेश, उन आधारों के सम्बन्ध में, जिन पर उसकी सेवाओं का समाप्त किया जाना प्रस्तावित है, उसे जांच का अवसर प्रदान करते हुए सम्बन्धित अध्यापक को नोटिस के सिवाय, अन्य किसी भी प्रकार से पारित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह भी कि यदि परिवीक्षा की अवधि अथवा, जैसा विषय हो, परिवीक्षा की विस्तारित अवधि के समाप्त होने के पूर्व नोटिस दी जाती है, तो परिवीक्षा की अवधि उस समय तक विस्तारित हो जायेगी

---

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. शब्दावली ''अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा'' का 1978 के उ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा लोपित।
3. 1992 के उ० प्र० अधिनियम 1 द्वारा अन्तःस्थापित (22-11-1991 से प्रभावी)।
4. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

probation shall stand extended until the final order of the Executive Council under Clause (a) of the first proviso or, as the case may be, until the approval of the Vice-Chancellor under Section 35 is communicated to the teacher concerned].

(3) (a) In the case of teacher of the University other than a Professor, the Vice-Chancellor in consultation with the Dean of the Faculty and the Head of the Department concerned and an expert nominated by the Chancellor in that behalf and in the case of a teacher of an affiliated or associated college, the Management in consultation with an expert nominated by the Vice-Chancellor in that behalf may make officiating appointment in a vacancy caused by the grant of leave to an incumbent for a period not exceeding ten months without reference to the Selection Committee, but shall not fill any other vacancy or post likely to last for more than six months without such reference.

[1][(b) Where before or after the commencement of this Act, any teacher is appointed (after reference to a Selection Committee) to a temporary post likely to last for more than six months, and such post is subsequently converted into a permanent post or to a permanent post in a vacancy caused by the grant of leave to an incumbent for a period exceeding ten months and such post subsequently becomes permanently vacant or any post of same cadre and grade is newly created or falls vacant in the same department, then unless the Executive Council or the Management, as the case may be, decides to terminate his services after giving an opportunity to show cause, it may appoint such teacher in a substantive capacity to that post without reference to a Selection Committee.

Provided that this clause shall not apply unless the teacher concerned holds the prescribed qualifications for the post at the time of such substantive appointment, and he has served continuously, for a period of not less than one year after his appointment made after reference to a Selection Committee :

Provided further that appointment in a substantive capacity under this clause of a teacher who had served, before such appointment, continuously for a period of less than two years, shall be on probation for one year which may be extended for a period not exceeding one year, and the provisions of sub-section (2) shall apply accordingly].

[2][(c) Any teacher of the University who was appointed as Lecturer/part time Lecturer on or before December 31, 1997 without reference to the Selection Committee by way of a short term or part time arrangement in accordance with the provisions for the time being in force for such appointment, may be given substantive appointment by the Executive Council, if any substantive vacancy of the same cadre and grade in the same department is available if such teacher—

(i) is serving as such on December 31, 1997 continuously since such initial appointment by way of short term/part time arrnagement;

1. Subs. by U.P. Act No. 5 of 1977.
2. Subs. by U.P. Act No. 23 of 2004 (w.e.f. 20-5-2004).

जब तक कि प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन कार्यपरिषद् का अन्तिम आदेश अथवा, जैसा विषय हो, जब तक धारा 35 के अधीन उपकुलपति का अनुमोदन सम्बन्धित अध्यापक को संसूचित न कर दिया जाये।]

(3) (क) प्रोफेसर को छोड़कर विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में, संकाय के डीन तथा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष और उस निमित्त कुलपति द्वारा नामोदिष्ट विशेष के साथ परामर्श करके एवं सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की दशा में, उस निमित्त उपकुलपति द्वारा नामोदिष्ट विशेष के साथ परामर्श करते प्रबन्धतन्त्र चयन समिति के निर्देश के बिना दस माह से अनधिक की अवधि के लिए पदधारी को अनुमति प्रदान करके कारित रिक्ति में स्थानापन्न नियुक्ति कर सकेगा, लेकिन वह अन्य किसी ऐसी रिक्ति या पद को नहीं भरेगा जिसका उस निर्देश के बिना छः माह से अधिक चलना संभाव्य हो।

[1][(ख) जहाँ, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात्, कोई अध्यापक किसी ऐसे अस्थायी पद (चयन समिति को निर्देश के पश्चात्) नियुक्ति किया जाता है जिसका छः माह से अनधिक चलना सम्भाव्य है और उस पद को बाद में स्थायी पद में संपरिवर्तित कर दिया जाता है अथवा दस माह से अधिक की अवधि के लिए पदधारी को अनुमति प्रदान करके कारित रिक्ति में स्थायी पद के लिए नियुक्त किया जाता है और वह पद बाद में स्थायी रूप से रिक्त हो जाता है अथवा किसी कॉडर एवं ग्रेड के पद को नवसृजित किया जाता है अथवा उसी विभाग में रिक्त हो जाता है तो जब तक कार्यपरिषद् अथवा, जैसा विषय हो, प्रबन्धतन्त्र कारण बताओ का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसकी सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय न ले, तब तक वह, चयन समिति के निर्देश के बिना, उस पद के लिए अधिष्ठायी रूप में उस अध्यापक की नियुक्ति कर सकेगा :

परन्तु यह कि यह खण्ड उस समय लागू नहीं होगा जब तक कि सम्बन्धित अध्यापक उस मूल नियुक्ति के समय पद के लिए निर्धारित अर्हता को धारित न करता हो और उसने चयन समिति को निर्देश के पश्चात् की गयी नियुक्ति के पश्चात् कम से कम एक वर्ष की अवधि तक लगातार सेवा की है :

परन्तु अग्रेतर यह कि उस नियुक्ति के पूर्व, अध्यापक जिसने लगातार कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की थी, की इस खण्ड के अधीन अधिष्ठायी रूप में नियुक्ति एक वर्ष की परिवीक्षा पर होगी जो एक वर्ष से अनधिक की अवधि तक विस्तारित की जा सकेगी और उपधारा (2) के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।]

[2][(ग) विश्वविद्यालय का कोई भी अध्यापक, जिसे उस नियुक्ति के लिए तत्समय प्रवृत्ति प्रावधानों के अनुसार अल्पकालिक या अंशकालिक प्रबन्ध के माध्यम से चयन समिति को निर्देश के बिना 31 दिसम्बर, 1997 को या उसके आस-पास प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, कार्यपरिषद् द्वारा मूल नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी, बशर्ते उसी विभाग में उसी कॉडर एवं ग्रेड में कोई मूल नियुक्ति उपलब्ध हो, यदि वह अध्यापक—

(i) 31 दिसम्बर, 1997 को उस रूप में लगातार उस प्रारम्भिक नियुक्ति के समय से अल्पकालिक/अंशकालिक प्रबन्ध के रूप में सेवा करता आ रहा है;

---

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 2004 के उ० प्र० अधिनियम 23 द्वारा खण्ड (ग) को प्रतिस्थापित (20-5-2004 से प्रभावी)।

[1][(ii) possesse the qualifications required for regular appointment to the post under the provisions of the relevant Statutes in froce on the date of the initial appointment;]

(iii) has been found suitable for regular appointment by the Executive Council.

A teacher appointed by way of short term/part time arrangement as aforesaid who does not get a substantive appointment under this clause shall cease to hold such post on such date as the Executive Council may specify].

(4) (a) The Selection Committee for the appointment of a teacher of the University (other than the Director of an Institute and the Principal of a constituent college), shall consist of—

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman thereof;

(ii) the Head of the Department concerned :

Provided that the Head of the Department shall not sit in the Selection Committee, when he is himself a candidate for appointment or when the post concenred is of a higher rank than his substantive post and in that event his office shall be filled by the Professor in the Department and if there is no Professor by the Dean of the Faculty :

[2][Provided further that where the Chancellor is satisfied that in the special circumstances of the case, a Selection Committee cannot be constituted in accordance with the preceding proviso, he may direct the constitution of the Selection Committee in such manner as he thinks fit.];

(iii) in the case of a Professor or Reader, three experts, and in any other case, two experts be nominated by the Chancellor;

(iv) in the case of appointment of teachers in a department of a constituent medical college upgraded under any scheme sanctioned by the Central Government, one nominee each of the Central Government and the State Government;

(v) in the case of appointment of teachers of an Institute or constituent college, the Director of the Institute or the Prinicipal of the constituent college, as the case may be.

(b) The Selection Committee for the appointment of the Director of an Institute or the Principal of a constituent college shall consist of—

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman thereof;

(ii) two experts to be nominated by the Chancellor.

(c) The Selection Committee for the appointment of the Principal of an affiliated or an associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government [3][* * *] shall consist of—

(i) the Head of the Management, or a member of the Management nominated by him who shall be the Chairman;

---

1. Subs. by U.P. Act No. 23 of 2004 (w.e.f. 20-5-2004).
2. Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.
3. Words "or by a local authority" omitted by U.P. Act No. 12 of 1978.

[1][(ii) प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख पर प्रवृत्त सुसंगत परिनियमों के प्रावधानों के अधीन पद पर नियमित नियुक्ति हेतु अपेक्षित अर्हताओं को रखता था;

(iii) कार्यपरिषद् द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाया गया हो,

यथा पूर्वोल्लिखित अल्पकालिक/अंशकालिक नियुक्ति के माध्यम से नियुक्त अध्यापक, जो इस खण्ड के अधीन मूल नियुक्ति को प्राप्त नहीं करता है, उस तारीख पर उस पद को धारित करना बन्द कर देगा जिसे कार्यपरिषद् विनिर्दिष्ट कर सकेगी]।

(4) (क) विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति के लिए चयन समिति (संहिता के निदेशक और संघटक महाविद्यालय के प्राचार्य को छोड़कर) निम्न को अन्तर्विष्ट करेगी—

(i) कुलपति, जो उसका चेयरमैन होगा;

(ii) सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष :

परन्तु यह कि विभागाध्यक्ष चयन समिति में उस समय बैठक नहीं करेगा जब वह नियुक्ति के लिए स्वयं अभ्यर्थी हो अथवा जब सम्बन्धित पद उसके अधिष्ठायी पद से उच्चतर पंक्ति का हो और उस दशा में उस पद को विभाग में प्रोफेसर द्वारा भरा जायेगा और यदि कोई प्रोफेसर न हो तो संकाय के डीन द्वारा भरा जायेगा :

[2][परन्तु अग्रेतर यह कि जहां कुलपति का इस विषयक समाधान हो गया हो कि वाद की विशेष परिस्थितियों में, चयन समिति को पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार गठित नहीं किया जा सकता है, तो वहां वह चयन समिति के ऐसी रीति से गठन का निदेश कर सकेगा जैसा वह उपयुक्त समझे];

(iii) प्रोफेसर या रीडर की दशा में, तीन विशेषज्ञ और अन्य किसी भी दशा में, विशेषज्ञों को कुलपति द्वारा नामोदिष्ट किया जाये;

(iv) केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किसी भी योजना के अधीन उन्नत किए गए संघटक मेडिकल कालेज के विभाग में अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से प्रत्येक का एक नाम निर्देशिती;

(v) संस्था अथवा संघटक महाविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में संस्था का निदेशक अथवा, जैसा विषय हो, संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य।

(ख) संस्था के निदेशक या संघटक महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगे—

(i) उपकुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ii) दो विशेषज्ञों को कुलपति द्वारा नामोदिष्ट किया जायेगा।

(ग) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए चयन समिति राज्य सरकार द्वारा पोषित महाविद्यालय को छोड़कर [3][* * *] में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगे—

(i) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामोदिष्ट प्रबन्ध समिति का सदस्य, जो अध्यक्ष होगा;

---

1. 2004 के उ० प्र० अधिनियम 23 द्वारा उपखण्ड (ii) को प्रतिस्थापित (7-6-2004 से प्रभावी)।
2. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. पदावली "अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा" का 1978 के उ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा लोपित।

[1][(ii) one of the Deans or Professors of those Faculties which comprise subjects taught in the college, to be nominated by the Vice-Chancellor];

(iii) one member of the Management nominated by the Management; and

(iv) two experts to be nominated by the Vice-Chancellor.

Provided that in the case of appointment of the Principal of an affiliated college, the Dean of Faculty shall not sit in the Selection Committee, if he is himself a teacher of that college :

Provided further that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in Clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, the experts shall be nominated by the Management from out of a panel of five experts by the Management suggested and approved by the Vice-Chancellor.

[2][Provided also that in the case of colleges referred to in the preceding proviso, the Dean or Professor who shall be the member of the Selection Committee under sub-clause (ii) shall also be nominated by the Management from out of a panel of five Deans or Professors suggested by the Management and approved by the Vice-Chancellor, and if the requisite number of such Deans or Professors is not so available, the panel may include the names of Principals of affiliated or associated colleges].

(d) The Selection Committee for the appointment of other teachers of an affiliated or associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government [3][* * *] shall consist of—

(i) the Head of the Management or a member of the Management nominated by him who shall be the Chairman;

(ii) the Principal of the college and another teacher of the college nominated by the Principal;

(iii) two experts to be nominated by the Vice-Chancellor :

[4][Provided that in the case of a college where there is no Principal or other teacher available for being a member of the Selection Committee under sub-clause (ii), the remaining members referred to in this clause shall constitute such Selection Committee] :

Provided further that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in Clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, the experts shall be nominated by the Management from out of a panel of five experts suggested by the Management and approved by the Vice-Chancellor.

(5) (a) A panel of six or more experts in each subject of study shall be drawn up by the Chancellor after consulting the corresponding Faculty in Indian Universities or such academic bodies or research institutions in or outside Uttar Pradesh as the Chancellor may consider necessary. Every expert to be nominated by the Chancellor under sub-section (4) shall be a person whose name is borne on such panel.

---

1. Ins. by U.P. Act No. 12 of 1978.
2. Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.
3. Words "or by a local authority" omitted by U.P. Act No. 12 of 1978.
4. Ins. by U.P. Act No. 29 of 1974 and shall be deemed always to have been inserted.

[1][(ii) उन संकायों के डीनों अथवा प्रोफेसरों में से एक जो महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयों को समाविष्ट करते हैं, जिसे उपकुलपति द्वारा नामोदिष्ट किया जायेगा];

(iii) प्रबन्ध समिति द्वारा नामोदिष्ट प्रबन्ध समिति का एक सदस्य; और उपकुलपति द्वारा नामोदिष्ट किए जाने वाले दो सदस्य;

(iv) उपकुलपति द्वारा मनोनीत किये जाने वाले दो विशेषज्ञ :

परन्तु यह कि सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य की दशा में, संकाय का डीन चयन समिति में पीठासीन नहीं होगा बशर्ते वह उस महाविद्यालय का अध्यापक हो :

परन्तु अग्रेतर यह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में विशेषज्ञ को प्रबन्ध समिति द्वारा उपकुलपति द्वारा सुझाव दिये गये एवं अनुमोदित प्रबन्ध समिति द्वारा पांच विशेषज्ञों के पैनल से नामोदिष्ट किया जायेगा।

[2][परन्तु यह भी कि पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट महाविद्यालययों की दशा में, डीन या प्रोफेसर, जो उपखण्ड (iv) के अधीन चयन समिति के सदस्य होंगे, को भी प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाये गये एवं उपकुलपति द्वारा अनुमोदित पांच डीनों या प्रोफेसरों के पैनल से नामोदिष्ट किया जायेगा और यदि ऐसे डीनों या प्रोफेसरों की अपेक्षित संख्या इस प्रकार उपलब्ध नहीं है, तो पैनल में सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों के नाम सम्मिलित हो सकेंगे।]

(घ) सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा अपवर्जी रूप से पोषित महाविद्यालय को छोड़कर [3][* * *] के अन्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्न अन्तर्विष्ट होंगे—

(i) प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामोदिष्ट प्रबन्ध समिति का सदस्य, जो अध्यक्ष होगा;

(ii) महाविद्यालय का प्राचार्य और उस प्राचार्य द्वारा नामोदिष्ट महाविद्यालय का कोई अन्य अध्यापक;

(iii) उपकुलपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले दो विशेषज्ञ :

[4][परन्तु यह कि किसी ऐसे महाविद्यालय की दशा में, जहाँ उपखण्ड (ii) के अधीन चयन समिति का सदस्य बनने के लिए कोई प्राचार्य अथवा अन्य अध्यापक उपलब्ध नहीं है, तो इस खण्ड में निर्दिष्ट शेष सदस्यों से उन चयन समितियों का गठन होगा :]

परन्तु अग्रेतर यह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में विशेषज्ञों को प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाये गये एवं उपकुलपति द्वारा अनुमोदित पांच विशेषज्ञों के पैनल में से नामोदिष्ट किया जायेगा।

(5) (क) अध्ययन के प्रत्येक विषय में छः या अधिक विशेषज्ञों के पैनल को कुलपति द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों में तत्समानी संकाय अथवा ऐसे शैक्षिक निकायों अथवा उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर शोध संस्थाओं से परामर्श करने के पश्चात् तैयार किया जायेगा जिन्हें कुलपति आवश्यक समझे। उपधारा (4) के अधीन कुलपति द्वारा नामोदिष्ट किये जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वह व्यक्ति होगा जिसका नाम उस पैनल पर अंकित हो।

---

1. 1978 के उ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा परन्तुक को अन्तःस्थापित।
3. पदावली "अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा" का 1978 के उ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा लोपित।
4. 1974 के उ० प्र० अधिनियम 29 द्वारा अन्तःस्थापित और उसका सदैव अन्तःस्थापित किया जाना समझा जायेगा।

of the Executive Council, the Chancellor may require the Executive Council to take a decision within such time as the Chancellor may, from time to time, allow and may direct the Vice-Chancellor to call a meeting of the Executive Council for that purpose :

Provided that—

(i) if the Executive Council does not agree with the recommendations made by the Selection Committee, the Executive Council shall refer the matter to the Chancellor alongwith the reasons of such disagreement and his decision shall be final;

(ii) if the Executive Council does not take a decision within the time allowed by the Chancellor, the Chancellor shall decide the matter and his decision shall be final].

(b) In the case of appointment of a teacher of an affiliated or associated college, if the Management does not agree with the recommendation made by the Selection Committee, the Management shall refer the matter to the Vice-Chancellor along with the reasons of such disagreement, and his decision shall be final :

Provided that in the case of appointment of a teacher of an affiliated or associated college, established and administered by a minority referred to in Clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, if the Management does not agree with the recommendation made by a Selection Committee, the Management shall have the right to appoint another Selection Committee and the decision of that Committee shall be final.

(9) The disqualification of members of Selection Committee for appointment of teachers of the University and the Principals and other teachers of such affiliated or associated colleges on the ground of interest for participating in the deliberations of such Committees and other matters relating to appointment of such Principals and teachers shall be prescribed by the Statutes.

(10) No selection for any appointment under this section shall be made except after advertisement of the vacancy in at least three issues of two newspapaers having adequate circulation in Uttar Pradesh.

[1][(11) (a) No teacher recommended by the Selection Committee shall be appointed by the Management of an affiliated or associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government) unless prior approval of the Vice-Chancellor has been obtained.

(b) The Management shall, as soon as possible, after the meeting of the Selection Committee, submit the recommendations of the Committee, alongwith other relevant documents to the Vice-Chancellor for approval.

(c) The Vice-Chancellor, if he is satisfied that the candidate recommended by the Selection Committee does not possess the minimum qualifications or experience prescribed, or that the procedure laid down in the Act for the selection of the teacher has not been followed, shall convey to the Management his disapproval :

---

1. Subs. by U.P. Act No. 5 of 1977.

निर्णय लेने की अपेक्षा कर सकेगा जिसे कुलपति समय-समय पर अनुज्ञात करे और वह उपकुलपति को उस प्रयोजनार्थ कार्यपरिषद् की बैठक आहूत करने के लिए निदेशित कर सकेगा :

परन्तु यह कि—

(i) यदि कार्यपरिषद् चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से सहमत नहीं है, तो कार्यपरिषद् मामले को उस असहमति के कारणों के साथ कुलपति के समक्ष निर्दिष्ट करेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा;

(ii) यदि कार्यपरिषद् कुलपति द्वारा अनुज्ञात किये गये समय के भीतर निर्णय नहीं लेती है, तो कुलपति मामले का निर्णय करेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।]

(ख) सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि प्रबन्ध समिति चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत नहीं होता है, तो प्रबन्ध समिति उस असहमति के कारणों के साथ उपकुलपति के समक्ष मामले को निर्दिष्ट करेगा, और उसका निर्णय अन्तिम होगा :

परन्तु यह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि प्रबन्ध समिति चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत नहीं होता है, तो प्रबन्ध समिति को एक अन्य चयन समिति की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त होगा और उस समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(9) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और ऐसे सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा अन्य अध्यापकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति के सदस्यों की, समितियों के विचार-विमर्श में भाग लेने में हित के आधार पर अनर्हता एवं ऐसे प्राचार्यों और अध्यापकों की नियुक्ति से सम्बन्धित अन्य विषय परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(10) इस धारा के अधीन की गयी नियुक्ति के लिए, कोई भी चयन उत्तर प्रदेश में पर्याप्त प्रसार वाले दो समाचार-पत्रों के कम से कम तीन अंकों में, उस रिक्ति का विज्ञापन दिये बिना अन्य किसी भी प्रकार से नहीं किया जायेगा।

[1][(11) (क) चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये किसी भी अध्यापक की नियुक्ति सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार द्वारा अपवर्जी रूप से पोषित महाविद्यालय को छोड़कर) के प्रबन्ध समिति द्वारा नहीं की जायेगी जब तक कि उपकुलपति के पूर्वानुमोदन को प्राप्त न कर लिया गया हो।

(ख) यथा संभव शीघ्र प्रबन्ध समिति चयन समिति की बैठक के पश्चात्, समिति का सिफारिशों को अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ उपकुलपति के समक्ष अनुमोदन के लिए दाखिल करेगा।

(ग) उपकुलपति, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थी के पास न्यूनतम अर्हताएँ अथवा विहित अनुभव नहीं है, अथवा यह कि उस अध्यापक के चयन के लिए अधिनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, तो अपने अननुमोदन के बारे में प्रबन्ध समिति को बतायेगा :

---

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

Provided that if the Vice-Chancellor does not convey his disapproval within a period of one month from the date of receipt of the documents referred to in Clause (b), or does not send to the Management any intimation in connection therewith, he shall be deemed to have approved the proposal.

(12) Notwithstanding anything contained in this section, the Executive Council, with the prior approval of the Chancellor, or the Management with the prior approval of the Vice-Chancellor, may appoint on deputation on the post of a teacher any Government servant who possesses the qualifications prescribed for the post].

(13) [1][* * *]

SYNOPSIS

1. Inter-se seniority amongst the lecturers of one Department of the College—Gorakhpur University's First Statute—In Statute No. 18.11
2. Appointment.
3. Appointment—Section 31 (3) (c)—First Statute of Gorakhpur University, 1977, Statute 10.2—Substantive post of lecturer in Sanskrit.

1. ***Inter-se seniority amongst the lecturers of one Department of the College—Gorakhpur University's First Statute—In Statute No. 18.11***—Procedure has been provided for determining seniority of lecturers in service. In Statute 18.13, procedure has been prescribed for determining seniority before the appointment on the basis of merit list prepared by Selection Committee. Such merit list is not available on record. On the representation made by a lecturer, the Vice-Chancellor determined seniority on the basis of alleged merit list without giving any opportunity of hearing to the petitioner. Seniority was determined by the Committee of Management on the basis of age under Statute 18.11. In such on event, it was held that the order of the Vice-Chancellor was violation of the principles of natural justice. *Smt. Usha Singh* v. *The Vice-Chnacellor, Gorakhpur University and others*, (2000) 1 U.P.L.B.E.C. (Sum) 56 (All.).

2. ***Appointment.***—Where in a certain case, resolution of Executive Council for appointment of the petitioner on the post of "Puran-Itihas" was evidently illegal. Therefore, it was refused by the Chancellor. Since the resolution of the appointment was clearly found illegal. Hence, there is no need of interference. In such on event, this question arose as to whether the post was regular or it was temporarily irregular. It was held that the appointment of the petitioner was evidently illegal. This fact has no importance, that the post, on which the appointment was made, was irregular. It is common knowledge that persons appointed on temporary posts, continue to work for years together and they often obtain the age of superannuation from that very post. The Chancellor having found the resolution of the Executive Council for making appointment of the petitioner to be manifestly illegal, it is not possible for this Court to quash the same. *Dr. Umapati Upadhyaya* v. *Chancellor, Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya and others*, (2002) 2 U.P.L.B.E.C. 1311 (All.).

3. ***Appointment—Section 31 (3) (c)—First Statute of Gorakhpur University, 1977, Statute 10.2—Substantive post of lecturer in Sanskrit.***—In a certain case, a claim of appointment was made by Junior Research Fellow in terms of Section 31 (3) (c) of the University Act, in such an event, it was held that the petitioner was not entitled because the Executive Council of the University has considered the candidature of only Research

1. Omitted by U.P. Act No. 10 of 1983 (w.e.f. 18-7-1981).

परन्तु यह कि यदि उपकुलपति खण्ड (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के प्राप्त होने की तारीख से एक माह
की अवधि के भीतर अपने अनुमोदन के बारे में सूचना नहीं देता है अथवा वह प्रबन्ध समिति को उसके
सम्बन्ध में कोई सूचना प्रेषित नहीं करता है, तो उसका उस प्रस्ताव का अनुमोदन करना माना जायेगा।

(12) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, कार्यपरिषद्, कुलपति के पूर्वानुमोदन से,
अथवा प्रबन्ध समिति, उपकुलपति के पूर्वानुमोदन से अध्यापक के किसी भी पद पर ऐसे किसी सरकारी
सेवक की प्रतिनियुक्ति कर सकेगा जिसके पास उस पद के लिए विहित अर्हताएँ हों।]

(13) [1][* * *]

टिप्पणियाँ

1. महाविद्यालय के एक विभाग के प्रवक्ताओं के मध्य परस्पर वरिष्ठता—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 31—गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम—परिनियम संख्या 18.11
2. नियुक्ति
3. नियुक्ति—गोरखपुर विश्वविद्यालय का 1977 का प्रथम परिनियम, परिनियम 10.02—संस्कृत में प्रवक्ता की मूल नियुक्ति

1. महाविद्यालय के एक विभाग के प्रवक्ताओं के मध्य परस्पर वरिष्ठता—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय
अधिनियम, 1973—धारा 31—गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम—परिनियम संख्या 18.11—
परिनियम 18.11 में सेवा में प्रवक्ताओं की वरिष्ठता का अवधारण करने की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया
है। परिनियम 18.13 में चयन समिति द्वारा तैयार की गयी मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति के पूर्व वरिष्ठता
का अवधारण करने की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है। ऐसी मेरिट सूची अभिलेख में उपलब्ध नहीं है।
एक प्रवक्ता के अभ्यावेदन पर उपकुलपति ने याची को सुनने का कोई भी अवसर प्रदान किए बिना
अभिकथित मेरिट सूची के आधार पर वरिष्ठता का अवधारण किया था। परिनियम 18.11 के अधीन आयु के
आधार पर प्रबन्ध समिति द्वारा वरिष्ठता का अवधारण किया गया। ऐसी दशा में यह अभिनिर्धारित किया गया
कि उपकुलपति का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघनकारी था। *श्रीमती उषा सिंह* बनाम
उपकुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य, (2000) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० (सम०) 56
(इला०)।

2. नियुक्ति—जहां कतिपय वाद में "पूरन इतिहास" में प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति के लिए कार्यपरिषद्
का संकल्प प्रत्यक्षतः अविधिक था। इसलिए कुलपति द्वारा उसे नामंजूर कर दिया गया। चूंकि नियुक्ति के
संकल्प को कुलपति द्वारा प्रत्यक्षतः अविधिक पाया गया था, इसलिए हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं
थी। ऐसी दशा में यह प्रश्न उठा कि क्या पद नियमित था अथवा अस्थायी रूप से अनियमित। न्यायालय द्वारा
यह अभिनिर्धारित किया गया कि याची की नियुक्ति प्रत्यक्ष अविधिक है और यह तथ्य कि वह पद जिस पर
नियुक्ति की गयी है, अस्थायी पद है, इसका कोई महत्व नहीं हो सकता है। यह सामान्य जानकारी की बात
है कि अस्थायी पदों पर नियुक्त व्यक्ति अनेक वर्षों तक कार्य करते रहते हैं और अकसर वे उस पद से
अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करते हैं। कुलपति के यह पाये जाने पर कि याची की नियुक्ति करते हुए
कार्यपरिषद् का संकल्प प्रत्यक्ष रूप से अविधिक था, इसलिए इस न्यायालय के लिए उसे अभिखण्डित
करना संभव नहीं है। *डॉ० उमापति उपाध्याय* बनाम *कुलपति सम्पूर्णानन्द संस्कृत विस्वविद्यालय एवं अन्य,*
(2002) यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1311 (इला०)।

3. नियुक्ति—गोरखपुर विश्वविद्यालय का 1977 का प्रथम परिनियम, परिनियम 10.02—संस्कृत में
प्रवक्ता की मूल नियुक्ति—जहां कतिपय वाद में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 31 (3) (ग) के
निबन्धनों के अनुसार जूनियर रिसर्च फेलोशिप से नियुक्ति का दावा किया गया था तो न्यायालय द्वारा यह
अभिनिर्धारित किया गया कि याची हकदार नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् ने नियुक्ति के

---

1. 1983 के उ० प्र० अधिनियम 10 द्वारा उपधारा (13) का लोपित (18-7-1981 से प्रभावी)।

Fellows and Research Assistants and not that of Junior Research Fellow for the purpose of appointment. Representation of the petitioner was directed to be decided by the authority concerned by a reasoned and speaking order after giving opportunity of hearing to the petitioner. *Dr. Rajesh Kumar Mishra v. State of U.P. and others,* (2007) 1 U.P.L.B.E.C. (Sum) 12 (All.).

[1][31-A. **Personal promotion to Teachers of University**—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act [2][a Lecturer in the University appointed under Section 31, or a Reader in the University appointed under Section 31 or promoted under this Section], who has put in such length of service and possesses such qualifications, as may be prescribed, may be given personal promotion, respectively to the post of Reader or Professor].

(2) Such personal promotion shall be given on the recommendation of the Selection Committee, constituted under Clause (a) of sub-section (4) of Section 31, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

(3) Nothing contained in this section shall affect the posts of the teachers of the University to be filled by direct appointment in accordance with the provisions of Section 31].

[3][31-AA. **Promotion to the post of Associate Professor and Professor.**—(1) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, an Assistant Professor substantively appointed in the Faculty of Medicine or Dental Sciences of the University of Lucknow or an Associate Professor, substantively appointed, or promoted under this section, in the said Faculties of the said University, who has put in such length of service and possesses such qualifications as may be prescribed, may be given personnel promotion respectively to the post of Associate Professor or Professor].

(2) The promotion under sub-section (1) shall be given on the recommendation of the Selection Committee, constituted under Clause (a) of sub-section (4) of Section 31, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

Explanation.—With regard to the Faculty of Medicine or Dental Sciences of the University of Lucknow, the word "Reader" referred to in clause (a) of sub-section (4) of Section 31 shall be construed as "Associate Professor".]

[4][(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2) or in any other provisions of this Act, every person who was promoted to the post of Associate Professor or Professor in a Faculty referred to in sub-section (1) in accordance with the Order No. 842/15-10-97-11(7)/96, dated April 11, 1997 issued by the State Government and is continuing in service as such on the date of the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Third Amendment) Act, 1999 shall be deemed to have been promoted to such post under sub-section (1) from the date of such promotion.

1. Ins. by U.P. Act No. 9 of 1985 (w.e.f. 10-10-1984).
2. Subs. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).
3. Ins. by U.P. Act No. 9 of 1998 (w.e.f. 19-9-1997).
4. Ins. by U.P. Act No. 21 of 1999.

प्रयोजनों के लिए केवल रिसर्च फेलो एवं रिसर्च असिस्टेण्टों की अभ्यर्थना पर ही विचार किया था न कि जूनियर रिसर्च फेलो की अभ्यर्थना पर। याची के अभ्यावेदन पर सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा याची को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणयुक्त आदेश से विनिश्चित किया जाना निर्देशित किया गया। *डॉ० राजेश कुमार मिश्रा* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं अन्य,* (2007) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० (सम०) 12 (इला०)।

[1][**31-क. विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए निजी प्रोन्नति**—(1) इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान में अन्तर्विष्ट प्रतिकूल किसी भी बात के होते हुए, [2][धारा 31 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय में प्रवक्ता, अथवा धारा 31 के अधीन नियुक्त अथवा इस धारा के अधीन प्रोन्नत विश्वविद्यालय में रीडर], जिसने सेवा की इतनी लम्बी अवधि पूरी की है और जिसके पास ऐसी अर्हताएं हैं, जिसे विहित किया जाये, को क्रमश: रीडर अथवा प्रोफेसर के पद पर निजी प्रोन्नति प्रदान की जायेगी।]

(2) ऐसी निजी प्रोन्नति धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जायेगी जिन्हें विहित किया जाये।

(3) इस धारा में कही गयी कोई भी बात धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले विश्वविद्यालय के अध्यापकों के पदों को प्रभावित नहीं करेगी।]

[3][**31-कक. सहयुक्त प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति**—(1) इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, लखनऊ विश्वविद्यालय के औषधि अथवा दन्त विज्ञानों के संकाय में मूलरूप से नियुक्त सहायक प्रोफेसर अथवा उक्त विश्वविद्यालय के उक्त संकायों में इस धारा के अधीन मूलरूप से नियुक्त, अथवा प्रोन्नत सहयुक्त प्रोफेसर, जिसने इतनी लम्बी की अवधि तक सेवा प्रदान की है और जो ऐसी अर्हताओं को रखता है जिन्हें विहित किया जाये, को सहयुक्त प्रोफेसर या प्रोफेसर के पद पर क्रमश: निजी प्रोन्नति प्रदान की जा सकेगी।]

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रोन्नति धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जायेगी जिन्हें विहित किया जाये।

स्पष्टीकरण—लखनऊ विश्वविद्यालय के औषधि अथवा दन्त विज्ञानों के संकाय के सम्बन्ध में धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट शब्द "रीडर" का "सहयुक्त प्रोफेसर" के रूप में अर्थान्वयन किया जायेगा।]

[4][(3) उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) में अथवा इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, प्रत्येक व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 11 अप्रैल, 1997 के आदेश सं० 841/15-10-97-11(7)/96 के अनुसार उपधारा (1) में निर्दिष्ट सहयुक्त प्रोफेसर या प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नत किया गया था और वह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ होने की तारीख पर उस रूप में सेवा में बना हुआ है, का उस प्रोन्नति की तारीख से उपधारा (1) के अधीन उस पद पर प्रोन्नत किया जाना समझा जायेगा।]

---

1. 1985 के उ० प्र० अधिनियम 9 द्वारा अन्त:स्थापित लोपित (10-10-1984 से प्रभावी)।
2. 1996 के राष्ट्रपति के अधिनियम 4 द्वारा प्रतिस्थापित (11-7-1995 से प्रभावी)।
3. 1998 के उ० प्र० अधिनियम 9 द्वारा अन्त:स्थापित (19-9-1997 से प्रभावी)।
4. 1999 के उ० प्र० अधिनियम 21 द्वारा अन्त:स्थापित।

[1][31-B. **Special provision with regard to appointment.**—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act or in the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980, appointment to the post of principal or teacher of the Motilal Nehru Regional Engineering College, Allahabad shall be made in accordance with the rules and bye-laws of the Motilal Nehru Regional Engineering College Society, Allahbad.

(2) All appointments made before the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1998 in accordance with the provisions of sub-section (1) shall be deemed to have been made under the said sub-section as if the provisions of the said sub-section were in force at all material times].

32. Contract of appointment of teachers of the University.—(1) Except as otherwise provided by Statutes, no salaried officer and teacher of the University shall be appointed except under a written contract which shall be consistent with the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances.

(2) The original contract shall be lodged with the Registrar and a copy thereof shall be furnished to the officer or teacher concerned.

(3) In the case of an officer or teacher employed before the commencement of this Act, all contracts in force, immediately before such commencement, shall, to the extent of any inconsistency with the provisions of this Act or the Statutes or the Ordinances be deemed to have been modified by the said provisions.

(4) Notwithstanding anything contained in any contract or other instrument, teachers of any constituent medical college shall not have right of private practice, except to such extent, if any, and subject to such conditions and restrictions as the State Government may, be general or special order specify.

COMMENT

Contractual employment.—In a certain case where the petitioners were appointed as Laboratory Attendant on contractual basis, the University had advertised the posts specifically mentioning that the appointment has been made on contractual basis. It is not permissible unless the provisions to make a claim for regularisation are not made in the statute. The appointment made on contractual basis will not provide right to continue on the post. When the right to continue on the post is not in accordance with either on the basis of the statute or otherwise, a writ of *mandamus* compelling the authorities to permit the petitioners to continue cannot be issued.—*Arvind Kumar Mishra and others* v. *Union of India and others*, (2010) 1 U.P.L.B.E.C. 789.

33. Pensions, Provident Fund, etc.—The University and every affiliated or associated college shall constitute, for the benefit of its officers, teachers and other employees, in such manner and subject to such conditions [2][as may be specified by general or special order by the State Government] such pension, insurance or provident fund, as it may deem fit including a fund from which such teachers or their heirs, as the case may be, shall be paid pension or gratuity in the event of their incurring disability, wound or death in connection

1. Ins. by U.P. Act No. 9 of 1998 (w.e.f. 12-2-1998).
2. Subs. by U.P. Act No. 21 of 1975.

[1][31-ख. **प्रोन्नति के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान**—(1) इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान में अथवा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम में अन्तर्विष्ट प्रतिकूल किसी भी बात के होते हुए, मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के प्राचार्य अथवा अध्यापक के पद पर नियुक्ति मोतीलाल रीजनल इंजीनियरिंग कालेज सोसाइटी, इलाहाबाद के नियमों एवं उपनियमों के अनुसार की जायेगी।

(2) उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ होने के पूर्व की गयी सभी नियुक्तियों का उक्त उपधारा के अधीन उसी प्रकार से किया जाना समझा जायेगा मानों उक्त उपधारा के प्रावधान सभी सुसंगत समयों पर प्रवृत्त थे।]

32. विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति का संविदा—(1) परिनियमों द्वारा यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय के किसी भी वैतनिक अधिकारी या अध्यापक की नियुक्ति लिखित संविदा के सिवाय अन्य प्रकार से नहीं की जायेगी जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के प्रावधानों से सुसंगत होगा।

(2) मूल संविदा रजिस्ट्रार के पास जमा किया जायेगा और उसकी प्रति सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को प्रदान की जायेगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व नियोजित अधिकारी या अध्यापक की दशा में, उस प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं का, इस अधिनियम पर परिनियमों या अध्यादेशों के प्रावधानों से असंगत होने की सीमा तक उक्त प्रावधानों द्वारा संशोधित किया जाना समझा जायेगा।

(4) किसी भी संविदा या अन्य लिखत में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, किसी भी संघटक मेडिकल कालेज के अध्यापकों को उस सीमा तक के सिवाय, यदि कोई हो, और ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों के अध्यधीन, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट कर सकेगी, निजी प्रैक्टिस का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

टिप्पणी

संविदात्मक नियोजन—जहां कतिपय वाद में याचीगण को संविदात्मक आधार पर प्रयोगशाला परिचारक के रूप में नियुक्त किया गया था, विश्वविद्यालय ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करते हुए रिक्तियों को विज्ञापित कराया था कि वह नियुक्ति संविदात्मक आधार पर की गयी है। वह तब तक अनुज्ञेय नहीं है जब तक कि परिनियम में नियमितीकरण का दावा करने के लिए उपबन्ध न किया गया हो। संविदात्मक आधार पर नियुक्ति लगातार पद पर बने रहने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। जब पद पर रहने का अधिकार या तो परिनियम के आधार पर या अन्य प्रकार से विधिनुसार नहीं है तो याचीगण को बने रहने के लिए प्राधिकारियों को विवश करते हुए परमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती है—*अरविन्द कुमार मिश्रा एवं अन्य* बनाम *भारत संघ एवं अन्य,* (2010) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 789।

33. पेंशन, भविष्य निधि, आदि—विश्वविद्यालय और प्रत्येक सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन [2][जैसा राज्य सरकार द्वारा सामान्य और विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट किया जाये] ऐसे पेंशन, बीमा या भविष्य निधि का गठन करेगा जिसे वह ऐसी निधि को सम्मिलित करते हुए उपयुक्त समझे जिससे उन अध्यापकों या जैसा विषय हो उनके वारिसों को उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षाओं के संचालन सम्बन्धी

1. 1998 के उ० प्र० अधिनियम 9 द्वारा अन्तःस्थापित (12-2-1998 से प्रभावी)।
2. 1975 के उ० प्र० अधिनियम 21 द्वारा प्रतिस्थापित।

with the discharge of their duties as Superintendent of a Centre or invigila as defined in Uttar Pradesh Universities (Provisions regarding Conduct Examinations) Act, 1965.

COMMENT

Pension and other retiral benefits.—In a certain case where the petitioner ret after serving as lecturer in a college aided by State of U.P., prior to his appointment on post of lecturer, he had served in Government school as a teacher for a period of more 10 years. This period of service in M.P. will not be included for the purpose of computa on pension and other retiral benefits. For this purpose, criteria of service will be gover by the G.O. dated 24-12-1983 and not by the G.O. dated 29-8-1990 or the G.O. d 5-3-2003. This is so because there is no agreement between State of M.P. and State of for including of period served in their states. The G.O. dated 24-12-1983 is in accord of Section 33 of the U.P. State Universities Act, 1973.—*Dr. A.P. Paliwal* v. *State of U.P. others*, (2010) 3 U.P.L.B.E.C. 2365.

34. Limits of additional remunerative work permissible to teachers.— The conditions regarding payment of remuneration to the teachers of University or for an affiliated or an associated college for any duties perfor in connection with any examination conducted by an Indian University or body other than Public Service Commission [1][* * *] shall be such as may prescribed.

(2) No teacher of the University or of an affiliated or associated coll shall at any time, hold more than one remunerative office carrying duties o than teaching or duties connected with any examination.

Explanation.—The words 'remunerative offices' include the office Warden or Superintendent of a Hall or Hostel, Proctor, Games Superintend Librarian, and any office in the National Cadet Corps, National Sp Organisation, National Social Service Scheme and University Employm Exchange.

35. Conditions of service of teachers of affiliated or associated colle other than those maintained by Government or local authority.—(1) Ev teacher in an affiliated or associated college (other than a college maintai exclusively by the State Government) [2][* * *] shall be appointed unde written contract which shall contain such terms and conditions as may prescribed. The contract shall be lodged with the University and a co thereof shall be given to the teacher concerned, and another copy thereof sh be retained by the college concerned.

(2) Every decision of the Management of such college to dismiss or remov teacher or to reduce him in rank or to punish him in any other manner sh before it is communicated to him, be reported to the Vice-Chancellor and sh not take effect unless it has been approved by the Vice-Chancellor :

Provided that in the case of colleges established and administered by minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, decision of the Management dismissing removing or reducing in rank

1. Words "and the holding of remunerative offices by them" omitted by U.P. Act No. 29 of 197
2. Words "or by a local authority" omitted by U.P. Act No. 12 of 1978.

उपबन्ध) अधिनियम, 1965 में यथा परिभाषित केन्द्र के अधीक्षक अथवा निरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में निर्योग्यता, उपहति अथवा मृत्यु को उपगत करने की दशा में पेंशन अथवा ग्रेच्युटी संदाय की जायेगी।

टिप्पणी

पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति के लाभ—कतिपय वाद में याची उ० प्र० राज्य द्वारा सहायता प्राप्त डिग्री कालेज में प्रवक्ता के रूप में सेवारत रहने के पश्चात् सेवानिवृत्त हुआ था। प्रवक्ता के पद पर अपनी नियुक्ति के पूर्व उसने 10 वर्ष से अधिक के लिए मध्य प्रदेश में किसी सरकारी विद्यालय में अध्यापक के रूप में सेवा की थी। सेवा की अवधि की संगणना करते समय मध्य प्रदेश में प्रदान की गयी इस सेवा की अवधि को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति के लाभों की संगणना के प्रयोजनार्थ सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ सेवा के मानदण्ड को दिनांक 24-12-1983 के शासनादेश द्वारा शासित किया जायेगा न कि दिनांक 29-8-1990 के अथवा 5-2-2003 के शासनादेशों द्वारा ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य एवं उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य उनके राज्य में प्रदान की गयी सेवा की अवधि को सेवा अवधि की संगणना करने हेतु सम्मिलित करने का कोई करार नहीं हुआ है। दिनांक 24-12-1983 का शासनादेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 33 के अनुरूप है—*डॉ० ए० पी० पालीवाल बनाम उ० प्र० राज्य एवं अन्य,* (2010) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2365।

34. अध्यापकों के लिए अनुज्ञेय अतिरिक्त पारिश्रमिक कार्य की सीमाएं—(1) विश्वविद्यालय के अथवा सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापकों को भारतीय विश्वविद्यालय अथवा लोक सेवा आयोग को छोड़कर अन्य निकाय द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा के सम्बन्ध में संपादित किन्हीं कर्तव्य के लिए पारिश्रमिक के संदाय [1][* * *] से सम्बन्धित शर्तें वही होंगी जिन्हें विहित किया जा सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय का अथवा सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का कोई भी अध्यापक किसी भी समय किसी भी परीक्षा से सम्बद्ध अध्यापन या कर्तव्यों को छोड़कर अन्य कर्तव्यों को करने के लिए एक से अधिक पारिश्रमिक पद को धारित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—पदावली "पारिश्रमिक पद" में छात्र-निवास या छात्रावास के वार्डेन या अधीक्षक, प्राक्टर, क्रीड़ा अधीक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष के पद और राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय क्रीड़ा संगठन समाज सेवा योजना और विश्वविद्यालय रोजगार कार्यालय में कोई भी पद सम्मिलित होगा।

35. सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पोषित को छोड़कर अन्य सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें—(1) सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार [2][* * *] द्वारा अपवर्जी रूप से पोषित महाविद्यालय को छोड़कर) में प्रत्येक अध्यापक को लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायेगा जिसमें ऐसे निबन्धन और शर्तें अन्तर्विष्ट होंगी जिन्हें विहित किया जा सकेगा। संविदा को विश्वविद्यालय के पास जमा किया जायेगा और उसकी प्रति सम्बन्धित अध्यापक को दी जायेगी एवं उसकी एक अन्य प्रति सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा प्रतिधारित की जायेगी।

(2) किसी अध्यापक को बर्खास्त अथवा अपसारित करने अथवा उसे पंक्ति में कम करने अथवा उसे अन्य किसी भी रीति से दण्डित करने के लिए उस महाविद्यालय से प्रबन्ध समिति का प्रत्येक विनिश्चय, इससे पूर्व कि उसे उसकी सूचना दी जाये, उपकुलपति को सूचित किया जायेगा और वह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उपकुलपति द्वारा उसका अनुमोदन न किया गया हो :

परन्तु यह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, किसी भी अध्यापक को बर्खास्त, अपसारित करते हुए या पंक्ति में कम करते हुए या अन्य किसी भी प्रकार से दण्डित करते हुए प्रबन्ध समिति के निर्णय में

1. पदावली "और उनके द्वारा पारिश्रमिक पदों को धारित करना" का 1974 के उ० प्र० अधिनियम 29 द्वारा लोपित।
2. पदावली "अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा" का 1978 के उ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा लोपित।

punishing in any other manner any teacher shall not require the approval the Vice-Chancellor, but, shall be reported to him and unless he is satisfi that the procedure prescribed in this behalf has been followed, the decisic shall not be given effect to.

(3) The provisions of sub-section (2) shall also apply to any decision terminate the services of a teacher, whether by way of punishment otherwise but shall not apply to any termination of service on the expiry of period for which the teacher was appointed :

Provided that in the case of colleges established and administered by minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, decision of the Management terminating the service of any teacher shall require the approval of the Vice-Chancellor, but shall be reported to him unless he is satisfied that the procedure prescribed in this behalf has b followed, the decision shall not be given effect to.

(4) Nothing in sub-section (2) shall be deemed to apply to an orde suspension pending inquiry, but any such order may be stayed, revoke modified by the Vice-Chancellor :

Provided that in the case of colleges established and administered minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, order may be stayed, revoked or modified by the Vice-Chancellor only i conditions prescribed for such suspension are not satisfied.

(5) Other conditions of service of teachers of such colleges shall be suc may be prescribed.

SYNOPSIS

1. Termination of services.
2. Constitutional validity challenged.
3. Appointment—U.P. Higher Educ Service Commission Act, 1980.

1. ***Termination of services.***—In a case where matter has been concluded in e round of litigation in which writ petition, review petition and special leave petition dismissed. In the matter, nothing was left to be considered. The petitioner waited for years after the order of the Chancellor, but no sufficient explanation was offered. If held that the Chancellor has rightly observed that after decisions of the High Court Supreme Court, it is not proper to pass any order. It was found that the letter of appr of the petitioner's services dated 6-9-1990 gives her no right to enforce the same afte termination of services on 2-5-1990. It was held that in this regard, principle constructive *res judicata* and laches do not permit the Court to reconsider the matter error was found in impugned judgment and order. Review petition was dismiss. *Dr. Sharma* v. *State of U.P. and others*, (2009) 2 U.P.L.B.E.C. 1798 (All.).

2. ***Constitutional validity challenged.***—Where in a certain case, in exercise of powers under Section 35 (2) and its proviso, proposal of the Management Committe remove the Principal was not approved by the Vice-Chancellor, the order passed by Vice-Chancellor was challenged by the writ petition. The constitutional validity was challenged. The High Court dismissed the writ on the ground that there exist alternative remedy under Section 68. It was found that error of law was committed constitutional validity of Section 35 (2) was also challenged, the Chancellor also has

उपकुलपति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उसकी उसे सूचना दी जायेगी और जब तक उसका यह समाधान न हो जाये कि इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है, तब तक उस निर्णय को प्रभावी नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (2) के प्रावधान अध्यापक की सेवाओं को, चाहे वह दण्ड के रूप में हो या अन्यथा, समाप्त करने के किसी भी निर्णय के लिए लागू होंगे, लेकिन वे उस अवधि के समाप्त होने पर, जिसके लिए उस अध्यापक को नियुक्त किया गया था सेवा की किसी भी समाप्ति के लिए लागू नहीं होगी :

परन्तु यह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, किसी भी अध्यापक की सेवा को समाप्त करते हुए प्रबन्ध समिति के निर्णय में उपकुलपति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उसे उसकी सूचना दी जायेगी और जब तक उसका यह समाधान न हो जाये कि इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है, उसे प्रभावी नहीं बनाया जायेगा।

(4) उपधारा (2) में कही गयी किसी भी बात का जाँच के लम्बित रहने तक निलम्बन के आदेश के लिए लागू होना नहीं समझा जायेगा, लेकिन ऐसे किसी भी आदेश पर उपकुलपति द्वारा रोक लगायी जा सकेगी, जिसे खण्डित या उपान्तरित किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, उस आदेश पर उपकुलपति द्वारा केवल तभी रोक लगायी जा सकेगी, उसे खण्डित या उपान्तरित किया जा सकेगा जब उस निलम्बन के लिए निर्धारित शर्तों का पालन न हुआ हो।

(5) उन महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जिन्हें विहित किया जाये।

टिप्पणियाँ

1. सेवा समाप्ति
2. संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गयी
3. नियुक्ति—उ० प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980—धारा 13 (3)

1. ***सेवा समाप्ति***—किसी ऐसे वाद में जहां मामले को वादकरण के पूर्वतर चक्र में ही समाप्त कर दिया गया है, तो वहां पुनर्विलोकन याचिका तथा विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया। मामले में विचार किये जाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा था। याची ने कुलपति के आदेश के पश्चात् 4 वर्ष तक प्रतीक्षा की थी, लेकिन कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि कुलपति ने ठीक ही यह सम्प्रेक्षण किया है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के पश्चात् किसी भी आदेश को पारित करना उचित नहीं था। यह पाया गया था कि दिनांक 6-9-1990 के याची के सेवाओं के अनुमोदन के पत्र में उसे 2-5-1990 को सेवाओं की समाप्ति के पश्चात् उसे लागू करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस सम्बन्ध में आन्वयिक पूर्व न्याय तथा अन्वेक्षा के सिद्धान्त न्यायालय को मामले पर पुनः विचार करने की अनुमति नहीं देते हैं। आक्षेपित निर्णय तथा आदेश में कोई भी त्रुटि नहीं पायी गयी। पुनर्विलोकन याचिका को खारिज कर दिया गया। *डॉ० ऊषा शर्मा* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं अन्य,* (2009) 2 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1798 (इला०)।

2. ***संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गयी***—जहां कतिपय वाद में धारा 35 (2) और उसके परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधानाचार्य को अप्रसारित करने के लिए प्रबंधन समिति के प्रस्ताव के अनुमोदन को उप-कुलपति द्वारा इन्कार कर दिया गया था तो वहां उप-कुलपति द्वारा पारित आदेश को रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी। सांवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गयी। उच्च न्यायालय ने रिट को इस आधार पर खारिज कर दिया कि धारा 68 के अधीन वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। यह पाया गया था कि विधि की त्रुटि कारित की गयी थी। धारा 35 (2) की सांवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गयी थी, कुलपति के पास धारा 68 के अधीन व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं लेकिन उसे किसी प्रावधान की सांवैधानिक

powers under Secton 68, but he has no powers to consider the constitutional validity of a provision. Such power vests in High Court only. It was held that the High Court ought to have decided the writ. High Court was directed to decide writ petition on merits. *Committee of Management and another* v. *Vice-Chancellor and others*, (2009) 2 U.P.L.B.E.C. 1345 (All.).

3. ***Appointment—U.P. Higher Education Service Commission Act, 1980.***—In a certain case where the U.P. Higher Education Service Commission had selected and recommended one "T' as principal of Mahila Degree College. After joining the post, she submitted her resignation letter. Thereafter, the commission recommended one "P' for the said post who joined. Whrit petition was filed by "T" with a contention that she has taken back her resignation letter. On the direction of the writ Court, the Vice-Chancellor decided the representation of "T" directing the Committee of Management to hand over the charge of the office the principal to her. Besides, a writ petition was files by "T" for compliance of the order of the Vice-Chancellor. The Court, while allowing the writ petition of "T", directed the Committee of Management to re-instate "T" as principal of the college forthwith. *Committee of Management, Prayag Mahila Vidyapeeth Degree College* v. *State of U.P. and others*, (2007) 2 U.P.L.B.E.C. (Sum) 68 (All.).

36. Tribunal of Arbitration.—(1) Any dispute arising out of a contract of appointment referred to in Section 32 or Section 33 shall be referred to a Tribunal of Arbitration which shall consist of the following members, namely—

(a) in the case of an officer or teacher of the University, one member nominated by the Executive Council, one member nominated by the office or teacher concerned and one member (who shall act as convener) nominated by the Chancellor;

(b) in the case of a teacher of an affiliated or associated college, one member nominated by the Management of the college, one member nominated by the teacher concerned, and one member (who shall act as convener) nominated by the Vice-Chancellor :

Provided that in the case of colleges established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, the Convener shall be selected by the nominees of the Management and the teacher concerned out of a panel of five persons suggested by the Management and approved by the Vice-Chancellor :

Provided further that in the event of their failure to appoint the Convener within the time prescribed, the Vice-Chancellor shall nominate a Convener out of the panel.

(2) If for any reason, a vacancy occurs in the office of a member of the Tribunal, the appropriate person or body concerned shall nominate another persons in accordance with provisions of sub-section (1) to fill the vacancy and the proceedings may be continued before the Tribunal from the stage at which the vacancy is filled.

(3) The decision of the Tribunal shall be final and binding on the parties and shall not be questioned in any Court.

(4) The Tribunal of Arbitration shall have the power—

(*i*) to regulate its own procedure;

(*ii*) to order re-instatement of the officer or teacher concerned; and

वैधता पर विचार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ऐसी शक्ति केवल उच्च न्यायालय में ही निहित होती है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय को रिट विनिश्चित करनी चाहिए थी। उच्च न्यायालय को रिट याचिका का गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय करने का निदेश किया गया। *प्रबन्ध समिति एवं एक अन्य बनाम उप कुलपति एवं अन्य,* (2009) 2 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1345 (इला०)।

3. नियुक्ति—उ० प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980—धारा 13 (3)—जहां कतिपय वाद में उ० प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने किसी "त" का चयन किया था और उसकी महिला डिग्री कालेज के प्रधानाचार्य की नियुक्ति हेतु सिफारिश की थी, पद ग्रहण करने के पश्चात् उसने अपना त्याग-पत्र दे दिया था। तत्पश्चात् आयोग ने उक्त पद पर "प" की सिफारिश की जिसने कार्यभार ग्रहण कर लिया। "त" द्वारा इस तर्क के साथ रिट याचिका दाखिल की गयी कि उसने अपना त्याग-पत्र वापस ले लिया है। रिट न्यायालय के निदेश पर उपकुलपति ने "त" के अभ्यावेदन को विनिश्चित किया और प्रबन्ध समिति को यह निदेशित किया कि वह प्रधानाचार्य के पद का प्रभार उसे सौंप दे। इसके अतिरिक्त "त" द्वारा रिट याचिका उपकुलपति के आदेश के अनुपालन के लिए भी दाखिल की गयी। न्यायालय ने "त" की रिट याचिका को अनुज्ञात करते हुए प्रबन्ध समिति को यह निदेश किया कि वह "त" को अविलम्ब कालेज के प्रधानाचार्य के रूप में बहाल करे। *प्रबन्ध समिति, प्रयाग महिला विद्यापीठ* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं अन्य,* (2007) 2 यू० पी० एल० बी० ई० सी० (सम०) 68 (इला०)।

36. माध्यस्थम् का अधिकरण—(1) धारा 32 अथवा धारा 33 में निर्दिष्ट नियुक्ति के संविदा से प्रोद्भूत होने वाला कोई भी विवाद माध्यस्थम् के अधिकरण के समक्ष निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारी या अध्यापक की दशा में, कार्यपरिषद् द्वारा नामोदिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित अधिकारी अथवा अध्यापक द्वारा नामोदिष्ट एक सदस्य और कुलपति द्वारा नामोदिष्ट एक सदस्य (जो आयोजक के रूप में कार्य करेगा);

(ख) सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापक की दशा में, महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति द्वारा नामोदिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित अध्यापक द्वारा नामोदिष्ट एक सदस्य और उपकुलपति द्वारा नामोदिष्ट एक सदस्य (जो आयोग के रूप में कार्य करेगा) :

परन्तु यह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों की दशा में, आयोजक का चयन प्रबन्ध समिति एवं सम्बन्धित अध्यापक के नाम-निर्देशितियों द्वारा प्रबन्ध समिति द्वारा सुझाव दिये गये और उपकुलपति द्वारा अनुमोदित पांच व्यक्तियों के पैनल से किया जायेगा :

परन्तु अग्रेतर यह कि निर्धारित समय के भीतर आयोजक की नियुक्ति करने की उनकी असफलता की दशा में, उपकुलपति उस पैनल से आयोजक को नामोदिष्ट करेगा।

(2) यदि किसी भी कारण से, अधिकरण के सदस्य के पद में रिक्ति उत्पन्न होती है, तो समुचित व्यक्ति अथवा सम्बन्धित निकाय उस रिक्ति को भरने के लिए उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नामोदिष्ट करेगा और कार्यवाहियाँ अधिकरण के समक्ष उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकेगी जिस पर रिक्ति को भरा गया है।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा और वह पक्षकारों पर आबद्धकर होगा एवं उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

(4) माध्यस्थम् अधिकरण को निम्न कार्यों को करने की शक्ति प्राप्त होगी—

(i) अपनी ही प्रक्रिया को विनियमित करना;

(ii) सम्बन्धित अधिकारी अथवा अध्यापक की पुनर्बहाली का आदेश देना; और

(iii) to award salary to the officer or teacher concerned, affer deductin therefrom such income which such officer or teacher might hav otherwise derived during his suspension, removal, diamissal o termination from service.

(5) Nothing contained in any law for the time being in force relating t arbitration shall apply to an arbitration under this section.

(6) No suit or proceedings shall lie in any Court in respect of an matter which is required by sub-section (1) to be referred to the Tribunal o Arbitration :

Provided that every decision of the Tribunal referred to in sub-section (3 shall be executable by the lower Court having territorial jurisdiction, as if i were a decree of that Court.

CHAPTER VII

AFFILIATION AND RECOGNITION

37. Affiliated Colleges.—[1][(1) This section shall apply to the Universitie of Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra, Dean Dayal Upadhyay Gorakhpur University, Gorakhpur, Chhatrapati Shahu Ji Mahara University, Kanpur, Chaudhary Charan Singh University, Meerut, Mahatm Jyotibha Phule Rohilkhand University, Bareilly, Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur, University of Bundel-Khand, Jhansi Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, Doctor Ram Manohar Lohi Avadh University, Faizabad and such other Universities (not being th University of Lucknow) as the State Government may by notification in th Gazette, specify].

(2) The Executive Council may, with the previous sanction of the [2][State Government], admit any college which fulfils such conditions of affiliation, a may be prescribed, to the privileges of affiliation or enlarge the privileges o any college already affiliated or subject to the provisions of sub-section (8) withdraw or curtail any such privilege :

[3][Provided that if in the opinion of the [4][State Government], a colleg substantially fulfils the conditions of affiliation, the [5][State Government] may sanction grant of affiliation to that college or enlarge the privilege thereof in specific subjects for one term of a course of study on such terms an conditions as he may deem fit :

[6][Provided further that unless all the prescribed conditions of affiliation are fulfilled by a college, it shall not admit any student in the first year of th course of study for which affiliation is granted under the foregoing proviso after one year from the date of commencement of such affiliation.]

(3) It shall be lawful for an affiliated college to make arrangement wit any other affiliated college situated in the same local area, or with th University, for co-operation in the work of teaching or research.

---

1. Subs. by U.P. Act No. 6 of 2009.
2. Subs. by U. P. Act No. 12 of 2007 (w.e.f. 2-6-2007).
3. Ins. by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 11-7-2003).
4. Subs. by U.P. Act No. 12 of 2007 (w.e.f. 2-6-2007).
5. Subs. by U.P. Act No. 12 of 2007 (w.e.f. 2-6-2007).
6. Proviso Ins. by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 11-7-2003).

(iii) सम्बन्धित अधिकारी अथवा अध्यापक को वेतन, उससे उस आय को कम करने के पश्चात् प्रदान करना जिसे उस अधिकारी अथवा अध्यापक ने अन्यथा सेवा से अपने निलम्बन, अपसारण, बर्खास्तगी अथवा सेवा समाप्ति के दौरान प्राप्त किया होता।

(5) माध्यस्थम् से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट कोई भी बात इस धारा के अधीन माध्यस्थम् के लिए लागू नहीं होगा।

(6) ऐसे किसी भी मामले के सम्बन्ध में जिसका माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष उपधारा (1) द्वारा निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है, किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद अथवा कार्यवाही दाखिल नहीं की जा सकेगी :

परन्तु यह कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकरण का प्रत्येक निर्णय प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को रखने वाले निम्नतम न्यायालय द्वारा उसी प्रकार से निष्पाद्य होगा मानो वह उस न्यायालय की डिक्री हो।

अध्याय 7

सम्बद्धता और मान्यता

37. सम्बद्ध महाविद्यालय—(1) यह धारा आगरा, गोरखपुर, कानपुर एवं मेरठ के विश्वविद्यालयों और ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों (लखनऊ [1][* * *] विश्वविद्यालय नहीं) के लिए लागू होगी जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) कार्यपरिषद् [2][राज्य सरकार] की पूर्व अनुमति से, किसी भी महाविद्यालय को, जो सम्बद्धता की उन शर्तों की पूर्ति करता है, जिन्हें विहित किया जाये, सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को विस्तारित कर सकेगी अथवा उपधारा (8) के प्रावधानों के अध्यधीन ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसे कम कर सकेगी :

[3][परन्तु यह कि यदि [4][राज्य सरकार] की राय में, महाविद्यालय सारवान् रूप से सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करता है, तो [5][राज्य सरकार] उस महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति दे सकेगी अथवा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में एक अवधि के लिए विनिर्दिष्ट विषयों में उसके विशेषाधिकारों को विस्तारित कर सकेगी जिन्हें वह उपयुक्त समझे] :

[6][परन्तु अग्रेतर यह कि जब तक सम्बद्धता की सभी निर्धारित शर्तों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया गया हो, तब तक वह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा जिसके लिए उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है]।

(3) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए विधिपूर्ण यही होगा कि वह उसी स्थानीय क्षेत्र में अवस्थित किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय के साथ अथवा विश्वविद्यालय के साथ अध्यापन अथवा अनुसंधान कार्य में सहयोग के लिए प्रबन्ध करे।

---

1. पदावली ''तथा इलाहाबाद'' 2005 के अधिनियम संख्या 26 द्वारा लोपित (14-7-2005 से प्रभावी)।
2. 2007 के उ० प्र० अधिनियम संख्या 12 द्वारा प्रतिस्थापित (2-6-2007 से प्रभावी)।
3. 2004 के उ० प्र० अधिनियम संख्या 1 द्वारा अन्त:स्थापित (11-7-2003 से प्रभावी)।
4. 2007 के उ० प्र० अधिनियम संख्या 12 द्वारा प्रतिस्थापित (2-6-2007 से प्रभावी)।
5. 2007 के उ० प्र० अधिनियम संख्या 12 द्वारा प्रतिस्थापित (2-6-2007 से प्रभावी)।
6. 2004 के उ० प्र० अधिनियम 1 द्वारा परन्तुकों को अन्त:स्थापित (11-7-2003 से प्रभावी)।

(4) Except as provided by this Act, the management of an affiliated college shall be free to manage and control the affairs of the college and be responsible for its maintenance and upkeep, and its Principal shall be responsible for the discipline of its students and for the superintendence and control over its staff.

(5) Every affiliated college shall furnish such reports, returns and other particulars as the Executive Council or the Vice-Chancellor may call for.

(6) The Executive Council shall cause every affiliated college to be inspected from time to time at intervals not exceeding five years by one or more persons authorised by it in that behalf, and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.

(7) The Executive Council may direct an affiliated college so inspected to take such action as may appear to it to be necessary within such period as may be specified.

(8) The privileges of affiliation of a college which fails to comply with any direction of the Executive Council under sub-section (7) or to fulfil the conditions of affiliation may, after obtaining a report from the Management of the college and with the previous sanction of the Chancellor, be withdrawn or curtailed by the Executive Council in accordance with the provisions of the Statutes.

[1][(9) Notwithstanding anything contained in sub-sections (2) and (8), if the Management of an affiliated college has failed to fulfil the conditions of affiliation, the [2][State Government] may, after obtaining a report from the Management and the Vice-Chancellor, withdraw or curtail the privileges of affiliation.]

[3][(10) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act, a college, which has already been given affiliation to a University before the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2003 in specific subjects for a specified period shall be entitled to continue the course of study for which admissions have already taken place but it shall not admit any student in the first year of such course of study without obtaining affiliation under sub-section (2).]

SYNOPSIS

1. Affiliation of Institution—Application for.
2. Recognition to Colleges.
3. Affiliation of College for B.Ed. Course—National Council for Teachers Education Act, 1993—Sections 37 (2), 14, 2 (d), 2 (o) and 2 (n).
4. Examination.
5. Affiliation to degree college by University—Powers of Chancellor—Scope for exercise of.
6. Removal of name from roll of Faculty of Engineering and Technology—Aligarh Muslim University Ordinances (Academic), Chapter 34 (E), Clause 14.2—Constitution of India, 1950—Article 226.

1. Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977, published in U.P. Gazette dated 2 June, 2007, Extra-ordinary, Part 2, Section (a).
2. Subs. by U.P. Act No. 12 of 2007 (w.e.f. 2-6-2007).
3. Ins. by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 11-7-2003).

(4) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्ध समिति महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने और उनका नियंत्रण करने के लिए स्वतन्त्र होगा और उसके अनुरक्षण एवं रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा एवं उसका प्राचार्य उसके विद्यार्थियों के अनुपालन के लिए और उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षक एवं नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय ऐसी रिपोर्टों, विवरणियों और अन्य विशिष्टियों को प्रदान करेगा जिन्हें कार्यपरिषद् अथवा उपकुलपति माँगे।

(6) कार्यपरिषद् प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जायेगी।

(7) कार्यपरिषद् इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निदेश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।

(8) ऐसे किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार, जो उपधारा (7) के अधीन कार्यपरिषद् के किसी भी निदेश का अनुपालन करने में विफल हो जाता है अथवा सम्बद्धता की शर्तों का पालन नहीं कर पाता है, उस महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् और [1][राज्य सरकार] के पूर्व स्वीकृति से, कार्यपरिषद् द्वारा परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या उसमें कमी की जा सकेगी।

[2][(9) उपधारा (2) एवं (8) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, यदि सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्ध समिति सम्बद्धता की शर्तों का पालन करने में विफल हुआ है तो [1][राज्य सरकार] प्रबन्ध समिति अथवा उपकुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात्, सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को वापस ले सकेगी अथवा उनमें कमी कर सकेगी]।

[3][(10) इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान में अन्तर्विष्ट प्रतिकूल किसी भी बात के होते हुए, महाविद्यालय, जिसे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विनिर्दिष्ट विषयों में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ होने के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा पहले से सम्बद्धता प्रदान की गयी हो, अध्ययन के उस पाठ्यक्रम को जारी करने का हकदार होगा जिसके लिए पहले ही प्रवेश लिए जा चुके हैं लेकिन वह उपधारा (2) के अधीन सम्बद्धता को प्राप्त किये बिना अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा]।

टिप्पणियाँ

---

1. दिनांक 2 जून, 2007 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग 2, अनुभाग (क) में प्रकाशित वर्ष 2007 के उ० प्र० अध्यादेश संख्या 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 2007 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा प्रतिस्थापित (2-6-2007 से प्रभावी)।
3. 2004 के उ० प्र० अधिनियम 1 द्वारा अन्तःस्थापित (11-7-2003 से प्रभावी)।

7. Job not prohibited—LL.B. Course in Gorakhpur University.
8. Admission—LL.B. Course in Gorakhpur University—Estoppel.
9. Indian Medical Council Act, 1956—Sections 10-A and 19—U.P. State Universities Act, 1973—Sections 7, 5, 37 (2) and 37 (10).
10. Examination—Use of unfair means—Statute of Banaras Hindu University, Statutes 1.13.2, 1.13.3, 1.13.4, 1.13.6, 8.13.8, 8.13.9 and 8.13.10.
11. Examination—Cancellation of—On account of use of unfair means.
12. Examination—Banaras Hindu University Act, 1915—Sections 11 and 18.
13. Declaration of result—Allahabad University First Statute—Ordinance No. 2, Chapter XL, Rule 9—LL.B. Examination.
14. Admission in B.Ed. Course—Grant of recognition to educational institution—National Council for Teachers Education Act, 1993—Sections 14, 15, 18, 20 and 32—U.P. State Universities Act, 1973—Section 37 (2).
15. Admission in B.Ed. Course—U.P. State Universities (Regulation of Admission to Course of Institution for Degree in Education in Affiliated, Associated and Constituent College) Order, 1987—Chapter II, Regulations 7 (a) and 2.
16. Admission for M.Sc. Environment Management Course.
17. Admission for MFA two years course.
18. Availability of alternative remedy—Petition dismissed.
19. Challenge to Constitutionality.
20. Chancellor has powers to decide dispute.
21. Writ filed by Muslims—AMU not a University of Minorities.
22. Recognition to petitioner College.

1. ***Affiliation of Institution—Application for.***—In a certain case, where applicant-College had given admission to the students in anticipation that it would get an affiliation, but it denied this fact in its counter-affidivit. In such an event, the matter was sent back to the State Government so as to decide the disputed fact of giving admission to the students during the pendency of the application for affiliation and then to settle the matter of affiliation. *Committee of Management, Shri Bhagwan Shiv Mahavidyalya, Village Umedpur, Post-Ambarpur, District Etah and another* v. *State of U. P. and others*, (2009) 3 U.P.L.B.E.C. 2186 (All.).

2. ***Recognition to Colleges.***—In a certain case, where the National Council of Teachers Education (NCTE) had granted recognition to petitioners-colleges under Section 14 (1) for running B.Ed. course of one year for Session 2003-04. The Chancellor, on the basis of this recognition, directed the affiliation of those colleges with the respondent-University. Soon thereafter on "A"s complaint, the affiliation was taken back after the completion of the said Session. "A" had to file PIL also in the High Court a whereupon the High Court directed that the matter be considered by an appropriate authority. In compliance of that direction, three member committee was constituted by Registrar for inquiry into the complaint. That committee submitted a report to the Registrar. On that basis, the order of withdrawal of the affiliation to petitioners colleges was passed by the Executive Council. It was found by the High Court that the order of withdrawing affiliation was passed without compliance of the procedure as mentioned in Sections 37 (2), 37 (7) and 37 (8). Besides it, no reasons were stated for doing so. Thus, the High Court

1. संस्था की सम्बद्धता—के लिए आवेदन—विचारण के लिए लम्बित—कतिपय वाद में जहां आवेदक-महाविद्यालय ने इस प्रत्याशा में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया था कि उसे मान्यताप्राप्त हो जायेगी लेकिन उसने अपने प्रति शपथ-पत्र में इस तथ्य से इन्कार कर दिया था। ऐसी स्थिति में मामला राज्य सरकार के समक्ष वापस प्रतिप्रेषित किया गया जिससे कि सम्बद्धता के आवेदन के लम्बनकाल के दौरान विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बारे में विवादित तथ्य को विनिश्चित किया जा सके और तत्पश्चात् सम्बद्धता के मामले को निपटाया जा सके। *प्रबन्ध समिति, श्री भगवान शिव महाविद्यालय ग्राम उमेदपुर, पोस्ट अम्बरपुर, जिला एटा एवं एक अन्य* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं अन्य,* (2009) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2186 (इला०)।

2. महाविद्यालयों को मान्यता—कतिपय वाद में जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन० सी० टी० ई०) ने याची महाविद्यालयों को सत्र 2003-04 के लिए एक वर्ष के बी० एड० पाठ्यक्रम को चलाने के लिए धारा 14 (1) के अधीन मान्यता प्रदान की थी। कुलपति ने इस मान्यता के आधार पर उन महाविद्यालयों की सम्बद्धता का प्रत्युत्तरदाता-विश्वविद्यालय के साथ जोड़े जाने का निदेश किया था उसके शीघ्र पश्चात् ''अ'' के परिवाद पर, उक्त सत्र के पूर्ण होने के पश्चात् उस सम्बद्धता को वापस ले लिया गया था। ''अ'' को उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका दाखिल करनी पड़ी जिसके पश्चात् उच्च न्यायालय ने यह निदेशित किया कि मामले पर समुचित प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाये, उस निदेश के अनुपालन किया जाये। रजिस्ट्रार द्वारा उस परिवाद में जांच करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। उस समिति ने रजिस्ट्रार को रिपोर्ट दाखिल की थी। उस आधार पर कार्यपरिषद् द्वारा याची-महाविद्यालयों की सम्बद्धता वापस लेने का आदेश पारित किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया था कि सम्बद्धता को वापस लेने का आदेश धारा 37 (2), 37 (7) तथा 37 (8) में यथा उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना ही पारित किया गया था। इसके अतिरिक्त, ऐसा करने के किसी भी कारण को नहीं बताया गया था। इस प्रकार

quashed that order and remanded the matter to the appropriate authority. *Shri Radha Govind Mahavidyalaya Heerapur (Gopi) Aligarh, U.P. and another* v. *State of U.P. and others*, (2010) 1 U.P.L.B.E.C. 9 (All.).

3. ***Affiliation of College for B.Ed. Course—National Council for Teachers Education Act, 1993—Sections 37 (2), 14, 2 (d), 2 (o) and 2 (n).***—The Vice-Chancellor has got powers to grant affiliation to a college with the University for B.Ed. course. If the college concerned fulfils the conditions of affiliations, it can be exercised for one term. If those conditions are not fulfilled by the college, it is open to him to declive further affiliation for next term. In this case, the petitioner-college, which was recognised by National Council for Teachers Education, was granted provisional affiliation for one term. One the expiry of the term, the petitioner college applied for the recognition for the next term. Hence, he is estopped to contend that earlier affiliation was on permanent basis, and not for one term. But before the affiliation is refused, the petitioner-college is entitled to an opportunity of hearing. In absence of opportunity of hearing, the denial for affiliation is quashed. Directive is issued for reconsideration at the instance of the petitioner-college. *R. N. College, Opposite Pandavan Mandir, Hastinapur, Meerut through Secretary* v. *Chancellor, B.R. Ambedkar University Raj Bhawan, Lucknow and others*, (2006) 1 U.P.L.B.E.C. 1025 (Alld.) (L.B.).

4. ***Examination***—In a certain case, where the petitioner—institution was granted temporary affiliation by the University for three years. Later on, that affiliation was extended for further three years. Students were given admission to the institution. But, the University refused to take examinations of B.A Part I on the ground that the institution has not complied with certain formalities which were required. On the writ having been filed, the University was issued a direction to hold B.A. Part I examinations for regular students of the institution for the academic Session 2003-04 within two months. *Sri Radha Raman Mahavidhyalaya, Adarsh Vidhyapeeth, Ruhipur, Ghazipur* v. *State of U.P. and others*, (2005) 1 U.P.L.B.E.C. 401 (Alld.).

5. ***Affiliation to degree college by University—Powers of Chancellor—Scope for exercise of***—In the instant case, it was held that an affiliation can be granted only to that degree college by a particular University when it comes within territorial area mentioned in Section 5 read with Schedule. No objection certificate was given to the college by the State Government, but it cannot legalize illegal affiliation. *Dr. Akhtar Rizvi Educational Trust, Kaushambi* v. *State of U.P. and others*, (2006) 1 U.P.L.B.E.C. 1131 (Alld.) (F.B.).

6. ***Removal of name from roll of Faculty of Engineering and Technology—Aligarh Muslim University Ordinances (Academic), Chapter 34 (E), Clause 14.2—Constitution of India, 1950—Article 226.***—In a certain case where, the petitioner, a B.Tech course, was removed from faculty of Engineering and Technology, the order of which was challenged by a writ petition on the ground that the petitioner failed to obtain the minimum credit marks prescribed by the Clause 14.2 in the first and second semester examinations of first years. No interference could be made in that by the High Court in exercise of its jurisdiction because equity is also against it. Only this fact, that the result of the first semester was delayed cannot held him because he was found ineligible to earn requisite standard of marks, required for prestigious Central University student. Rule for fixation of standard of earing requisite credits is established by Rules and cannot be overlooked even for technical shortcomings due to extra-ordinary reasons. *Mohd. Mahfooz Alam* v. *Aligarh Muslim University, Aligarh and another*, (2006) 1 U.P.L.B.E.C. 166 (Alld.).

उच्च न्यायालय ने उस आदेश को अभिखण्डित किया और मामला समुचित प्राधिकारी के समक्ष प्रतिप्रेषित किया। *श्री राधा गोविन्द महाविद्यालय हीरापुर (गोपी) अलीगढ़, उ० प्र० एवं एक अन्य* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं अन्य,* (2010) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 9 (इला०)।

3. बी० एड० पाठ्यक्रम की सम्बद्धता—राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद अधिनियम, 1993—धारा 14, 2 (य) एवं 2 (ण)— किसी महाविद्यालय को बी० एड० पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता प्रदान करने की कुलपति को शक्ति प्राप्त है। यदि सम्बन्धित महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को पूरा कर देता है तो उसका एक अवधि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यदि उन शर्तों को महाविद्यालय द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो वह अगली अवधि के लिए अग्रेतर मान्यता प्रदान करने से इन्कार करने के लिए स्वतंत्र है। प्रस्तुत वाद में याची महाविद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान की गयी थी उसे एक अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी थी। उस अवधि के समाप्त होने पर याची महाविद्यालय ने अगली अवधि की मान्यता के लिए प्रार्थना की। अतः उसे यह तर्क करने से विबन्धित किया जाता है कि पूर्वतर सम्बद्धता स्थायी आधार पर थी न कि एक अवधि के लिए। लेकिन सम्बद्धता इन्कार किए जाने के पूर्व याची महाविद्यालय सुनवाई के अवसर का हकदार था। सुनवाई का ऐसा अवसर प्रदान न किये जाने के कारण सम्बद्धता से इन्कारी अभिखण्डित कर दी गयी। याची महाविद्यालय के निवेदन पर नये सिरे से विचार किये जाने का निदेश किया गया। *आर० एन० कालेज, सामने पाण्डवन मन्दिर, हिस्तनापुर, मेरठ द्वारा सचिव* बनाम *कुलपति, बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय राजभवन, लखनऊ एवं अन्य,* (2006) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1025 (इला०) (एल० बी०)।

4. परीक्षा—राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 37 (2)— कतिपय वाद में जहाँ याची संस्था को विश्वविद्यालय द्वारा तीन वर्षों के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी थी। बाद में उस असम्बद्धता को अग्रेतर तीन वर्षों के लिए विस्तारित किया गया। संस्था में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। लेकिन बी० ए० प्रथम वर्ष की परीक्षा को लेने से विश्वविद्यालय ने इस आधार पर इन्कार कर दिया कि संस्था ने इससे पूर्व मांगी गयी कतिपय औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया है। रिट दाखिल करने पर विश्वविद्यालय को दो माह के भीतर शैक्षिक सत्र 2003-04 के लिए संस्था से नियमित विद्यार्थियों के सम्बन्ध में बी० ए० प्रथम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने का निदेश जारी किया गया। *श्री राधारमण महाविद्यालय, आदर्श विद्यापीठ, रूहीपुर, गाजीपुर* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं अन्य,* (2005) 1 यू० बी० एल० बी० ई० सी० 401 (इला०)।

5. विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री कालेज को सम्बद्धता—कुलपति की शक्तियाँ—प्रयोग की व्याप्ति— प्रस्तुत वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी विशिष्ट विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री कालेज को सम्बद्धता केवल तभी प्रदान की जा सकती है जब वह उसके धारा 5 सपठित अनुसूचित में उल्लिखित क्षेत्र में आता हो। राज्य सरकार द्वारा उस महाविद्यालय को उस सम्बद्धता के लिए कोई भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया था, लेकिन इससे अविधिक सम्बद्धता वैधकृत नहीं हो सकती है। *(डॉ०) अख्तर रिजवी एजूकेशनल ट्रस्ट, कौशाम्बी* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं अन्य,* (2006) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1131 (इला०) (एफ० बी०)।

6. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के संकाय की पंजी से नाम का अपसारण—अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अध्यादेश (एकेडेमिक), अध्याय 34 (ङ), खण्ड 14.2—भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 226— कतिपय वाद में नहीं जहाँ याची बी० टेक पाठ्यक्रम विद्यार्थी, के नाम को अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी के संकाय से अपसारित करने के आदेश को इस आधार पर चुनौती देते हुए रिट याचिका दाखिल की गयी थी कि याची प्रथम वर्ष के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षाओं में खण्ड 14.2 द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रत्यय अंकों को प्राप्त करने में असफल हुआ था। उच्च न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था क्योंकि साम्या भी उसके विरुद्ध है। मात्र यह तथ्य कि प्रथम सेमेस्टर के परिणाम की घोषणा में विलम्ब कारित किया गया था, भी उसकी सहायता नहीं कर सकता है क्योंकि उसे प्रतिष्ठित केन्द्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हेतु अपेक्षित अंकों के अपेक्षित मानक को उपार्जित करने के लिए अपात्र पाया गया था। अपेक्षित प्रत्ययों को उपार्जित करने के मानक के स्थिरीकरण का नियमों द्वारा स्थापित है और उसकी असाधारण कारणों से प्राविधिक कमियों के लिए भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। *मोहम्मद महफूज आलम* बनाम *अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ एवं एक अन्य,* (2006) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 166 (इला०)।

7. ***Job not prohibited—LL.B. Course in Gorakhpur University.***—A job during the course of study of LL.B. Course is not prohibited. Thus, just this fact, that if a student of LL.B. Course joins any employment, he cannot render himself unfit to continue his study of LL.B. Course. He may continue his study and he may do his job after University hours. *Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur and others* v. *Urmila Singh and others*, (2005) 3 U.P.L.B.E.C. 2792 (Alld.).

8. ***Admission—LL.B. Course in Gorakhpur University—Estoppel.***—In a certain case, admission was given to the petitioner in Session 1999-2000. He continued his study. He passed LL.B. IInd year and he was given admission in LL.B. IIIrd year in Session 2002-03. In such an event, the University was estopped from cancelling his admission at a belated stage or from preventing him to appear in semesters of LL.B. IIIrd year. *Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur and others* v. *Urmila Singh and others*, (2005) 3 U.P.L.B.E.C. 2792 (Alld.).

9. ***Indian Medical Council Act, 1956—Sections 10-A and 19—U.P. State Universities Act, 1973—Sections 7, 5, 37 (2) and 37 (10).***—In a certain case, where the petitioner, a charitable trust was affiliated to the Medical College, Dental College and Physiotherapy College. Examinations were not held and the results were not declared by the University. In such an event, the petition was allowed by the Court, and it was held that since students were given admission by the said college after obtaining a permission from the Central Government and an affiliation from the University, therefore, the equity was in favour of the petitioner. The respondents University was directed to hold examinations and declare the results. *Subharati K.K.B. Charitable Trust, etc.* v. *State of U.P. and another, etc.*, (2006) 3 U.P.L.B.E.C. 2978 (Alld.).

10. ***Examination—Use of unfair means—Statute of Banaras Hindu University, Statutes 1.13.2, 1.13.3, 1.13.4, 1.13.6, 8.13.8, 8.13.9 and 8.13.10.***—In a certain case, where a flying squad recovered geometry box finding that on its back side, some copying material had been written, when the petitioner was solving the geography paper of B.A. Part III examination. Later on, the examination, in which the petitioner had appeared and in which he was likely to appear in future during the current examination, was cancelled. The petitioner was given no opportunity of hearing. Against it, a writ petition was filed. The writ was allowed. It was held that since the unfair means committee is a quashi-judicial body/authority, therefore it was bound to provide an opportunity of hearing to the petitioner and give reasons in support of its decision, and becuase no opportunity of hearing was provided and no reasons were given, hence the impugned order was liable to be set aside, and it was accordingly set aside. The respondents were directed to declare the result of the petitioner. *Amit Anand Singh* v. *Vice-Chancellor, Banaras Hindu University, Varanasi, and others*, (2007) 1 U.P.L.B.E.C. (Sum) 9 (Alld.).

11. ***Examination—Cancellation of—On account of use of unfair means.***—In a certain case, where while appearing in B.A. Part II examination, the petitioner had made some rough work with pencil on the last page of his answer book. Treating it as use of unfair means, the examination of the petitioner for the year 2002 was cancelled and he was debarred from the examination of 2003. On filing of the writ petition, it was held that the said writings cannot be treated to be an unauthorised material. Therefore, the cancellation of the result of the petitioner and debarring for 2003 exams was held to be wholly unjustified. *Shiv Sevak Pandey* v. *The Vice-Chancellor, Allahabad University, Allahabad and others*, (2003) 4 U.P.L.B.E.C. 3619 (Alld.).

7. नौकरी का प्रतिषेध नहीं—गोरखपुर विश्वविद्यालय में एल० एल० बी० पाठ्यक्रम—एल० एल० बी० पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान किसी भी नौकरी करने से प्रतिषेध नहीं किया गया है। इस प्रकार मात्र यह तथ्य कि एल० एल० बी० का विद्यार्थी यदि किसी नियोजन में प्रवेश करता है तो वह स्वयं को एल० एल० बी० पाठ्यक्रम की पढ़ाई जारी रखने के लिए अनुपयुक्त नहीं कर सकता है। वह अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता है और विश्वविद्यालय के समय के पश्चात् कार्य कर सकता है। *दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं अन्य* बनाम *उर्मिला सिंह एवं अन्य,* (2005) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2792 (इला०)।

8. प्रवेश—गोरखपुर विश्वविद्यालय में एल० एल० बी० पाठ्यक्रम—विबन्ध—कतिपय वाद में जहाँ वर्ष 1999-2000 में याची को प्रवेश दिया गया था। वह अपना अध्ययन करता रहा, उसने एल० एल० बी० द्वितीय वर्ष को उत्तीर्ण कर लिया एवं उसे वर्ष 2002-03 में तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया गया। ऐसी दशा में, विश्वविद्यालय को विलम्बित प्रक्रम पर उसके प्रवेश को रद्द करने से एवं एल० एल० बी० तृतीय वर्ष के सेमेस्टरों में सम्मिलित होने से रोकने के लिए विबन्धित किया गया। *दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य* बनाम *उर्मिला सिंह एवं अन्य,* (2005) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2792 (इला०)।

9. भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956—धारा 10-क एवं धारा 19—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 7, 5, 37 (2) तथा 37 (10)—कतिपय वाद में जहाँ याची-पुण्यार्थ न्यास की मेडिकल कालेज, डेण्टल कालेज और फिजियो थिरैपी कालेज से सम्बद्धता थी और विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं को आयोजित नहीं किया गया था तथा परिणामों की घोषणा नहीं की गयी थी। ऐसी दशा में न्यायालय द्वारा रिट याचिका को अनुज्ञात किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि उक्त महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को केन्द्र सरकार से अनुमति एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के पश्चात् प्रवेश दिया गया था इसलिए साम्या याची के पक्ष में थी। विश्वविद्यालय प्रत्युत्तरदातागण को यह निदेश किया गया कि वह परीक्षा को आयोजित करे तथा परिणाम को घोषित करे। *सुभारति के० के० बी० चैरिटेबिल ट्रस्ट आदि* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं एक अन्य आदि,* (2006) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2978 (इला०)।

10. परीक्षा—अनुचित साधनों का प्रयोग—काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का परिनियम, परिनियम 1.13.2, 1.13.3, 1.13.4, 1.13.6, 8.13.9 तथा 8.13.10—कतिपय वाद में जहाँ उड़नदस्ता ने जोमेस्ट्री बाक्स को यह पाते हुए बरामद किया था कि उसके पिछली ओर कुछ नकल की सामग्री लिखी गयी थी। जबकि याची बी० ए० भाग तृतीय के परीक्षा के भूगोल के प्रश्न को हल कर रहा था। बाद में परीक्षा जिसमें याची भी सम्मिलित हुआ था और जिसमें उसका भविष्य में वर्तमान परीक्षा में सम्मिलित होना संभाव्य था, रद्द कर दी गयी। याची को सुनवायी का कोई अवसर प्रदान नही किया गया था। उसके विरुद्ध रिट याचिका दाखिल की गयी। रिट याचिका को अनुज्ञात की गयी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि अनुचित साधन समिति न्यायिक कल्प निकाय/प्राधिकारी है, इसलिए वह याची को सुनवायी का अवसर प्रदान करने एवं अपने विनिश्चयों के समर्थन में कारणों को बताने के लिए बाध्य थी और चूंकि सुनवायी का कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया था और कारण नहीं बताये गये थे, इसलिए आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने के लिए दायी है और उसे तदनुसार अपास्त किया जाता है। प्रत्युत्तरदातागण को यह निदेशित किया जाता है कि वे याची के परिणामों को घोषित करें। *अमित आनन्द सिंह* बनाम *उपकुलपति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं अन्य,* (2007) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० (सम०) 9 (इला०)।

11. परीक्षा—का रद्दकरण—अनुचित साधनों के प्रयोग के कारण—जहाँ कतिपय वाद में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए बी० ए० द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होते समय, याची ने अपनी उत्तर पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर पेंसिल से कुछ रफ कार्य को किया था। उसे अनुचित साधन का प्रयोग मानते हुए याची की वर्ष 2002 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और उसे वर्ष 2003 की परीक्षा से प्रतिबन्धित किया गया था। रिट दाखिल किये जाने पर न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त लिखावट को अप्राधिकृत सामग्री नही माना जा सकता है, इस प्रकार याची के परिणाम रद्दकरण और उसे 2003 की परीक्षा से प्रतिबन्धित करना पूर्णत: अनुचित माना गया। *शिवसेवक पाण्डेय* बनाम *उपकुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद एवं अन्य,* (2003) 4 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 3619 (इला०)।

12. *Examination—Banaras Hindu University Act, 1915—Sections 11 and 18.*—In a certain case, for the candidate to appear in the examination the attendance was short. It was held that the University has a right to restrain any student from appearing in the examination, if his attendance is less than the required percentage. But, if the stduents were issued admit-cards, the University cannot unilaterally restrain them from appearing in the repairing papers without giving them opportunity of hearing and it will be deemed that the University has condoned the deficiency of attendance. *Amresh Kumar Chaudhary* v. *Banaras Hindu University and others*, (2006) 3 U.P.L.B.E.C. 2404 (Alld.).

13. *Declaration of result—Allahabad University First Statute—Ordinance No. 2, Chapter XL, Rule 9—LL.B. Examination.*—It is compulsory for a candidate to obtain minimum 36% marks in each subject and 45% in aggregate. The petitioner obtained only 32% marks in Constitutional law in LL.B. Ist year. The petitioner's aggregate marks were less than 45%. He was wrongly promoted to LL.B. 2nd year. He went on studying. He appeared in LL.B. 3rd year examination. But, the result was to be subject to the decision of the case by the High Court. LL.B. Ist year's result subsequently declared failure after modifying previous declaration. The question, which arose, was whether promissory estoppel will apply even to nullfy statutory provision of law? It was held that no principle of promissory estoppel can apply to nullify the statutory provision of law. Therefore, LL.B.'s Ist year examination result was rightly declared by modifying and declaring the candidate as failure according to statutory provisions. *Vice-Chancellor, University of Allahabad and another* v. *Som Prakash Ratnakar and another*, (2001) 3 U.P.L.B.E.C. 1964 (Alld.).

14. *Admission in B.Ed. Course—Grant of recognition to educational institution—National Council for Teachers Education Act, 1993—Sections 14, 15, 18, 20 and 32—U.P. State Universities Act, 1973—Section 37 (2).*—Where in a certain case, an institution applied for recognition of B.Ed. Course, and the application was rejected by Regional Office, and the appeal against the rejection was dismissed, in that situation, the admission to such institution can only be made, when permission is accorded by the N.C.T.E., merely because the State Government had issued no objection and order was passed under Section 37 (2) of the University Act cannot be permitted to be diluted. Since the applications for the Sessions 1996-97 and 1997-98 were not moved in time, rejection of the application by the Regional Office and the dismissal of appeal was not in proper and these orders attained finality. Since the petitioners have obtained B.Ed. degree from unrecognized institution, Courts shall not dilute the provisions of the Act and standards of education. Therefore, writ petition was dismissed. *Rajiv Kumar* v. *State of U.P. and another*, (2007) 3 U.P.L.B.E.C. 2855 (Alld.).

15. *Admission in B.Ed. Course—U.P. State Universities (Regulation of Admission to Course of Institution for Degree in Education in Affiliated, Associated and Constituent College) Order, 1987, Chapter II, Regulations 7 (a) and 2.*—Where in a certain case, an institute had been established for imparting education in B.Ed. course, which is a professional course. It cannot be disputed that for admission to any professional course, merit must always play an important role. The merit of a student can be determined for admission to professional institute either by the marks at the qualifying examination or on the basis of competitive Entrance Test. But, difficulty arises where the lists are sent by the University on the basis of competitive entrance examination for admission to private institutes and the students do not turn up to take admission, it results in vacant seats. In such a case, it cannot be disputed that private professional institutions are established

12. परीक्षा—काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915—धारा 11 एवं 18— कतिपय वाद में, अभ्यर्थी हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उपस्थिति कम थी। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विश्वविद्यालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से अवरुद्ध कर दे बशर्ते उसकी उपस्थिति अपेक्षित प्रतिशत से कम हो। लेकिन यदि विद्यार्थियों को प्रवेश-पत्र जारी कर दिया गया हो तो विश्वविद्यालय उन्हें एकपक्षीय ढंग से, उन्हें सुने जाने का अवसर प्रदान किये बिना शेष प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित होने से अवरुद्ध नहीं कर सकता है एवं यह समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय ने उपस्थिति की कमी को माफ कर दिया है। *अमरेश कुमार चौधरी* बनाम *काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं अन्य,* (2006) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2404 (इला०)।

13. परिणाम की घोषणा—इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम—अध्यादेश संख्या 9, अध्याय 11, नियम 9—एल० एल० बी० की परीक्षा— अभ्यर्थी को प्रत्येक विषय में कम से कम 36 प्रतिशत और कुल मिलाकर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं। याची ने एल० एल० बी० प्रथम वर्ष की परीक्षा में सांवैधानिक विधि में केवल 32 प्रतिशत अंक ही प्राप्त किये थे। याची के कुल मिलाकर 45 प्रतिशत से कम था। उसे एल० एल० बी० द्वितीय वर्ष में गलत ढंग से प्रोन्नत किया गया। वह लगातार अध्ययन करता रहा। वह एल० एल० बी० तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ। लेकिन परिणाम उच्च न्यायालय द्वारा वाद के विनिश्चय के अध्यधीन होना था। एल० एल० बी० प्रथम वर्ष का परिणाम बाद में पूर्व घोषणा को उपान्तरित करते हुए असफल घोषित कर दिया गया। प्रश्न उठा कि क्या वचन विबन्ध विधि के वैधानिक प्रावधानों को अकृत करने के लिए भी लागू होगा? यह अभिनिर्धारित किया गया कि वचन विबन्ध का कोई भी सिद्धान्त विधि के वैधानिक प्रावधान को अकृत बनाने के लिए लागू नहीं हो सकता है। एल० एल० बी० प्रथम वर्ष की परीक्षा के परिणाम को उसे उपान्तरित करके घोषित किया गया और वैधानिक विधि के अनुसार अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। *उपकुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं एक अन्य* बनाम *सोम प्रकाश रत्नाकर एवं एक अन्य,* (2001) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1964 (इला०)।

14. बी० एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश—शैक्षिक संस्था को मान्यता का प्रदान किया जाना—राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद अधिनियम, 1993—धारा 14, 15, 18, 20 तथा 32—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 37 (2)— जहाँ कतिपय वाद में किसी संस्था ने बी० एड० पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए आवेदन किया था और उस आवेदन को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नामंजूर कर दिया गया था और नामंजूरी के विरुद्ध दाखिल की गयी अपील को खारिज कर दिया गया था, तो उस संस्था में प्रवेश केवल तभी दिया जा सकता है जब राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद् द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है, मात्र इसलिए कि राज्य सरकार ने अनापत्ति जारी की थी और आदेश को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 37 (2) के अधीन पारित किया गया था, उसे कमजोर बनाये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। चूंकि सत्र 1996-97 तथा 97-98 के लिए आवेदनों को समय पर समावेदित नहीं किया गया था, इसलिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवेदन की नामंजूरी तथा अपील की खारिजी समुचित नहीं थी और ये आदेश अन्तिम हो गये थे। चूंकि याचीगण ने गैर-मान्यता प्राप्त संस्था से बी० एड० की उपाधि प्राप्त की है, इसलिए न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों के तथा शिक्षा के मानकों के महत्व को कम नहीं कर सकता है। रिट याचिका खारिज कर दी गयी। *राजीव कुमार* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं एक अन्य,* (2007) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2855 (इला०)।

15. बी० एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय (सम्बद्ध, सहयुक्त और संघटक महाविद्यालय में शिक्षा में उपाधि हेतु संस्था के पाठ्यक्रमों में प्रवेश का विनियमन आदेश, 1987— अध्याय 11, विनियम 7 (क) एवं (2)— जहाँ संस्था को बी० एड० पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, तो इस बात का विवाद नहीं किया जा सकता है कि किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मेरिट सदैव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। किसी विद्यार्थी की मेरिट का अवधारण या तो अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों द्वारा या प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर व्यावसायिक संस्था में प्रवेश हेतु अवधारित किया जा सकता है लेकिन कठिनाई उस समय उत्पन्न होती है जब सूचियों को विश्वविद्यालय द्वारा निजी संस्थाओं को प्रवेश हेतु प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर भेजा जाता है और विद्यार्थी प्रवेश लेने के लिए लौटकर नहीं आते हैं तो इसके परिणामस्वरूप स्थान रिक्त हो जाते

with huge expenditure in creating infrastructure, appointing staff and teachers, etc. If the seats are left vacant because the students do not take admission in the institute on the basis of merit list by the University, then the institution would suffer huge losses.

It is clear from the Government orders dated 14-2-1999 that these non-aided private colleges are required to fill the seats from the merit list prepared on the basis of combined entrance test, sent by the University. However, if the seats remained unfilled then the colleges are required to intimate the vacancies and ask for a second list. If the other list is furnished by the University within a week, then the students would be admitted on the basis of the list sent by the University otherwise the vacant seats would be filled by the private colleges on their own.

In this case, order dated 14-6-2002 passed by the respondents was quashed. The respondents are directed to treat the admission of students made by the petitioner in B.Ed. Course in the Session 2001-02 to be regular admission and declare the result of the students within a period of one month from the date a certified copy of this order is produced before respondent No. 2—*Aryan Institute of Management and Computer Studies, Agra* v. *Vice Chancellor, Dr. B.R. Ambedkar University (Popularly Known as Agra University), Agra and another*, (2004) 2 U.P.L.B.E.C. 1603 (Alld.).

16. Admission for M.Sc. Environment Management Course.—Where in a dispute regarding the admission in the course of M.Sc. Environment Management, eligibility was only B.Sc., the appellant cannot be denied the admission on the ground that the candidate secured the B.Sc. degree undergoing two years course. Appellant promptly filed a petition, in such a case, it was held by the Supreme Court that the High Court should have allowed it. Direction was issued to admit the appellant in the next session. *Sadanand Mishra* v. *Forest Research Institute*, (2002) 1 U.P.L.B.E.C. 922 (S.C.).

17. Admission for MFA two years course—Where in a certain case, in a dispute of admission in two-years course of M.F.A. of Aligarh Muslim University, the petitioner was asked to report before Admission Committee in Chairman's Office on specified date and time, but she reported one day late owing to some reasons. Thus, she was refused admission. In such a condition, the High Court, in exercise of his writ jurisdiction, cannot inquire about the sufficiency of reasons for the delay in reporting before Admission. *Kavita Yadav* v. *Aligarh Muslim University, Aligarh and others*, (2005) 1 U.P.L.B.E.C. 988 (Alld.).

18. Availability of alternative remedy—Petition dismissed.—Where in a certain case, the petition was filed against such an order against which there was already an alternative remedy, in such a case, the petition may be dismissed even though the writ petition had been admitted and there was exchange of affidavits between the parties. In the instant petition, under Section 68, there exists an alternative remedy against the impugned order. Hence, the petition was dismissed on the ground of availability of alternative remedy. There is abolute rule or law which debars the High Court from not dismissing writ petition on graund of alternative remedy. *Manvendra Mishra (Dr.)* v. *Gorakhpur University, Gorakhpur and others*, (2000) 1 U.P.L.B.E.C. 702 (Alld.).

19. Challenge to Constitutionality.—Where the petitioner is an Association of the teachers of the Allahabad University. Its each member is engaged in the job to educate the students community admitted to the various disciplines being conducted by the University. Certainly, they are involved in the academic affairs which is a primary function of the University. This academic activity is organised, regulated or promoted under the leadership of the Vice-Chancellor. Therefore, it cannot be gainfully said that the petitioners organisation of lecturers are not in any way interested or concerned with the

हैं ऐसी दशा में यह प्रतिवाद नहीं किया जा सकता है कि निजी व्यावसायिक संस्थाएँ ढांचागत आधार, नियुक्ति स्टाफ और अध्यापकों आदि में भारी व्यय के साथ स्थापित की गयी हैं यदि स्थान इस प्रकार रिक्त छोड़ दिये जायें तो संस्था को भारी हानि उठानी पड़ेगी।

दिनांक 14-2-1999 के शासनादेश से यह स्पष्ट हो जाता है कि गैर-सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की गयी मेरिट सूची से ही स्थानों को ही भरें तथापि, यदि स्थान नहीं भरे जाते हैं तो महाविद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उन रिक्तियों के बारे में सूचित करें और द्वितीय सूची मांगे यदि विश्वविद्यालय द्वारा एक सप्ताह के भीतर अन्य सूची प्रदान की जाती है तो विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा अन्यथा रिक्त स्थानों को निजी महाविद्यालयों द्वारा स्वयंमेव ही भर लिया जायेगा।

इस वाद में प्रत्युत्तरदातागण द्वारा पारित दिनांक 14-6-2002 के आदेश को अभिखण्डित कर दिया गया। प्रत्युत्तरदातागण को यह निदेशित किया गया कि वे सत्र 2002-02 में बी० एड० पाठ्यक्रम में याची द्वारा किये गये विद्यार्थियों के प्रवेश को नियमित मानें तथा उन विद्यार्थियों के परिणाम को प्रत्युत्तरदाता सं० 2 के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति के पेश किये जाने की तारीख से एक माह के भीतर घोषित करें। *आर्यन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड कम्प्यूटर स्टडीज, आगरा* बनाम *उपकुलपति, डा० बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय (लोकप्रिय रूप में आगरा विश्वविद्यालय), आगरा तथा एक अन्य,* (2004)2 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1603 (इला०)।

16. एम० एस० सी० पर्यावरण प्रबन्धन पाठ्यक्रम में प्रवेश— जहाँ एम० एस० सी० पर्यावरण प्रबन्धन पाठ्यक्रम में प्रवेश से सम्बन्धित वाद में, पात्रता केवल बी० एस० सी० ही थी तो ऐसी दशा में अपीलार्थी को प्रवेश से इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है कि अभ्यर्थी ने दो वर्षीय पाठ्यक्रम को करते हुए बी० एस० सी० की उपाधि प्राप्त की थी अपीलार्थी ने तत्काल याचिका दाखिल की। तो ऐसी दशा में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय को याचिका अनुज्ञात करनी चाहिए थी। अपीलार्थी को अगले सत्रों में प्रवेश दिये जाने का निदेश किया गया। *सदानन्द मिश्रा* बनाम फारेस्ट *रिसर्च इंस्टीट्यूट,* (2002) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 922 (एस० सी०)।

17. भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—एम० एफ० ए० दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश— जहाँ कतिपय वाद में अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के दो वर्षीय एम० एफ० ए० के पाठ्यक्रम में प्रवेश के विवाद में, याची से कहा गया था कि वह विनिर्दिष्ट तारीख एवं समय पर चेयरमैन के कार्यालय में प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत हो लेकिन वह कतिपय कारणों से एक दिन विलम्ब से प्रस्तुत हुई तो ऐसी दशा में उसे प्रवेश से वंचित कर दिया गया, ऐसी दशा में उच्च न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत होने में विलम्ब के कारणों की पर्याप्तता की जांच नहीं कर सकता है। *कविता यादव* बनाम *अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ एवं अन्य,* (2005) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 988 (इला०)।

18. वैकल्पिक उपचार की उलब्धता—याचिका खारिज— जहाँ कतिपय वाद में ऐसे आदेश के विरुद्ध याचिका दाखिल की गयी थी जिसके विरुद्ध पहले से वैकल्पिक उपचार उपलब्ध था तो ऐसी दशा में याचिका को खारिज किया जा सकता है भले ही रिट याचिका को ग्रहण किया जा चुका हो तथा पक्षकारों के मध्य शपथ-पत्रों का विनिमय हुआ हो। प्रस्तुत याचिका में धारा 68 के अधीन आक्षेपित आदेश के विरुद्ध वैकल्पिक उपचार उपलब्ध था। अतः वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर याचिका खारिज कर दी गयी ऐसा कोई पूर्ण नियम अथवा विधि का सिद्धान्त नहीं है जो उच्च न्यायालय को वैकल्पिक उपचार के आधार पर रिट याचिका खारिज करने से विवर्जित करता हो। *(डॉ०) मानवेन्द्र मिश्रा* बनाम *गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं अन्य,* (2000) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 702 (इला०)।

19. सांवैधानिक को चुनौती—अनुच्छेद 226, अधिनियम की धारा 12 (2) (ग)— जहाँ याची इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यापकों का एसोसिएशन है। उसका प्रत्येक सदस्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाली विभिन्न शाखाओं में प्रवेश दिये गये विद्यार्थी समुदाय को शिक्षित करने के कार्य में लगा हुआ है। निश्चित रूप से वे शैक्षिक कार्यों में लगे हुए हैं जो विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्य है। यह शैक्षिक कार्यकलाप कुलपति के नेतृत्व में गठित, विनियमित किया जाता है और उसे प्रोन्नत किया जाता है। इसलिए लाभप्रद ढंग से यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रवक्ताओं का याचीगण का संगठन किसी भी प्रकार से उपकुलपति के चयन में हितबद्ध नहीं है अथवा उससे सम्बन्धित नहीं है। अतः याचीगण को

selection of the Vice-Chancellor. Therefore, the petitioners have a locus to maintain the petition. *Allahabad University Teachers' Association, Allahabad* v. *Chancellor, U.P. State Universities, Lucknow and another*, (2000) 1 U.P.L.B.E.C. 350 (Alld.).

20. Chancellor has powers to decide dispute.—The Chancellor has got all the powers to dicide the disputes and the petitioner did not exhaust the remedy provided in the University Act and approached this Court. The case does not present special features warranting any interference in this case making it as an exception to the general rule that a party must exhaust the statutory remedy before approaching this Court. *Dr. Subhash Chandra Agrawal* v. *Vice-Chancellor, Chhattrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur and another*, (2003) 4 U.P.L.B.E.C. 3550 (Alld.).

21. Writ filed by Muslims—AMU not a University of Minorities.—A writ was filed by Muslims by which Aligarh Muslim University was found to be not a University of minorities. A plea was taken that in the writ, the petitioner was not party. Therefore, the decision of that writ petition was not affected. Aligarh Muslim University did not file any impleadment application in that case, nor did it challenge that decision by filing review petition. That decision is binding on Aligarh Muslim University. *Dr. Naresh Agarwal* v. *Union of India*, (2005) 3 U.P.L.B.E.C. 2248 (Alld.).

22. Recognition to petitioner College.—In a certain case, where the petitioner-college were given recognition by the National Council of Teachers Education (NCTE) to run B.Ed. course of one year under Section 14 (1) of the NCTE Act, 1993 for Section 2003-04, the Chancellor on that basis directed affiliation of those colleges with respondent-University. But, soon, on the complaint of "A", this affiliation was taken back at the end of the said session. A public interest litigation was filed by "A" in the High Court in which the High Court directed that the matter of complaint be considered by an appropriate authority. In compliance of that direction, a three-member committee was constituted by the Registrar of the University. This committee presented its report to the Registrar and on the basis of the report, the order to withdraw the affiliation was passed by the Executive Council. The High Court found that the order to withdraw the affiliation of the petitioner-college was passed without following the relevant procedure contained in Section 37 (2), 37 (7) and 37 (8) of the U.P. State Universities Act, 1973 and no reasons were assigned therefor. The High Court quashed the order, and remanded the matter to the appropriate authority.—*Shri Radha Govind Mahavidyalaya Heerapur (Gopi), Aligarh, U.P. and another* v. *State of U.P. and others*, (2010) 1 U.P.L.B.E.C. 9.

38. Associated Colleges.—[1][(1) This section shall apply to the University Lucknow].

(2) Associated colleges shall be such as may be named by the Statutes.

(3) It shall be lawful for an associated college to make arrangements with any other associated college or colleges or with the University for co-operation in the work of teaching.

(4) The conditions of recognition of an associated college shall be prescribed by the Statutes or imposed by the Executive Council, but no associated college shall except with the previous approval of the [2][State Government], be authorised to impart instruction for post-graduate degrees.

---

1. Subs. by U.P. Act No. 28 of 2006, published on 24th October, 2006 in U.P. Gazette, Extra-ordinary Part 1, Section (a).
2. Subs. by U.P. Act No. 12 of 2007 (w.e.f. 2-6-2007), published on 2 June, 2007 in U.P. Gazette, Exra-ordinary Part 1, Section (a).

याचिका लाने की वैध प्रास्थिति प्राप्त है। *इलाहाबाद युनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, इलाहाबाद* बनाम *कुलपति, उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं एक अन्य,* (2000) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 350 (इला०)।

20. कुलपति को विवाद का निपटारा करने की शक्तियाँ प्राप्त—कुलपति को अधिनियम, 1973 के अधीन विवाद्यक को विनिश्चित करने की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं तथा याची ने अधिनियम के अधीन उपबन्धित वैधानिक उपचार को समाप्त किये बिना इस न्यायालय से उपागम किया है। वाद ऐसी कोई विशेष बातों को प्रस्तुत नहीं करता है जिनके कारण इस वाद में सामान्य नियम के प्रति उसे अपवाद बनाते हुए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो कि पक्षकार को इस न्यायालय से निवेदन करने के पूर्व वैधानिक उपचार को समाप्त करना होगा। *(डॉ०) सुभाष चन्द्र अग्रवाल* बनाम *उपकुलपति, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर एवं एक अन्य,* (2003) 4 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 3550 (इला०)।

21. मुस्लिमों द्वारा याचिका दाखिल—ए० एम० यू० अल्पसंख्यकों का विश्वविद्यालय नहीं—मुस्लिम द्वारा रिट याचिका दाखिल की गयी थी जिसके द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यकों का विश्वविद्यालय न होना पाया था। यह अभिवाक् लिया गया था कि उस रिट याचिका में याची पक्षकार नहीं था। इसलिए उस रिट याचिका का विनिश्चय प्रभावित नहीं हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उस वाद में न तो अभियोजन आवेदन दाखिल किया न ही पुनर्विलोकन याचिका दाखिल करके उस विनिश्चय को चुनौती दी। वह विनिश्चय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर आबद्धकर है। *(डॉ०) नरेश अग्रवाल* बनाम *भारत संघ,* (2005) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2248 (इला०)।

22. याची कालेजों को मान्यता—जहां कतिपय वाद में याची कालेजों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन० सी० टी० ई०) द्वारा वर्ष 2003-04 के लिए एन० सी० टी० ई० अधिनियम, 1993 की धारा 14 (1) के अधीन एक वर्षीय बी० एड० पाठ्यक्रम को चलाने के लिए मान्यता प्रदान की गयी थी, कुलपति ने उसके आधार पर याची कालेजों की प्रत्युत्तरदाता विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता का निदेश किया। लेकिन "क" के परिवाद पर उसके शीघ्र पश्चात्, यह सम्बद्धता उक्त सत्र के समाप्त होने के पश्चात् वापस ले ली गयी। उच्च न्यायालय में "क" द्वारा जनहित याचिका दाखिल की गयी जिसमें उच्च न्यायालय ने यह निदेशित किया कि परिवाद के मामले पर किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाये। उस निदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा परिवाद की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने रजिस्ट्रार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट के आधार पर कार्यपरिषद् द्वारा सम्बद्धता को वापस लेने का आदेश पारित किया गया। उच्च न्यायालय ने यह पाया कि याची कालेज को सम्बद्धता के वापस लिए जाने का आदेश उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2), 37 (7) एवं 37 (8) में अन्तर्विष्ट सुसंगत प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया था और उसके कोई कारण भी नहीं बताये गये थे। उच्च न्यायालय ने उस आदेश को अभिखण्डित कर दिया और मामला समुचित प्राधिकारी के समक्ष प्रतिप्रेषित किया—*श्री राधा गोविन्द महाविद्यालय, हीरापुर (गोपी), अलीगढ़, उ० प्र० एवं अन्य* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं अन्य,* (2010) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 9।

38. सहयुक्त महाविद्यालय—[1]["(1) यह धारा लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए लागू होगी।"

(2) सहयुक्त महाविद्यालय वो महाविद्यालय होंगे जिन्हें परिनियमों द्वारा बताया जाये।

(3) सहयुक्त महाविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी अन्य सहयुक्त महाविद्यालय अथवा महाविद्यालयों के साथ या विश्वविद्यालय के साथ अध्यापन कार्य में सहयोग के लिए प्रबन्ध करे।

(4) सहयुक्त महाविद्यालय की मान्यता की शर्तों को परिनियमों द्वारा विहित अथवा कार्यपरिषद् द्वारा अधिरोपित किया जायेगा, लेकिन कोई भी सहयुक्त महाविद्यालय, [2][राज्य सरकार] के पूर्वानुमोदन के सिवाय, स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जायेगा :

---

1. दिनांक 24 अक्टूबर, 2006 के उ० प्र० गजट, असाधारण भाग 1, अनुभाग (क) में प्रकाशित वर्ष 2006 के उ० प्र० अधिनियम संख्या 28 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. दिनांक 2 जून, 2007 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग 1, अनुभाग (क) में प्रकाशित वर्ष 2007 के उ० प्र० अध्यादेश संख्या 12 द्वारा प्रतिस्थापित (2-6-2007 से प्रभावी)।

Provided that if an associated college is refused recognition for imparting instruction for post-graduate degrees, such college may, with the approval of the [1][State Government], be granted affiliation by any University referred to in Section 37, anything in Section 5 notwithstanding, and thereupon, such college shall cease to be an associated college.

(5) Except as provided by this Act, the Management of an associated college shall be free to manage and control the affairs of the college and be responsible for its maintenance and upkeep. The Principal of every such college shall be responsible for the discipline of its students and for the superintendence and control over its staff.

(6) The Executive Council shall cause every associated college to be inspected from time to time at intervals not exceeding three years by one or more persons authorised by it in this behalf and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.

(7) The recognition of an associated college may, with the previous sanction of the [2][State Government], be withdrawn by the Executive Council, if it is satisfied after considering any explanation furnished by the Management, that it has ceased to fulfil the conditions of its recognition or that it persists in making default in the performance of its duties under this Act or in the removal of any defect in its work pointed out by the Executive Council.

[3][(8) Notwithstanding anything in this section or in Section 5, any associated college situated within the area of any University to which this section applies, may, subject to such directions, as may be issued by the State Governmemt in this behalf, be admitted to the privileges of affiliation by any University to which Section 37 applies.]

39. Disqualification for membership of Management.—A person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of the Management of an affiliated or associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government or by local authority), if he or his relative accepts any remuneration for any work in or for such college or any contract for the supply of goods to or for the execution of any work for such college :

Provided that nothing in this section shall apply to the acceptance of any remuneration by a teacher as such or for any duties performed in connection with an examination conducted by the college or for any duties as Superintendent or Warden of a training unit or of a hall or hostel of the college or as a proctor or tutor or for any duties, of a similar nature in relation to the college.

Explanation.—The term 'relative' shall have the meaning assigned to it in the Explanation to Section 20.

---

1. Subs. by U.P. Act No. 12 of 2007 (w.e.f. 2-6-2007), published on 2 June, 2006 in U.P. Gazette, Extra-ordinary Part 1, Section (a).
2. Subs. by U.P. Act No. 12 of 2007 (w.e.f. 2-6-2007)
3. Subs. by U.P. Act No. 19 of 1987.

परन्तु यह कि यदि सहयुक्त महाविद्यालय को स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए शिक्षा प्रदान करने की मान्यता नामंजूर कर दी जाती है, तो वह महाविद्यालय [1][राज्य सरकार] के अनुमोदन से धारा 37 में, धारा 5 में किसी भी बात के होते हुए, निर्दिष्ट विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान की जा सकेगी और तत्पश्चात् उस महाविद्यालय का सहयुक्त महाविद्यालय होना बन्द हो जायेगा।

(5) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय, सहयुक्त महाविद्यालय का प्रबन्ध समिति उस महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए स्वतन्त्र होगा एवं उसके अनुरक्षण तथा रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य उसके विद्यार्थियों के अनुशासन के लिए और उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण एवं नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) कार्यपरिषद् प्रत्येक सहयुक्त महाविद्यालय का उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा तीन वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर निरीक्षण करवायेगा और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जायेगी।

(7) सहयुक्त महाविद्यालय की मान्यता को [2][राज्य सरकार] की पूर्व स्वीकृति से कार्यपरिषद् द्वारा वापस लिया जा सकेगा बशर्ते उसका प्रबन्ध समिति द्वारा प्रदान किये गये किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाये कि उसका उसकी मान्यता की शर्तों को पूरा करना बन्द हो गया है अथवा यह कि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन में अथवा कार्यपरिषद् द्वारा बताये गये अपने कार्य में किसी भी दोष को दूर करने में अभी भी व्यतिक्रम कारित कर रहा है।

[3][(8) इस धारा में अथवा धारा 5 में कही गयी किसी भी बात के होते हुए, किसी भी विश्वविद्यालय के उस क्षेत्र में अवस्थित किसी भी सहयुक्त महाविद्यालय के लिए जिसके लिए यह धारा लागू होती है, ऐसी शर्तों से अध्यधीन, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किया जा सकेगा, किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा जिसके लिए धारा 37 लागू होती है, सम्बद्धता के विशेषाधिकार प्रदान किये जा सकेंगे।]

39. प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिए अनर्हता—कोई व्यक्ति सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपवर्जित रूप से पोषित महाविद्यालय को छोड़कर) के प्रबन्ध समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य बनने के लिए अनर्हित होगा यदि वह या उसका रिश्तेदार उस महाविद्यालय किसी कार्य के लिए या उस महाविद्यालय के लिए किसी पारिश्रमिक को अथवा उस महाविद्यालय को माल के प्रदाय के लिए या किसी कार्य के निष्पादन के लिए किसी भी संविदा को स्वीकार कर लेता है :

परन्तु यह कि इस धारा में कही गयी कोई भी बात उस रूप में अध्यापक द्वारा किसी भी पारिश्रमिक के स्वीकार किये जाने के लिए अथवा उस महाविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा के समबन्ध में संपादित किसी भी कर्तव्य के लिए अथवा उस महाविद्यालय के प्रशिक्षण इकाई के अथवा छात्र निवास या छात्रावास के अधीक्षक अथवा वार्डेन के रूप में या प्राक्टर अथवा ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा उस महाविद्यालय के सम्बन्ध में किसी प्रकृति के किन्हीं कर्तव्यों के सम्बन्ध में किसी भी पारिश्रमिक को स्वीकार कर लेता है।

स्पष्टीकरण—पद "रिश्तेदार" का वही अर्थ होगा जो उसे धारा 20 के स्पष्टीकरण में प्रदान किया गया है।

---

1. दिनांक 2 जून, 2007 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग 1, अनुभाग (क) में प्रकाशित वर्ष 2007 के उ० प्र० अध्यादेश संख्या 12 द्वारा प्रतिस्थापित (2-6-2007 से प्रभावी)।
2. 2007 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 12 द्वारा प्रतिस्थापित (2-6-2007 से प्रभावी)।
3. 1987 के उ० प्र० अधिनियम संख्या 29 द्वारा प्रतिस्थापित।

40. Inspection, etc., of Affiliated and Associated Colleges.—(1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct, of any affiliated or associated college, including buildings, laboratories and equipments thereof and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by it, or cause an inquiry to be made in respect of any matter connected with the administration and finances of such college.

(2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the Management of the same and a representative appointed by the Management and where the Management fails to appoint a representative, the Principal of the college may be present at such inspection or inquiry and shall have the right to be heard on behalf of the Management but no legal practitioner shall appear, plead or act on behalf of the college at such inspection or inquiry.

(3) The person or persons appointed to inspect or inquire under sub-section (1) shall have all the powers of a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects, and shall be deemed to be a Civil Court within the meaning of Sections 480 and 482 of the Code of Criminal Procedure, 1898[1] and any proceedings before him or them shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of Sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.

(4) The State Government may communicate to the Management, the result of such inspection or inquiry and may issue direction as to the action to be taken and the Management shall forthwith comply with such directions.

(5) The State Government shall inform the Vice-Chancellor about any communication made by it to the Management under sub-section (4).

(6) The State Government may, at any time, call for any information from the Management or Principal of an affiliated or associated college in connection with such inspection or inquiry.

41. Constituent colleges.—(1) Constituent colleges shall be such as may be named by the Statutes.

(2) The Principal of a constituent college shall be responsible for the discipline of the students enrolled in the college and shall have general control over the ministerial and inferior staff allotted to the college. He shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes.

42. Autonomous college.—(1) The University may grant in the manner prescribed, to an affiliated or associated college which satisfies the conditions prescribed in that behalf, the privileges of varying, for the students receiving instruction in such college, the course of study prescribed by the University, and holding examination in the courses so varied.

(2) The extent to which the courses may be varied and the manner of holding the examination conducted by such college shall be determined in each case by the University.

---

1. Now Cr.P.C., 1973 (2 of 1974).

40. सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों का निरीक्षण आदि—राज्य सरकार को किसी भी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय जिसमें, प्रयोगशालाएँ तथा उसके उपकरण सम्मिलित हैं और उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं, अथवा किये गये शिक्षण एवं अन्य कार्य का भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह निदेशित करे, निरीक्षण कराने अथवा उस महाविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त के सम्बन्ध में किसी भी मामले के सम्बन्ध में जांच कराने का अधिकार प्राप्त होगा।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का निर्णय लेती है, तो वह उसके प्रबन्ध समिति को और प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त किये गये प्रतिनिधि को सूचित करेगी और जहाँ प्रबन्ध समिति किसी प्रतिनिधि की नियुक्ति करने में विफल होता है, तो उस महाविद्यालय का प्राचार्य ऐसे निरीक्षण अथवा जाँच के समय उपस्थित हो सकेगा और उसे प्रबन्ध समिति की ओर से सुने जाने का अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन कोई भी विधि व्यवसायी उस निरीक्षण या जाँच में महाविद्यालय की ओर से उपसंजात नहीं होगा, अभिवचन या कार्य नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जाँच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को शपथ पर साक्ष्य लेने के और साक्षियों की उपस्थिति कराने एवं दस्तावेजों और तात्विक वस्तुओं को पेश करने के लिए विवश करने के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद के विषय में विचार करते समय सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और उसका दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898[1] की धारा 480 और 482 की अर्थव्याप्ति में सिविल न्यायालय होना समझा जायेगा और उसके अथवा उनके समक्ष किसी भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 एवं 228 की अर्थव्याप्ति में न्यायिक कार्यवाही का कार्यवाही होना समझा जायेगा।

(4) राज्य सरकार प्रबन्ध समिति को उस निरीक्षण या जांच के परिणाम को संसूचित कर सकेगी और वह कार्यवाही किये जाने के बारे में निदेश जारी कर सकेगी एवं प्रबन्ध समिति उन निदेशों का अविलम्ब पालन करेगा।

(5) राज्य सरकार उपकुलपति को उपधारा (4) के अधीन प्रबन्ध समिति को उसके द्वारा की गयी किसी भी संसूचना के बारे में सूचित करेगा।

(6) राज्य सरकार किसी भी समय उस निरीक्षण या जांच के सम्बन्ध में सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति अथवा प्राचार्य से किसी भी सूचना को मांग सकेगी।

41. संघटक महाविद्यालय—(1) संघटक महाविद्यालय वो महाविद्यालय होंगे जिन्हें परिनियमों द्वारा बताया जा सकेगा।

(2) संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य महाविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा और उसका महाविद्यालय को आबंटित लिपिक वर्गीय तथा अवर कर्मचारिवृन्द पर सामान्य नियंत्रम प्राप्त होगा। वह ऐसी अन्य व्यक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें परिनियमों द्वारा विहित किया जाये।

42. स्वायत्तशासी महाविद्यालय—(1) विश्वविद्यालय ऐसे सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय को जो उस निमित्त निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता है, निर्धारित रीति से उस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्ययन के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करने और इस प्रकार परिवर्तित किये गये पाठ्यक्रमों में परीक्षा को आयोजित कराने के विशेषाधिकारों को प्रदान कर सकेगा।

(2) वह सीमा, जहाँ तक उस महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किया जाये और वह रीति जिसमें परीक्षा को आयोजित किया जाये, का अवधारण प्रत्येक वाद में विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा।

---

1. अब, द० प्र० सं० 1973 (1974 का 2)।

(3) Such a college shall be declared in the manner prescribed as an autonomous college.

43. Working Men's Colleges.—The University may, under such conditions as may be prescribed, recognize, an affiliated or associated college as a 'Working Men's College' for the purpose of providing courses for degrees to persons, otherwise eligible for admission to such courses, who may be, unable to be enrolled as whole-time students by reasons of being engaged in business, trade, agriculture or industry or employed in any other form of service.

(2) The courses for such students shall extend over a period which shall not be less than one and a half time the duration prescribed for such courses for other students.

(3) Each such course shall be organized separately.

44. Institutes.—The University may establish one or more Institutes to organize and conduct teaching and research in any subject.

CHAPTER VIII

ADMISSIONS AND EXAMINATIONS

45. Admission of Students.—(1) No student shall be eligible for admission to the course of study for a degree unless—

(a) he has passed—

(i) the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, or of any University or Board incorporated by any law for the time being in force; or

(ii) any examination, or any degree conferred by any other University, being an examination or degree recognized by the University as equivalent to the Intermediate Examination or to a degree of the University; and

(b) he possesses such further qualifications, if any, as may be specified in the Ordinances :

Provided that the University may prescribe by Ordinances any lower qualifications for admission to a degree in Fine Arts.

(2) The conditions under which students may be admitted to the diploma courses of the University shall be prescribed by the Ordinances.

(3) The University shall have the power to recognize (for the purposes of admission to a course of study for a degree), as equivalent to its own degree, any degree conferred by any other University of, as equivalent to the Intermediate Examination of any Indian University, any examination conducted by any other authority.

(4) Any student whose work or conduct is unsatisfactory may be removed from the University or an Institute or a constituent college or an affiliated or associated college in accordance with the provisions of the Ordinances.

46. Bar of charging any donation, etc., for admission to a college.—No person connected with the management of an affiliated or associated college and no Principal or other teacher or other employee thereof shall directly or

(3) ऐसे महाविद्यालय को निर्धारित रीति से स्वायत्तशासी महाविद्यालय के रूप में घोषित किया जायेगा।

43. श्रमजीवी महाविद्यालय—(1) विश्वविद्यालय ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें विहित किया जाये, किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय को, उन व्यक्तियों को उपाधियों के पाठ्यक्रमों को प्रदान करने के प्रयोजनार्थ जो अन्यथा ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के पात्र हैं, और जो व्यवसाय व्यापार, कृषि या उद्योग में लगे होने या सेवा के अन्य किसी भी रूप में नियोजित होने के कारण पूर्णकालिक विद्यार्थियों के रूप में नामांकित होने में असमर्थ हो सकते हैं, मान्यता प्रदान कर सकेगा।

(2) उन विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम ऐसी अवधि तक विस्तारित होगा जो अन्य विद्यार्थियों के लिए उन पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित अवधि के डेढ़ गुना से कम नहीं होगी।

(3) ऐसे प्रत्येक पाठ्यक्रम को पृथक् रूप से आयोजित किया जायेगा।

44. संस्थाएँ—विश्वविद्यालय किसी भी विषय में अध्यापन और अनुसंधान को आयोजित तथा संचालित करने के लिए एक या अधिक संस्थाओं को स्थापित कर सकेगा।

अध्याय 8

प्रवेश और परीक्षाएँ

45. विद्यार्थियों का प्रवेश—(1) कोई भी विद्यार्थी उपाधि के अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश हेतु पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि, उसने—

(क) निम्न को उत्तीर्ण न किया हो—

(i) उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा समाविष्ट किसी भी विश्वविद्यालय या परिषद् की परीक्षा; अथवा

(ii) किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई भी परीक्षा या उपाधि जो उस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा या उपाधि ऐसी है जो इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा विश्वविद्यालय की उपाधि के समकक्ष है।

(ख) उसके पास ऐसी अतिरिक्त अर्हता, यदि कोई हो, है जिसे अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय अध्यादेशों द्वारा ललित कलाओं में उपाधि के लिए प्रवेश हेतु किसी कम अर्हताओं को विहित कर सकेगा।

(2) वो शर्तें, जिनके अधीन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जा सकेगा, अध्यादेशों द्वारा विहित की जायेगी।

(3) विश्वविद्यालय को (किसी उपाधि के अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए) किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी भी उपाधि को अपनी निजी उपाधि के समकक्ष मानकर अथवा, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा को किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मानकर मान्यता प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होगी।

(4) कोई भी विद्यार्थी, जिसका कार्य अथवा आचरण असंतोषजनक है, विश्वविद्यालय या संस्था या संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार अपसारित किया जा सकेगा।

46. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु किसी भी दान, आदि को लेने पर प्रतिबन्ध—सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति से सम्बद्ध कोई भी व्यक्ति और उसके कोई भी प्राचार्य या अन्य अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अध्यादेश में निर्दिष्ट दरों पर शुल्क के सिवाय, किसी भी

indirectly take or receive or cause to be taken or received any contribution, donation, fees or any other payment of any sort, either in cash or in kind, except the fees at the rates laid down in the Ordinances, from or on behalf of any pupil [1][as a condtion for granting him admission to or permitting him after such admission to continue in such college].

[2][**46-A. Contribution and donations to Colleges.**—Where a contribution or donation, either in cash or in kind is taken or received by any affiliated or associated college maintained exclusively by the State Government or a local authority, the contribution or donation so received shall be utilised only for the purpose for which it was given to it and in the case contribution or donation shall be operated in accordance with the general or special orders of the State Government].

47. Halls, hostels and delegacy of the University.—(1) This section shall apply to the University of Lucknow, [3][* * *], Gorakhpur and such other University the State Government may by notification specify.

(2) The halls and hostels of the University shall be—

(a) those maintained by the University and named in the Statutes;

(b) those recognized by the Executive Council on such general or special conditions as may be provided by the Ordinances.

(3) The warden and other staff of the halls and hostels shall be appointed in the manner provided by the Ordinances.

(4) The Executive Council shall have power to suspend or withdraw the recognition of a hall or hostel which is not maintained in accordance with the conditions referred to in clause (b) of sub-section (2) :

Provided that no such action shall be taken without giving to the management of such hall or hostel an opportunity of making a representative against the proposed action.

(5) There shall be a Delegacy to supervise the arrangements relating to the residence, health and welfare of students of the University not residing in or under the care of any constituent college or hall. The constitution, power and duties of the Delegacy shall be presribed by the Statutes.

48. Examinations.—Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Examination Committee shall direct the arrangements for the conduct of examinations.

COMMENT

Fresh examinations.—In a certain case, where a writ petition was filed for fresh examinations of those students who had been left out in the main examination of the year 2008-09 within a month from the date of production of certified copy of the order. It was held by the Court that the University was under no obligation to hold re-examination for the students represented through the respondent. The appeal was allowed.—*Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi and another* v. *Shanti Pandey and another*, (2010) 3 U.P.L.B.E.C. 2424.

---

1. Subs. by U.P. Act No. 5 of 1977.
2. Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.
3. The word "Allahabad" omitted by Act No. 26 of 2005 (w.e.f. 14-7-2007).

विद्यार्थी से या उसकी ओर से [1][उस महाविद्यालय में उसे प्रवेश प्रदान करने अथवा उस प्रवेश के पश्चात् उसे उसमें बने रहने की शर्त के रूप में], या तो नगद या वस्तु के रूप में कोई भी योगदान, दान, फीसों या अन्य किसी भी प्रकार के संदाय को नहीं लेगा या प्राप्त नहीं करेगा अथवा न संदाय प्राप्त करायेगा या न करायेगा।

[2][**46-क. महाविद्यालयों के लिए योगदान एवं दान**—जहाँ राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपवर्ती रूप से पोषित किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय द्वारा नगद या वस्तु के रूप में कोई योगदान अथवा दान को लिया जाता है या प्राप्त किया जाता है तो वहाँ इस प्रकार प्राप्त किए गए अन्य दान अथवा दान का प्रयोग केवल उस प्रयोजनार्थ ही किया जाएगा जिसके लिए उसे दिया गया था और राज्य सरकार द्वारा अपवर्जी रूप से पोषित महाविद्यालय की दशा में कोई भी नगद योगदान या दान उस संस्था के निजी लेजर खाते में धनी किया जायेगा जिसे राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अनुसार संचालित किया जायेगा।]

47. विश्वविद्यालय के छात्र निवास, छात्रावास और डेलीगेसी—(1) यह धारा लखनऊ, [3][* * *] गोरखपुर और ऐसे अन्य विश्वविद्यालय के लिए लागू होगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) विश्वविद्यालय के छात्र निवास और छात्रावास होंगे—

(क) जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा पोषित और परिनियमों में बताया गया हो;

(ख) जिन्हें कार्यपरिषद् द्वारा ऐसी सामान्य अथवा विशेष शर्तों पर मान्यता प्रदान की गयी हो जो अध्यादेशों द्वारा प्रदान की जा सकेगी।

(3) छात्र निवासों और छात्रावासों के वार्डेन तथा अन्य कर्मचारिवृन्द अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(4) कार्यपरिषद् को किसी छात्र निवास अथवा छात्रावास की मान्यता को निलम्बित करने अथवा उसे वापस लेने की शक्ति प्राप्त होगी जिसे उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार पोषित न किया गया हो :

परन्तु यह कि ऐसी कोई भी कार्रवाई प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अन्यावेदन करने का उस छात्र निवास अथवा छात्रावास के प्रबन्ध समिति को अवसर प्रदान किए बिना नहीं की जायेगी।

(5) किसी भी संघटक महाविद्याल या छात्र निवास की देख-रेख में या उसके तहत निवास न करने वाले विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास, स्वास्थ्य एवं कल्याण के सम्बन्ध में प्रबन्धों का पर्यवेक्षण करने के लिए डेलीगेसी होगी। उस डेलीगेसी का गठन, शक्ति एवं कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

48. परीक्षाएँ—इस अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन, परीक्षा समिति परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रबन्धों का निदेश कर सकेगी।

टिप्पणी

नये सिरे से परीक्षाएँ—कतिपय वाद में उन विद्यार्थियों के लिए नये सिरे से परीक्षा हेतु रिट याचिका दाखिल की गयी थी जिन्हें आदेश की प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत किये जाने की तारीख से एक माह के भीतर वर्ष 2008-09 की मुख्य परीक्षा में छोड़ दिया गया था। न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि विश्वविद्यालय प्रत्युत्तरदाता के माध्यम से प्रतिनिधित्व किये गये विद्यार्थियों के लिए नये सिरे से परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता—*सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं एक अन्य* बनाम *शान्ती पाण्डेय एवं एक अन्य,* (2010) 3 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2424।

---

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. शब्द "इलाहाबाद" का वर्ष 2005 के अधिनियम संख्यांक 26 द्वारा लोपित (14-7-2007 से प्रभावी)।

CHAPTER IX

STATUTES, ORDINANCES AND REGULATIONS

49. Statutes.—Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall in particular, provide for—

(a) the constitution, power and duties of the authorities of the University;

(b) the election, appointment and term of office of the members of the authorities of the University, including the continuance in office of the first members, and the filling in of vacancies in their membership and other matters relating to these authorities for which it may be necessary provide;

(c) the powers and duties of the officers of the University;

[1][(d) the classification and recruitment (including minimum qualifications and experience) of Principals and other teachers of the University and of affiliated and associated colleges, the maintenance by them of their annual academic progress report, the rules of conduct to be observed by them and their emoluments and other conditions of service (including provisions relating to compulsory retirement);

(e) the recruitment (including minimum qualifications and experience) and their emoluments and other conditions of service (including provisons relating to compulsory retirement) of persons appointed to other posts under the University];

(f) the constitution of a pension or provident fund or the establishment of an insurance-scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University;

(g) the institution of degrees and diplomas;

(h) the conferment of honorary degrees;

(i) the withdrawal of degrees and diplomas, certificates and other academic distinctions;

(j) the establishment, amalgamation, abolition and reorganisation of Faculties;

(k) the establishment of departments of teaching in the Faculties;

(l) the establishment, abolition and reorganisation of halls and hostels maintained by the University;

(m) the conditions under which colleges and other institutions may be admitted to the privileges of affiliation or recognition by the University and the conditions under which any such privilege may be withdrawn;

(n) the recognition of the Management of any affiliated or associated college;

[2][(o) the number, minimum qualifications and experience, the emoluments and other conditions of service, including the age of retirement and

---

1. Subs. by U.P. Act No. 5 of 1977 and shall be deemed always to have been substituted.
2. Subs. by U.P. Act No. 5 of 1977.

अध्याय 9

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

49. परिनियम—इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, परिनियम में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी मामले के लिए प्रावधान किया जा सकेगा और विशेषरूप से निम्न के लिए उपबन्ध किया जाएगा—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्ति तथा कर्तव्य;

(ख) प्रथम सदस्यों के पद में बने रहने, उनकी सदस्यता में रिक्तियों के भरने और इन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य मामलों के लिए, जिसके लिए उपबन्ध करना आवश्यक हो, सहित विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों के पद के चुनाव, नियुक्ति तथा कार्यकाल;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य;

[1][(घ) विश्वविद्यालय के और सम्बद्ध तथा सहयुक्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं अन्य अध्यापकों का वर्गीकरण एवं भर्ती (न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव सहित) उनके द्वारा अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट को अनुरक्षित करना, उनके द्वारा पालन किए जाने वाले आचरण के नियमों और उनके परिलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य शर्तें (अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित प्रावधानों सहित)];

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की भर्ती (न्यूनतम अर्हताओं तथा अनुभव सहित) उनके परिलब्धियाँ एवं सेवा की अन्य शर्तें (अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित प्रावधानों सहित);

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन अथवा भविष्य निधि का गठन अथवा बीमा योजना का स्थापित किया जाना;

(छ) उपाधियों तथा डिप्लोमा का संस्थित किया जाना;

(ज) मानक उपाधियों को प्रदान करना;

(झ) उपाधियों तथा डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों और अन्य शैक्षिक विशेषताओं को वापस लेना;

(ञ) संकायों की स्थापना, विलय, उन्मूलन तथा पुनर्गठन;

(ट) संकायों के अध्यापन के विभागों की स्थापना करना;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्र निवासों एवं छात्रावासों की स्थापना उन्मूलन और पुनर्गठन;

(ड) वो शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालय एवं अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता अथवा मान्यता प्रदान करने के विशेषाधिकार प्रदान किए जा सकेंगे और वो शर्तें जिनके अधीन ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस लिया जा सकेगा;

(ढ) किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति की मान्यता;

[2][(ण) विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के वैतनिक कर्मचारियों (अध्यापक नहीं) की सेवानिवृत्ति की आयु एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित और उसका सदैव प्रतिस्थापित किया जाना समझा जायेगा।
2. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

provisions relating to compulsory retirement of salaried employees (not being teachers) of the University or an affiliated or associated college, and the preparation and maintenance of record of their service];

(p) the institution of scholarships, fellowships, studentships, medals and prizes;

(q) the qualifications, conditions and manner of registration of graduates and the maintenance of a register of registered graduates;

(r) the holding of convocation, if any; and

(s) all other matters which by this Act are to be or may be provided for by the Statutes.

COMMENT

Minimum qualification.—Statute 50—Advocates Act, 1961—Section 7, Rule 12.— Under Statute 50, the requirement of master's degree in any subject taught in the college was deleted. Whereas in Rule 12, such qualification has been prescribed. Both provisions are inconsistent. It was held that U.P. State Universities Act, 1973 being special legislation shall prevail over Advocates Act, which in a general legislation. Bar Council of India has got no power to prescribed minimum qualifications of teachers or principal. *Board of Management, Dayanand College of Law, Kanpur* v. *State of U.P. and others*, (2001) 1 U.P.L.B.E.C. 440 (All.).

50. Statutes how made.—The First Statutes of the University shall be made by the State Government by notification in the Gazette and in the case of any existing University, for so long as the First Statutes are not so made, the Statutes as in force immediately before the commencement of this Act, insofar as they are not inconsistent with the provisions of this Act, shall, subject to such adaptations and modifications whether by way of repeal, amendment or addition as may be necessary or expedient, as the State Government may, by notification in the Gazette provide, continue in force, and any such adaptation or modification shall not be called in question.

[1][(1-A) The State Government may by notification in the Gazette amend whether by way of addition, substitution or omission, the First Statutes at any time [2][up to December 31, 1990] and any such amendment may be retrospective to a date not earlier than the date of such commencement.]

[3][(1-B) Until the First Statutes of the Purvanchal University are made under this section, the Statutes of the University of Gorakhpur, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.]

[4][(2) The Executive Council may, at any time [5][after December 31, 1990], make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) or sub-section (1-A).]

1. Ins. by U.P. Act No. 29 of 1974.
2. Subs. by U.P. Act No. 9 of 1988.
3. Ins. by U.P. Act No. 19 of 1987.
4. Subs. by U.P. Act No. 29 of 1974.
5. Subs. by U.P. Act No. 9 of 1988.

प्रावधानों सहित संख्या, न्यूनतम अर्हताएँ और अनुभव, परिलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य शर्तें];

(त) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना;

(थ) स्नातकों की अर्हताएँ, शर्तें एवं पंजीयन की रीति और पंजीकृत स्नातकों की पंजी का अनुरक्षण;

(द) दीक्षान्त समारोह, यदि कोई हो को आयोजित करना; और

(ध) अन्य सभी मामले जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाने चाहिए या उपबन्धित किए जा सकेंगे।

टिप्पणी

न्यूनतम अर्हताएं—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 49—परिनियम 50—अधिवक्ता अधिनियम, 1961—धारा 7, नियम 12—परिनियम 50 के अधीन महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले किसी भी विषय में मास्टर की उपाधि की शर्त का लोप कर दिया गया था। जबकि नियम 12 में उस अर्हता को निर्धारित किया गया है। दोनों प्रावधान असंगत हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 विशेष विधान होने के कारण अधिवक्ता अधिनियम, 1961 पर अभिभावी होगा, जो कि सामान्य विधान है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् को अध्यापकों अथवा प्रधानाचार्य की न्यूनतम अर्हताओं को निर्धारित करने की कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। *बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट, दयानन्द कालेज आफ लॉ, कानपुर बनाम उ० प्र० राज्य एवं अन्य,* (2001) यू० पी० एल० बी० ई० सी० 440 (इला०)।

50. परिनियम कैसे बनाए जाएंगे—विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों को राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा बनाया जाएगा और किसी विद्यमान विश्वविद्यालय की दशा में, जब प्रथम परिनियमों को इस प्रकार नहीं बनाया जाता है, तो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व यथा प्रवृत्त परिनियम, जहाँ तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हैं, ऐसे अनुकूलनों तथा उपान्तरणों के अध्यधीन, चाहे वे निरसन, संशोधन अथवा परिवर्धन द्वारा हो, जैसा आवश्यक हो या समीचीन हो, जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा उपबन्धित कर सकेगी, प्रभावी बने रहेंगे और ऐसे अनुकूलन या उपान्तरण को चुनौती नहीं दी जाएगी।

[1][(1-क) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा प्रथम परिनियमों को किसी भी समय [2][31 दिसम्बर, 1990 तक] चाहे परिवर्धन, प्रतिस्थापन या लोप द्वारा हो संशोधन कर सकेंगे और ऐसे संशोधन उस प्रारम्भ होने की तारीख से अपश्चात् किसी तारीख से भूतलक्षी हो सकेगी।]

[3][(1-ख) इस धारा के अधीन पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों के इस धारा के अधीन बनाये जाने तक गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापित किये जाने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, उसके लिए ऐसे अनुकूलनों और उपान्तरणों के अध्यधीन लागू होंगे जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा प्रावधान कर सके।]

[4][(2) कार्यपरिषद् [5][31 दिसम्बर, 1990 के पश्चात्] किसी भी समय, नये अथवा अतिरिक्त परिनियमों को बना सकेगी अथवा उपधारा (1) अथवा उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित अथवा निरसित कर सकेगी।]

---

1. 1974 के उ० प्र० अधिनियम 29 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1988 के उ० प्र० अधिनियम 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1987 के उ० प्र० अधिनियम 19 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. 1974 के उ० प्र० अधिनियम 29 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1988 के उ० प्र० अधिनियम 9 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) The Executive Council shall not propose the draft of any Statute affecting the status, power or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing its opinion upon the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be submitted to the Chancellor.

(4) Every new Statute or addition to a Statute or any amendment or repeal of Statute shall be submitted to the Chancellor who may assent to it or withhold his assent therefrom or remit it to the Executive Council for further consideration.

(5) A Statute passed by the Executive Council shall have effect from the date it is assented to by the Chancellor or from such later date as may be specified by him.

[1][(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-section the State Government may in order to implement any decision taken by it in the interest of learning, teaching or research or for the benefit of teachers, students or other staff or on the basis of any suggestion or recommendation of the University Grants Commissin or the State or National Education Policy with regard to the qualifications of the teachers, require the Executive Council to make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) or sub-section (1-A) within a specified time and if the Executive Council fails to comply with such requirement the State Government may, with the assent of the Chancellor, make new or additional statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) or sub-section (1-A).]

[2][(7) The Executive Council shall have no power to amend or repeal the Statutes made by the State Government under sub-section (6) or to make new or additional Statutes inconsistent with such Statutes.]

51. Ordinances.—(1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes the Ordinances may provide for any matter which by this Act or the Statutes is to be or may be provided for the Ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Ordinance shall provide for the following matters, namely—

(a) the admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and other academic distinctions of the University;

(c) the conditions under which students shall be admitted to the examinations, degrees and diplomas of the University and shall be eligible for the award of such degrees and diplomas;

(d) the conditions of the award of scholarships, fellowships, studentships, burseries, medals, and prizes;

(e) the conditions of residence of students at the University and the management of halls and hostels maintained by the University;

1. Subs. by U.P. Act No. 9 of 1988 (w.e.f. 19-9-1997).
2. Ins. by U.P. Act No. 4 of 1995 (w.e.f. 17-12-1994).

(3) कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति अथवा गठन को प्रभावित करते हुए किसी भी परिनियम के किसी भी प्रारूप को तब तक प्रस्तावित नहीं करेगा जब तक उस प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान न किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त को गयी कोई भी राय लिखित रूप में होगी और उसे कुलपति के समक्ष दाखिल किया जायेगा।

(4) प्रत्येक नया परिनियम अथवा किसी परिनियम में परिवर्तन अथवा परिनियम के किसी संशोधन या निरसन को कुलपति के समक्ष दाखिल किया जायेगा जो उस पर सहमति दे सकेगा अथवा उससे अपनी सहमति को प्रतिधारित कर सकेगा अथवा उसे अग्रेतर विचार किये जाने के लिए कार्यपरिषद् के समक्ष विप्रेषित कर सकेगा।

(5) कार्यपरिषद् द्वारा पारित परिनियम उस तारीख से, जब उस पर कुलपति द्वारा सहमति दी जाती है अथवा ऐसी पश्चात्वर्ती तारीख से प्रभावी होगा जिसे उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

[1][[2][(6) पूर्वगामी उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए राज्य सरकार अपने द्वारा ज्ञान, अध्यापन अथवा अनुसंधान के हित में अथवा अध्यापकों, विद्यार्थियों अथवा अन्य कर्मचारिवृन्द के लाभ के लिए, लिये गये अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी सुझाव या सिफारिश या अध्यापकों की अर्हताओं के सम्बन्ध में राज्य अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर लिए गए किसी भी विनिश्चय को पूरा करने के उद्देश्य से, कार्यपरिषद् से विनिर्दिष्ट समय के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियमों को बनाने अथवा उपधारा (1) या उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित या निरसित करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि कार्यपरिषद् उस शर्त का पालन करने में विफल होती है तो राज्य सरकार कुलपति की सहमति से, नये या अतिरिक्त परिनियमों को बना सकेगी अथवा उपधारा (1) अथवा उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन अथवा निरसन कर सकेगी।]

(7) कार्यपरिषद् को उपधारा (6) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये परिनियमों को संशोधित या निरसित करने अथवा उन परिनियमों के असंगत नये अथवा अतिरिक्त परिनियमों को बनाने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं होगी।]

51. अध्यादेश—(1) इस अधिनियम और परिनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन अध्यादेशों में ऐसे किसी भी मामले के लिए प्रावधान किया जा सकेगा जिसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अध्यादेशों द्वारा प्रावधान किया जाना चाहिए अथवा किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेश में निम्नलिखित मामलों के लिए प्रावधान किया जा सकेगा, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश और उनका नामांकन एवं इस रूप में बने रहना;

(ख) सभी उपाधियों, डिप्लोमा एवं विश्वविद्यालय की अन्य शैक्षिक विशेषताओं के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम को निर्दिष्ट किया जाना;

(ग) वो शर्तें जिनके अधीन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमा में प्रवेश किया जायेगा और वे उन उपाधियों तथा डिप्लोमा के प्रदान किये जाने के पात्र होंगे;

(घ) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों विशेष छात्रवृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों के प्रदान किये जाने की शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के निवास की शर्तें तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्र निवासों एवं छात्रावासों का प्रबन्धन;

---

1. 1995 के उ० प्र० अधिनियम 4 द्वारा अन्तःस्थापित (17-12-1994 से प्रभावी)।
2. 1988 के उ० प्र० अधिनियम 9 द्वारा प्रतिस्थापित (19-9-1997 से प्रभावी)।

(f) the recognition and management of halls and hostels not maintained by the University;

(g) the maintenance of discipline among the students of the University;

(h) all matters relating to correspondence courses and private candidates;

[1][(i) the formation of parent-teachers association];

(j) the fees which may be charged by the University or by an affiliated or associated college for any purpose;

(k) the conditions subject to which persons may be recognised as qualified to give instructions in halls and hostels;

(l) the conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies, examiners, moderators, invigilators and tabulators;

(m) the conduct of examinations;

(n) the remuneration and allowances including travelling any daily allowances to be paid to persons employed on the business of the University;

(o) all other matters which by this Act or the Statutes are to be or may be provided for by the Ordinances.

SYNOPSIS

1. Admission—M.Com. second year—U.P. State University Act, 1973—Section 51 and para 26 of the Ordinance framed thereunder.
2. Admission—Special B.T.C. course.
3. Admission Fee—Refund of.

1. Admission—M.Com. second year—U.P. State University Act, 1973—Section 51 and para 26 of the Ordinance framed thereunder.—The petitioner had passed M.Com., First year. He did not apply for admission in the second year of M.Com. next year. However, he applied for the admission in the second year of M.Com. after lapse of two years. The Universities authorities did not allow him the admission. While dismissing the writ, it was held that the University authorities were justified in refusing the admission in view of para 26 of the ordinance framed under the State Universities Act because the petition applied for admission after two years. *Sanjeev Kumar Jaiswal* v. *Vice-Chancellor, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth (University), Varanasi and others*, (2005) 2 U.P.L.B.E.C. 1583 (Alld.).

2. Admission—Special B.T.C. course.—Where the petitioner relied upon the circular of the University wherein, in para 3, it has been provided that examination in the correspondence course and regular examination is on the basis of the same question papers and in para 5, it is said that B.Ed. degree in respect of both the courses are similarly recognised, in such a case, it has been held that the order rejecting the candidature is not valid that the candidate has obtained B.Ed. degree in correspondence course. *Jitendra Kumar* v. *State of U.P. and others*, (2002) 2 U.P.L.B.E.C. 1301 (Alld.).

3. Admission Fee—Refund of.—Where in a certain case, the amount deposited on 7-7-2003 was only a part of the requisite fee, whereas the entire fee had been deposited by 16-

1. Subs. by U.P. Act No. 5 of 1977.

(च) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न किये जाने वाले छात्र निवासों और छात्रावासों की मान्यता और प्रबन्धन;

(छ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना;

(ज) पत्राचार पाठ्यक्रमों तथा निजी विद्यार्थियों से सम्बन्धित सभी मामले;

[1][(झ) माता-पिता अध्यापक एसोसिएशन का गठन];

(ञ) फीस, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा या सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रयोजनार्थ लिया जा सकेगा;

(ट) शर्तें, जिनके अधीन व्यक्तियों को छात्र निवासों एवं छात्रावासों में शिक्षण प्रदान करने के लिए अर्हित मानकर मान्यता प्रदान की जा सकेगी;

(ठ) परीक्षण निकायों, परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों तथा सारिणी कारकों को नियुक्त करने की शर्तें एवं रीति तथा उनके कर्तव्य;

(ड) परीक्षाओं का संचालन;

(ढ) विश्वविद्यालय के कामकाज के लिए नियोजित व्यक्तियों को संदाय किये जाने वाले यात्रा, पारिश्रमिक तथा किसी दैनिक भत्तों सहित अन्य भत्ते;

(ण) अन्य सभी मामले जो इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उपबन्ध किये जाने में, अध्यादेशों द्वारा किये जायें।

टिप्पणियाँ

1. प्रवेश—एम० काम द्वितीय वर्ष—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 51 एवं उसके अधीन विरचित अध्यादेश का पैरा 26
2. प्रवेश—विशेष बी० टी० सी० कोर्स
3. प्रवेश शुल्क—का प्रतिदाय

1. प्रवेश—एम० काम द्वितीय वर्ष—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 51 एवं उसके अधीन विरचित अध्यादेश का पैरा 26—याची ने एम० काम प्रथम वर्ष उत्तीर्ण किया था। उसने अगले वर्ष एम० काम द्वितीय वर्ष हेतु प्रवेश के लिए आवेदन नहीं किया। तथापि, उसने दो वर्ष के व्यपगमन के पश्चात् एम० काम द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन किया। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने उसे प्रवेश देने से इन्कार कर दिया। रिट को खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि विश्वविद्यालय प्राधिकारी राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अधीन विरचित अध्यादेशों के पैरा 26 को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेश से इन्कार करने में न्यायोचित थे क्योंकि याची ने दो वर्ष के पश्चात् प्रवेश के लिए आवेदन किया था। *संजीव कुमार जायसवाल* बनाम *उपकुलपति, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ (विश्वविद्यालय), वाराणसी एवं अन्य,* (2005) 2 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1583 (इला०)।

2. प्रवेश—विशेष बी० टी० सी० कोर्स—जहाँ याची ने दिनांक 19-5-1999 के विश्वविद्यालय के सरकुलर पर निर्भर किया था जिसमें पैरा 3 में यह प्रावधान किया गया है कि पत्राचार पाठ्यक्रम और नियमित परीक्षा एक ही प्रश्न-पत्र पर आधारित है, और पैरा 5 में यह उपबन्ध किया गया है कि दोनों पाठ्यक्रमों में बी० ए० की उपाधि समान रूप से मान्यता प्राप्त है, तो ऐसी दशा में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभ्यर्थना को नामंजूर करने का आदेश इस आधार पर वैध नहीं है कि अभ्यर्थी ने पत्राचार पाठ्यक्रम में बी० एड० की उपाधि को प्राप्त किया था। *जीतेन्द्र कुमार* बनाम *उ० प्र० राज्य एवं अन्य,* (2002) यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1301 (इला०)।

3. प्रवेश शुल्क—का प्रतिदाय—जहाँ कतिपय वाद में 7-7-2003 को निक्षेपित धनराशि अपेक्षित शुल्क का ही भाग था, जबकि सम्पूर्ण शुल्क को 16-7-2003 को निक्षेपित किया जा चुका था। इस तरह से तीन

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

7-2003. Thus, the period for calculating three weeks must be deemed to have commenced from 16-7-2003 when entire fee had been deposited, and not from 7-7-2003. Therefore, the application for refund of the fee by the petitioner was within three weeks and we agree with the view taken by the learned single Judge. *Vice-Chancellor, Bundelkhand University, Jhansi and another* v. *Sushant Vatsa and another,* (2004) 2 U.P.L.B.E.C. 2094 (Alld.).

52. Ordinance how made.—(1) The first Ordinances of each existing University shall be the Ordinances as in force immediately before the commencement of this Act insofar as they are not inconsistent with the provisions of this Act :

Provided that for the purpose of bringing the provisions of any such Ordinances into accord with the provisions of this Act and the Statutes, the Chancellor may by order make such adaptations and modifications of the Ordinances whether by way of repeal, amendment or addition as may be necessary or expedient and, provide that the Ordinances shall as from such date as may be specified in the order have effect subject to the adaptations and modifications so made and any such adaptation or modification shall not be called in question.

(2) The First Ordinances of the Universities of Kumaun and Garhwal and of any other University to be established after the commencement of this Act shall be made by the State Government by notification in the Gazette.

[1][(2-A) Until the First Ordinances of the Purvanchal University are made under sub-section (2), the Ordinances of the University of Gorakhpur, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.]

(3) Save as otherwise provided in this section, the Executive Council may, from time to time, make new or additional Ordinances or may amend or repeal the Ordinances referred to in sub-sections (1) and (2) :

Provided that no Ordinance shall be made—

(a) affecting the admission of students, or prescribing examinations to be recognized as edquivalent to the University examinations or the further qualifications mentioned in sub-section (1) of Section 45 for admission to the degree courses of the University, unless a draft of the same has been proposed by the Academic Council; or

(b) effecting the conditions and mode of appointment and duties of examiners and the conduct or standard of examinations or any course of study except in accordance with a proposal of the Faculty or Faculties concerned and unless a draft of such Ordinance has been proposed by the Academic Council; or

(c) effecting the number, qualifications and emoluments of teachers of the University or the income or expenditure of the University, unless a draft of the same has been approved by the State Government.

---

1. Ins. by U.P. Act No. 19 of 1987.

सप्ताह की संगणना करने की अवधि का 16-7-2003 से प्रारम्भ किया जाना समझा जाएगा जब सम्पूर्ण शुल्क निक्षेपित किया गया था, न कि 7-7-2003 से। इसलिए, याची द्वारा शुल्क के प्रतिदाय का आवेदन तीन सप्ताह से भीतर ही था और इसलिए न्यायालय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाये गये मत से सहमत है। *उपकुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी एवं एक अन्य* बनाम *सुशान्त वत्स एवं एक अन्य,* (2004) 2 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 2094 (इला०)।

52. अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे—(1) प्रत्येक विद्यमान विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश वो अध्यादेश होंगे जो, जहां तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे :

परन्तु यह कि ऐसे किसी भी अध्यादेश के प्रावधानों को इस अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप लाने के प्रयोजनार्थ, कुलपति आदेश द्वारा अध्यादेशों के ऐसे अनुकूलन या उपान्तरणों को चाहे वे निरसन, संशोधन या जैसा आवश्यक या समीचीन हो परिवर्धन के रूप में कर सकेगा और यह प्रावधान कर सकेगा कि अध्यादेश आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख से इस प्रकार किये गये अनुकूलनों तथा उपान्तरणों के अध्यधीन प्रभावी होंगे और ऐसे किसी भी अनुकूलन अथवा उपान्तरण को प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा।

(2) कुमायूं और गढ़वाल विश्वविद्यालयों के अथवा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् स्थापित किये जाने वाले अन्य किसी भी विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना से बनाये जायेंगे।

[1][(2-क) जब तक पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेशों को उपधारा (2) के अधीन न बनाया जाये, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापित किये जाने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त हों, ऐसे अनुकूलनों तथा उपान्तरणों के अध्यधीन, जिनका राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से उपबन्ध कर सकेगी, उसके लिए लागू होंगे।]

(3) इस धारा में अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय कार्यपरिषद्, समय-समय पर नये या अतिरिक्त अध्यादेशों को बना सकेगी अथवा उपधारा (1) तथा (2) में निर्दिष्ट अध्यादेशों को संशोधित अथवा निरसित कर सकेगी :

परन्तु यह कि ऐसे किसी भी अध्यादेशों को नहीं किया जायेगा जो—

(क) विद्यार्थियों के प्रवेश को प्रभावित करता हो, या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समकक्ष मानकर मान्यता प्रदान की जाने वाली परीक्षाओं को अथवा विश्वविद्यालय के उपाधि के पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु धारा 45 की उपधारा (1) में उल्लिखित अतिरिक्त अर्हताओं को विहित करता है, जब तक कि शैक्षिक परिषद् द्वारा उसके प्रारूप को प्रस्तावित न किया गया हो; अथवा

(ख) परीक्षकों की नियुक्ति एवं कर्तव्यों की शर्तों और पद्धति तथा परीक्षाओं के संचालन या मानक या अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम, सम्बन्धित संकाय या संकायों के प्रस्ताव के अनुसार के सिवाय, प्रभावित करता हो और जब तक उस अध्यादेश के प्रस्ताव को शैक्षिक परिषद् द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो; अथवा

(ग) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा परिलब्धियों अथवा विश्वविद्यालय के आय या व्यय को प्रभावित करता हो, जब तक कि उसके प्रारूप को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गयी हो।

---

1. 1987 के उ० प्र० अधिनियम 19 द्वारा अन्तःस्थापित।

(4) The Executive Council shall not have power to amend any dra proposed by the Academic Council under sub-section (3) but may reject it c return to the Academic Council for reconsideration either in whole or in pa together with any amendments which the Executive Council may suggest.

(5) All Ordinances made by the Executive Council shall have effect fro such date as it may direct and shall be submitted as soon as may be to th Chancellor.

(6) The Chancellor may, at any time signify to the Executive Council hi disallowance of such Ordinances other than those referred to in clause (c) of th proviso to sub-section (3) and from the date of receipt by the Executive Counc of initimation of such disallowance, such Ordinances shall become void.

(7) The Chancellor may direct that the operation of any Ordinance othe than those referred to in clause (c) of the proviso to sub-section (3) shall be suspended until he has an opportunity of exercising his power of disallowance As order of suspension under this sub-section shall cease to have effect on the expiration of one month from the date of such order.

SYNOPSIS

1. Extension of service.—First statute of Veer Bahadur Singh Purvancha University, Jaunpur, Statutes 15.23 and 15.24—In case of superannuation of regular principal of the college, the petitioner was appointed as an officiating principal by virtue of his seniority. The retiral age of the teachers of the University and affiliated colleges was increased by the G.O. dated 4-2-2004 from 60 years to 62 years. It was further cleared by the G.O. dated 7-6-2004 that the teachers working on the session's benefit prior to issuance of G.O. dated 4-2-2004 shall not be given administrative post. Therefore, the present writ was moved with an allegation that the second G.O. is the violation of Artcile 14 of the Constitution of India. While dismissing the writ, it was held that the petitioner was not entitled the relief sought. *Dr.Radhey Shyam v. State of U.P. through its Secretary (Higher Education), Civil Secretariat, Lucknow and others,* (2006) 1 U.P.L.B.E.C. 428 (All.).

2. L.L.B. Honours Course.—Where in a certain case, the petitioners failed in some of the papers of LL.B. of a particular semester, if they are not permitted to appear in these papers, they will suffer a great loss of their academic career. It was found that the ordinance promulgated by the University has not been found to be stritly followed for many years. It was held by the Court that the ordinance cannot be enforced for the petitioners, therefore the petitioners will be allowed to appear in the papers in which they failed in the particular semester. *Mayank Kumar Singh and 5 others* v. *University of Lucknow and others,* (2009) 2 U.P.L.B.E.C. 977 (All.)

53. Regulations.—(1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, an authority or other body of the University may make Regulations—

(a) laying down the procedure to be followed at its meeting and the number of members required to form the quorum;

(4) कार्यपरिषद् को उपधारा (3) के अधीन शैक्षिक परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी लेकिन वह उसे नामंजूर कर सकेगा या ऐसे किसी भी संशोधन के साथ, जिसे कार्यपरिषद् सुझाव दे सकेगी, या तो पूर्णत: या आंशिक रूप से पुनर्विचार किये जाने के लिए शैक्षिक परिषद् को लौटा सकेगी।

(5) कार्यपरिषद् द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश उस तारीख से प्रभावी होंगे जिसे वह निदेशित करे और उसे जितना शीघ्र संभव हो कुलपति के समक्ष दाखिल किया जायेगा।

(6) कुलपति किसी भी समय उपधारा (3) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों को छोड़कर अन्य अध्यादेशों के सम्बन्ध में अपनी नामंजूरी को संज्ञापित कर सकेगा और उस नामंजूरी की सूचना की कार्यपरिषद् द्वारा प्राप्ति की तारीख से वो अध्यादेश शून्य हो जायेंगे।

(7) कुलपति यह निदेशित कर सकेगा कि उपधारा (3) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश को छोड़कर अन्य किसी भी अध्यादेश का प्रवर्तन निलम्बित कर दिया जायेगा जब तक कि उसे नामंजूरी की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त न हुआ हो। इस उपधारा के अधीन निलम्बन का आदेश उस आदेश की तारीख से एक माह के समाप्त होने पर प्रभाव रखना बन्द कर देगा।

टिप्पणियाँ

1. सेवा का विस्तार—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, धारा 52 (ग)—वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर का प्रथम परिनियम—परिनियम 15.23 एवं 15.24—महाविद्यालय के नियमित प्रधानाचार्य की अधिवर्षिता की दशा में, याची को उसकी वरिष्ठता के आधार पर स्थानापन्न प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था। 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के पश्चात् याची को पुन: नियोजन में माना गया और शेष शैक्षिक सत्र के लिए प्रशासनिक शक्तियों से वंचित किया गया। दिनांक 4-2-2004 के शासनादेश द्वारा विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा कर 62 वर्ष कर दी गयी। अग्रेतर दिनांक 17-6-2004 के शासनादेश द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि दिनांक 4-2-2004 के शासनादेश से जारी किये जाने के पूर्व सत्र के लाभ पर कार्यरत अध्यापकों को प्रशासनिक पद प्रदान नहीं किया जायेगा। इसलिए इस अभिकथन के साथ वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गयी कि द्वितीय शासनादेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी है। रिट को खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि याची मांगे गये अनुतोष का हकदार नहीं था। *डॉ० राधेश्याम सिंह* बनाम *उ० प्र० राज्य द्वारा उसका सचिव (उच्चतर शिक्षा) सिविल सचिवालय, लखनऊ एवं अन्य,* (2006) 1 यू०पी० एल० बी० ई० सी० 428 (इला०)।

2. एल० एल० बी० आनर्स पाठ्यक्रम—जहां किसी निश्चित वाद में याचीगण एल० एल० बी० के किसी विशेष सेमेस्टर के प्रश्न-पत्रों में से कुछ में असफल हो गये थे, तो वहां यदि उन्हें इन प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाती है तो उन्हें उनके शैक्षिक जीवन में भारी हानि उठानी पड़ेगी। यह पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का अनेक वर्षों तक नियमत: पालन किया जाना नहीं पाया गया है। न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अध्यादेश को याचीगण के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, इसलिए याचीगण को इन प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी जिनमें वे उस विशिष्ट सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हो गये थे। *मयंक कुमार सिंह एवं 5 अन्य* बनाम *लखनऊ विश्वविद्यालय एवं एक अन्य,* (2009) 2 यू०पी०एल०बी०ई०सी० 977 (इला०)।

53. विनियमन—(1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के प्रावधानों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय का प्राधिकारी या अन्य निकाय विनियमों की रचना कर सकेगा जिनमें—

(क) बैठक में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति का गठन करने के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या को निर्दिष्ट किया जायेगा;

(b) providing for all matters which by this Act, the Statutes or the Ordinances are to be provided by Regulations; and

(c) providing for any other matter solely concerning such authority or body and not provided for by this Act, the Statutes and the Ordinances.

(2) The Regulations made by any authority or other body of the University shall provide for the giving of notice to its members of the dates of meetings and the business to be transacted thereat and for the keeping of record of the proceedings of such meetings.

(3) The Executive Council may direct any authority or other body of the University other than the Court to cancel or to amend in such form as may be specified in the direction, any Regulation made by such authority or body and such authority or body shall thereupon cancel or amend the Regulation accordingly :

Provided that any authority or other body of the University, if dissatisfied with any such direction may appeal to the Chancellor who may after obtaining the views of the Executive Council pass such orders as he thinks fit.

(4) The Academic Council may subject to the provisions of the Ordinances, make Regulations providing for the course of study for any examination, degree or diploma of the University only after the Board of Faculty concerned has proposed a draft of the same.

(5) The Academic Council shall not have power to amend or reject any draft proposed by the Board of Faculty under sub-section (4), but may return it to the Board for further consideration together with its own-suggestions.

CHAPTER X

ANNUAL REPORTS AND ACCOUNTS

54. Annual Report.—(1) The Annual Report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the Court a month before its annual meeting and the Court shall consider it in its annual meeting.

(2) The Court may, by resolution make recommendations on such report and communicate the same to the Executive Council which may take such action thereon as it thinks fit.

55. Accounts and audit.—(1) The annual accounts and balance-sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and all money accruing to or received by the University from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University.

(2) A copy of the annual accounts and the balance-sheet shall be submitted to the State Government which shall cause the same to be audited.

(3) The annual accounts and the balance-sheet audited shall be printed and copies thereof shall, together with copies of the audit report be submitted by the Executive Council, to the Court and the State Government.

(ख) ऐसे सभी मामलों के लिए उपबन्ध करना जिन्हें इस अधिनियम, परिनियम अथवा अध्यादेशों द्वारा विनियमों के उपबन्धित किया जाना चाहिए; और

(ग) उस प्राधिकारी या निकाय के सम्बन्ध में ही किसी अन्य मामले के लिए प्रावधान करना और जिनके बारे में इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा प्रावधान नहीं किया जाता है।

(2) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा बनाये गये विनियमों में बैठकों की तारीखों और उनमें संव्यवहार किये जाने वाले कामकाज के सम्बन्ध में उसके सदस्यों को नोटिस देने के लिए और उन बैठकों में कार्यवाही के अभिलेखों को रखने के लिए प्रावधान किये जायेंगे।

(3) कार्यपरिषद् न्यायालय को छोड़कर विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को यह निदेशित कर सकेगा कि वह उस प्राधिकारी या निकाय द्वारा बनाये गये किसी भी विनियम को निदेश में जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये उस रूप में रद्द किया या संशोधित करेगा और वह प्राधिकारी या निकाय तत्पश्चात् विनियम को तद्नुसार रद्द या संशोधित करेगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय का कोई भी प्राधिकारी या अन्य निकाय, यदि ऐसे किसी निदेश से असंतुष्ट हो जाता है तो कुलपति से अपील कर सकेगा जो कार्यपरिषद् के मत को प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे आदेशों को पारित कर सकेगा जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

(4) शिक्षा परिषद्, अध्यादेशों के प्रावधानों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा, उपाधि अथवा डिप्लोमा के अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए उपबन्ध करते हुए , विनियमों की विरचना सम्बन्धित संकाय के परिषद् के उसके प्रारूप को प्रस्तावित करने के पश्चात् ही कर सकेगी।

(5) शिक्षा परिषद् उपधारा (4) के अधीन संकाय के परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप को संशोधित या नामंजूर करने की शक्ति नहीं रखेगी लेकिन वह उसे अपने निजी सुझावों के साथ अग्रेतर विचार किए जाने के लिए परिषद् को लौटा सकेगी।

अध्याय 10

वार्षिक रिपोर्ट एवं खाते

54. वार्षिक रिपोर्ट—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट को कार्यपरिषद् के निदेशाधीन तैयार किया जायेगा और उसे सभा के समक्ष उसकी वार्षिक बैठक के एक माह पूर्व दाखिल किया जायेगा और सभा उस पर अपनी वार्षिक बैठक में विचार करेगा।

(2) सभा उस रिपोर्ट पर सिफारिशों को संकल्प द्वारा कर सकेगा एवं उसे कार्यपरिषद् को संसूचित कर सकेगा जो उस पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जिसे वह उपयुक्त समझे।

55. खाते एवं अंकेक्षण—(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे एवं तुलन-पत्र को कार्यपरिषद् के निदेश के अधीन तैयार किया जायेगा और चाहे जिस भी स्रोत से विश्वविद्यालय को उपार्जित होने वाले अथवा प्राप्त सभी धन एवं संवितरित अथवा संदत्त सभी धनराशियों की प्रविष्टि विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित खातों में प्रविष्टि की जायेगी।

(2) वार्षिक खाते एवं तुलन-पत्र की प्रति राज्य सरकार को दाखिल की जायेगी जो उसका अंकेक्षण करायेगी।

(3) वार्षिक खातों एवं अंकेक्षण किये गये तुलन-पत्र को मुद्रित किया जायेगा और उसकी प्रतियां कार्यपरिषद् द्वारा अंकेक्षण की रिपोर्ट की प्रतियों के साथ सभा एवं राज्य सरकार के समक्ष दाखिल की जायेगी।

(4) The Executive Council shall also prepare, before such date as may be prescribed, the budget for the ensuring year.

(5) Every item of new expenditure above such amount as may be prescribed which it is proposed to include in the budget shall be referred by the Executive Council to the Finance Committee which may make recommendations thereon.

(6) The Executive Council shall, after considering the recommendations if any, of the Finance Committee approve the budget finally.

(7) The annual accounts, the balance-sheet and the audit report shall be considered by the Court at its annual meeting and the Court may, by resolution, make recommendations with reference thereto and communicate the same to the Executive Council.

(8) It shall not be lawful for the Vice-Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure—

(a) either not sanctioned in the budget, or in the case of funds granted to the University, subsequent to the sanction of the budget, by the State Government or the Government of India or the University Grants Commission or any international organisation or Foundation, save in accordance with the terms of such grant :

Provided that notwithstanding anything in sub-section (7) of Section 13, the Vice-Chancellor may, in the case of fire, flood, excessive rainfall or other sudden or, unforeseen circumstances, incur non-recurring expenditure not exceeding rupees five thousand not sanctioned in the budget and he shall immediately inform the State Government in respect of all such expenditure.

(b) on any litigation in opposition to [1][any order of the Chancellor or of the State Government purporting to be made under this Act.]

[2][55-A. **Surcharge.**—(1) An officer specified in any of the clauses (c) to (i) of Section 9 shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the University, if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct.

(2) The procedure of surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed.]

CHAPTER XI

REGULATION OF DEGREE COLLEGES

56. Definitions.—In this Chapter, unless the context otherwise requires—

(a) *'property'*, in relation to an affiliated or associated college, includes all property, movable and immovable, belonging to or endowed wholly or partly for the benefit of the college, including lands, buildings (including hostels), works, library, laboratory, instruments, equipment, furniture, stationery, stores, automobiles

1. Subs. by U.P. Act No. 12 of 1978.
2. Ins. by U.P. Act No. 12 of 1978.

(4) कार्यपरिषद् ऐसी तारीख के पूर्व जिसे विहित किया जा सकेगा, आने वाले वर्ष के लिए भी बजट को तैयार करेगी।

(5) उपरोक्त नये व्यय के प्रत्येक मद जिसे विहित किया जा सकेगा जिसका बजट में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है, कार्यपरिषद् द्वारा वित्त समिति को निर्दिष्ट किया जाये, जो उस पर सिफारिशों को कर सकेगी।

(6) कार्यपरिषद्, वित्त समिति की सिफारिशों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् बजट का अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगी।

(7) वार्षिक खातों, तुलन-पत्र और अंकेक्षण रिपोर्ट पर सभा द्वारा उसकी वार्षिक बैठक में विचार किया जायेगा और सभा संकल्प द्वारा उसके संदर्भ में सिफारिशों को कर सकेगी और उसे कार्यपरिषद् को संसूचित करेगी।

(8) उपकुलपति अथवा कार्यपरिषद् के लिए निम्न के लिए किसी भी व्यय को उपगत करना विधिपूर्ण नहीं होगा—

(क) जो या तो बजट में स्वीकृत न हो अथवा जो विश्वविद्यालय को प्रदान की गयी निधियों की दशा में, बजट की स्वीकृति के पश्चात्, राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउण्डेशन द्वारा, उस अनुदान के निबन्धनों के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार से प्रदान किये जाने वाली निधियों की दशा में :

परन्तु यह कि धारा 13 की उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, उपकुलपति अग्नि, बाढ़, अत्यधिक जलवर्षा या अन्य अचानक अप्रत्याशित परिस्थितियों की दशा में पांच हजार रुपये से अनाधिक अनावर्ती व्यय को उपगत कर सकेगा जिसकी बजट में स्वीकृति प्रदान न की गयी हो और वह उस सभी व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को तत्काल सूचित करेगा।

[1][(ख) कुलपति के अथवा राज्य सरकार के ऐसे किसी भी आदेश के, जिसका इस अधिनियम के अधीन किया जाना तात्पर्यित हो, के विरोध में किसी वादकरण पर।]

[2][55-क. अधिभार—(1) धारा 9 के खण्ड (ग) से (झ) में से किसी में भी विनिर्दिष्ट अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी भी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय अथवा दुरुपयोजन के लिए अधिभार हेतु दायी होगा बशर्तें वह हानि, दुर्व्यय अथवा दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या कदाचार का सीधा परिणाम हो।

(2) ऐसी हानि, दुर्व्यय का दुरुपयोजन में अन्तर्वलित अधिभार की प्रक्रिया और धनराशि की वसूली की रीति वह होगी जिसे निहित किया जाये।]

अध्याय 11

डिग्री कालेजों का विनियमन

56. परिभाषाएं—इस अध्याय में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में ''सम्पत्ति'' में महाविद्यालय की सम्पत्ति सम्मिलित है जिसमें स्थावर एवं जंगम सम्पत्ति सम्मिलित है जो उस महाविद्यालय से सम्बन्धित हो या उस महाविद्यालय के लाभ के लिए पूर्णत: या आंशिक रूप से विन्यासित हो और जिसमें भूमियां, भवन (छात्रावासों सहित), संक्रम, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण, उपस्कर, फर्नीचर, लेखन सामग्री, भण्डारण, जिससे आटोमोबाइल और अन्य

1. 1978 के उ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1978 का उ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा अन्त:स्थापित।

and other vehicles, if any, and other things pertaining to the college, cash on hand, cash at bank, investments, and book debts and all other rights and interests arising out of such property as may be in the ownership, possession, power or control of the college and all books of account, registers, and all other documents of whatever nature relating thereto, and shall also be deemed to include all subsisting borrowings, liabilities and obligations of whatever kind of the college;

(b) *'salary'* means the aggregate of the emoluments including dearness or any other allowance for the time being payable to a teacher or other employee after making permissible deductions.

57. Power of the State Government to issue notice.—If the State Government receives information in respect of any affiliated or associated college (other than a college maintained exclusively by the State Government or a local authority)—

(i) that its Management has persistently committed wilful default in paying the salary of the teachers or other employees of the college by the twentieth day of the month next following the month in respect of which or any part of which it is payable; or

(ii) that its Management has failed to appoint teaching staff possessing such qualifications as are necessary for the purpose of ensuring the maintenance of academic standards in relation to the college or has appointed or retained in service any teacher in contravention of the Statute or Ordinances [1][or has failed to comply with the orders of the Director of Education (Higher Education) made on the basis of the recommendation of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission under the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980]; or

(iii) that any dispute with respect to the right claimed by different person to be lawful office-bearers of its Management has affected the smooth and orderly administration of the college; or

(iv) that its Management has persistently failed to provide the college with such adequate and proper accommodations, library, furniture, stationery, laboratory, equipment, and other facilities, as are necessary for efficient administration of the college; or

(v) that its Management has substantially diverted, misapplied or misappropriated the property of the college to the deteriment of the college;

it may call upon the Management to show cause why an order under Section 58 should not be made :

Provided that where it is in dispute as to who are the office-bearers of the Management, such notice shall be issued to all persons claiming to be so.

1. Ins. by U.P. Act No. 9 of 1998 (w.e.f. 19-9-1997).

यान, यदि कोई हो और महाविद्यालय से सम्बन्धित अन्य चीजें, हस्तगत रोकड़, बैंक में रोकड़, विनियोग, पुस्तकीय ऋण और ऐसे अन्य सभी अधिकार एवं हित उस सम्पत्ति से उत्पन्न होते हैं, जो महाविद्यालय के स्वामित्व कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो सकते हैं और सभी लेखा पुस्तकें, पंजियां तथा उनसे सम्बन्धित किसी भी प्रकृति के सभी दस्तावेज सम्मिलित हैं और उनका महाविद्यालय के किसी भी प्रकार के सभी अस्तित्वयुक्त उधारियों, दायित्वों एवं बाध्यताओं का सम्मिलित किया जाना समझा जायेगा;

(ख) "वेतन" का अभिप्राय परिलब्धियों जिनमें अनुज्ञेय कटौतियों के पश्चात् किसी अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी को संदेय तत्समय मंहगाई या अन्य कोई भत्ता सम्मिलित है।

57. नोटिस जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति—यदि राज्य सरकार किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपवर्जी रूप से पोषित महाविद्यालय को छोड़कर) के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करती है—

(i) कि उसके प्रबन्ध-तंत्र ने उस महाविद्यालय के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों के वेतन के संदाय में उस माह के पश्चात् जिसके सम्बन्ध में या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह संदेय है, अगले माह के 20वें दिन तक संदाय करने में लगातार जानबूझकर व्यतिक्रम कारित किया है; अथवा

(ii) कि उसका प्रबन्धतन्त्र ऐसी अर्हताओं को धारित करते हुए अध्यापक स्टाफ की नियुक्ति करने में असफल हुआ है जो उस महाविद्यालय के सम्बन्ध में शैक्षिक मानको को बनाये रखने को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक है। परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अतिलंघन में किसी अध्यापक की नियुक्ति की अथवा उसे सेवा में प्रतिधारित किया है [1][अथवा उसने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 के अधीन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सिफारिश के आधार पर किये गये शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) के आदेशों का पालन करने में विफल हुआ है]।

(iii) कि उसके प्रबन्ध-तन्त्र के विधिपूर्ण पदाधिकारी होने के लिए भिन्न व्यक्तियों द्वारा दावाकृत अधिकार के सम्बन्ध में किसी भी विवाद में महाविद्यालय के निर्बाध और व्यवस्थित प्रशासन को प्रभावित किया है; अथवा

(iv) कि उसका प्रबन्धतन्त्र महाविद्यालय को इतनी पर्याप्त एवं समुचित जगह, पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन सामग्री, प्रयोगशाला, उपस्कर तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने में लगातार असफल हुआ है जो उस महाविद्यालय के कुशल प्रशासन हेतु आवश्यक है; अथवा

(v) कि उसके प्रबन्धतन्त्र ने महाविद्यालय का अहित करने के लिए महाविद्यालय की सम्पत्ति को पर्याप्त रूप से व्यपवर्तन, दुरुपयोग अथवा दुर्विनियोग किया है;

तो वह प्रबन्धतन्त्र को इस विषयक कारण बताने के लिए आहूत कर सकेगा कि क्यों न धारा 58 के अधीन आदेश को किया जाये :

परन्तु यह कि जहां इस विषयक विवाद हो कि प्रबन्धतंत्र के पदाधिकारी कौन हैं, तो ऐसा होने का दावा करते हुए सभी व्यक्तियों को वह नोटिस जारी की जायेगी।

---

1. 1998 का उ० प्र० अधिनियम 9 द्वारा अन्त:स्थापित (19-9-1997 से प्रभावी)।

58. Authorised Controller.—(1) If the State Government after considering the explanation, if any, submitted by the Management under Section 57 is satisfied that any ground mentioned in that section exists, it may, by order authorise any person (hereinafter referred to as the Authorised Controller) to take over, for such period not exceeding two years as may be specified, the Management of the college and its property to the exclusion of the Management and whenever the Authorised Controller so takes over the Management, he shall, subject only to such restrictions as State Government may impose, have in relation to the Management of the college and its property all such powers and authority as the Management would have if the college and its property were not taken over under this sub-section :

Provided that if the State Government is of opinion that it is expedient so to do in order to continue to secure the proper Management of the colleges and its property, it may, from time to time, extend the operation of the order for such period, not exceeding one year at a time, as it may specify, so however, that the total period of operation of the order, including the period specified in the initial order under this sub-section does not exceed [1][five years] :

[2][Provided further that if at the expiration of the said period of five years, there is no lawfully constituted Management of the college the Authorised Controller shall contiune to function as such, until the State Government is satisfied that the Management has been lawfully constituted :

Provided also that the State Government may, at any time, revoke an order made under this sub-section.]

(2) Where the State Government while issuing a notice under Section 57 is of opinion, for reasons to be recorded, that immediate action is necessary in the interest of the college, it may suspend the Management, which shall thereupon cease to function, and make such arrangement as it thinks proper for managing the affairs of the college and its property till further proceedings are completed :

Provided that no such order shall remain in force for more than six months from the date of actual taking over the Management in pursuance of such order :

Provided further that in computation of the said period of six months, the time during which the operation of the order was suspended by any order of the High Court passed in exercise of jurisdiction under Article 226 of the Constitution or any period during which the Management failed to show cause in pursuance of the notice under Section 57, shall be excluded.

(3) Nothing in sub-section (1), shall be construed to confer on the Authorised Controller the power to transfer any immovable property belonging to college (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management or to create any charge thereon) except as a condition of receipt of any grant-in-aid of the college from the State Government or the Government of India.

---

1. Subs. by U.P. Act No. 4 of 1983 for the word "four years" (w.e.f. 25-6-1982).
2. Subs. by U.P. Act No. 4 of 1983 (w.e.f. 25-6-1982).

58. प्राधिकृत नियंत्रक—(1) यदि राज्य सरकार का, धारा 57 के अधीन प्रबन्धतन्त्र द्वारा दाखिल स्पष्टीकरण, यदि कोई, पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाता है कि उस धारा में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है तो वह आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को (एतस्मिन् पश्चात् ''प्राधिकृत नियंत्रक'' के रूप में निर्दिष्ट) दो वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जिसे विनिर्दिष्ट किया जाये, महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र का और प्रबन्धतन्त्र को पृथक् करते हुए उसकी सम्पत्ति का अधिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है और जब कभी प्राधिकृत नियंत्रक इस प्रकार प्रबन्धतन्त्र का अधिग्रहण करता है तो उसे, केवल ऐसे प्रतिबन्धों के अध्यधीन, जिन्हें राज्य सरकार अधिरोपित कर सकेगी, उस महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र एवं उसकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में उन सभी शक्तियों एवं प्राधिकार को प्राप्त करेगा जिसे प्रबन्धतंत्र ने उस दशा में प्राप्त किया होता जब महाविद्यालय एवं उसकी सम्पत्ति को इस उपधारा के अधीन अधिग्रहीत न किया गया होता :

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि महाविद्यालय के समुचित प्रबन्धतन्त्र एवं उसकी सम्पत्ति को सुनिश्चित बनाये रखने के उद्देश्य से ऐसा करना समीचीन है, तो वह समय-समय पर उस अवधि के लिए, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, आदेश के प्रवर्तन को विस्तारित कर सकेगा जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, लेकिन इस प्रकार के आदेश के प्रवर्तन की अवधि जिसमें इस उपधारा के अधीन प्रारंभिक आदेश में विनिर्दिष्ट आवधि को सम्मिलित किया गया है, [1][पांच वर्ष] से अधिक नहीं होगी :

[2][परन्तु अग्रेतर यह कि यदि पांच वर्ष की उक्त अवधि के समाप्त होने पर, उस महाविद्यालय का कोई विधिपूर्ण ढंग से गठित किया गया प्रबन्धतन्त्र नहीं है तो प्राधिकृत नियंत्रक उस रूप में कार्य करता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार का यह समाधान न हो जाये कि प्रबन्धतंत्र का विधिपूर्ण ढंग से गठन किया गया है :

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार, किसी भी समय, इस उपधारा के अधीन किये गये आदेश का प्रतिसंहरण कर सकेगी।]

(2) जहां राज्य सरकार की, धारा 57 के अधीन नोटिस जारी करते समय, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, यह राय हो कि महाविद्यालय के हित में तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वह प्रबन्धतन्त्र को निलम्बित कर सकेगी जो उसके पश्चात् कार्य करना बन्द कर देगा एवं वह ऐसे प्रबन्ध को कर सकेगी जिसे वह महाविद्यालय के कार्यकलाप और उसकी सम्पत्ति का, अग्रेतर कार्यवाहियों के पूर्ण होने तक प्रबन्ध करने हेतु समुचित समझे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी आदेश उस आदेश को अग्रसर करने के प्रबन्धतन्त्र के वास्तविक अधिग्रहण की तारीख से छः माह से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा :

परन्तु अग्रेतर यह कि छः माह की उक्त अवधि की संगणना करने में, वह समय, जिसके दौरान आदेश के प्रवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश द्वारा निलम्बित किया गया था अथवा कोई भी अवधि जिसके दौरान प्रबन्धतन्त्र धारा 57 के अधीन नोटिस के अनुसरण में कारण बताने में असफल हुआ था, अपवर्जित की जायेगी।

(3) उपधारा में कही गयी किसी भी बात का प्राधिकृत नियंत्रक पर राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के महाविद्यालय के किसी भी अनुदान को प्राप्त करने की शर्त के सिवाय महाविद्यालय की किसी भी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करने (प्रबन्धतन्त्र के साधारण अनुक्रम में प्रत्येक माह किराये पर देने अथवा उस पर किसी प्रभार का सृजन करने के सिवाय) की शक्ति को प्रदान करने के रूप में अर्थान्वित नहीं किया जायेगा।

---

1. 1983 के उ० प्र० अधिनियम 4 द्वारा पदावली ''चार वर्ष'' के लिए प्रतिस्थापित (25-6-1982 से प्रभावी)।
2. 1983 के उ० प्र० अधिनियम 4 द्वारा प्रतिस्थापित (25-6-1982 से प्रभावी)।

(4) Any order made under this section shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or in any instrument relating to the Management and control of the college or its property :

Provided that the property of the college and any income therefrom shall continue to be applied for the purposes of the college as provided in any such instrument.

(5) The Director of Education (Higher Education) may give to the Authorised Controller such directions as he may deem necessary for the proper management of the college or its property, and the Authorised Controller shall carry out those directions.

59. Clause 58 not applied to minority colleges.—Nothing contained in Section 58, shall apply to a college established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India.

60. Duty to deliver possession to the Authorised Controller.—(1) Where an order has been passed under Section 58 in respect of a college, every person in whose possession or custody or under whose control any property of the college may be, shall deliver the property to the Authorised Controller forthwith.

(2) Any person who on the date of such order has in his possession or under his control any books or other documents relating to the college or to its property shall be liable to account for the said books and other documents to the Authorised Controller and shall deliver them up to him or to such person as the Authorised Controller may specify in this behalf.

(3) The Authorised Controller may apply to Collector for delivery of possession and control over the college or its property of any part thereof, and the Collector may take all necessary steps for securing possession to the Authorised Controller of such college or property, and in particular, may use of cause to be used such force as may be necessary.

COMMENT

Alternative Remedy—Constitution of India, 1950—Article 226—Scope of—U.P. State University Act, 1973—Section 60.—Where statutory remedy of representation before the Chancellor is available against the order of Vice-Chancellar, plea of violation of principles of natural justice was raised, in such an event, it was held that an alternative remedy is an important consideration for exercise of writ jurisdiction. It should be ignored only in exceptional cases. Hence, the petition was dismissed only on the ground of an alternative remedy. *Committee of Management, Shri Krishna Geeta Rashtriya Degree College, Azamgarh v. Vice-Chancellor Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur and others,* (2002) 2 U.P.L.B.E.C. 1423 (Alld.)

[1][CHAPTER XI-A

PAYMENT OF SALARY TO TEACHERS AND OTHER EMPLOYEES OF DEGREE COLLEGES

60-A. Definitions.—In this Chapter, unless the context otherwise requires—

(i) *"College"* means any college affiliated to or recognised by any University in accordance with the provision of this Act or the

1. Chapter XI-A, Ins. by U.P. Act No. 21 of 1975.

(4) इस धारा के अधीन किये गये किसी भी आदेश का महाविद्यालय के अथवा उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध और नियंत्रण से सम्बन्धित अथवा किसी भी अधिनियमिती अथवा किसी भी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी भी बात के होते हुए प्रभाव होगा :

परन्तु यह कि महाविद्यालय की सम्पत्ति और उसके प्राप्त कोई भी आय ऐसे किसी भी लिखत में यथा उपबन्धित महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती रहेगी।

(5) शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे निदेश दे सकेगा जिन्हें वह महाविद्यालय अथवा उसकी सम्पत्ति के समुचित प्रबन्ध हेतु आवश्यक समझे और प्राधिकृत नियंत्रण उन निदेशों का पालन करेगा।

59. खण्ड (58) अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं किया होगा—धारा 58 में कही गयी कोई भी बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालय के लिए लागू नहीं होगी।

60. प्राधिकृत नियंत्रक को कब्जे का परिदान करने का कर्तव्य—(1) जहाँ किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में धारा 58 के अधीन आदेश पारित किया गया हो, तो वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसका कब्जा या अभिरक्षा अथवा जिसके नियंत्रणाधीन उस महाविद्यालय की कोई भी सम्पत्ति हो सकेगी, प्राधिकृत नियंत्रक को वह सम्पत्ति अविलम्ब परिदान करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उस आदेश की तारीख पर उस महाविद्यालय से अथवा उसकी सम्पत्ति के सम्बन्धित किन्हीं पुस्तकों अथवा अन्य दस्तावेजों का कब्जा रखता है या उन्हें अपने नियंत्रणाधीन रखता है, तो उक्त पुस्तकों एवं अन्य दस्तावेजों के हिसाब-किताब के लिए प्राधिकृत नियंत्रक के प्रति उत्तरदायी होगा और वह उसे अथवा ऐसे व्यक्ति को जिसे प्राधिकृत नियंत्रक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उन्हें परिदत्त करेगा।

(3) प्राधिकृत नियंत्रक महाविद्यालय अथवा उसकी सम्पत्ति या उसके किसी भाग के कब्जे या नियंत्रण के परिदान के लिए कलक्टर के समक्ष प्रार्थना कर सकेगा और कलक्टर उस महाविद्यालय या सम्पत्ति के कब्जे को प्राधिकृत नियंत्रक के लिए सुनिश्चित कराने के लिए सभी आवश्यक कदमों को उठा सकेगा अथवा विशेष रूप से ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा या प्रयोग करा सकेगा जो आवश्यक हो।

टिप्पणी

वैकल्पिक उपचार—भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—की व्याप्ति—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973—धारा 60—जहाँ उपकुलपति के आदेश के विरुद्ध कुलपति के समक्ष अभ्यावेदन का वैधानिक उपचार उपलब्ध है नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के उल्लंघन के अभिवाक् को लिया गया था, ऐसी दशा में यह अभिनिर्धारित किया गया कि रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए वैकल्पिक उपचार महत्वपूर्ण घटक है। इसकी अवज्ञा केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए। इसलिए याचिका को वैकल्पिक उपचार के आधार पर खारिज कर दिया गया। *प्रबन्ध समिति, श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय डिग्री कालेज, आजमगढ़ बनाम उपकुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर एवं अन्य,* (2002) 1 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1423 (इला०)।

[1][अध्याय 11-क

उपाधि महाविद्यालयों के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को वेतन का संदाय

60-क. परिभाषाएँ—इस अध्याय में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(i) *"महाविद्यालय"* का अभिप्राय ऐसे किसी भी महाविद्यालय से है जो इस अधिनियम के अथवा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी विश्वविद्यालय से

1. 1975 के उ० प्र० अधिनियम 21 द्वारा अध्याय 11-क को अन्तःस्थापित।

Statutes made thereunder and for the time being receiving maintenance grant from the State Government (but does not include a college maintained exclusively by the State Government or a [1][Nagar Mahapalika];

(ii) *"Deputy Director"* means the Regional Deputy Director of Education and includes any other officer authorised by the State Government to perform all or any of the functions of the Deputy Director under this Chapter;

(iii) *"employee"*, in relation to a college, means a non-teaching employee of such college :

(a) in respect of whose employment maintenance grant was being paid by the State Government during the financial year 1974-75; or

(b) who was appointed to a post with the permission of the Director of Education (Higher Education);

(iv) *"maintenance grant"* means such grant-in-aid of a college as the State Government by general or special order in that behalf directs to be treated as maintenance grant appropriate to the level of that college;

(v) *"salary"* shall have the meaning assigned to it, in clause (b) of Section 56;

(vi) *"teacher"*, in relation to a college, means a teacher in respect of whose employment maintenance grant was being paid by the State Government during the financial year 1974-75, or who is employed with the approval of the Vice-Chancellor of the University concerned—

(a) to a post created, before April 1, 1975, with the permission of the Vice-Chancellor concerned; or

(b) to a post created, after March 31, 1975, with the permission of the Director of Education (Higher Education).

COMMENT

Payment of Salary.—A person in entitled to salary only when it is established that he is a teacher. Appointment of the person in not proved, hence he is not entitled to salary under the Act. *Shesh Nath Tripathi* v. *Committee of Management and others*, (2000) 2 U.P.L.B.E.C. 1453 (All.).

60-B. Payment of salary within time and without unauthorised deductions.—(1) Notwithstanding any contract to the contrary, the salary of a teacher or other employee of any college in respect of any period after the 31st day of March, 1975, shall be paid to him before the expiry of the 20th day or such earlier day as the State Government may, by general or the month in behalf, appoint, of the month next following special order in that respect of which or any part of which it is payable.

1. Subs. by U.P. Act No. 15 of 1980 for words "local authority" (w.e.f. 26-9-1979).

सम्बद्ध है या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है और राज्य सरकार के तत्समय अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहा है, लेकिन इसमें राज्य सरकार अथवा [1][नगरमहापालिका] द्वारा अपवर्जी रूप से पोषित महाविद्यालय सम्मिलित नहीं है;

(ii) *''उपनिदेशक''* से अभिप्राय शिक्षा के क्षेत्रीय उपनिदेशक से है और इसमें इस अध्याय के अधीन उपनिदेशक के सभी या किसी कार्य को संपादित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी सम्मिलित है;

(iii) *''कर्मचारी''*, किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में, उस महाविद्यालय के अध्यापनेत्तर कर्मचारी से अभिप्रेत है :

(क) जिसके नियोजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान संदाय किया जा रहा था; अथवा

(ख) जिसे शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की अनुमति के साथ पद पर नियुक्त किया गया था;

(iv) *''पोषण अनुदान''* का अभिप्राय किसी महाविद्यालय के ऐसे सहायता अनुदान से है जिसे राज्य सरकार उस निमित्त सामान्य अथवा विशेष आदेश से उस महाविद्यालय के स्तर तक समुचित पोषण अनुदान के रूप में माने जाने का निदेश करे;

(v) *''वेतन''* का अर्थ वह होगा जो उसे धारा 56 के खण्ड (ख) में प्रदान किया गया है;

(vi) *''अध्यापक''* किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में ऐसे अध्यापक से अभिप्रेत है जिसके नियोजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान संदाय किया जा रहा था अथवा जो सम्बन्धित विश्वविद्यालय के उपकुलपति के अनुमोदन से निम्न के लिए नियोजित किया गया हो—

(क) सम्बन्धित उपकुलपति की अनुमति से 1 अप्रैल, 1975 के पूर्व सृजित पद के लिए; अथवा

(ख) शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की अनुमति से 31 मार्च, 1975 के पश्चात् सृजित पद के लिए।

टिप्पणी

वेतन का संदाय—उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम—धारा 60-क (vi), 60(ङ) एवं 60(छ)—कोई व्यक्ति वेतन के संदाय का हकदार तभी होता है जब यह स्थापित हो जाये कि वह अध्यापक है। किसी व्यक्ति की नियुक्ति मात्र से ही यह सिद्ध नहीं हुआ कि वह अध्यापक है। यह अभिनिर्धारित किया कि वह अधिनियम के अधीन वेतन का हकदार नहीं है। *शेष नाथ त्रिपाठी* बनाम *प्रबन्ध समिति एवं अन्य*, (2000) 2 यू० पी० एल० बी० ई० सी० 1453 (इला०)।

60-ख. समय के भीतर और अप्राधिकृत कटौतियों को किये बिना वेतन का संदाय—(1) प्रतिकूल किसी भी संविदा के होते हुए 31 मार्च, 1975 के पश्चात् किसी भी अवधि के सम्बन्ध में किसी महाविद्यालय के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का संदाय उस माह के जिस हेतु या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह देय हो, अनुवर्ती माह की 20वीं तारीख की समाप्ति के पूर्व या उससे एवं उससे पहले ऐसी तारीख को जिसे राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश से उस निमित्त नियत करे, किया जायेगा।

---

1. 1980 के उ० प्र० अधिनियम संख्या 15 से ''नगर महापालिका'' द्वारा प्रतिस्थापित (26-9-1979 से प्रभावी)।

(2) The salary shall be paid without deductions of any kind except those authorised by this Act, the Statutes or the Ordinances, or by any other law for the time being in force.

60-C. Power to inspect.—(1) The Deputy Director may at any time, for the purposes of this Chapter, insepct or cause to be inspected any college or call for such information and records (including registers, books of account and vouchers) from its Management with regard to the payment of salaries to its teachers or employees or give to its Management any direction for the observance of such canons of financial propriety (including any direction for retrenchment of any teacher or employee or for prohibition of any wasteful expenditure) as he thinks fit.

(2) Every direction for retrenchment under sub-section (1) shall be issued after obtaining the prior approval of the Director of Education (Higher Education) and shall specify a future date on which such retrenchment shall become operative.

(3) Where any direction for retrenchment is issued in accordance with sub-sections (1) and (2), the teacher or the employee concerned shall, with effect from the date specified in such direction, cease to be a teacher or employee of the college for the purposes of the maintenance grant payable under this Chapter.

[1][**60-CC. Supernumerary post of teachers.**—The Vice-Chancellor may with the prior approval of the State Government create any supernumerary post with a view to enabling a teacher who is for the time being holding responsible position of a national importance in India or abroad in educational administration or other similar assignment to retain his lien and seniority as such teacher and also to continue to earn increments in his pay scale during the period of his assignment and to contribute towards provident fund and earn retirement benefits, if any, in accordance with the Statutes :

Provided that no salary shall be payable to such teacher by the college for the period of such assignment.]

60-D. Procedure for payment of salary in case of certain colleges.—(1) The Management of every college shall for the purposes of disbursement of salaries to its teachers and employees open in a scheduled bank or a co-operative bank or post office, a separate account (thereinafter in this Chapter called 'Salary Payment Account') to be operated jointly by a representative of the Management and by the Deputy Director or such other officer as may be authorised by the Deputy Director in that behalf :

Provided that after the Salary Payment Account is opened, the Deputy Director may, if he is, subject to any rules made under Section 60-H satisfied that it is expedient in the public interest so to do, insrruct the bank that the account shall be operated by the representative of the Management alone, and may at any time revoke such instruction :

Provided further that in the case referred to in sub-section (3), or where in any other case after giving to the Management an opportunity of showing cause,

1. Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.

(2) वेतन को इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि द्वारा प्राधिकृत कटौतियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की कटौतियों के बिना संदाय किया जायेगा।

60-ग. निरीक्षण करने की शक्ति—(1) उपनिदेशक इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी भी समय किसी भी महाविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगा या निरीक्षण करा सकेगा अथवा उस सूचना एवं अभिलेखों को (जिसमें पंजियां, लेखा-पुस्तकें एवं वाउचर सम्मिलित हैं) उसके प्रबन्धतन्त्र से उसके अध्यापकों या कर्मचारियों के वेतन के संदाय के सम्बन्ध में मंगा सकेगा अथवा उसके प्रबन्धतन्त्र को वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धान्तों के, जिन्हें वह उपयुक्त समझे (जिसमें किसी भी अध्यापक अथवा कर्मचारी की छंटनी के लिए अथवा किसी भी व्यर्थ के व्यय के प्रतिषेध के लिए कोई भी निदेश सम्मिलित है) पालन हेतु कोई भी निदेश दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन छंटनी के लिए प्रत्येक निदेशक को शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) के पूर्वानुमोदन को प्राप्त करने के पश्चात् जारी किया जायेगा और वह ऐसी भावी तारीख को विनिर्दिष्ट करेगा जिस पर वह छंटनी प्रवर्ती होगी।

(3) जहाँ छँटनी के लिए कोई निदेश उपधारा (1) तथा (2) के अनुसार जारी किया जाता है, तो सम्बन्धित अध्यापक या कर्मचारी का, उस निदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से, उस महाविद्यालय का अध्यापक या कर्मचारी के रूप में, इस अध्याय के अधीन संदेय पोषण अनुदान के प्रयोजनार्थ होना बन्द हो जायेगा।

[1][**60-गग. अध्यापकों के अधिसंख्य पद**—उपकुलपति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी ऐसे अध्यापक को, जो तत्समय भारत में या विदेश में शैक्षिक प्रशासन में या इसी प्रकार के अन्य समनुदेशन में राष्ट्रीय महत्व के उत्तरदायी पद को धारित कर रहा है, को अपने धारणाधिकार एवं उस अध्यापक के रूप में वरिष्ठता को प्रतिधारित करने के लिए और वह अपने समनुदेशन की अवधि के दौरान अपने वेतनमान में वार्षिक वृद्धियों को उपार्जित भी करते रहने और भविष्य निधि के लिए अनुदान करने एवं सेवानिवृत्ति के लाभों, यदि कोई हो, परिनियमों के अनुसार उपार्जित करने के लिए समर्थ बनाने के उद्देश्य से किसी अधिसंख्य पद का सृजन कर सकेगा :

परन्तु यह कि उस समनुदेशन की अवधि के लिए महाविद्यालय द्वारा उस अध्यापक को कोई वेतन संदेय नहीं होगा।]

60-घ. कतिपय महाविद्यालयों की दशा में वेतन के संदाय की प्रक्रिया—(1) प्रत्येक महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र अपने अध्यापकों एवं कर्मचारियों को वेतन के संवितरण के प्रयोजनार्थ किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या डाकघर में पृथक् खाता (इस अध्याय में एतस्मिन् पश्चात् ''वेतन संदाय खाता'' के रूप में निर्दिष्ट) खोलेगा जिसे प्रबन्धतन्त्र के प्रतिनिधि द्वारा तथा उपनिदेशक अथवा उस निमित्त उपनिदेशक द्वारा प्राधिकृत किये जा सकने वाले अन्य अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जायेगा :

परन्तु यह कि वेतन संदाय खाते को खोले जाने के पश्चात्, उपनिदेशक, यदि उसका धारा 60 (ज) के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना जनहित में समीचीन है, तो उस बैंक को यह निर्देश दे सकेगा कि खाते को अकेले प्रबन्धतन्त्र के प्रतिनिधि द्वारा चलाया जायेगा और वह किसी भी समय उस निर्देश का प्रतिसंहरण कर सकेगा :

परन्तु अग्रेतर यह कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट वाद में, अथवा जहाँ किसी अन्य वाद में प्रबन्धतन्त्र को कारण दर्शित करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उपनिदेशक की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक

---

1. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

the Deputy Director is of opinion that it is necessary or expedient so to do, the Deputy Director may instruct the bank that the Salary Payment Account shall be operated only by himself, or by such other officer as may be authorised by him in that behalf and may at any time revoke such instruction.

(2) The State Government may, from time to time, require by general or special order that the Management of a college shall deposit in the Salary Payment Account, such portion of the amount received from students as fees and also such portion, if any, of the income received from any property, movable or immovable belonging to or endowed wholly or partly for the benefit of the college, and by such date, as may be specified in that order, and thereupon, the Management shall be bound to comply with such direction.

(3) Where the Deputy Director is of opinion that the Management has failed to deposit the fees in accordance with the provisions of sub-section (2) or the orders issued thereunder, the Deputy Director may, by order, prohibit the Management from realising any fees from the students and thereupon, the Deputy Director may realise the fees (either through the teachers of the college or in such other manner as he thinks fit) directly from the students and shall deposit the fees so recevered in the Salary Payment Account.

(4) The State Government shall also pay into the Salary Payment Account such amount as maintenance grant, which, after taking into consideration the amounts deposited under sub-sections (2) and (3), is necessary for making payment in accordance with sub-section (5).

(5) No money credited to the Salary Payment Account shall be applied for any purpose except the following, namely—

(a) for payment of salary to the teachers and other employees of the college falling due for any period after March 31, 1975;

(b) for crediting the Management's contribution, if any to the provident fund accounts of teachers and employees of the college concerned.

(6) The salary of a teacher or employees shall be paid by transfer of the amount from the Salary Payment Account to his account, if any, in the same bank, or if he has no account in that bank, then by cheque.

60-E. Liability in respect of Salary.—[1][(1) The State Government shall be liable for payment of salaries against such posts of teachers and employees of every such college that was taken in grant-in-aid list by the State Government on or after March 31, 1975 :

Provided firstly that the Director of Higher Education or an officer authorized by him to sanction grant-in-aid to the college has paid the salary against such posts within one year after the college was taken in grant-in-aid list :

Provided secondly that the posts in a grant-in-aid college which were created after the college was taken in grant-in-aid list with the permission of the Director, Higher Education or by the State Government and were duly filled with the approval of the Director of Higher Education or an officer authorized by him after March 31, 1975 :

1. Subs. by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 11-7-2003).

अथवा समीचीन है, तो उपनिदेशक बैंक को यह निर्देश दे सकेगा कि वेतन संदाय खाते को अकेले स्वयं उसी के द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, चलाया जायेगा और वह किसी भी समय उस निर्देश का प्रतिसंहरण कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार, समय-समय पर, सामान्य अथवा विशेष आदेश से यह अपेक्षा कर सकेगा कि किसी महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र वेतन संदाय खाते में विद्यार्थियों से फीस के रूप में प्राप्त धनराशि के उस अंश को और साथ ही महाविद्यालय के लाभ के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से विन्यस्त जंगम अथवा स्थावर किसी भी सम्पत्ति के प्राप्त आय के ऐसे अंश, यदि कोई हो, को भी और उस तारीख तक, जिसे उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, निक्षेपित करेगा और तत्पश्चात् प्रबन्धतन्त्र उस निदेश का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

(3) जहां उपनिदेशक की यह राय हो कि प्रबन्धतन्त्र उपधारा (2) के प्रावधानों अथवा उसके अधीन जारी आदेशों के अनुसार फीस का निक्षेप करने में असफल हुआ है तो उपनिदेशक आदेश द्वारा प्रबन्धतन्त्र को विद्यार्थियों से कोई भी फीस वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा और तत्पश्चात् उपनिदेशक विद्यार्थियों से सीधे ही फीस को (या तो महाविद्यालय के अध्यापकों के माध्यम से या ऐसी अन्य रीति से जिसे वह उपयुक्त समझे) वसूल कर सकेगा और इस प्रकार वसूल की गयी फीस को वेतन संदाय खाते में निक्षेपित करेगा।

(4) राज्य सरकार वेतन संदाय खाते में पोषण अनुदान के रूप में वह धनराशि भी निक्षेपित करेगा जो, उपधारा (2) तथा (3) के अधीन निक्षेपित धनराशियों पर विचार करने के पश्चात् उपधारा (5) के अनुसार संदाय करने के लिए आवश्यक है।

(5) वेतन संदाय खाते में जमा की गयी कोई भी धनराशि निम्नलिखित के सिवाय अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं की जायेगी, अर्थात्—

(क) 31 मार्च, 1975 के पश्चात् किसी भी अवधि के लिए बकाया होने वाली महाविद्यालय के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को वेतन के संदाय के लिए;

(ख) सम्बन्धित महाविद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में प्रबन्धतन्त्र का अंशदान, यदि कोई हो, जमा करने के लिए;

(6) किसी अध्यापक या कर्मचारी के वेतन को वेतन संदाय खाते से उसके खाते, यदि कोई उसी बैंक में हो, धनराशि के अन्तरण द्वारा संदाय किया जायेगा, अथवा यदि उस बैंक में उसका कोई खाता नहीं है तो चेक द्वारा संदाय किया जायेगा।

60-ङ. वेतन के सम्बन्ध में दायित्व—[1][(1) राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक महाविद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के उन पदों के विरुद्ध वेतन के संदाय के लिए दायी होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च, 1975 को या उसके आस-पास सहायता अनुसूची में सम्मिलित किया गया था :

परन्तु प्रथमतः, यह कि उच्चतर शिक्षा निदेशक अथवा उसके द्वारा महाविद्यालय को सहायता अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ने उस महाविद्यालय से सहायता अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर उन पदों के विरुद्ध वेतन संदाय कर दिया है :

परन्तु द्वितीयतः, यह कि सहायता अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में पद, जिन्हें महाविद्यालय के सहायता अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के पश्चात् निदेशक, उच्चतर शिक्षा की अनुमति से या राज्य सरकार द्वारा सृजित किया गया था और उन्हें निदेशक, उच्चतर शिक्षा के अथवा उसके द्वारा 31 मार्च, 1975 के पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन से सम्यक् रूप से भरा गया था :

---

1. 2004 के उ० प्र० अधिनियम 1 द्वारा प्रतिस्थापित (11-7-2003 से प्रभावी)।

Provided thirdly that the State Government shall not be liable for payment of salaries of teachers and employees of a college where permission to create posts was granted by the Director of Higher Education or by the State Government on the condition that the Management of the respective college shall bear the liability of payment of salary against the posts so created :

Provided fourthly that the colleges in which affiliation for certain number of subjects of undergraduate and post-graduate courses has been accorded by the Chancellor under self-financing scheme, the State Government shall not be liable to pay salary of teachers and employees appointed in connection with imparting instruction in such course.]

(2) The State Government may recover any amount in respect of which any liability in incurred by it under sub-section (1) by attachment of the income from the property belonging to or vested in the college as if that amount were an arrear of land revenue due from such college.

(3) Nothing in this section shall be deemed to derogate from the liability of the college for any such dues to the teacher or employee.

60-F. Punishment, penalties and procedure.—(1) If any default is committed in complying with any direction under Section 60-C, or with the provisions of Section 60-B or Section 60-D, every person who at the time the default was committed was manager or any other person vested with the authority to manage and conduct the affairs of the college shall, unless he proves that the default was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of the default, be punishable, in the case of a default in complying with the provisions of Section 60-B with fine which may extend to one thousand rupees, and in the case of any other default with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) No Court shall take cognizance of any offence punishable under this section except with the previous sanction of the Deputy Director.

(3) Every offence under this section shall be cognizable, but no police officer below the rank of a Deputy Superintendent shall investigate any such offence without the order of a Magistrate of the first class or make arrest therefor without a warrant.

(4) No Court below the rank of a Magistrate of the first class shall take cognizance of an offence under this section.

60-G. Finality of orders.—No order made or direction given by the State Government, the Director of Education (Higher Education), the Deputy Director or other officer in exercise of any power conferred by or under this Chapter shall be called in question in any Court.

60-H. Rule-making power.—(1) The State Government may by notification in the Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Chapter.

(2) All rules made under this Chapter shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days comprised in its one session or more than one successive sessions and shall, unless some later date to appointed, take effect from the date of their publication in the Official Gazette, subject to such

परन्तु तृतीयतः यह कि राज्य सरकार ऐसी किसी महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतनों के संदाय के लिए दायी नहीं होगी जहां पदों को सृजित करने की अनुमति निदेशक, उच्चतर शिक्षा द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के आधार पर प्रदान की गयी थी कि क्रमशः महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र इस प्रकार सृजित किये गये पद के विरुद्ध वेतन के संदाय के दायित्व को वहन करेगा :

परन्तु चतुर्थतः यह कि महाविद्यालय जिनमें पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के कतिपय संख्या में विषयों की सम्बद्धता को कुलपति द्वारा स्वपोषित योजना के अधीन प्रदान किया गया है तो राज्य सरकार उस पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में नियुक्त अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन का संदाय करने हेतु दायी नहीं होगी।]

(2) राज्य सरकार ऐसी कोई भी धनराशि उसी प्रकार से वसूल कर सकेगी जिसके सम्बन्ध में उस महाविद्यालय की या उसमें निहित सम्पत्ति से आय की कुर्की द्वारा उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा कोई दायित्व उपगत किया गया है मानो वह धनराशि उस महाविद्यालय से देय भू-राजस्व का अवशिष्ट थी।

(3) इस धारा में कही गयी किसी भी बात का उस अध्यापक या कर्मचारियों को ऐसे किसी बकायों के लिए महाविद्यालय के दायित्व से अल्पीकरण करना नहीं समझा जायेगा।

60-च. दण्ड, शास्तियां एवं प्रक्रिया—(1) यदि धारा 60-ग के अधीन किसी निदेश का अथवा धारा 60-ख या धारा 60-घ के प्रावधानों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम कारित किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो व्यतिक्रम कारित किये जाने के समय प्रबन्धक अथवा कोई अन्य व्यक्ति था जिसमें उस महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने एवं उसे संचालित करने का प्राधिकार निहित किया गया था, जब तक वह यह सिद्ध न कर दे कि व्यतिक्रम को उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था अथवा यह कि उसने उस व्यतिक्रम के कारित किये जाने का निवारण करने के लिए समस्त सम्यक् अध्यवसाय का प्रयोग किया था, धारा 60-ख के प्रावधानों के अनुपालन में व्यतिक्रम की दशा में अर्थदण्ड, से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, और किसी अन्य व्यतिक्रम की दशा में कारावास से, जो छः माह तक हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय उपनिदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(3) इस धारा के अधीन पुलिस अपराध संज्ञेय होगा लेकिन उपाधीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई भी पुलिस अधिकारी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ऐसे किसी भी अपराध का अन्वेषण नहीं करेगा अथवा वारंट के बिना उसके लिए गिरफ्तारी नहीं करेगा।

(4) प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अनिम्न पंक्ति का कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं होगा।

60-छ. आदेशों की अन्तिमतता—राज्य सरकार, शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा), उपनिदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा इस अध्याय द्वारा अथवा इस अध्याय के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कोई भी आदेश या दिया गया कोई भी निदेश किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

60-ज. नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों को बना सकेगी।

(2) इस अध्याय के अधीन बनाये गये सभी नियम, उनके बनाये जाने के शीघ्र पश्चात्, राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष उस समय प्रस्तुत किये जायेंगे जब वह एक ही सत्र में या एक से अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट तीस दिन की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, प्रस्तुत किये जायेंगे और जब तक कोई पश्चात्वर्ती तारीख नियत न की गयी हो, ऐसे उपान्तरणों या बातिलीकरणों के अध्यधीन

modifications or annulments as the two Houses of Legislature may during the said period agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.]

CHAPTER XII

PENALITES AND PROCEDURE

61. Penalties.—(1) Whoever contravenes the provisions of Section 46 shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or both.

(2) Any person who—

(a) having in his possession, custody or control any property of a college in respect of which an order has been made under Section 58 wrongfully withholds such property from the Authorised Controller appointed under that section or from any person authorised by him in that behalf; or

(b) wrongfully obtains possession of any property of such college; or

(c) *wilfully withholds or fails to furnish the Authorised Controller or any person specified by him as required by sub-section (2) of Section 60 any books or other documents which may be in his possession, custody or control; or*

(d) *wilfully obstructs any person from duty carring out all or any of the provisions of this Act;*

shall, on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine or with both :

Provided that the Court trying any offence under clause (a) or clause (b) of this sub-section may at the time of convicting the accused person, order him to deliver up or refund within a time to be fixed by the Court any property wrongfully withheld or wrongfully obtained or any books or other documents wilfully withheld.

62. Cognizance by Courts.—No Court shall take cognizance of an offence punishable under Section 61 except with the previous sanction of the Director of Education (Higher Education).

63. Offences by registered societies.—(1) If the person committing the offence under Section 61 is a society registered under the Societies Registration Act, 1860, the society as well as every person in charge of and responsible to the society for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowlege or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any offence under this Act has been committed by a registered society and it is

शासकीय गजट में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे जिन्हें संसद के दोनों सदन उक्त अवधि के दौरान करने के लिए सहमत हो जायें, किन्तु इस प्रकार की ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उसके अधीन पूर्वतर की गयी किसी भी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना होगा।

अध्याय 12

शास्तियां एवं प्रक्रिया

61. शास्तियां—(1) जो कोई धारा 46 के प्रावधानों का अतिलंघन करता है, सिद्धदोष हो जाने पर, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन माह तक हो सकेगी अथवा अर्थदण्ड से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो—

(क) किसी ऐसे महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में रखते हुए, जिसके सम्बन्ध में धारा 58 के अधीन आदेश को किया गया है, सदोष उस सम्पत्ति को उस धारा के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक से अथवा उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति से सदोष प्रतिधारित करता है; अथवा

(ख) उस महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति का सदोष कब्जा प्राप्त करता है; अथवा

(ग) कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज को उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हो सकते हैं, प्रतिधारित करता है अथवा प्राधिकृत नियंत्रक या धारा 60 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को प्रदान करने में असफल हो जाता है; अथवा

(घ) किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के सभी प्रावधानों या उनमें से किसी को सम्यक् रूप से कार्यान्वित करने से जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करता है,

सिद्धदोष किये जाने पर ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकेगी अथवा अर्थदण्ड से या दोनों से दण्डित किया जायेगा :

परन्तु यह कि इस उपधारा के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) के अधीन किसी भी अपराध के विषय में विचार करते हुए न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति को सिद्धदोष करने के समय न्यायालय द्वारा नियत किये जाने वाले समय के भीतर सदोष प्रतिधारित या सदोष प्राप्त कोई भी सम्पत्ति अथवा सदोष प्रतिधारित कोई भी पुस्तक या अन्य दस्तावेज परिदत्त या प्रतिदाय करने के लिए आदेशित कर सकेगा।

62. न्यायालयों द्वारा संज्ञान—कोई भी न्यायालय शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की पूर्व स्वीकृति के बिना धारा 61 के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

63. पंजीकृत सोसाइटियों द्वारा अपराध—(1) यदि धारा 61 के अधीन अपराध को कारित करने वाला व्यक्ति सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी है, तो वह सोसाइटी और साथ ही अपराध के कारित किये जाने के समय उसके काम-काज के संचालन हेतु सोसाइटी का प्रभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति का उस अपराध का दोषी होना समझा जायेगा और वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित किये जाने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह कि इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी दण्ड के लिए दायी नहीं बनायेगी यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि अपराध को उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था अथवा यह कि उसने उस अपराध को कारित करने का निवारण करने के लिए समस्त सम्यक् अध्यवसाय का प्रयोग किया था।

(2) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई भी अपराध पंजीकृत सोसाइटी द्वारा कारित किया गया हो और यह सिद्ध हो जाये कि उस अपराध को सोसाइटी

proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of offence is attributable to any neglect on the part of any member of the society, such member shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

CHAPTER XIII

MISCELLANEOUS

64. Manner of appointment of officers and members of authorities.—(1) Except as expressly provided by this Act or the Statutes, officers of the University and members of authorities of the University shall so far as may be, be chosen by methods other than election.

(2) Where a provision is made in this Act or the Statutes for any appointment by rotation or according to seniority or other qualifications the manner of rotation and determination of seniority and other qualifications shall be such as may be prescribed.

(3) Where a provision for an election is made in this Act such election shall be conducted according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and where provision for an election is made in the Statutes it be held in such manner as the Statutes may provide.

(4) Except as expressly provided by this Act, no officer or employees of the University shall be eligible to seek election to any authority or other body of the University.

65. Filling of casual vacancies.—(1) Any casual vacancy among the members, other than *ex officio* members, of any authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the members whose vacancy is to be filled up was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

(2) A person, who is a member of any authority of the University as a representative of another body, whether of the University or outside, shall retain his seat on such authority for so long as he continues to be the representative of such body [1][* * *].

66. Proceeding not to be invalidated by vacancies, etc.—No act or proceeding, of any authority or body or committee of the University shall be invalid merely by reason of—

(a) any vacancy or defect in the constitution thereof, or

(b) some person having taken part in the proceedings who was not entitled to do so, or

(c) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as member thereof, or

(d) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

1. The words "and thereafter till his successor is duly appointed" omitted by U.P. Act No. 9 of 1998 (w.e.f. 19-9-1997).

के किसी भी सदस्य की सहमति या दुसंधि से कारित किया गया है अथवा यह कि अपराध का वह कारित किया जाना सोसाइटी के किसी सदस्य के पक्ष से किसी उपेक्षा के कारण है तो उस सदस्य का भी उस अपराध का दोषी होना समझा जायेगा और वह विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं तद्नुसार दण्डित किये जाने के लिए दायी होगा।

अध्याय 13
प्रकीर्ण

64. प्राधिकरणों के अधिकारियों और सदस्यों की नियुक्ति की रीति—(1) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय के अधिकारियों और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों को, जहां तक संभव हो चुनाव के सिवाय अन्य पद्धति द्वारा चुना जा सकेगा।

(2) जहां इस अधिनियम अथवा परिनियमों में चक्रानुक्रम द्वारा किसी नियुक्ति अथवा वरिष्ठता के अनुसार या अन्य अर्हताओं द्वारा किसी भी नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है तो चक्रानुक्रम एवं वरिष्ठता के अवधारण एवं अन्य अर्हताओं की रीति ऐसी होगी जिसे विहित किया जा सकेगा।

(3) जहां इस अधिनियम में चुनाव का प्रावधान किया जाये, तो ऐसा चुनाव एकल हस्तान्तरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधिक की पद्धति के अनुसार किया जायेगा और जहां चुनाव का प्रावधान परिनियम में किया जाये, तो उसे ऐसी रीति से किया जायेगा जिसे परिनियम में उपबन्धित किया जाये।

(4) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय के लिए चुनाव की ईप्सा करने का पात्र होगा।

65. नैमित्तिक रिक्तियों का भरा जाना—(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के पदेन सदस्यों को छोड़कर सदस्यों में किसी नैमित्तिक रिक्ति को ऐसी रीति से भरा जायेगा जिसमें सदस्य, जिनकी रिक्ति को भरा जाना है, चुना गया था और रिक्ति को भरने वाला व्यक्ति उस प्राधिकरण या निकाय का उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उस व्यक्ति, जिसके स्थान को उसने भरा है, सदस्य रहा होता।

(2) व्यक्ति, जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य है चाहे वह विश्वविद्यालय का हो या बाहर का, उस प्राधिकरण पर अपने पद को तब तक प्रतिधारित करेगा जब तक वह उस निकाय का सदस्य बना रहता है [1][* * *]।

66. कार्यवाही को रिक्तियों आदि द्वारा अविधिमान्य नहीं बनाया जायेगा—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय या समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र निम्न कारण से अवैध नहीं होगी—

(क) उसके गठन में कोई भी रिक्ति या दोष; अथवा

(ख) कार्यवाही में भाग लेने पर कोई व्यक्ति जो सेवा करने का हकदार नहीं था; अथवा

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करते हुए व्यक्ति के चुनाव, नामांकन या नियुक्ति में कोई दोष; अथवा

(घ) वाद के गुणावगुण को प्रभावित न करते हुए उसकी प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता।

---

1. 1998 के उ० प्र० अधिनियम 9 द्वारा पदावली "और तत्पश्चात् उसके उत्तराधिकारी की सम्यक रूप से नियुक्ति होने तक" लोपित।

[1][66-A. The State Government may issue such directions from time to time to a University on policy matters, not inconsistent with the provisions of this Act as it may deem necessary such direction shall be complied with by the University.]

67. Removal from membership of the University.—The Court may, by a two-third majority of the members present and voting remove any person from membership of any authority or other body of the University upon the ground that such person has been convicted of an offence which, in the opinion of the Court, is an offence involving moral turpitude or upon the ground that he has been guilty of scandalous conduct or had behaved in a manner unbecoming of a person any degree, or certificate conferred or granted by the University.

68. Reference to the Chancellor.—If any question arises whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be, member of any authority or other body of the University, or whether any decision of any authority or officer of the University [2][including any question as to the validity of a Statute, Ordinance or Regulation, not being a Statute or Ordinance made or approved by the State Government or by the Chancellor)] is in conformity with this Act or the Statutes or the Ordinance made thereunder, the matter shall be referred to the Chancellor and the decision of the Chancellor thereon shall be final :

Provided that no reference under this section shall be made—

(a) more than three months after the date when the question could have been raised for the first time;

(b) by any person other than an authority or officer of the University or a person aggrieved :

Provided further that the Chancellor may in exceptional circumstances—

(a) act *suo motu* or entertain a reference after the expiry of the period mentioned in the preceding proviso;

(b) where the matter referred relates to a dispute about the election, and the eligibility of the person so elected is in doubt, pass such orders of stay as he thinks just and expedient;

(c) [3][* * *]

[4][**68-A. *Power of Vice-Chancellor to enforce his order against Management.***—(1) Where a decision of the Management of an affiliated or associated college to dismiss, remove or to reduce a teacher in rank or to punish him in any other manner or to terminate his sevices, has not been approved by the Vice-Chancellor or where an order of suspension of such teacher has been stayed, revoked or modified by the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of this Act or of an Act repealed by Section 74, and the Management has committed default in paying the salary of such teacher which became due to him in consequence of the Vice-Chancellor's order, the Vice-Chancellor may

1. Ins. by U.P. Act No. 1 of 2004 (w.e.f. 21-1-2003).
2. Ins. by U.P. Act No. 21 of 1975.
3. Omitted by U.P. Act No. 5 of 1977.
4. Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977.

[1][66-क. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न होते हुए नीतिगत मामलों पर समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकेंगे जिन्हें वह आवश्यक समझे, ऐसे निदेश का विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन किया जायेगा।]

67. विश्वविद्यालय की सदस्यता से अपसारण—न्यायालय वर्तमान सदस्यों को दो-तिहाई बहुमत और मतदान द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण अथवा अन्य निकाय की सदस्यता से अपसारित कर सकेगा कि उस व्यक्ति को ऐसे अपराध से सिद्धदोष किया गया है, जो न्यायालय की राय में, नैतिक अधमता को अन्तर्ग्रस्त करते हुए अपराध है अथवा इस आधार पर कि वह कलंककारी आचरण का दोषी है अथवा उसने विश्वविद्यालय के सदस्य के रूप में अशोभनीय रीति से व्यवहार किया है और वह उन्हीं आधारों पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या प्रदान की गयी किसी भी उपाधि, या प्रमाण-पत्र से प्रत्याहरण कर सकेगा।

68. कुलपति को संदर्भ—यदि इस विषयक कोई प्रश्न उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में चुना या नियुक्त किया गया है अथवा वह सदस्य होने का हकदार है, अथवा क्या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी का विनिश्चय [2][परिनियम, अध्यादेश या विनियम की वैधता के बारे में प्रश्न सहित, न कि राज्य सरकार द्वारा या कुलपति द्वारा दिये गये या अनुमोदित परिनियम अथवा अध्यादेश की वैधता के बारे में] इस अधिनियम या परिनियम अथवा उसके अधीन तैयार किये गये अध्यादेश के अनुरूप है, तो मामला कुलपति के समक्ष निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई भी संदर्भ निम्न दशाओं में नहीं किया जायेगा—

(क) उस तारीख से तीन माह के अधिक के पश्चात् जब प्रश्न पहली बार उठाया जा रहा हो;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति या क्षुब्ध व्यक्ति द्वारा :

परन्तु अग्रेतर यह कि कुलपति आपवादिक परिस्थितियों में—

(क) पूर्ववर्ती परन्तुक में उल्लिखित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् स्वप्रेरणा से कार्य कर सकेगा या संदर्भ को ग्रहण कर सकेगा;

(ख) जहां निर्दिष्ट मामले का सम्बन्ध चुनाव के बारे में विवाद से है और इस प्रकार चुने गये व्यक्ति की पात्रता संदिग्ध है, तो रोक के ऐसे आदेशों को पारित कर सकेगा जिसे वह न्यायसंगत अथवा समीचीन समझे;

(ग) [3][* * *]।

[4][**68-क. प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध कुलपति की अपने आदेश को प्रवर्तित करने की शक्ति**—(1) जहाँ समबद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र का किसी अध्यापक को बर्खास्त करने, अपसारित करने या पंक्ति में कम करने या उसे ऐसी अन्य किसी रीति से दण्डित करने या उसकी सेवाओं को समाप्त करने के निर्णय का उपकुलपति द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है अथवा जहाँ उस अध्यापक के निलम्बन के आदेश को इस अधिनियम के अथवा धारा 74 द्वारा निरसित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपकुलपति द्वारा रोक लगायी गयी है, उसका प्रतिसंहरण किया गया है या उसे उपान्तरित किया गया है और प्रबन्धतन्त्र में उस अध्यापक के वेतन का संदाय करने में व्यतिक्रम कारित किया गया है जो उसे उपकुलपति के आदेश

1. 2004 के उ० प्र० अधिनियम 1 द्वारा अन्तःस्थापित (21-1-2003 से प्रभावी)।
2. 1975 के उ० प्र० अधिनियम 21 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा लोपित।
4. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

pass an order, requiring the management to pay the amount of salary as may be specified in the order and during the period of suspension, may also require the management to pay the suspension allowance at the rate of one-half of the salary payable, if the said amount has not been paid.

(2) In any such case as is referred to in sub-section (1), the Vice-Chancellor may also order reinstatement of the teacher concerned subject to such terms and the conditions as he thinks fit.

(3) The amount of salary or suspension allowance required to be paid under an order of the Vice-Chancellor under sub-section (1) shall on a certificate issued by him to the effect, be recoverable by the Collector as arrears of land revenue.

(4) Every order of the Vice-Chancellor under sub-section (2) shall be executable by the lowest Civil Court having territorial jurisdiction, as if it were a decree of that Court.

(5) No suit shall lie against any management or teacher in respect of any matter for which a relief can be granted by the Vice-Chancellor under this section.]

[1][69. **Bar of suit.**—No suit or other legal proceedings shall lie against the State Government or the Director of Education (Higher Education) or the Deputy Director (as defined in Section 60-A) or the Authorised Controller or the University or any officer, authority or body thereof in respect of anything done or purported or intended to be done in pursuance of the Act or the rules or the Statutes or the Ordinances made thereunder.]

70. Mode of proof of University record.—(1) A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding, or resolution of any authority or committee of the University or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as *prima facie* evidence of such receipt, application, notice, order, proceedings, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein recorded where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

(2) No officer or servant of the University shall in any proceeding to which the University is not a party, be required to produce any document, register or other record of the University the contents of which can be proved under sub-section (1) but a certified copy, or to appear as a witness to prove the matters and transactions recorded therein unless by order of the Court made for special cause.

CHAPTER XIV
TRANSITORY PROVISION

71. Continuation of existing Officers of the University.—Subject to the provisions of this Act, every person holding office as an officer of an existing University on the date immediately before the commencement of this Act shall continue to hold office on the same terms and conditions until the expiration of his term of office.

1. Subs. by U.P. Act No. 21 of 1975.

के परिणामस्वरूप देय हुआ था तो उपकुलपति प्रबन्धतन्त्र से वेतन की उस धनराशि को, जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो, संदाय करने की अपेक्षा करते हुए आदेश पारित कर सकेगा और निलम्बन की अवधि के दौरान वह प्रबन्धतन्त्र से संदेय वेतन के आधे की दर पर निलम्बन भत्ता संदाय करने की भी अपेक्षा कर सकेगा बशर्ते उक्त धनराशि का संदाय न किया गया हो।

(2) उपधारा (1) में जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे किसी भी वाद में उपकुलपति ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन जिन्हें वह उपयुक्त समझे; सम्बन्धित अध्यापक की पुनर्बहाली का आदेश कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन उपकुलपति के आदेश के अधीन संदाय किये जाने के लिए अपेक्षित वेतन की धनराशि अथवा निलम्बन भत्ता, उस विषयक उसके द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किये जाने पर कलक्टर द्वारा भू-राजस्व के अवशिष्टों के रूप में वसूली योग्य होगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन उपकुलपति का प्रत्येक आदेश प्रादेशीय क्षेत्राधिकार को रखने वाले निम्नतम् सिविल न्यायालय द्वारा उसी प्रकार से निष्पादन होगा मानो उस न्यायालय की डिक्री हो।

(5) ऐसे किसी भी मामले के सम्बन्ध में जिसके लिए उपकुलपति द्वारा इस धारा के अधीन अनुतोष प्रदान किया जा सकता है, किसी भी प्रबन्धतन्त्र या अध्यापक के विरुद्ध कोई भी वाद दाखिल नहीं किया जा सकेगा।]

[1][**69. वाद का प्रतिबन्ध**—राज्य सरकार या शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) या उपनिदेशक (धारा 7-क में यथा परिभाषित) अथवा प्राधिकृत नियंत्रक या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध ऐसी किसी भी बात के सम्बन्ध में कोई भी वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाही दाखिल नहीं की जायेगी जिसे अधिनियम या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली या परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसरण में किया गया था या तात्पर्यित था या किया जाना आशयित था।]

70. विश्वविद्यालय अभिलेख के सबूत की पद्धति—(1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या समिति के किसी भी पावती, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही, अथवा संकल्प की प्रति या विश्वविद्यालय के कब्जे में अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से अनुरक्षित किसी पंजी में कोई भी प्रविष्टि, यदि रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित की गयी हो, उस पावती, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही, संकल्प अथवा दस्तावेज के या पंजी में प्रविष्टि की विद्यमानता के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा और उसे मामलों के साक्ष्य के रूप में तथा उसमें अभिलिखित संव्यवहारों के रूप में ग्रहण किया जायेगा जहां उसकी मूल प्रति, यदि पेश की गयी हो, साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया गया होता।

(2) विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी अथवा सेवक से ऐसी किसी भी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार नहीं है, विश्वविद्यालय के किसी दस्तावेज, पंजी तथा अन्य अभिलेख को सिवाय, प्रमाणित प्रति के, जिसकी अन्तर्वस्तु को उपधारा (1) के अधीन सिद्ध किया जा सकता है, पेश करने अथवा उसमें अभिलिखित मामलों एवं संव्यवहारों को सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी जब तक कि न्यायालय के आदेश द्वारा विशेष कारण हेतु न किया गया हो।

अध्याय 14

अस्थायी उपबन्ध

71. विश्वविद्यालय के विद्यमान अधिकारियों का बने रहना—इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व तारीख पर विद्यमान विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में पद को धारित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं निबन्धनों एवं शर्तों पर, जब तक कि उसके पद का कार्यकाल समाप्त न हो जाये, पद को धारित करता रहेगा।

---

1. 1975 के उ० प्र० अधिनियम 21 द्वारा प्रतिस्थापित।

72. Constitution of authorities.—[1][(1) Every authority of an existing University shall, as soon as may be after the commencement of this Act, be constituted in accordance with the provisions of this Act, and every person holding office as member of such authority immediately before the commencement of this Act shall, on the date of such commencement, cease to be such member.]

(2) Until any authority of the University is constituted under sub-section (1), the State Government may, by order direct from time to time by whom and in what manner the powers, duties and functions exerable or dischargeable under this Act by any authority of University shall be exercised or discharged :

Provided that no such direction shall be issued after [2][December 31, 1981].

(3) The Administrative Committees and the Academic Committees constituted, in pursuance of sub-section (2) of Section 67 of the Uttar Pradesh State Universities Ordinance, 1973, shall, on 15th September, 1973, stand dissolved except as respect things done or omitted to be done by such Committees before that date, but nothing in this sub-section shall be deemed to preclude the State Government from taking, as from that date, such action under sub-section (2) as it thinks fit.

[3][**72-A. Transitory provisions regarding Kashi Vidyapith.**—Notwithstanding anything contained in this Act—

(a) every person holding office as an officer (other than the Chancellor) of the Kashi Vidyapith on the date immediately before its establishment as a University shall continue to hold office as such on the same terms and conditions except as respect tenure as he held on the said date until fresh appointments are made under clause (b);

(b) as soon as may be after the commencement of this section, the State Government may appoint interin officers of the said University (other than the Chancellor) and shall constitute interim authorities of the said University in such manner as it thinks fit, upon which the corresponding officers referred to in clause (a) shall cease to hold office and the corresponding authorities, shall stand dissolved forthwith;

[4][(c) the officers appointed and the members of the authorities constituted under clause (b) shall hold office up to [5][December 31, 1981] or until the appointment of the officers or the constitution of the authorities in accordance with clause (d) whichever be earlier;

(d) the State Government shall take steps for the appointment of officers and constitution of authorities of the said University in accordance with the provisions of this Act, so that the same may be completed before the expiry of the respoective terms of the interim officers and members under clause (c).]

---

1. Subs. by U.P. Act No. 21 of 1975.
2. Subs. by U.P. Act No. 15 of 1980 (w.e.f. 1-1-1979).
3. Ins. by U.P. Act No. 29 of 1974.
4. Subs. by U.P. Act No. 12 of 1978.
5. Subs. by U.P. Act No. 15 of 1980 (w.e.f. 1-1-1979).

72. प्राधिकरणों का गठन—[1][(1) विद्यमान विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् यथा शीघ्र इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गठित किया जायेगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उस प्राधिकरण के सदस्य के रूप में पद को धारित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति, उस प्रारम्भ होने की तारीख पर उस सदस्य के रूप में होना बन्द हो जायेगा।]

(2) जब तक उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का गठन न हो जाये, राज्य सरकार आदेश द्वारा समय-समय पर यह निदेशित कर सकेगी कि किसके द्वारा और किस रीति से इस अधिनियम के अधीन प्रयोग किये जा सकने या उन्मोचित किये जा सकने वाले, शक्तियों एवं कार्यों को विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण द्वारा प्रयोग या उन्मोचित किया जायेगा :

परन्तु यह कि [2][31 दिसम्बर, 1982] के पश्चात् ऐसा कोई भी निदेश जारी नहीं किया जायेगा।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1973 की धारा 67 की उपधारा (2) के अनुसरण में गठित प्रशासनिक समितियां एवं शिक्षा समितियां 15 सितम्बर, 1973 को उन समितियों द्वारा उस तारीख के पूर्व की गयी बातों या किये जाने के लिए लोपित बातों के सिवाय विघटित हो जायेंगी, लेकिन इस उपधारा में कही गयी किसी भी बात का राज्य सरकार को उस तारीख से, उपधारा (2) के अधीन ऐसी कार्रवाई को करने से प्रतिबाधित करना नहीं समझा जायेगा जिसे वह उपयुक्त समझे।

[3][**72-क. काशी विद्यापीठ के सम्बन्ध में अस्थायी प्रावधान**—इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए—

(क) काशी विद्यापीठ के, उसके विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने के ठीक पूर्व तारीख पर अधिकारी के रूप में (कुलपति को छोड़कर) पद को धारित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं निबन्धनों एवं शर्तों पर पद को धारित करता रहेगा सिवाय उस पदावधि के सम्बन्ध में, जिसे उसने उक्त तारीख को धारित किया था, जब तक कि खण्ड (ख) के अधीन नई नियुक्तियां न की गयीं हों;

(ख) इस धारा के प्रारम्भ होने की तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य सरकार उक्त विश्वविद्यालय के अन्तरिम अधिकारियों (कुलपति को छोड़कर) की नियुक्ति करेगी और उक्त विश्वविद्यालय की अन्तरिम प्राधिकरणों का ऐसी रीति से गठन करती रहेगी जिसे वह उपयुक्त समझे, जिसके पश्चात् खण्ड (क) में निर्दिष्ट तत्समानी अधिकारी पद को धारित करना बन्द कर देंगे और तत्समानी प्राधिकरण अविलम्ब विघटित हो जायेंगे;

[4][(ग) खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी और गठित प्राधिकरणों के सदस्य [5][31 दिसम्बर, 1981] तक अथवा जो भी पूर्वतर हो, खण्ड (घ) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकारियों के गठन होने तक पद को धारित करते रहेंगे;

(घ) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति और प्राधिकरणों के गठन के लिए कदम उठाएगी ताकि उसे खण्ड (ग) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों एवं सदस्यों की क्रमशः पदावधि के समाप्त होने के पूर्व पूर्ण किया जा सके।]

---

1. 1975 के उ० प्र० अधिनियम 21 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1980 के उ० प्र० अधिनियम 15 द्वारा प्रतिस्थापित (1-1-1979 से प्रभावी)।
3. 1974 के उ० प्र० अधिनियम 29 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. 1978 के उ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1980 के उ० प्र० अधिनियम 15 द्वारा प्रतिस्थापित (1-1-1979 से प्रभावी)।

[1][**72-B. Transitory provision on change of name of Garhwal University.**— With effect from April 25, 1989 any reference to the University of Garhwal in this Act or any rules, statutes, ordinances, statutory instruments, or any other law for the time being in force or in any documents or proceedings shall be construed as a reference to the Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University.]

[2][**72-C. Transitory provisions on change of name of University of Meerut.**— With effect from January 17, 1994 any refernece to the University of Meerut in this Act, or any Rules, Statutes, Ordinances, Statutory Instruments or any other law for the time being in froce or in any document or proceedings shall be construed as a reference to the Chaudhary Charan Singh University, Meerut.]

[3][**72-D. Transitory provisions on the change of name of the University of Avadh.**—[4][(1)] With effiect from June 18, 1994 any reference to the University of Avadh in this Act or any Rules, Statutes, Ordinances, Statutory Instruments or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to the Dr. Ram Manohar Lohia University, Faizabad.]

[5][(2) With effect from July, 11, 1995 any reference to the University of Avadh, or to the Doctor Ram Manohar Lohia University, Faizabad, in this Act or any Rules, Statutes, Ordinance, Statutory Instruments or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to the Doctor Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad.]

[6][**72-E. Transitory provision on the name of the Kashi Vidyapith.**—With effect from July 11, 1995 any reference to the Kashi Vidyapith in this Act or any Rules, Statutes, Ordinance, Statutory Instruments or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to the Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi.]

[7][**72-F. Transitory provision on the name of the Universities of Agra and Kanpur.**—[8][(1) With effect from September 24, 1995 any reference to the University of Agra and Kanpur University in this Act or any Rules, Statutes, Ordinance, Statutory Instruments or any other law for the time being in force in any document or proceedings shall be construed as a reference to Doctor Bhimrao Ambedkar University, Agra and Shri Shahu Ji Maharaj University, Kanpur respectively.]

[9][(2) With effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1997, any reference to the Kanpur University, or to Shri Shahu Ji Maharaj University, Kanpur in this Act or any Rules, Statutes, Ordinance, Statutory Instruments or any other law for the time

1. Ins. by U.P. Act No. 26 of 1989 (w.e.f. 24-4-1989).
2. Ins. by U.P. Act No. 5 of 1994 (w.e.f. 17-1-1994).
3. Ins. by U.P. Act No. 20 of 1994 (w.e.f. 18-6-1994).
4. Renumbered by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).
5. Ins. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).
6. Ins. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 11-7-1995).
7. Ins. by President's Act No. 4 of 1996 (w.e.f. 23-9-1995).
8. Renumbered by U.P. Act No. 12 of 1997.
9. Ins. by U.P. Act No. 12 of 1997.

[1][**72-ख. गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर अस्थायी उपबन्ध**—25 अप्रैल, 1989 से इस अधिनियम या किन्हीं नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों, अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि या किसी दस्तावेज या कार्यवाही में गढ़वाल विश्वविद्यालय के किसी भी संदर्भ को हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के संदर्भ के रूप में अर्थान्वित किया जायेगा।]

[2][**72-ग. मेरठ विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर अस्थायी उपबन्ध**—17 जनवरी, 1994 से इस अधिनियम या किन्हीं नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों, अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि या किसी दस्तावेज या कार्यवाही में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के संदर्भ में अर्थान्वित किया जायेगा।]

[3][**72-घ. अवध विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर अस्थायी उपबन्ध**—[4][(1)] 18 जून, 1994 से इस अधिनियम या किन्हीं नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों, अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि या दस्तावेज या कार्यवाही में अवध विश्वविद्यालय के किसी भी संदर्भ को डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के संदर्भ के रूप में अर्थान्वित किया जायेगा।]

[5][(2) 11 जुलाई, 1995 से इस अधिनियम या किन्हीं नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों, अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि या दस्तावेज या कार्यवाही में अवध विश्वविद्यालय, अथवा डॉ० राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद के किसी भी संदर्भ को डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अर्थ में अर्थान्वित किया जायेगा।]

[6][**72-ङ. काशी विद्यापीठ के नाम के परिवर्तन पर अस्थायी उपबन्ध**—11 जुलाई, 1995 से इस अधिनियम या किन्हीं नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों, अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि या दस्तावेज या कार्यवाही में काशी विद्यापीठ के किसी भी संदर्भ को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अर्थ में अर्थान्वित किया जायेगा।]

[7][**72-च. आगरा और कानपुर विश्वविद्यालयों के नाम के परिवर्तन पर अस्थायी उपबन्ध**—[8][(1) 24 सितम्बर, 1995 से, इस अधिनियम या किन्हीं अन्य नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों वैधानिक लिखतों अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि या दस्तावेज या कार्यवाही में आगरा विश्वविद्यालय एवं कानपुर विश्वविद्यालय के संदर्भ में क्रमशः डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा और श्री साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के संदर्भ में अर्थान्वित किया जायेगा।]

[9][(2) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ होने की तारीख से इस अधिनियम या किन्हीं नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों, अथवा तत्समय प्रवृत्ति अन्य किसी भी विधि या दस्तावेज में या कार्यवाही में कानपुर विश्वविद्यालय के अथवा श्री साहूजी महाराज

---

1. 1989 के उ० प्र० अधिनियम 26 द्वारा अन्तःस्थापित (24-4-1989 से प्रभावी)।
2. 1994 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा अन्तःस्थापित (17-1-1994 से प्रभावी)।
3. 1989 के उ० प्र० अधिनियम 20 द्वारा अन्तःस्थापित (18-6-1994 से प्रभावी)।
4. राष्ट्रपति के वर्ष 1996 के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा पुनर्संख्याकित (11-7-1995 से प्रभावी)
5. राष्ट्रपति के वर्ष 1996 के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्तःस्थापित (11-7-1995 से प्रभावी)।
6. राष्ट्रपति के वर्ष 1996 के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा उपधारा (1) को पुनर्संख्यांकित (11-7-1995 से प्रभावी)।
7. राष्ट्रपति के वर्ष 1996 के अधिनियम संख्यांक 4 द्वारा अन्तःस्थापित (23-9-1995 से प्रभावी)।
8. 1997 के उ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा अन्तःस्थापित।
9. 1997 के उ० प्र० अधिनियम 12 द्वारा अन्तःस्थापित।

being in force or in any document or proceedings shall be construed as a refence to Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur.]

[1][72-G. **Transitory provisions on the change of names of University of Gorakhpur and University of Rohilkhand.**—With effect from the date of the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 1997 any reference to the University of Gorakhpur and the University of Rohilkhand in this Act, or any Rules, Statutes, Ordinances, Statutory Instruments, or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to Deen Dayal Upadhyaya, Gorakhpur University, Gorakhpur and Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly respectively.]

[2][72-H. **Transitory provision of change of name of the Purvanchal University.**—With effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1999 any reference to the Purvanchal University in this Act or any Rules, Statutes, Ordinances, Statutory Instruments, or any other law for the time being in force or in any document or proceeding shall be construed as a reference to Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur.]

[3][72-I. **Special provisions with respect to certain students of Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur.**—Every person residing within the area of the Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, who was permitted by the Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur to appear in Graduate Part-I or Post Graduate Part-I Examination of 2008 from the Examination Centre of District-Chandauli, Mirzapur, Sant Ravidas Nagar, Sonbhadra, Varanasi and Ballia and who, on the esult of the examination, has been declared successful, shall be permitted by the Vir Bahadur Singh Purvanchal University to appear in the Graduate Part-II and Part-III examination or the Post Graduation Part-II examination, as the case may be, of the said University from the examination centres of the above districts during the academic years 2008-2009 and 2009-2010 and on the results of such an examination the degree may be conferred by that very University, and such an examination shall be deemed to be valid.

72-J. Special Provisions with respect to certain students of Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur.—Every person residing within the area of the Lucknow University, Lucknow, who was permitted by the Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur to appear in Graduate Part-I or Post Graduate Part-I Examination of 2008 from the Examination Centre of District Lucknow and who, on the result of the examination, has been declared successful, shall be permitted by the Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur to appear in the Graduate Part-II and Part-III examination or the Post Graduation Part-II examination, as the case may be, of the said University from the examination centres of district Lucknow during the academic years 2008-2009 and 2009-2010 and on the results of such an examination the degree may be conferred by that very University, and such an examination shall be deemed to be valid].

1. Ins. by U.P. Act No. 18 of 1997.
2. Ins. by U.P. Act No. 11 of 1999 (w.e.f. 8-1-1999).
3. Ins. by U.P. Act of 2009.

विश्वविद्यालय, कानपुर के किसी भी संदर्भ को छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के संदर्भ के रूप में अर्थान्वित किया जायेगा।]

[1][**72-छ. गोरखपुर विश्वविद्यालय और रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के नाम के परिवर्तन पर अस्थायी उपबन्ध**—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ होने की तारीख से इस अधिनियम या किन्हीं नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि या दस्तावेज या कार्यवाही में गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के किसी भी संदर्भ को दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर और महात्मा ज्योतिबा फूले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के संदर्भ के रूप में अर्थान्वित किया जायेगा।]

[2][**72-ज. पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम पर अस्थायी उपबन्ध**—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ होने की तारीख से इस अधिनियम या किन्हीं नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों, वैधानिक लिखतों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि या दस्तावेज या कार्यवाही में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के किसी भी संदर्भ को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के संदर्भ के रूप में अर्थान्वित किया जायेगा।]

[3][**72-झ. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के कतिपय छात्रों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध**—महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर द्वारा जिला चन्दौली, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, वाराणसी और बलिया के परीक्षा केन्द्रों से वर्ष 2008 की स्नातक भाग 1 या स्नातकोत्तर भाग 1 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्रदान की गयी थी और जिसे परीक्षाफल में सफल घोषित किया गया है, वीर बहादुर सिंह, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के दौरान उपर्युक्त जिलों के परीक्षा केन्द्रों से उक्त विश्वविद्यालय की, यथास्थिति, स्नातक भाग 2 तथा स्नातक भाग 3 की परीक्षा अथवा स्नातकोत्तर भाग 2 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी और ऐसे परीक्षाफल के आधार पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी और ऐसी परीक्षा विधिमान्य समझी जाएगी।

72-ञ. छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के कतिपय छात्रों के सम्बन्ध में विशेष उपबंध—लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जिसे छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा जिला लखनऊ के परीक्षा केन्द्र से वर्ष 2008 की स्नातक भाग 1 या स्नातकोत्तर भाग 1 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्रदान की गयी थी और जिसे परीक्षाफल में सफल घोषित किया गया है, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक वर्ग 2008-2009 और 2009-2010 के दौरान जिला लखनऊ के परीक्षा केन्द्र से उक्त विश्वविद्यालय की, यथास्थिति स्नातक भाग 2 तथा स्नातक भाग 3 या स्नातकोत्तर भाग 2 की परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी और ऐसे परीक्षाफल के आधार पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी और ऐसी परीक्षा विधिमान्य समझी जाएगी।]

---

1. 1997 के उ० प्र० अधिनियम 18 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1999 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 11 द्वारा अन्तःस्थापित (8-1-1999 से प्रभावी)।
3. 2009 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 6 द्वारा अन्तःस्थापित।

73. Power to remove difficulties.—(1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty, particularly in relation to the transition from the provisions of the enactments repealed by Section 74 to the provisions of this Act, by order published in the Official Gazette direct that the provisions of this Act, shall during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made [1][after December 31, 1982].

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature.

(3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any Court on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1) existed or required to be removed.

74. Repeal of certain enactments.—(1) The following enactments are hereby repealed, with effect from the respective dates on which this Act is brought into force in relation to the existing University concerned, namely—

(a) the Lucknow University Act, 1920;

(b) the Allahabad University Act, 1921;

(c) the Agra University Act, 1926;

(d) the Gorakhpur University Act, 1956;

(e) the Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya Act, 1956; and

(f) the Kanpur and Meerut Universities Act, 1965.

[2][(2) Notwithstanding such repeal—

(a) all appointments made, orders issued, degrees or diplomas conferred or certificates issued, privileges granted or other things done (including registration of graduates) under any such enactment, shall be deemed to have been respectively made, issued, conferred, granted or done under the corresponding provisions of this Act, and except as otherwise provided by or under this Act continue in force unless and until they are superseded by any order made under this Act;

(b) all proceedings of Selection Committee which took place before the commencement of this Act and all actions by the Management or by the Executive Council, as the case may be, in respect of the recommendation of such Selection Committees, where no orders of appointment on the basis thereof were passed before the commencement of this Act, shall, notwithstanding that the procedure for selection has been modified by this Act, be deemed to have been valid but further proceeding in connection with such pending selections shall be taken in accordance with the provisions of this Act and be continued from the stage where they stood immediately before such commencement.]

1. Subs. by U.P. Act No. 25 of 1982 (w.e.f. 29-12-1981).
2. Subs. by U.P. Act No. 21 of 1975, and shall be deemed always to have been substituted.

73. कठिनाइयों को अपसारण करने की शक्ति—(1) राज्य सरकार विशेषकर इस अधिनियम के प्रावधानों के लिए धारा 74 द्वारा निरसित अधिनियमितियों के प्रावधानों से संक्रमण के सम्बन्ध में, किसी भी कठिनाई का अपसारण करने के प्रयोजनार्थ, शासकीय गजट में प्रकाशित आदेश से यह निदेशित कर सकेगी कि इस अधिनियम के प्रावधान उस अवधि के दौरान जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, ऐसे अनुकूलनों, चाहे वह उपान्तरण, परिवर्धन अथवा लोप के माध्यम से हों, के अध्यधीन प्रभावी होंगे जिन्हें वह आवश्यक अथवा समीचीन समझे :

परन्तु यह कि ऐसे किसी भी आदेश को [1][31 दिसम्बर, 1982 के पश्चात्] नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश को राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी भी आदेश को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा कि उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट कोई भी कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसका अपसारित किया जाना अपेक्षित नहीं था।

74. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन—(1) निम्नलिखित अधिनियमों को क्रमशः उन तारीखों से एतद्द्वारा निरसित किया जाता है, जब यह अधिनियम विद्यमान सम्बन्धित विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में प्रभावी किया गया हो, अर्थात्—

(क) लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920;

(ख) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1921;

(ग) आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1926;

(घ) गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956;

(ङ) वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956; और

(च) कानपुर और मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965

[2][(2) इस निरसन के होते हुए भी—

(क) ऐसे किसी भी अधिनियम के अधीन की गयी सभी नियुक्तियाँ, जारी किये गये आदेश, प्रदान की गयी उपाधियां अथवा डिप्लोमा अथवा जारी प्रमाण-पत्र, प्रदत्त विशेषाधिकार अथवा की गयी अन्य कोई भी बातें (स्नातकों के पंजीयन सहित) का क्रमशः इस अधिनियम के तत्समानी प्रावधानों के अधीन किया जाना, जारी किया जाना, प्रदान किया जाना, स्वीकृत किया जाना अथवा किया जाना समझा जायेगा और वे इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रवृत्त होते रहेंगे जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी भी आदेश द्वारा अतिक्रमित न किया गया हो;

(ख) चयन समिति की सभी कार्यवाहियाँ जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व हुई थीं और प्रबन्धतन्त्र द्वारा अथवा जैसा विषय हो कार्यपरिषद् द्वारा उस चयन समितियों की सिफारिश के सम्बन्ध में सभी कार्रवाइयां, जहां उसके आधार पर नियुक्ति के कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व पारित नहीं किये गये थे, बावजूद इसके कि चयन की प्रक्रिया को इस अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, का वैध होना समझा जायेगा लेकिन उन लम्बित चयनों के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाहियां इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जायेंगी और उन्हें उस प्रक्रम से जारी रखा जायेगा जहां वे उस प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विद्यमान थीं।]

---

1. 1982 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 25 द्वारा प्रतिस्थापित (29-12-1981 से प्रभावी)।
2. 1975 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 21 द्वारा प्रतिस्थापित और उसका सदैव प्रतिस्थापित किया जाना समझा जायेगा।

(3) Notwithstanding anything in sub-sections (1) and (2), or in any other provisions of this Act—

(a) [1][* * *]

(b) [2][* * *]

(c) where any institution has applied for affiliation to the University of Agra in accordance with the provisions of the Agra University Act, 1926, before June 18, 1973 and such application was pending on the said date, and the place where the institution is situated lies under this Act outside area of the University of Agra, such application may be disposed of by the competent authorities of the University of Agra as if the institution would be affiliated to that University, and upon the grant of such application by the Chancellor, the institution would stand affiliated to the University within whose territorial jurisdiction as specified in Section 5, the institution would lie;

(d) until fresh panels of experts are drawn up under sub-section (5) of Section 31, the Chancellor or the Vice-Chancellor, as the case may be, may nominate experts to a Selection Committee under that section from out of the panels in existence immediately before the commencement of this Act :

[3][Provided that the provisions of Explanation I and II to the said sub-section (5) shall apply also to the panels of experts referred to in this clause and to nominations made from such panels under this clause];

(e) until a Finance Officer is appointed in a University, the functions of the Finance Officer under this Act shall be performed by a Dean of Faculty nominated by the Chancellor in that behalf;

(f) until rules are made under Section 17, any vacancy in a post of Registrar, Deputy Registrar or Assistant Registrar may be filled on a provisional basis by the Chancellor, in the case of the post of Registrar and by the Vice-Chancellor in the case of the post of Deputy Registrar or Assistant Registrar;

[4][(g) every student of the Kashi Naresh Government Degree College, Gyanpur, or the Government Degree College, Jakhni, situate in district Varanasi, or the Government Degree College, Rishikesh, situate in district Dehradun, who—

(1) immediately before the commencement of Uttar Pradesh State Universities Ordinance, 1973, was studying for a degree of the University of Agra; or

(2) was admitted as a student of any of the said colleges during the academic year 1973-74 for a degree of the said University; or

---

1. Omitted by U.P. Act No. 29 of 1974.
2. Omitted by U.P. Act No. 5 of 1977.
3. Ins. by U.P. Act No. 21 of 1975, and shall be deemed always to have been inserted.
4. Ins. by U.P. Act No. 29 of 1974.

(3) उपधारा (1) एवं (2) में, अथवा इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान में कही गयी किसी भी बात के होते हुए—

(क) [1][* * *]

(ख) [2][* * *]

(ग) जहां किसी संस्था में 18 जून, 1973 के पूर्व आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1926 के प्रावधानों के अनुसार आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिए आवेदन किया हो और वह आवेदन उक्त तारीख को लम्बित हो एवं वह स्थान जहां संस्था अवस्थित है, इस अधिनियम के अधीन आगरा विश्वविद्यालय के क्षेत्र से बाहर है, तो वहां उस आवेदन का आगरा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उसी प्रकार से निस्तारण किया जा सकेगा मानो उस संस्था को उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जायेगा और कुलपति द्वारा उस आवेदन से मंजूर किये जाने पर, वह संस्था धारा 5 में यथा विनिर्दिष्ट उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जायेगी जिसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर, वह संस्था स्थित होगी;

(घ) जब तक विशेषज्ञों के नये पैनलों को धारा 31 की उपधारा (5) के अधीन तैयार न किया जायेगा, कुलपति अथवा जैसा विषय हो उपकुलपति उस धारा के अधीन चयन समिति के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विद्यमान पैनलों में से विशेषज्ञों को नामोदिष्ट कर सकेगी :

[3][परन्तु यह कि उक्त उपधारा (5) के स्पष्टीकरण I एवं II के प्रावधान इस खण्ड में निर्दिष्ट विशेषज्ञों के पैनलों और इस खण्ड के अधीन उन पैनलों से किये गये नाम निर्देशनों के लिए भी लागू होंगे];

(ङ) जब तक विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी की नियुक्ति न की गयी हो, तब तक इस अधिनियम के अधीन वित्त अधिकारी के कार्यों का संपादन उस निमित्त कुलपति द्वारा नामोदिष्ट संकायाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा;

(च) जब तक धारा 17 के अधीन नियमों को न बनाया गया हो, तब तक कुलसचिव, उपकुलसचिव अथवा सहायक कुलसचिव के पद में किसी भी रिक्ति को कुलसचिव के पद की दशा में कुलपति द्वारा अस्थायी आधार पर एवं उपकुलसचिव या सहायक कुलसचिव के पद की दशा में उपकुलपति द्वारा भरा जायेगा;

[4][(छ) जिला वाराणसी में अवस्थित काशी नरेश गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, अथवा गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, जखनी, अथवा जिला देहरादून में अवस्थित गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, ऋषिकेश का प्रत्येक विद्यार्थी, जो—

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1973 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व, आगरा विश्वविद्यालय की उपाधि के लिए अध्ययन कर रहा था; अथवा

(2) उक्त विश्वविद्यालय की उपाधि के लिए शैक्षिक वर्ष 1973-74 के दौरान उक्त महाविद्यालयों में से किसी के विद्यार्थी के रूप में भर्ती किया गया था; अथवा

---

1. 1974 के उ० प्र० अधिनियम 29 द्वारा लोपित।
2. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा लोपित।
3. 1975 के उ० प्र० अधिनियम 21 द्वारा अन्तःस्थापित और उसका सदैव अन्तःस्थापित किया जाना समझा जायेगा।
4. 1974 के उ० प्र० अधिनियम 29 द्वारा अन्तःस्थापित।

(3) is eligible to appear at any degree examination of the said University in the year 1974 or in the year 1975 [1][or in the year 1976] as an ex-student;

shall be permitted to complete his course in accordance with, the syllabus of the University of Agra, and necessary arrangements for the instruction and examination of such students shall be made by the University of Agra and on the results of such examination, the degree may be conferred by that very University;

(h) until the Faculties are constituted in the Universities referred to in sub-section (1) or sub-section (1-A) of Section 4, the Selection Committee referred to in clause (c), of sub-section (4) of Section 31 shall consist of the following members, namely—

(1) the Head of the Management or a member of the Management nominated by him, who shall be the Chairman;

(2) one member of the Management nominated by the Management; and

(3) three experts to be nominated by the Vice-Chancellor];

[2][(i) every person residing within the area of the University of Gorakhpur who was permitted by the Agra University to appear in B.A. Part I or M.A. Part I Examination of 1974 from the Kashi Naresh Government Degree College, Gyanpur,. Varanasi Centre and who, on the result of the examination, has been declared successful, shall be permitted by the University of Agra to appear in the B.A. Part II or M.A. Part II Examination, as the case may be, of the said University from the Kashi Naresh Government Degree College, Gyanpur, Varanasi Centre, during the academic years 1974-75 and 1975-76 and on that esults of such examination the degree may be conferred by that very University, and such examination shall be deemed to be valid;

(j) any person residing within the area of the University of Allahabad or the University of Lucknow may be permitted by the University of Kanpur (hereinafter in this clause referred to as the said University) to appear in an examination referred to in clause (5) of Section 7, and on the result of such examination a degree may be conferred by the said University notwithstanding that such person was not residing within the area of the said University.]

75. Amendment of U.P. Act XXIV of 1965.—In Section 3 of the Uttar Pradesh Universities (Provisions regarding Conduct of Examinations) Act, 1965, for the words 'two months' the words 'six months' shall be substituted.

76. Repeal and Savings.—(1) The Uttar Pradesh State Universities Ordinance, 1973 (U.P. Ordinance 1 of 1973), is hereby repealed.

---

1. Ins. by U.P. Act No. 21 of 1975.
2. Ins. by U.P. Act No. 5 of 1977, and shall be deemed always to have been inserted.

(3) वर्ष 1974 में अथवा वर्ष 1975 में [1][अथवा वर्ष 1976 में] उक्त विश्वविद्यालय की किसी भी उपाधि परीक्षा में भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होगा;

को आगरा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अनुमति दी जायेगी और ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा को आगरा विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा और उस परीक्षा के परिणाम पर, उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जायेगी;

(ज) जब तक धारा 4 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों द्वारा संकायों का गठन न किया गया हो, तब तक धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात्—

(1) प्रबन्धतन्त्र का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामोदिष्ट प्रबन्धतन्त्र का सदस्य, जो अध्यक्ष होगा;

(2) प्रबन्धतन्त्र द्वारा नामोदिष्ट प्रबन्धतन्त्र का एक सदस्य; और

(3) उपकुलपति द्वारा नामोदिष्ट किये जाने वाले तीन सदस्य;

[2][(झ) गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर निवास करने वाला ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे आगरा विश्वविद्यालय द्वारा काशी नरेश गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी केन्द्र से वर्ष 1974 की बी० ए० प्रथम वर्ष अथवा एम० ए० प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गयी थी और जिसे परीक्षा के परिणाम पर सफल घोषित किया गया हो, आगरा विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान काशी नरेश गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी केन्द्र से उक्त विश्वविद्यालय की बी० ए० द्वितीय वर्ष अथवा जैसा विषय हो एम० ए० द्वितीय वर्ष के सम्मिलित होने की आगरा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति दी जायेगी और उस परीक्षा के परिणामों पर उसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जायेगी एवं उस परीक्षा का वैध होना समझा जायेगा;

(ञ) इलाहाबाद विश्वविद्यालय अथवा लखनऊ विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास कर रहे प्रत्येक व्यक्ति को कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा (इस खण्ड में एतस्मिन् पश्चात् उक्त विश्वविद्यालय के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा धारा 7 के खण्ड (5) में निर्दिष्ट परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकेगी और उस परीक्षा के परिणामस्वरूप उक्त विश्वविद्यालय द्वारा बावजूद इसके उपाधि प्रदान की जायेगी कि वह व्यक्ति उक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास नहीं कर रहा था।]

75. 1965 के उ० प्र० अधिनियम XXIV का संशोधन—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा के संचालन के सम्बन्ध में उपबन्ध) अधिनियम, 1965 की धारा 3 में, पदावली "दो माह" के लिए पदावली "छः माह" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

76. निरसन और व्यावृत्तियां—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1973 (1973 का उ० प्र० अध्यादेश 1) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

1. 1975 के उ० प्र० अधिनियम 21 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1977 के उ० प्र० अधिनियम 5 द्वारा अन्तःस्थापित और उसका अन्तःस्थापित किया जाना समझा जायेगा।

(2) Notwithstanding any such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall, subject to the provisions of sub-section (3) of Section 72, be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act had commenced on the 18th day of June, 1973.

[1][THE SCHEDULE

(*See* Section 5)

Serial No.	*Name of the University*	*Areas within which the University shall exercise jurisdiction*
1	2	3
1.	The University of Lucknow	Lucknow District
2.	Chaudhary Charan Singh University, Meerut	Districts of Bhaghpat, Bulandshahar, Gautam Buddha Nagar, Ghaziabad, Meerut, Muzaffar Nagar and Saharanpur.
3.	Chatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur	Districts of Allahabad, Auraiya, Etawah, Farrukhabad, Fatehpur, Hardoi, Kannauj, Kanpur Dehat, Kanpur Nagar, Kaushambhi, Lakhimpur Kheri, Sitapur, Raa Bareli and Unnao.
4.	Dean Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur	Districts of Basti, Deoria, Gorakhpur, Kushi Nagar, Maharajganj, Sant Kabir Nagar and Siddharth Nagar
5.	Doctor Bhim Rao Ambedkar University, Agra	Districts of Agra, Aligarh, Etah, Firozabad, Hathras, Kansiram Nagar, Mainpuri and Mathura
6.	Doctor Ram Manohar Lohia Avadh University, Faizabad	Districts of Ambedkar Nagar, Bahraich, Balrampur, Bara Banki, Faizabad, Gonda, Pratapgarh, Shrawasti and Sultanpur
7.	Mahatma Jyotiba Phule Rohil Khand University, Bareilly	Districts of Budaun, Bareilly, Bijnor, Jyotiba Phule Nagar, Moradabad, Pilibhit, Rampur and Shahjahanpur
8.	The University of Bundelkhand, Jhansi	Districts of Banda, Chitrakut, Hamirpur, Jalaun, Jhansi, Lalitpur and Mahoba
9.	Vir Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur	Districts of Azamgarh, Ghazipur, Jaunpur and Mau
10.	Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi	Districts of Chandauli, Mirzapur, Sant Ravidas Nagar, Sonbhadra, Varanasi and Ballia].
[2][11.	The Uttar Pradesh Urdu, Arbi, Pharsi University at Lucknow	Whole of Uttar Pradesh in respect of education and research in Urdu, Arabic and Persian.]

1. Subs. by U.P. Act No. 6 of 2009.
2. Ins. by U. P. Act No. 11 of 2010 (w.e.f. 1-11-2009).

(2) ऐसे किसी भी निरसन के होते हुए, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई भी कार्य या की गयी कोई भी कार्रवाई का, धारा 72 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अध्यधीन इस अधिनियम के अधीन उसी प्रकार किया जाना समझा जायेगा मानो यह अधिनियम 18 जून, 1973 को प्रारम्भ हुआ था।

[1][अनुसूची

(धारा 5 देखिए)

क्रम संख्या	*विश्वविद्यालय का नाम*	*क्षेत्र जिसके भीतर विश्वविद्यालय अधिकारिता का प्रयोग करेगा*
1	2	3
1.	लखनऊ विश्वविद्यालय	लखनऊ जिला
2.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	बागपत, बुलन्दशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर जिले
3.	छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	इलाहाबाद, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली तथा उन्नाव जिले
4.	दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर	बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीरनगर तथा सिद्धार्थनगर जिले
5.	डाक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, कांशीरामनगर, मैनपुरी तथा मथुरा जिले
6.	डाक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	अम्बेडकरनगर, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़, श्रावस्ती तथा सुल्तानपुर जिले
7.	महात्मा ज्योतिबाफुले, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली	बदायूँ, बरेली, बिजनौर, ज्योतिबाफुले नगर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर तथा शाहजहाँपुर जिले
8.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी	बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर तथा महोबा जिले
9.	वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर तथा मऊ जिले
10.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	बलिया, चन्दौली, मिर्जापुर, संतरविदास नगर, सोनभद्र तथा वाराणसी जिले
[2][11.	उत्तर प्रदेश उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ	उर्दू, अरबी और फारसी में शिक्षा और अनुसंधान के सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश]

1. 2009 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 6 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 2010 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 11 द्वारा अन्तःस्थापित (1-11-2009 से प्रभावी)।

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (CENTRALISED) SERVICE RULES, 1975[1]

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 17 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, as re-enacted and amended by Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974, the Governor is pleased to make the following rules for the creation of a separate service of the Registrars, Deputy Registrars and Assistant Registrars, common to all the Universities to which the aforesaid Act applies, and for regulating the recruitment to and conditions of service of persons appointed to any such service.

PART I

PRELIMINARY

1. Short title, application and commencement.—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh State Universities (Centralised) Service Rules, 1975.

(2) They shall apply to all the Universities to which the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 as re-enacted and amended by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974, is applicable.

(3) They shall come into force with effect from the date of publication in Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :

(a) *"Act"* means the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 as amended from time to time;

(b) *"Centralised Service"* or *"Service"* means the Centralised Service created under Rule 3 of these rules;

(c) *"Citizen of India"* means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(d) *"Commission"* means the Uttar Pradesh Public Service Commission;

(e) *"Education Department"* means Education Department of the Government;

(f) *"Government"* or *"State Government"* means the Government of Uttar Pradesh;

(g) *"Secretary"* means Secretary to Government in the Education Department;

(h) *"University"* means a University to which the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 is applicable;

(i) Words and expresssions not defined in these rules, but used in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act.

---

1. Vide Notification No. 6884/XV-10-75-60(24)-74,dated 31 October, 1975. Published in U.P. Gazette, Extraordinary, dated 31-10-1975.

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (केन्द्रीयकृत) सेवा नियमावली, 1975[1]

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनर्अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथा पुनर्अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल महोदय ने सभी विश्वविद्यालयों में सामान्य रजिस्ट्रारों, उपरजिस्ट्रारों और सहायक रजिस्ट्रारों की पृथक सेवा के सृजन के लिए निम्नलिखित नियमों को बनाने, जिसके लिए पूर्वोलिखित अधिनियम लागू होता है और ऐसी किसी सेवा के लिए नियुक्त व्यक्तियों की सेवा में भर्ती को नियमित करने तथा शर्तों के लिए नियमों को बनाने में संतोष का अनुभव किया है।

भाग 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ—(1) इन नियमों को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयकृत) सेवा नियमावली, 1975 के नाम से जाना जा सकेगा।

(2) वे उन सभी विश्वविद्यालयों के लिए लागू होंगे जिनके लिए उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनर्अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा यथा पुनर्अधिनियमित एवं संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 प्रयोज्य है।

(3) वे शासकीय गजट में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ—इन नियमों जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हों :

(क) *''अधिनियम''* समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 से अभिप्रेत है;

(ख) *''केन्द्रीयकृत सेवा''* अथवा *''सेवा''* इस नियमावली के नियम 3 के अधीन सृजित *''केन्द्रीयकृत सेवा''* से अभिप्रेत है;

(ग) *''भारत का नागरिक''* ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है जो भारत के संविधान के भाग 2 के अधीन भारत का नागरिक है अथवा समझा जाता है;

(घ) *''आयोग''* उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अभिप्रेत है;

(ङ) *''शिक्षा विभाग''* सरकार के शिक्षा विभाग से अभिप्रेत है;

(च) *''सरकार''* अथवा *''राज्य सरकार''* उत्तर प्रदेश की सरकार से अभिप्रेत है;

(छ) *''सचिव''* शिक्षा विभाग में सरकार के सचिव से अभिप्रेत है;

(ज) *''विश्वविद्यालय''* ऐसे विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है जिसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 प्रयोज्य होता है;

(झ) *''पदावली''* और *''अभिव्यक्तियाँ''* जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन अधिनियम में उनका प्रयोग किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें इस अधिनियम में समनुदेशित किये गये हैं।

---

1. देखें, दिनांक 31-10-1975 के उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 31 अक्टूबर, 1975 की अधिसूचना संख्या 6884/XV-10-75-60 (24)-74 ।

PART II

CADRE AND STRENGTH

3. Creation of Centralised Service.—With effect from the commencement of these rules, there shall be Centralised Service common to all the Universities, which shall consist of the following administrative posts, namely—

(1) Registrars,

(2) Deputy Registrars,

(3) Assistant Registrars.

4. Scale of pay.—The scales of pay for the various categories of posts mentioned in Rule 3 shall be such as the Government may from time to time fix.

5. Strengh.—(1) The strengh of each category of posts mentioned in Rule 3 shall be such as the Government may from time to time fix.

(2) All the posts mentioned in Rule 3 existing in the Universities immediately before the commencement of these rules shall from the present permanent strength of the Centralised Service.

(3) Any of the existing posts under the Centralised Service or any such post which the State Government may create in future, shall not be abolished by any University without the prior approval of the State Government.

PART III

RECRUITMENT

[1][**6. Source of recruitment, absorption and termination of service of existing officers.**—Subject to the provisions of Rule 7—

(a) thirty-three per cent of the posts of Registrar, all posts of Deputy Registrar and thiry-three per cent of the posts of Assistant Registrar shall be filled in by promotion in the manner laid down in Rule 20; and

(b) the remaining posts of Registrar and Assistant Registrar shall be filled in by direct recruitment in the manner laid down in Part V :

Provided that any fractions, obtained up to calculation of percentage in accordance with clause (a) shall be ignored :

Provided further that notwithstanding anything contained in this rule, the State Government may appoint any Government servant on deputation to any of the posts of the Centralised Service, for a period not exceeding three years.]

7. Absorption of the existing Officers.—(1) [2][The absorption or terminination of services of the persons, serving on any of the posts mentioned in Rule 3, immediately before the commencement of the rules, shall be governed by the following provisions—

(a) Persons serving on the administrative posts of Registrar, Deputy Registrar and Assistant Registrar and confirmed in any one of the said posts before May 14, 1973, shall unless they opt otherwise, be absorbed in the Centralised Service fainally.

---

1. Subs. by Noti. No. 1506/XV-10-77, date 24-3-1977.
2. Subs. by Noti. No. 1793/XV-10-83-35(41)-1981-UPA-10-1973-Rule/1975-AM (4)-1982, dated 31-12-1983.

भाग 2
काडर और संख्या

3. केन्द्रीयकृत सेवा का सृजन—इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय से, सभी विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य केन्द्रीयकृत सेवा को भी जिसमें निम्नलिखित प्रशासनिक पद होंगे अर्थात् —

(1) रजिस्ट्रार,

(2) उपरजिस्ट्रार,

(3) सहायक रजिस्ट्रार।

4. वेतनमान—नियम 3 में उल्लिखित पदों की विभिन्न कोटियों के लिए वेतनमान ऐसा होगा जिसे सरकार समय-समय पर नियत कर सकेगी।

5. संख्या—(1) नियम 3 में उल्लिखित पदों की प्रत्येक कोटि की संख्या ऐसी होगी जिसे सरकार समय-समय पर नियत कर सकेगी।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व, विश्वविद्यालयों में विद्यमान नियम 3 में उल्लिखित सभी पद केन्द्रीयकृत सेवा की वर्तमान स्थायी संख्या का अंग होंगे।

(3) केन्द्रीयकृत सेवा के अधीन विद्यमान पदों में से कोई अथवा ऐसा कोई पद जिसे राज्य सरकार भविष्य में सृजित कर सकेगी, को राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त नहीं किया जायेगा।

भाग 3
भर्ती

[1][**6. भर्ती का स्रोत, आमेलन और विद्यमान अधिकारियों की सेवा समाप्ति**—नियम 7 के प्रावधानों के अध्यधीन—

(क) रजिस्ट्रार के पदों में से तैंतीस प्रतिशत, उपरजिस्ट्रार के सभी पदों को और सहायक रजिस्ट्रार के पदों में से तैंतीस प्रतिशत को नियम 20 में निर्दिष्ट रीति से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा; और

(ख) रजिस्ट्रार एवं सहायक रजिस्ट्रार के शेष पदों को भाग 5 में निर्दिष्ट रीति से सीधे भर्ती द्वारा भरा जायेगा :

परन्तु यह कि खण्ड (क) के अनुसार प्रतिशत की संगणना करने तक प्राप्त किसी भी अंश की अवज्ञा कर दी जायेगी :

परन्तु अग्रेतर यह कि इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, राज्य सरकार किसी भी सरकारी सेवक को तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए केन्द्रीयकृत सेवा के पदों में से किसी के लिए भी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर सकेगी।

7. विद्यमान अधिकारियों का आमेलन—(1) [2][इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पहले, नियम 3 में उल्लिखित पदों में से किसी भी पद पर सेवारत व्यक्तियों की सेवाओं का आमेलन अथवा उनकी समाप्ति को निम्नलिखित प्रावधानों द्वारा शासित किया जायेगा—

(क) रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार एवं सहायक रजिस्ट्रार के प्रशासनिक पदों पर सेवारत तथा जिनकी 14 मई, 1973 के पूर्व उक्त पदों में से किसी भी पद पर पुष्टि की गई थी, उस समय तक, जब तक वे अन्यथा चयन नहीं करते हैं, अन्तिम रूप से केन्द्रीयकृत सेवा में आमेलित किये जायेंगे।

---

1. दिनांक 24-3-1977 की अधिसूचना संख्या 1506/XV-10-77 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. दिनांक 31-12-1983 की अधिसूचना संख्या 1793/XV-10-83-35 (41)-1981--यू० पी० ए० -10-1973-नियम/1975- ए० एम० (4)-1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

(b) Other persons holding temporary or officiating appointments referred to in clause (a) above shall unless they opt otherwise, be absorbed provisionally, subject to such orders as the State Government may in each case pass under clause (c) below.

(c) The services of persons who are provisionally absorbed under clause (b) but who are not found suitable for absorption finally may, by orders of the State Government (made on or before December 31, 1977) be terminated on payment of one month's salary as compensation as provided in sub-section (2) of Section 17 of the Act.

(d) If in any case, orders of the State Government are not made to the contrary under clause (c), the persons concerned shall be deemed to have been finally absorbed in the Centralised Service.

(e) Persons serving on any of the said posts immediately prior to the commencement of these rules shall be required to exercise their option for absorption in the Centralised Service. A person who fails to communicate to the Government in the Education Department his option within a period of three months from the date of commencement of these rules shall be deemed to have opted for such absorption.

(f) The services of persons referred in clause (a) who opt against absorption, shall stand determined, with effect from the date of exercise of such option, and they shall, without prejudice to their claim to any provident fund admissible to them, be paid as compensation, the pay for the remaining period of their service in the University, or six months' pay in the case of persons whose total continuous service immediately before the commencement of these rules exceeded ten years, or three months' pay in the case of persons whose total continuous service as did not exceed ten years, whichever is less.

(g) The amount of compensation payable under clause (c) or clause (f) shall be paid by the University in which the person concerned was employed immediately before the commencement of these rules.

(2) Where in the case of a person referred to in sub-section (2) of Section 17 of the Act and absorbed in the service, any particular condition of service prescribed by these rules works out, to be less advantageous to him than that applicable to him before such absorption, then, notwithstanding anything contained in these rules, the condition applicable to him before his absorption shall apply to such person.

Explanation.—Every person to whom these rules apply, shall be liable to transfer from one University to another.]

8. Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes etc.—Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Disabled Military personnel and dependents of freedom fighters shall be in accordance with the orders of the State Government as in force at the time of recruitment.

Note.—Copies of the orders of the State Government as in force at the time of commencement these rules will be found in Schedules 1, 2 and 3 annexed hereto.

(ख) उपरोक्त खण्ड (क) में निर्दिष्ट नियुक्तियों को अस्थायी रूप से धारित करते हुए या उन पर स्थानापन्न अन्य व्यक्ति, जब तक वे अन्यथा चयन नहीं करते हैं, ऐसे आदेशों के अध्यधीन अस्थायी रूप से आमेलित किये जायेंगे जिन्हें राज्य सरकार निम्न खण्ड (ग) के अधीन प्रत्येक वाद में पारित कर सकेगी।

(ग) उन व्यक्तियों की सेवाएं, जो खण्ड (ख) के अधीन अस्थायी रूप से आमेलित किये गये हैं लेकिन जिन्हें अन्तिम रूप से आमेलन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, राज्य सरकार के आदेशों द्वारा (31 दिसम्बर, 1970 को या उसके पूर्व किये गये) अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित मुआवजे के रूप में एक माह के वेतन के संदाय पर समाप्त कर दी जायेंगी।

(घ) यदि किसी भी दशा में, राज्य सरकार की सेवाएं खण्ड (ग) के अधीन प्रतिकूल ढंग से नहीं की गयी हैं तो सम्बन्धित व्यक्तियों का केन्द्रीयकृत सेवा में अन्तिम रूप से आमेलन किया जाना समझा जायेगा।

(ङ) इन नियमों के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व उक्त पदों में से किसी पर भी सेवारत व्यक्तियों से केन्द्रीयकृत सेवा में आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करने की अपेक्षा की जायेगी। कोई व्यक्ति, जो शिक्षा विभाग में सरकार को, इस नियमावली के प्रारंभ होने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर अपने विकल्प को संसूचित करने में विफल हो जाता है, का ऐसे आमेलन के लिए चुनाव करना समझा जायेगा।

(च) खण्ड (क) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की सेवाएं, जो आमेलन के विरुद्ध चुनाव करते हैं, उस विकल्प के प्रयोग की तारीख से समाप्त हो जायेगी और वे, उनके लिए ग्राह्य किसी भी भविष्य निधि के उनके दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विश्वविद्यालय में उनकी सेवा की शेष अवधि का वेतन और उन व्यक्तियों की दशा में जिनकी इस नियमावली के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व कुल लगातार सेवा दस वर्ष से अधिक की, छः माह का वेतन अथवा उन व्यक्तियों की दशा में जिनकी यथा पूर्वोक्त कुल लगातार सेवा दस वर्ष से अधिक नहीं थी, तीन माह का वेतन, जो भी कम हो मुआवजे के रूप में संदाय किया जायेगा।

(छ) खण्ड (ग) अथवा खण्ड (च) के अधीन संदेय मुआवजे की धनराशि को उस विश्वविद्यालय द्वारा संदाय किया जायेगा जिसमें सम्बन्धित व्यक्ति इस नियमावली के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व नियोजित था।

(2) जहाँ अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट और सेवा में आमेलित व्यक्ति की दशा में, इस नियमावली द्वारा निर्धारित सेवा की कोई विशिष्ट शर्त उसके लिए उससे कम लाभप्रद संगणित होती है जो उसके लिए उस आमेलन के पूर्व प्रयोज्य थी तो इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, उसके आमेलन के पूर्व उसके लिए प्रयोज्य शर्त ऐसे व्यक्ति हेतु लागू होगी।

स्पष्टीकरण—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके लिए यह नियमावली लागू होती है, एक विश्वविद्यालय से किसी अन्य विश्वविद्यालय को स्थानान्तरण के लिए दायी होगा।

8. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए आरक्षण—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निर्योग्य सेवाकर्मियों और स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के उन आदेशों के अनुसार होगा जो भर्ती के समय प्रवृत्त थे।

टिप्पणी—इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय यथा प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों की प्रतियाँ उससे संलग्न अनुसूची 1, 2 तथा 3 में पायी जायेंगी।

PART IV

QUALIFICATIONS

9. Nationality.—A candidate for recruitment to any post in the Centralised Service must be—

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tenzania (formerly Tanzanayika and Zanzibar) with the intention of permanently settling down in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year, and such a candidate may be retained in service after a period of one year, only if he has acquired Indian Citizenship.

Note.—A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

[1][**10. Age.**—(1) A candidate for direct recruitment to the post of Registrar and Assistant Registrar must have attained the minimum age and must not have attained the maximum age, mentioned below, on the first day of January next following the year in which the recruitment is made :

		Minimum	Maximum
Registrar	—	35	45
Assistant Registrar	—	30	45

Provided that the maximum age limit shall, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and dependents of freedom fighters, be greater by five years :

Provided further that in respect of the posts already advertised by the commission, the age limit shall be as provided in Rule 10 before the enforcement of the Uttar Pradesh State Universities (Centralised) Service (Fifth Amendment) Rules, 1986.

(2) In the case of a person who has already rendered at least one year's service in any of the posts in the Centralised Service or in the University, the maximum age limit shall be greater to the extent he has rendered continuous service over the age limits mentioned in sub-rule (1).]

1. Subs. by Noti. No. 3584/XV-X-86-35 (25)-81, dated 30, July, 1986.

भाग 4
अर्हताएँ

9. राष्ट्रीयता—केन्द्रीयकृत सेवा में किसी भी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी निम्न में से कोई होगा—

(क) भारत का नागरिक; अथवा

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में, भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आ गया था; अथवा

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, सिलोन और केन्या, युगांडा एवं तंजानियां संयुक्त गणतन्त्र (पूर्व में तंजानायिका एवं जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकन देशों से प्रवास कर चुका है :

परन्तु यह कि उपरोक्त कोटि "ख" अथवा "ग" का अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में पात्रता प्रमाण-पत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है :

परन्तु अग्रेतर यह कि कोटि "ख" के अभ्यर्थी से उप-पुलिस महानिरीक्षक आसूचना शाखा उत्तर प्रदेश द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने की भी अपेक्षा की जायेगी :

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपरोक्त कोटि "ग" का है तो एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कोई भी पात्रता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के पश्चात् सेवा में केवल तभी प्रतिधारित किया जायेगा जब उसने भारतीय नागरिकता जो अर्जित कर लिया हो।

टिप्पण—अभ्यर्थी, जिसकी दशा में पात्रता का प्रामण-पत्र आवश्यक है लेकिन उसे न तो जारी किया गया है और न ही उससे इन्कार किया गया है, को पर-परीक्षा अथवा साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकेगा और उसे उसके द्वारा प्राप्त या उसके पक्ष में जारी किये जा रहे आवश्यक प्रमाण-पत्र के अध्यधीन उसे भी अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा।

[1][10. आयु—(1) रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार के पद हेतु सीधे भर्ती के लिए अभ्यर्थी ने उल्लिखित उस वर्ष के पश्चात् अगली जनवरी के प्रथम दिन पर, जिसमें भर्ती की गयी है, निम्नवत् उल्लिखित न्यूनतम आयु को प्राप्त कर लिया हो और उसने अधिकतम आयु को प्राप्त न किया हो :

			न्यूनतम	अधिकतम
रजिस्ट्रार	—	—	35	45
सहायक रजिस्ट्रार	—	—	30	45

परन्तु यह कि अधिकतम आयु सीमा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रितों के अभ्यर्थियों की दशा में पाँच वर्ष अधिक होगी :

परन्तु अग्रेतर यह कि आयोग द्वारा पहले से विज्ञापित पदों के सम्बन्ध में आयु सीमा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयकृत) सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली 1986 के प्रवृत्त होने के पूर्व नियम 10 में यथा उपबन्धित आयु सीमा होगी।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो पहले ही केन्द्रीयकृत सेवा में या विश्वविद्यालय में पदों में से किसी में कम से कम एक वर्ष की सेवा दे चुका है, अधिकतम आयु सीमा उस सीमा तक अधिक होगी जिस सीमा तक उसने उपनियम (1) में उल्लिखित आयु सीमाओं पर लगातार सेवा प्रदान की है।]

1 दिनांक 30 जुलाई, 1986 की अधिसूचना संख्या 3584/XV-X-86-35 (25) 81 द्वारा प्रतिस्थापित।

11. Character.—(1) The appointing authority shall satisfy itself that the character of a candidate for appointment to any post in the service is such as may render him suitable, in all respects, for employment in the Centralised Service.

(2) Every candidate for recruitment shall be required to submit certificate of character from the principal/head of the institution last attended and from two Gazetted Officers (not related to the candidate) in active service of the State or Union Government who are well acquianted with his private life but unconnected with his school, college or University.

(3) Persons dismissed by the Union Government or any State Government or by a Local Authority or any Government body or Corporation or Public Sector undertaking or a University shall be ineligible for appointment to the service. Any person who has been convicted by a Court of law for offences involving moral turpitude shall also be deemed ineligible.

12. Physical fitness.—No person shall be appointed to a post in the Centralised Service unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his official duties. Before a candidate is finally approved for appointment to a post in the Centralised Service he shall be required to appear before the State Medical Board for medical examination and be declared fit by it.

13. Qualifications.—A candidate to any post under the Centralised Services must possess the requisite qualifications as the Commissions may prescribe with the approval of the State Government.

14. Marital Status.—A male candidate who has more than one wife living and a female candidate who has married a man already having a wife living, shall not be eligible for recruitment to the Centralised Service :

Provided that the Governmor may, if satisfied that there exist special grounds doing so, exempt any person from the operation of this rule.

PART V

PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT

15. Communication of the number of vacancies.—Whenever a vacancy/vacancies to a post in the service requires/require to be filled by direct recruitment, the Secretary shall send intimation about it to the Commission intimating also the number of vacancy/vacancies. If any, reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under Rule 8.

16. Applications.—(1) Applications for recruitment to the Centralised Service shall be invited by the Commission and shall be made on the prescribed form which may be obtained from the Secretary to the Commission and shall be submitted within such time as may be specified.

(2) Candidates already employed in the Centralised Service shall submit their applications through proper channel to the Government who shall forward them to the Commission along with their periodical reports. Candidates employed elsewhere should submit their applications to the Commission through their employer.

11. चरित्र—(1) नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं का इस विषयक समाधान करेगा कि सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा हो जो उसे केन्द्रीयकृत सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त बनाये।

(2) भर्ती के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से अन्तिम बार उपस्थित होने वाली संस्था के प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष से और राज्य अथवा संघ सरकार की सक्रिय सेवा में दो राजपत्रित अधिकारियों से (जो अभ्यर्थी के रिश्तेदार न हों) जो उसके निजी जीवन से भली भाँति परिचित हों लेकिन उसके विद्यालय, कालेज अथवा विश्वविद्यालय से असम्बद्ध हों, चरित्र प्रमाण-पत्र दाखिल करने की अपेक्षा की जायेगी।

(3) संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी निकाय या निगम या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय से बर्खास्त किये गये व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। कोई व्यक्ति, जिसे नैतिक अधमता को अन्तर्वलित करते हुए अपराधों के लिए विधि न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष किया जा चुका है, भी अपात्र समझा जायेगा।

12. शारीरिक उपयुक्तता—कोई भी व्यक्ति केन्द्रीयकृत सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह ऐसे किसी शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिसका उसके शासकीय कर्त्तव्यों के कुशल कार्य सम्पादन में हस्तक्षेप करना संभाव्य है। इससे पूर्व कि किसी अभ्यर्थी को केन्द्रीयकृत सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किया जाये, उससे चिकित्सीय जाँच और उसके द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के लिए राज्य चिकित्सा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत होने की अपेक्षा की जायेगी।

13. अर्हताएं—केन्द्रीयकृत सेवाओं के अधीन किसी पद के लिए अभ्यर्थी को ऐसी अपेक्षित अर्हताओं को रखना होगा जिन्हें आयोग केन्द्र सरकार के अनुमोदन से विहित कर सकेगी।

14. वैवाहिक प्रास्थिति—पुरुष अभ्यर्थी, जिसके पास एक से अधिक जीवित पत्नी है और स्त्री अभ्यर्थी जो पहले से जीवित पत्नी की किसी व्यक्ति से विवाह कर चुकी है, केन्द्रीयकृत सेवा में भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि राज्यपाल महोदय, यदि उनका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष आधार विद्यमान हैं, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकेगा।

भाग 5
सीधे भर्ती की प्रक्रिया

15. रिक्तियों की संख्या की संसूचना—जब कभी सेवा में किसी पद पर रिक्ति/रिक्तियों को सीधे भरे जाने की अपेक्षा की जाती है तो सचिव, उसके बारे में आयोग को रिक्ति/रिक्तियों के बारे में सूचित करते हुए सूचना भेजेगा। यह कोई हो तो उसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के और नियम 8 के अधीन कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किया जायेगा।

16. आवेदन—(1) केन्द्रीयकृत सेवा में भर्ती के लिए आवेदनों को आयोग द्वारा आमंत्रित किया जायेगा और उन्हें ऐसे विहित प्ररूप में किया जायेगा जो आयोग के सचिव से प्राप्त किया जा सकेगा तथा जिसे ऐसे समय के भीतर जमा किया जायेगा जिसे विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) केन्द्रीयकृत सेवा में पहले से नियोजित अभ्यर्थी सरकार के समक्ष समुचित माध्यम से अपने आवेदनों को जमा करेंगे जो उन्हें अपनी समय-समय पर रिपोर्टों के साथ आयोग के समक्ष अग्रेषित करेगा। अन्यत्र कहीं नियोजित अभ्यर्थीगण को अपने आवेदनों को आयोग के समक्ष अपने नियोजक के माध्यम से जमा करना चाहिए।

17. Scrutiny of applications, interview, etc.—Recruitment to the posts of Assistant Registrar shall be made on the basis of a competitive examination. The Commission shall scrutinize the applications received and shall admit the eligible candidates to appear at the competitive examination. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission granted by the Commission.

(2) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission, having regard to the necessity of securing due representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, etc., shall summon for interview such number of candidates as, on the results of the written examination, have shown their suitability for being called for such interview. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(3) The Commission shall prepare a list of candidates arranged in order of merit and forward the same to the Secretary.

(4) The syllabus and the rules relating to the competitive examination will be prescribed from time to time by the Commission with the prior approval of the State Government.

(5) Recruitment to the posts of Registrar shall be made on the basis of interview alone. The Commission shall scrutinize the applications received by them and summon for interview such candidates as seem best qualified for appointment to the service. Thereafter the Commission shall prepare a list of candidates arranged in order of merit and forward the same to the Secretary.

18. Fees.—Candidates shall pay to the Commission and to the Medical Board such fees as may, from time in time, be prescribed by the State Government. No claim for the refund of fees shall be entertained.

19. Approved list.—On receipt of the list prepared by the Commission under Rule 17, the Secretary shall, subject to the provisions of Rule 8, have the names of the candidates entered in a list in the same order in which they have been recommended by the Commission for appointment.

PART VI

PROCEDURE FOR PROMOTION

[1][**20. Vacancies to be filled by promotion.**—(1) Selection shall be made for recruitment by promotion—

(a) to the post of Registrar, strictly on merit from amongst the permanent Deputy Registrars;

(b) to the post of Deputy Registrar, on the basis of seniority subject to rejection of the unfit, from amongst the permanent Assistant Registrars; and

(c) to the post of Assistant Registrar, on the basis of seniority subject to rejection of the unfit, from amongst the permanent Superintendents including permanent Superintendents (Accounts) in the offices of the Universities.

1. Rule 20 subs. by Notification No. 482/LXX-1-2005-15 (16)-2005, dated 30 September, 2005. Published in U.P. Gazette, Extra, Part 4, Section (Ka), dated 30 September, 2005.

17. आवेदनों की संवीक्षा, साक्षात्कार आदि—(1) सहायक रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर की जायेगी। आयोग प्राप्त किये गये आवेदनों की जाँच करेगा और पात्र अभ्यर्थियों को प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्वीकार करेगा। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा प्रदत्त प्रवेश का प्रमाण- पत्र न हो।

(2) लिखित परीक्षा के परिणाम को प्राप्त किये जाने एवं उसे तालिकाबद्ध किये जाने के पश्चात् आयोग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के सम्यक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार के लिए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को बुलायेगा जिन्होंने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने हेतु अपनी उपयुक्तता दर्शित की है। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदत्त अंकों को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में सम्मिलित किया जायेगा।

(3) आयोग मेरिट के क्रम में क्रमबद्ध किये गये अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उसे सचिव के समक्ष अग्रेषित करेगा।

(4) प्रतियोगितात्मक परीक्षा के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम और नियमों को आयोग द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।

(5) रजिस्ट्रार के पद पर भर्ती को अकेले साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। आयोग उनके द्वारा प्राप्त आवेदनों की जाँच करेगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जिनका उस सेवा में नियुक्ति हेतु सर्वोत्तम अर्हित होना प्रतीत होता हो। तत्पश्चात्, आयोग मेरिट के क्रम में क्रमबद्ध किये गये अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उसे सचिव के समक्ष अग्रेषित करेगा।

18. शुल्क—अभ्यर्थीगण आयोग को और चिकित्सा परिषद् को ऐसे शुल्क संदाय करेंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकेगा। शुल्क के प्रतिदाय के लिए कोई भी दावा ग्रहण नहीं किया जायेगा।

19. अनुमोदित सूची—नियम 17 के अधीन आयोग द्वारा तैयार की गयी सूची के प्राप्त होने पर, सचिव, नियम 8 के प्रावधानों के अध्यधीन, अभ्यर्थियों के नामों को सूची में उसी क्रम में प्रविष्ट करायेगा जिसमें उनकी आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु सिफारिश की गयी है।

भाग 6
प्रोन्नति की प्रक्रिया

[1][**20. प्रोन्नति द्वारा रिक्तियों का भरा जाना**—(1) चयन को प्रोन्नति द्वारा भर्ती हेतु किया जायेगा—

(क) रजिस्ट्रार के पद पर, स्थायी उप-रजिस्ट्रारों में से नियमतः मेरिट के आधार पर;

(ख) उप-रजिस्ट्रार के पद पर, स्थायी सहायक रजिस्ट्रारों में से अनुपयुक्त के नामंजूर किये जाने के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर; और

(ग) सहायक रजिस्ट्रार के पद पर, अनुपयुक्त पाये जाने के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर, विश्वविद्यालयों के कार्यालयों में स्थायी अधीक्षकों (लेखा) सहित स्थायी अधीक्षकों में से।

---

1. नियम 20 दिनांक 30 सितम्बर, 2005 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग 4 अनुभाग (क) में प्रकाशित दिनांक 30 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या 482/LXX-1-2005-15 (16)-2005 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) The selection shall be made in consultation with the Commission according to the Uttar Pradesh Selection by Promotion in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970.

(3) The Selection Committee for the purpose of such selection, shall consist of,—

(i) The Chairman or a member of the Commission, representing the Commission, who shall be the Chairman of the Committee;

(ii) The Director, Higher Education, Uttar Pradesh; and

(iii) One of the Vice-Chancellors of the Universities, to be nominated by the State Government.]

PARET VII

APPOINTMENT, PROBATION AND CONFIRMATION

21. Appointment.—(1) On the occurrence of substantive vacancies, the Government shall make appointment to the various posts in the Centralised Service from the list prepared under Rule 19 or Rule 20, as the case may be.

(2) The Government may also make appointment in temporary vacancies for a period exceeding six weeks from among the persons from the list prepared under Rules 19 and 20.

(3) If no approved candidate is available for appointment the Government may either make a temporary appointment by deputation of an officer serving under the State Government or may appoint a candidate who is eligible under the rules for permanent recruitment to the Centralised Service. No such appointment shall extend beyond the period of one year without consultation with the Commission.

(4) If a vacancy arises in any post for a period not exceding six weeks, temporary arrangement may be made by the Vice-Chancellor concerned by appointment of a person eligible under the rules.

22. Probation.—(1) A person on appointment to the Centralised Service in or against a substantive vacancy, shall be placed on probation for a period of two years :

Provided that continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre of the Centralised Service may be allowed, in whole or in part, to be counted by the State Government towards the period of probation :

Provided further that the Government may, for sufficient reasons to be recorded in writing, extend the period of probation in individual cases for a further period not exceeding two years. Any such order of extension shall specify the exact period for which the probationary period is extended.

(2) If during or at the end of the period of probation or extended period of probation, it is found that the person concerned has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to come up to the standard expected of him, he may be reverted to his substantive post, if any, or if he does not hold a lien on any post his services may be dispensed with without entitling him to any compensation.

(2) चयन को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया) के साथ परामर्श करके प्रोन्नति द्वारा चयन नियमावली, 1970 के अनुसार आयोग के साथ परामर्श करके किया जायेगा।

(3) उस चयन के प्रयोजनार्थ चयन समिति में निम्न सम्मिलित होंगे—

(i) आयोग का अध्यक्ष या सदस्य, जो आयोग का प्रतिनिधित्व करता हो, समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) निदेशक, उच्चतर शिक्षा, उ० प्र०; और

(iii) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाले विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों में से एक।]

भाग 7

नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

21. नियुक्ति—(1) रिक्तियों के उत्पन्न होने पर, सरकार नियम 19 या जैसा विषय हो नियम 20 के अधीन तैयार की गयी सूची से केन्द्रीयकृत सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति करेगी।

(2) सरकार नियम 19 तथा 20 के अधीन तैयार की गयी सूची से प्राप्त व्यक्तियों में से छ: सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए अस्थायी रिक्तियों में भी नियुक्ति कर सकेगी।

(3) यदि कोई भी अनुमोदित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है तो सरकार या तो राज्य सरकार के अधीन सेवारत किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा अस्थायी नियुक्ति कर सकेगी या किसी ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्त कर सकेगी जो केन्द्रीयकृत सेवा में स्थायी भर्ती के लिए नियमावली के अधीन पात्र है। ऐसी कोई भी नियुक्ति आयोग के साथ परामर्श किये बिना एक वर्ष की अवधि से अधिक के लिए नहीं होगी।

(4) यदि कोई रिक्ति छ: सप्ताह से अनधिक की अवधि के लिए किसी पद में प्रोद्भूत होती है तो नियमावली के अधीन पात्र व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा सम्बन्धित उप-कुलपति द्वारा अस्थायी नियुक्ति की जा सकेगी।

22. परिवीक्षा—(1) किसी मूल रिक्ति में या उसके पदले केन्द्रीयकृत सेवा के लिए रिक्ति पर कोई भी व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा :

परन्तु यह कि केन्द्रीयकृत सेवा के काडर में सम्मिलित किसी पद में स्थानापन्न या अस्थायी क्षमता में प्रदत्त निरंतर सेवा को पूर्णत: या आंशिक रूप से परिवीक्षा को अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संगणित किये जाने की अनुमति दी जा सकेगी :

परन्तु अग्रेतर यह कि सरकार लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से दो वर्ष से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए वैयक्तिक वादों में परिवीक्षा की अवधि को विस्तारित कर सकेगी। विस्तार के ऐसे किसी भी आदेश में उस यथार्थ अवधि को विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिसके लिए परिवीक्षा की अवधि विस्तारित की गयी है।

(2) यदि परिवीक्षा की अवधि अथवा परिवीक्षा की विस्तारित अवधि के दौरान अथवा अन्त होने पर, यह पाया जाता है कि सम्बन्धित व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त प्रयोग नहीं किया है अथवा वह उससे अपेक्षित मानक पर खरा उतरने में अन्यथा बिफल हो गया है तो उसे वापस मूल पद, यदि कोई हो, पर भेजा जा सकेगा, अथवा यदि वह किसी भी पद पर कोई धारणाधिकार नहीं रखता है तो उसकी सेवाएं उसे किसी भी मुआवजे का हकदार बनाये बिना अभिमुक्त की जा सकेगी।

23. Confirmation.—A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, as the case may be, if his work and conduct are satisfactory and his integrity is certified by the Vice-Chancellor of the University in which he has, during the period of probation worked.

24. Seniority.—(1) Seniority in any category of posts in the Centralised Service shall be determined by the date of the order of appointment in substantive capacity to that category provided that if two or more candidates are appointed on the same date, their seniority *inter se* shall be determined according to the order in which their names appear in the list prepared under Rule 19 or 20.

(2) Seniority of the offices in Service at the commencement of these rules may be determined in any category of posts on the basis of total length of continuous service followed by confirmation in that category.

(3) If a dispute arises in regard to the seniority of an Officer, the manner shall be decided by orders of the Government which shall be final.

Note.—A candidate appointed directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when a vacancy is offered to him. Whether the reasons in a particular case are valid or not shall be subject to the decision of the State Government.

25. Transfer.—The State Government may transfer any member of the Centralised Service from one University to another.

PART VIII

OTHER PROVISIONS

26. Paying Authority.—Subject to the provisions of these rules, the pay and allowances of persons appointed to Centralised Service shall be paid by the University in which such person is for the time being posted.

27. Pay during probation.—(1) A person on probation, if he is not already in the permanent service of a University shall draw during the period of probation, the minimum pay of the post for the first year and increments as they accrue, provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, the extended period shall not count for increment unless the Government so directs.

(2) The pay during the period of probation of a person who is already holding a substantive post in the service of a University before recruitment to the Centralised Service, shall be regulated in accordance with the relevant rules relating to the pay of the employees of the University.

28. Criteria for crossing efficiency bars.—(1) No member of the Centralised Service shall be allowed to cross the first efficiency bar unless he is found to have worked satisfactorily and to the best of his ability and his integrity is certified by the Vice-Chancellor of the University in which he has worked.

(2) No member of the Centralised Service shall be allowed to cross the second and subsequent efficiency bars, if any, unless he has given full satisfaction by his work, conduct, integrity and ability.

23. स्थायीकरण—परिवीक्षाधीन को परिवीक्षा की अवधि अथवा जैसा विषय हो परिवीक्षा की विस्तारित अवधि के समाप्त होने पर उसकी नियुक्ति में स्थायी किया जायेगा बशर्ते उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक हो और उसकी सत्यनिष्ठा को उस विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा सत्यापित किया जायेगा जिसमें उसने परिवीक्षा की अवधि के दौरान कार्य किया है।

24. वरिष्ठता—(1) केन्द्रीयकृत सेवा में पदों की किसी भी कोटि में वरिष्ठता का अवधारण उस कोटि के लिए मूल क्षमता में नियुक्ति के आदेश की तारीख से अवधारण किया जायेगा परन्तु यह कि यदि दो या अधिक व्यक्तियों को एक ही तारीख पर नियुक्ति की जाती है तो उनकी परस्पर वरिष्ठता का अवधारण उस क्रम के अनुसार किया जायेगा जिसमें उनके नाम नियम 19 अथवा 20 के अधीन तैयार की गयी सूची में वर्णित हैं।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय सेवा में पदों की वरिष्ठता का अवधारण उस कोटि में स्थायीकरण के पश्चात् लगातार सेवा की कुल अवधि के आधार पर पदों की किसी भी कोटि में किया जा सकेगा।

(3) यदि किसी अधिकारी की वरिष्ठता के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो रीति को सरकार के आदेशों द्वारा विनिश्चित किया जायेगा जो अन्तिम होंगे।

टिप्पण—सीधे नियुक्त किया गया अभ्यर्थी उस दशा में अपनी वरिष्ठता खो सकता है जब वह बिना किसी वैध कारण के पद भार ग्रहण करने में असफल हो जाता है जबकि उसे रिक्ति प्रस्तावित की गयी हो। क्या किसी वाद विशेष में कारण वैध है या नहीं, यह राज्य सरकार के निर्णय के अध्यधीन होगा।

25. स्थानान्तरण—राज्य सरकार केन्द्रीयकृत सेवा के किसी भी सदस्य का एक विश्वविद्यालय से किसी अन्य विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण कर सकेगी।

भाग 8

अन्य प्रावधान

26. वेदन संदाय प्राधिकारी—इन नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन केन्द्रीयकृत सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्तियों के वेतन तथा भत्तों का संदाय उस विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा जिसमें वह व्यक्ति तत्समय तैनात है।

27. परिवीक्षा के दौरान वेतन—(1) परिवीक्षा पर व्यक्ति, यदि वह पहले से विश्वविद्यालय की स्थायी सेवा में नहीं है, परिवीक्षा की अवधि के दौरान प्रथम वर्ष के लिए पद के न्यूनतम वेतन को तथा वेतन वृद्धियों को जो उपार्जित होती हों प्राप्त करेगा परन्तु यह कि यदि परिवीक्षा की अवधि को संतोष प्रदान करने में असफलता के कारण विस्तारित किया जाता है तो विस्तारित अवधि वृद्धि के लिए संगणित नहीं की जायेगी जब तक कि सरकार ऐसा निदेशित न करे।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो केन्द्रीयकृत सेवा में भर्ती के पूर्व विश्वविद्यालय की सेवा में पहले से मूल पद को धारित कर रहा है, की परिवीक्षा की अवधि के दौरान वेतन को विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन से सम्बन्धित सुसंगत नियमों के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

28. कुशलता की बाधाओं को दूर करने के मापदण्ड—(1) केन्द्रीयकृत सेवा के किसी भी सदस्य को प्रथम कुशलता के अवरोध को पार करने की तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका संतोषजनक ढंग से और अपनी भरसक क्षमता में कार्य करना न पाया जाये एवं उसकी सत्यनिष्ठा को उस विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा प्रमाणित न किया जाये जिसमें उसने कार्य किया है।

(2) केन्द्रीयकृत सेवा के किसी भी सदस्य को द्वितीय और पश्चात्वर्ती कुशलता अवरोधों को यदि कोई हो, को पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने अपने कार्य, आचरण, सत्यनिष्ठा और योग्यता द्वारा पूर्ण संतोष प्रदान न किया हो।

(3) Orders allowing a member of the Centralised Service to cross the efficiency bar and allowing the increment next above the bar shall be issued by the University in which he is for the time being posted.

(4) On each occassion on which a member of the Centralised Service is allowed to cross an efficiency bar which had previously been withheld, his pay, with effect from the date of crossing the bar shall be fixed in the time scale at such stage as the University may decide.

29. Canvassing.—No recommendation for recruitment, either written or oral, other than those required under these rules, shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support either directly or indirectly for his candidature by other means, shall disqualify him for appointment .

30. Leave, leave allowances, officiating pay, fees and honoraria.—(1) Except as otherwise provided in these rules, all matters relating to leave and leave-salary shall be regulated in the manner laid down in the leave rules applicable to the governmemt servants of like status and all amendments thereto together with all explanations and clarifications issued from time to time shall, *mutatis mutandis*, apply.

(2) Grant of pay, including officiating and additional pay, special pay, honorarium compensatory allowance, subsistence allowance, to a member of the Centralised Service and the acceptance of fees, if any, shall be regulated on the same terms and conditions as are applicabie to the government servants of the same status under the U.P. Fundamental and Subsidiary Rules contained in the U.P. Financial Hand-Book, Volume II, Parts II-IV.

(3) Except as expressly provided in these rules, the provisions of the U.P. Fundamental and Subsidiary Rules contained in the Financial Hand-Book, Volume II, Parts II-IV and travelling allowance rules contained in Financial Hand-Book, Volume III, shall, *mutatis mutandis*, apply.

Notes.—(i) The corresponding authorities competent to exercise various powers under the said Hand-Book for purposes of these rules shall be such as Government may, by order, determine from time to time.

(ii) In the event of doubt about the applicability of the rules etc., the decision of the Government shall be final.

31. Incidence of leave charges, etc.—The incidence of leave charges, transit, pay and allowances including travelling allowance of a member of the Centralised Service transferred from one University to another, shall be regulated in accordance with the following principles :

(a) When a member of the service is transferred from one University to another, his transit pay and allowances shall be borne by the University to which he is transferred;

(b) Before the member of the service is allowed to draw his pay and allowances in the University to which he has been transferred, the member shall produce a certificate from the Finance Officer of the University in which he has been serving before such transfer to the effect that such member has not drawn any such pay or allowances;

(3) कुशलता अवरोध को पार करने के लिए केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य को अनुमति प्रदान करते हुए एवं उपरोक्त अवरोध के आगे वार्षिक वृद्धि की अनुमति देते हुए आदेशों को उस विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जायेगा जिसमें वह तत्समय तैनात हैं।

(4) ऐसे प्रत्येक अवसर पर, जिस पर केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य को कुशलता अवरोध को पार करने की अनुमति दी जाती है, जिसे इससे पूर्व प्रतिधारित किया गया था, उस अवरोध को पार करने की तारीख से उसका वेतन ऐसे प्रक्रम पर समय वेतनमान में नियत किया जायेगा जिसे विश्वविद्यालय विनिश्चित कर सकेगा।

29. संयाचना करना—यह नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश को छोड़कर अन्य कोई भी भर्ती की सिफारिश चाहे वह लिखित हो या मौखिक विचारण में सम्मिलित नहीं की जायेगी। अन्य साधनों द्वारा अपनी अभ्यर्थना के लिए या तो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी अभ्यर्थी के पक्ष से किया गया कोई भी प्रयास नियुक्ति के लिए उसे अनर्हित कर देगा।

30. अवकाश, अवकाश भत्ते, स्थानापन्न वेतन, शुल्क और मानदेय—(1) इन नियमों में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, अवकाश, अवकाश-भत्तों से सम्बन्धित सभी मामलों को समान प्रास्थिति के सरकारी सेवकों के लिए प्रयोज्य सेवा नियमों में निर्दिष्ट रीति से विनियमित किया जायेगा और समय-समय पर जारी सभी व्याख्याओं और स्पष्टीकरणों के साथ उसमें सभी संशोधन यथा आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

(2) केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य के लिए, स्थानापन्न एवं अतिरिक्त वेतन, विशेष वेतन, मानदेय क्षतिपूरक क्षत्ता, आजीविका भत्ता सहित वेतन का प्रदान करना और शुल्कों, यदि कोई हो, की स्वीकृति को उन्हीं निबंधनों एवं शर्तों पर विनियमित किया जायेगा जो उ० प्र० वित्तीय हस्त-पुस्तिका, खण्ड II, भाग II-IV में अन्तर्विष्ट उ० प्र० मौलिक और सहायक नियमावली के अधीन उसी प्रास्थिति के सरकारी सेवकों के लिए प्रयोज्य हैं।

(3) इस नियमावली में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड 2, भाग 2-4 में अन्तर्विष्ट उ० प्र० मौलिक और सहायक नियमावली के प्रावधान तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-3 में अन्तर्विष्ट यात्रा भत्तों से सम्बन्धित नियम यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

टिप्पण—(i) इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए उक्त हस्त पुस्तिका के अधीन विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम तत्समानी प्राधिकारी ऐसे प्राधिकारी होंगे जिन्हें सरकार आदेश द्वारा समय-समय पर अवधारित कर सकेगी।

(ii) नियमों की प्रयोज्यता आदि के बारे में संदेह उत्पन्न होने की दशा में, सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

31. अवकाश प्रभार का आपतन आदि—अवकाश प्रभारों का आपतन, मार्ग-व्यय वेतन और भत्ते, जिसमें केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य के एक विश्वविद्यालय से किसी दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित किये गये सदस्य के यात्रा भत्ते सम्मिलित हैं, को निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार विनियमित किया जायेगा :

(क) जब सेवा के किसी सदस्य को एक विश्वविद्यालय से किसी अन्य विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो उसका मार्गस्त वेतन और भत्ते उस विश्वविद्यालय द्वारा वहन किये जायेंगे जहाँ उसे स्थानान्तरित किया गया है।

(ख) इससे पूर्व कि सेवा के उस सदस्य को ऐसे विश्वविद्यालय में अपना वेतन और भत्ते लेने की अनुमति दी जाये जहाँ उसे स्थानान्तरित किया गया है तो वह सदस्य उस विश्वविद्यालय के जिसमें वह उस स्थानान्तरण के पूर्व सेवा करता आ रहा है। इस विषयक वित्त अधिकारी से प्रमाण-पत्र को पेश करेगा कि उस सदस्य ने ऐसा कोई भी वेतन अथवा भत्ते नहीं लिये हैं।

(c) Leave salary shall be borne by the University from where such member proceeds on leave.

32. Existing Provident Fund rules to continue.—Till such time as a common Provident Fund for the Centralised Service is established, the members of the Service shall, unless otherwise provided in these rules, continue to be governed by the Provident Fund Regulations or Rules of the University in which they are posted for the time being :

Provided that notwithstanding anything contained in the regulations or the rules of such University, the minimum amount of subscription to be made by a member of such service to the Fund shall be an amount calculated at the rate of ten per cent of his salary (which term shall mean pay, leave salary or subsistence grant as defined in Financial Hand-Book, Volume II) and the contribution thereto be made by the University shall be at the rate of twelve per cent of his salary in the case of a subscriber drawing a salary of Rs. 500 and ten per cent in the case of a subscriber drawing a salary mere than Rs. 500 but not exceeding Rs. 1000 and eight per cent in each case of a subscriber drawing a salary of Rs. 1000 or above, both amounts being separately rounded to the nearest whole rupee (50 paise or more counting as the next higher rupee) :

Provided further that a member of the Centralised Service, who was governed by any General Provident Fund Regulations or Rules of a University immediately before his absorption in or appointment to such service shall, notwithstanding anything contained in these Rules, continue to be governed by such General Provident Fund Regulations or Rules, as the case may be, in the following manner :

(i) the subscription on account of General Provident Fund of such a member shall be deducted every month from his pay by the University in which he is posted for the time being;

(ii) The said University shall pay every month to the University in which such an officer was employed immediately before his absorption in or appointment to the Cenralised Service his subscription to the General Provident Fund; and

(iii) The University where such an officer was employed immediately before his absorption or appointment shall be liable to pay General Provident Fund to him after his retirement and to the members of his family in accordance with the said General Provident Fund Regulations or Rules, as the case may be.

33. Provident Fund in the case of transfer.—Immediately upon transfer of a member of the Centralised Service from one University to another, otherwise than in a leave arrangement not exceeding 120 days, a new Provident Fund Account shall be opened in the name of such member under the University to which he has been transferred and the Vice-Chancellor of the University from where he has been transferred shall, within thirty days from the date of such transfer, forward to the University to which he has been transferred, a full and complete account of the member's Provident Fund and cause to be transferred to his new account the amount standing to his credit in the old account along with interenst calculated up to the month in which the account is so transferred. All further interest on such amount as from the next succeeding month, shall be payable by the University where the new account has been opened.

(ग) अवकाश वेतन को उस विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा जहाँ से वह सदस्य अवकाश पर जाता है।

32. विद्यमान भविष्य निधि नियम बने रहेंगे—जब तक केन्द्रीयकृत सेवा के लिए सामान्य भविष्य निधि स्थापित नहीं हो जाती है, तब तक सेवा के सदस्य, जब तक इस नियमावली में अन्यथा उपबन्धित न हो, उस विश्वविद्यालय के भविष्य निधि विनियमों अथवा नियमों द्वारा शासित होते रहेंगे जिनमें उन्हें तत्समय तैनात किया गया :

परन्तु यह कि उस विश्वविद्यालय के विनियमों अथवा नियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, उस निधि में ऐसी सेवा के सदस्य द्वारा किये जाने वाले अभिदाय की न्यूनतम धनराशि उसके वेतन के दस प्रतिशत की दर पर संगठित धनराशि होगी (जिस पद का अभिप्राय वेतन, अवकाश वेतन अथवा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 में यथा परिभाषित आजीविका अनुदान से होगा) और उसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा किया जाने वाला अंशदान 500 रु० के वेतन को प्राप्त करते हुए अभिदायकर्ता की दशा में उसके वेतन का बारह प्रतिशत कीदर से होगा और 500 रु० से अधिक लेकिन 1000 रु० से कम के वेतन को प्राप्त करने वाले अभिदायकर्ता की दशा में दस प्रतिशत तथा 1000 रु० या उससे अधिक वेतन को प्राप्त करने वाले अभिदायकर्ता के प्रत्येक वाद में आठ प्रतिशत होगा, दोनों धनराशियां निकटतम पूर्ण रुपये पर पृथक रूप से पूर्णांकित की जायेगी (अगले उच्चतर रु० के रूप में 50 पैसे या अधिक को संगठित किया जायेगा) :

परन्तु अग्रेतर यह कि केन्द्रीयकृत सेवा का सदस्य, जिसे किसी विश्वविद्यालय के सामान्य भविष्य निधि विनियमों या नियमों द्वारा उसके उस सेवा में आमेलन या नियुक्ति के ठीक पूर्व शासित किया गया था, इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए सामान्य भविष्य निधि विनियमों या जैसा विषय हो नियमों द्वारा निम्नलिखित रीति से शासित होता रहेगा :

(i) ऐसे सदस्य का सामान्य भविष्य निधि के खाते पर अभिदाय प्रत्येक माह विश्वविद्यालय द्वारा उसके वेतन से काट लिया जायेगा जिसमें वह तत्समय प्रवृत्त है;

(ii) उक्त विश्वविद्यालय उस विश्वविद्यालय में जिसमें ऐसा अधिकारी केन्द्रीयकृत सेवा में अपने आमेलन अथवा नियुक्ति के तत्कालपूर्ण नियोजित था प्रत्येक माह सामान्य भविष्य निधि में उसका अभिदाय संदाय करेगा; और

(iii) विश्वविद्यालय जहाँ ऐसा अधिकारी अपने आमेलन या नियुक्ति के तत्काल पूर्व नियोजित था, उसे उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् और उसके परिवार के सदस्यों को उक्त सामान्य भविष्य निधि विनियमों अथवा जैसा विषय हो नियमों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि संदाय करने के लिए दायी होगा।

33. स्थानान्तरण की दशा में भविष्य निधि—एक विश्वविद्यालय से किसी अन्य विश्वविद्यालय में केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य के स्थानान्तरण होने पर तत्काल 120 दिन से अनधिक के अवकाश के प्रबन्ध की दशा को छोड़कर अन्य दशा में, नया भविष्य निधि खाता उस विश्वविद्यालय के अधीन उस सदस्य के नाम से खोला जायेगा जहाँ से स्थानान्तरित किया गया है और उस विश्वविद्यालय का उपकुलपति, उस स्थानान्तरण की तारीख से तीस दिन के भीतर उस विश्वविद्यालय के समक्ष, जहाँ उसे स्थानान्तरित किया गया है, उस सदस्य के भविष्य निधि के पूर्ण खाते को अग्रेषित करेगा तथा वह उसके नये खाते में पुराने खाते से उसकी जमा राशि को उस माह तक संगणित ब्याज के साथ अन्तरित करायेगा जब खाते को इस प्रकार अन्तरित किया गया हो। जैसा कि अगले उत्तरवर्ती माह से उस धनराशि पर सभी अतिरिक्त ब्याज उस विश्वविद्यालय द्वारा संदेय होगा जहाँ नया खाता खोला गया है।

34. Intimation to be sent promptly.—In the circumstances other than those mentioned in Rule 33 the member of the Centralised Service shall continue to subscribe to his existing Provident Fund and tender such further amounts as may be required of him in connection therewith and the University administering the Fund shall continue to credit its own contribution thereto, and it shall be incumbent on the University to which the officer has been transferred to inform with all reasonable despatch the University from where such member has been transferred, the exact amount of his emoluments. Intimation about every change therein shall similarly be sent promptly.

35. Responsibility of the University.—The responsibility for payment upon an amount becoming due shall devolve on the University which is responsible for maintaining the Provident Fund for the time being.

[1][**36. Disciplinary proceedings.**—(1) Subject to such modifications as the State Government may make from time to time, and subject to the provisions of sub-rules (2) to (9), the rules relating to disciplinary proceedings, appeals and representations against punishment, applicable to the employees of the State Government shall *mutatis mutandis* apply to the members of the Centralised Service.

(2) The power to start disciplinary proceedings and to impose—

(a) the punishment of dismissal or renoval from service or reduction in rank on the members of the Centralised Service shall vest in the State Government; and

(b) other punishments shall vest in the Vice-Chancellor of the University in which the member of such service is for the time being posted :

Provided that it shall be necessary to consult the Commission before passing an order imposing any of the punishments referred to in clause (a).

(3) Where disciplinary proceedings against a member of the Centralished Service have been started in accordance with the provisions of sub-rule (2)—

(a) by the Vice-Chancellor and after the completion of inquiry, he comes to a provisional conclusion that a punishment referred to in clause (a) of sub-rule (2) is called for, he shall refer the case along with his findings and recommendations to the State Government for orders;

(b) by the State Government and, during or after the completion of inquiry, it comes to a provisional conclusion that a punishment to which clause (b) of sub-rule (2) applies is called for, it shall refer the case to the Vice-Chancellor who shall pass such orders as he deems fit, and shall send a report of the action taken to the State Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) to (3), the State Government may direct the Vice-Chancellor of a University in which any member of the Centralised Service is for the time being posted to start

1. Subs. by Noti. No. 3894/XV-10-79-35(15)78, dated 14 December, 1979.

34. सूचना को तत्काल भेजा जाना—नियम 33 में उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर अन्य प्रकार की परिस्थितियों में, केन्द्रीयकृत सेवा का सदस्य अपनी विद्यमान भविष्य निधि में अभिदायकर्ता रहेगा और वह ऐसी अतिरिक्त धनराशियों को देगा जिनकी उसके सम्बन्ध में उससे अपेक्षा की जाये और उस निधि का प्रशासन करने वाला विश्वविद्यालय उसमें अपने निजी अंशदान को जमा करता रहेगा और उस विश्वविद्यालय के लिए, जहाँ उस अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया हो अनिवार्य होगा कि वह सभी युक्तियुक्त डिस्पैच के साथ उस विश्वविद्यालय को, जहाँ से ऐसा सदस्य स्थानान्तरित किया गया है उसकी परिलब्धियों की यथार्थ धनराशि को सूचित करे। उसमें प्रत्येक परिवर्तन की सूचना उसी प्रकार से तत्काल भेजी जायेगी।

35. विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व—धनराशि के देय होने पर संदाय का उत्तरदायित्व उस विश्वविद्यालय को न्यागत हो जायेगा जो तत्समय भविष्य निधि को अनुरक्षित करने के लिए उत्तरदायी है।

[1][**36. आनुशासनिक कार्यवाही**—(1) ऐसे उपान्तरणों के अध्यधीन जिसे राज्य सरकार समय-समय पर कर सकेगी और उपनियम (2) से (9) के प्रावधानों के अध्यधीन, आनुशासनिक कार्यवाहियों, दण्ड के विरुद्ध अपीलों और अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में नियम जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य हैं, केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्यों के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(2) आनुशासनिक कार्यवाही को प्रारंभ करने तथा निम्न को अधिरोपित करने की शक्ति—

(क) सेवा से बर्खास्तगी या अपसारण अथवा केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्यों पर पंक्ति में कमी का दण्ड राज्य सरकार में निहित होगा; और

(ख) अन्य दण्ड उस विश्वविद्यालय के उपकुलपति में निहित होंगे जिसमें उस सेवा का सदस्य तत्समय तैनात है :

परन्तु यह कि खण्ड (क) में निर्दिष्ट दण्डों में से किसी को भी अधिरोपित करते हुए आदेश पारित करने के पूर्व आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।

(3) जहाँ केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य के विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाहियों को उपनियम (2) के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ किया गया है—

(क) उपकुलपति द्वारा और जाँच के पूर्ण होने के पश्चात्, वह इस अनन्तिम निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उपनियम (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट दण्ड की आवश्यकता है तो वह अपने निष्कर्षों तथा सिफारिशों के साथ वाद को आदेश के लिए राज्य सरकार के समक्ष निर्दिष्ट करेगा;

(ख) राज्य सरकार द्वारा और जाँच के दौरान अथवा उसके पूर्ण होने के पश्चात्, वह इस अनन्तिम निष्कर्ष पर पहुँचता है कि दण्ड, जिसके लिए उपनियम (2) का खण्ड (ख) लागू होता है, आवश्यक है तो वह वाद को उपकुलपति के समक्ष निर्दिष्ट करेगा जो ऐसे आदेशों को पारित करेगा जिन्हें वह उपयुक्त समझे और वह की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष प्रेषित करेगा।

(4) उपनियम (1) से (3) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, राज्य सरकार उस विश्वविद्यालय के उपकुलपति को, जिसमें केन्द्रीयकृत सेवा का सदस्य तत्समय तैनात है, उसके विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाहियों को प्रारंभ करने और उसके परिणाम के बारे में उसे सूचित करने अथवा जैसा

---

1. दिनांक 14 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 3894/XV-10-79-35(15)78 द्वारा प्रतिस्थापित।

disciplinary proceedings against him and to inform it of the result thereof or as the case may be, refer the case to the State Government for its final orders under clause (a) of sub-rule (3).

(5) Where the Vice-Chancellor of any University wants to start disciplinary proceedings against a member of the Centralised Service, who has been transferred to some other University, he shall submit a report to the State Government to that effect, and thereupon, the State Government may—

(i) itself proceed in accordance with clause (a) of sub-rule (2); or

(ii) direct the Vice-Chancellor of the first mentioned University to start and conclude the inquiry in accordance with clause (b) of the said sub-rule or, as the case may be, refer the case to the State Government for its final order under clause (a) of sub-rule (3); or

(iii) direct the Vice-Chancellor of the University in which such member is for the time being posted to start and conclude the inquiry against such member and inform the State Government of the result thereof or, as the case may be, refer the case to the State Government for its final order under clause (a) of sub-rule (3).

(6) Where the Vice-Chancellor of a University is competent to start disciplinary proceedings under this rule, he may hold the inquiry himself or may appoint any other officer of the University for the purpose.

(7) The State Government may, at any stage, transfer any proceedings under this rule from one officer to another officer in the same University, or from the Vice-Chancellor of one University to the Vice-Chancellor of any other University, and unless any direction is issued to the contrary, the officer or the Vice-Chancellor to whom such proceedings are transferred shall continue the proceedings from the stage at which it was so transferred.

(8) During the course of inquiry under this rule, the Vice-Chancellor or the officer appointed by him as inquiry officer under sub-rule (6) may exercise all the powers of the inquiring authority under the Uttar Pradesh Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1976.

(9) Notwithstanding anything contained in these rules, it shall be lawful for the State Government to direct that the disciplinary proceedings against any member of the Centralised Service may be started in respect of any act or omission relating to the period before the date of his absorption in such service under Rule 7 and thereupon the provisions of sub-rules (1) to (8) shall *mutatis mutandis* apply.]

37. Age of retirement.—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the age of retirement from service of the member of the Centralised Service shall be 60 years beyond which no one shall be retained in the Service.

(2) The State Government may require a member of the Centralised Service to retire on his attaining the age of 57 years on three months notice or pay in lieu of the whole or part thereof if the State Government considers it necessary to do so in public interest.

विषय हो वाद को राज्य सरकार के समक्ष उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन उसके अन्तिम आदेशों के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।

(5) जहाँ किसी भी विश्वविद्यालय का उपकुलपति केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य के विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करना चाहता है जिसे किसी अन्य विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित किया जा चुका है तो वह उस विषयक राज्य सरकार के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करेगा और उस पर राज्य सरकार—

(i) उपनियम (2) के खण्ड (क) के अनुसार स्वयं ही कार्यवाही कर सकेगा; अथवा

(ii) प्रथम उल्लिखित विश्वविद्यालय के उपकुलपति को उक्त उपनियम के खण्ड (ख) के अनुसार जाँच प्रारंभ करने और उसे समाप्त करने अथवा जैसा विषय हो वाद को राज्य सरकार के समक्ष उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन उसके अन्तिम आदेश के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा; अथवा

(iii) उस विश्वविद्यालय जिसमें वह सदस्य तत्समय तैनात है, के उपकुलपति को उस सदस्य के विरुद्ध जाँच प्रारंभ करने और उसे समाप्त करने एवं उसके परिणाम के बारे में राज्य सरकार को सूचित करने अथवा जैसा विषय हो उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार को उसके अन्तिम आदेश के लिए वाद निर्दिष्ट कर सकेगा।

(6) जहां किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति इस नियम के अधीन आनुशासनिक कार्यवाहियों को प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र हैं तो वहाँ वह जाँच को स्वयं ही कर सकेगा अथवा उस प्रयोजनार्थ उस विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त कर सकेगा।

(7) राज्य सरकार किसी भी प्रक्रम पर इस नियम के अधीन किसी भी कार्यवाही को एक ही विश्वविद्यालय में एक अधिकारी से किसी अन्य अधिकारी को, अथवा किसी एक विश्वविद्यालय के उपकुलपति से किसी अन्य विश्वविद्यालय के उपकुलपति के समक्ष अन्तरित कर सकेगा, और जब तक कोई विपरीत निदेश जारी न किया जाये, वह अधिकारी अथवा उपकुलपति, जिसके समक्ष उस कार्यवाही को अन्तरित किया गया हैं, उस प्रक्रम से, जहाँ उसे इस प्रकार अन्तरित किया गया था, कार्यवाही को आगे जारी रखेगा।

(8) इस उपनियम के अधीन जाँच के अनुक्रम के दौरान, वह उपकुलपति अथवा उसके द्वारा उपनियम (6) के अधीन जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी उ० प्र० विभागीय जाँच (साक्षियों की उपस्थिति और दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण का प्रवर्तन) अधिनियम, 1976 के अधीन जाँच प्राधिकारी की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(9) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, राज्य सरकार के लिए विधिपूर्ण यही होगा कि वह यह निदेशित करे कि केन्द्रीयकृत सेवा के किसी भी सदस्य के विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही को नियम 7 के अधीन सेवा में उसके आमेलन की तारीख के पूर्व अवधि के सम्बन्ध में किसी कृत्य या लोप के सम्बन्ध में प्रारंभ की जा सकेगी और तत्पश्चात् उपनियम (1) से (8) के प्रावधान यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

37. सेवानिवृत्ति की आयु—(1) उपनियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन, केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य की सेवा से सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी जिसके पश्चात् किसी भी व्यक्ति को सेवा में प्रतिधारित नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह तीन माह की नोटिस पर अथवा उसके पूर्ण या आंशिक के बदले 57 वर्ष की आयु को उसके प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाये बशर्ते राज्य सरकार लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझे।

(3) A member of the Centralised Service, may, on attaining the age of 57 years, voluntarily retire after giving three months' notice to the State Government. In case of the member against whom disciplinary proceedings are pending or contemplated, this notice shall be effective only when it is accepted by the State Government. A notice once given under this sub-rule shall not be withdrawn without the permission of the State Government.

38. Reference to the State Government.—(1) If any dispute arises as to liability of a University for payment of salary, travelling allowance, Provident Fund or any other dues to a member of the Centralised Service, or if any dispute or difficulty arises regarding interpretation of any of the provisions of these rules, the same shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final and conclusive.

(2) Matters not covered by these rules shall be governed by such rules or orders as the State Government may from time to time make.

39. Power to grant exemption.—Notwithstanding anything contained in these rules, where the State Government is satisfied that the operation of any of the provisions of these rules causes undue hardship in any particular case, it may in consultation with the Commission by order dispense with or relax the requirements of that provision to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

40. Power to delegate.—The State Government may, by notification published in the Official Gazette, delegate any of its powers under these rules, to any person or authority on such conditions as it thinks fit.

---

(3) केन्द्रीयकृत सेवा का सदस्य, 57 वर्ष की आयु के प्राप्त कर लेने पर राज्य सरकार को तीन माह की नोटिस देने के पश्चात् स्वेच्छया सेवानिवृत्त हो सकेगा। उस सदस्य की दशा में जिसके विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाहियाँ लम्बित हैं अथवा अनुध्यात हैं, यह नोटिस केवल तभी प्रभावी होंगी जब उसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो। इस उपनियम के अधीन एक बार नोटिस दिये जाने पर वह राज्य सरकार की अनुमति के बिना वापस नहीं ली जायेगी।

38. राज्य सरकार के समक्ष संदर्भ—(1) यदि केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य को वेतन, यात्रा भत्ते, भविष्य निधि अथवा अन्य किन्हीं बकायों के संदाय हेतु विश्वविद्यालय के दायित्व के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है, अथवा यदि इन नियमों के प्रावधानों में से किसी के भी निर्वचन के सम्बन्ध में कोई विवाद अथवा कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसे उस राज्य सरकार के समक्ष निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय उस पर अन्तिम और निर्णायक होगा।

(2) इन नियमों द्वारा आच्छादित न होने वाले मामलों को ऐसे नियमों अथवा आदेशों द्वारा शासित किया जायेगा जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर बना सकेगी।

39. छूट प्रदान करने की शक्ति—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो गया कि इन नियमों के प्रावधानों में से किसी के प्रवर्तन से किसी वाद विशेष में अनुचित कठिनाई उत्पन्न होती है तो वह आयोग के साथ परामर्श करके उस प्रावधान की शर्तों को ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन आदेश द्वारा अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा या उनमें छूट प्रदान कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से वाद से संव्यवहार करने के लिए आवश्यक समझे।

40. प्रत्यायोजन करने की शक्ति—राज्य सरकार शासकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इन नियमों के अधीन अपनी शक्तियों में से किसी भी शक्ति को ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी को ऐसी शर्तों पर प्रत्यायोजित कर सकेगा जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

———

RULES FOR ADMISSIONS TO COURSES OF INSTRUCTION FOR DEGREES IN EDUCATION IN AFFILIATED OR ASSOCIATED COLLEGES OF STATE UNIVERSITIES, 1983[1]

In exercise of the powers under sub-section (5) of Section 28 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 as amended and re-enacted by the Uttar Pradesh Universities (Re-anactment and Amendment) Act, 1974 (U.P. Act No. 29 of 1974), the Governor is pleased to supersede all previous Rules and Orders relating to admission to courses of instruction for degrees in Education in Colleges affiliated to or associated with Universities established under the aforesaid Act and to direct that such admission shall be regulated hereafter by the Rules appended hereto.

CHAPTER I

GENERAL

1. Short title.—These rules may be called the rules for admission to courses of instruction for Degrees in Education in Affiliated/Associated Colleges of State Universities. These Rules shall come into force with effect from the academic session 1983-84.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise required—

(a) *"Act"* means the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 as amended and re-enacted by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974;

(b) *"College"* means such college as is duly affiliated to or associated with a University established under the Act;

(c) *"Course of Instruction"* means such course of instruction as is imparted in a college for preparing students for admission to examination for B.Ed. or as the case may be M.Ed. degree conducted by the University to which such college is affiliated or associated;

(d) *"University"* means the University to or with which the college where admissions to a course of instruction is sought or made is affiliated or associated.

CHAPTER II

ADMISSION TO B.Ed. CLASSES

3. Qualifications for admission.—The minimum educational qualification requisite for the admission of a candidate to B.Ed. Classes shall be the graduate degree with at least two school-teaching subjects, of a University established by law.

---

1. Vide Noti No. Shiksha (11)-2929/XV-83(11)-3(58)-79, dated May 17, 1983. Published in U.P. Gazette, Extra, dated 17th May, 1983.

राज्य विश्वविद्यालय के सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों में उपाधियों के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमावली, 1983[1]

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन:अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्यांक 29) द्वारा यथा संशोधित और पुन: अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उपधारा (5) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल महोदय को पूर्व लिखित अधिनियम के अधीन स्थापित सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों में शिक्षा में उपाधियों के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश से सम्बन्धित सभी पूर्व नियमों और आदेशों को निष्प्रभावी करते हुए और यह निदेश करते हुए सन्तोष का अनुभव हो रहा है कि ऐसे प्रदेश की इससे संलग्न नियमावली द्वारा एतद्पश्चात् विनियमित किया जायेगा।

अध्याय 1
सामान्य

1. संक्षिप्त नाम—इस नियमों को राज्य विश्वविद्यालय के सम्बन्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालयों में उपाधियों के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमावली, 1983 के नाम से जाना जा सकेगा। ये नियम शैक्षिक सत्र 1983-84 से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ—इन नियमों में, जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) *''अधिनियम''* उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुन: अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 से अभिप्रेत है;

(ख) *''महाविद्यालय''* ऐसे महाविद्यालय से अभिप्रेत है जो अधिनियम के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्यक् रूप से सम्बद्ध अथवा सहयुक्त है;

(ग) *''शिक्षा का पाठ्यक्रम''* शिक्षा के ऐसे पाठ्यक्रम से अभिप्रेत है जिसे उस विश्वविद्यालय द्वारा, जिससे वह महाविद्यालय सम्बद्ध अथवा सहयुक्त है, संचालित बी० एड० अथवा जैसा विषय हो एम० एड० की उपाधि के लिए परीक्षा हेतु प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने हेतु महाविद्यालय में प्रदान किया जाता है;

(घ) *''विश्वविद्यालय''* ऐसे विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है जिससे वह महाविद्यालय, जहाँ शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश का प्रयास किया गया है या प्रवेश किया गया है, सम्बद्ध अथवा सहयुक्त हो।

अध्याय 2
बी० एड० की कक्षाओं में प्रवेश

3. प्रवेश हेतु अर्हतायें—बी० एड० की कक्षाओं में अभ्यर्थी के प्रवेश के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के कम से कम दो विद्यालय अध्यापन विषयों के साथ स्नातक की उपाधि होगी।

---

1. देखें, दिनांक 17 मई, 1983 के उ० प्र० गजट असाधारण में प्रकाशित दिनांक 17 मई, 1983 की अधिसूचना सं० शिक्षा (11)-2929/XV--83(11)-3 (58)-79 ।

Explanation.—A candidate who has passed an examination for the degree of B.A. with Education or Psychology or Philosophy as one of the subjects and any one of the school-teaching subjects as another subject or B.Com. or B.Sc. (Ag.) or B.Sc. (Home Science) as the case may be shall be deemed to possess the minimum qualification within the meaning of this Rule.

But if a candidate has offered one school-teaching subject or Education or Psychology or Philosophy at the graduation level and has thereafter passed an examination at the graduation/post graduation level with another school-teaching subject shall also be deemed to possess the minimum qualification within the meaning of this Rule.

4. Maximum number approved for admissions to B.Ed. Classes.—[1][(1) The maximum number of students to be admitted in every college shall be such as may be prescribed by the Vice-Chancellor of the University and no person shall be admitted in excess of such number in any case. In prescribing the maximum number of students to be admitted the Vice-Chancellor shall take into account the teachers available in the college concerned for B.Ed. instructions, so as to maintain the teacher-pupil ratio at 1 : 15.

(2) In a college having Science classes also the number of seats for candidates holding a B.Sc. Degree shall be prescribed by the Vice-Chancellor. In prescribing such number of seats, the Vice-Chancellor shall take into account the number of Science teachers available in the B.Ed. Department of the College so as to maintain in respect of such candidates the teacher-pupil ratio at 1 : 15.]

5. Reservation of seats.—In every college, reservation of seats for admission to B.Ed. Classes shall in relation to the total number of seats in such college be made in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Backward Castes and Handicapped candidates to the extent of 18 per cent, 2 per cent, 10 per cent and 2 per cent respectively :

Provided that where sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Castes and handicapped canditates is not available for admission such seats as are reserved for them and remain unfilled shall be filled by the general candidates.

Note.—A handicapped candidate shall have to submit along with his application a certificate from the Chief Medical Officer of the district to the effect that though he is handicappted he is not dumb, deaf, does not stammer, or does not suffer from skin disease or any other disease which is likely to spread among children or cause hindrance in class teaching.

6. Application for admission.—(1) Every candidate for admission to B.Ed. classes shall apply in the manner hereinafter provided in the prescribed form to be obtained from the office of the Registrar of the University concerned on payment of Rs. 3 for each form. The last date for applying for admission shall ordinarily be the 31st day of May or such date in the month of June as the University may prescribe.

---

1. Subs. by Noti. No. Shiksha-11-6657/XV-83(11)-3 (58)-79, dated 23rd November, 1983.

स्पष्टीकरण—कोई अभ्यर्थी जिसने उन विषयों में से एक के रूप में शिक्षा या मनोविज्ञान या दर्शन के साथ बी० ए० और किसी अन्य विषय या बी० कॉम० या बी० एससी० (कृषि) अथवा जैसा विषय हो बी० एससी० (गृह विज्ञान) के रूप में विद्यालय अध्यापन विषयों में से एक के साथ उपाधि हेतु परीक्षा उत्तीर्ण की है, का इस नियम की अर्थव्याप्ति में न्यूनतम अर्हता को रखना समझा जायेगा।

लेकिन, यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर एक विद्यालय अध्यापन विषय या शिक्षा या मनोविज्ञान या दर्शनशास्त्र का प्रस्ताव किया है और तत्पश्चात् किसी अन्य विद्यालय अध्यापन विषय के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसका भी इस नियम की अर्थव्याप्ति में न्यूनतम अर्हता को रखना समझा जायेगा।

4. बी० एड० की कक्षाओं के लिए प्रवेश हेतु अनुमोदित अधिकतम संख्या—[1][(1) प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश कराये जाने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या उतनी ही होगी जितनी कि उस विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा निर्धारित की जा सकेगी और किसी भी दशा में उस संख्या से अधिक किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रवेश किये जाने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या को निर्धारित करने में विश्वविद्यालय बी० एड० की शिक्षा के लिए सम्बद्ध महाविद्यालय में उपलब्ध अध्यापकों पर विचार करेगा जिससे कि अध्यापक- शिष्य अनुपात को 1:15 पर बनाये रखा जा सके।

(2) ऐसे महाविद्यालय में जहाँ विज्ञान की कक्षायें भी चलती हैं, बी०एससी० की उपाधि को धारित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पदों की संख्या को उपकुलपति द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा। सीटों को उस संख्या का निर्धारण करने में, उपकुलपति महाविद्यालय के बी० एड० विभाग में उपलब्ध विज्ञान के अध्यापकों की संख्या पर विचार करेगा जिससे कि ऐसे अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अध्यापक-शिष्य के अनुपात को 1:15 पर बनाये रखा जा सके।]

5. सीटों का आरक्षण—प्रत्येक महाविद्यालय में बी० एड० की कक्षाओं में प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण, उस महाविद्यालय में सीटों की कुल संख्या के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और विकलांग अभ्यर्थियों के पक्ष में क्रमशः 18%, 2%, 10% और 2% की सीमा तक किया जायेगा :

परन्तु यह कि जहाँ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों और विकलांग अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या प्रवेश के लिए उपलब्ध न हो, तो वहाँ ऐसी सीटें, जिन्हें उनके लिए आरक्षित किया गया है और जो भरी जानी शेष हैं, को सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।

टिप्पण—विकलांग अभ्यर्थी को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इस विषयक प्रमाणपत्र को अपने आवेदन के साथ दाखिल करना पड़ेगा कि यद्यपि वह विकलांग है, वह मूक, बधिर नहीं है, हकलाता नहीं है अथवा किसी त्वचा रोग अथवा किसी ऐसे अन्य रोग से पीड़ित नहीं है जिसका बच्चों में फैलना और कक्षा अध्यापन में अवरोध उत्पन्न करना सम्भाव्य है।

6. प्रवेश के लिए आवेदन—(1) बी० एड० की कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी ऐसी रीति से प्रार्थना करेगा जिसे प्रत्येक प्ररूप के लिए 3 रु० के संदाय पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के कार्यालय से प्राप्त किये जाने वाले निर्धारित प्ररूप में एतद्पश्चात् उपबंधित किया गया है। प्रवेश के लिए आवेदन करने की अन्तिम तारीख साधारणतया मई का 31वां दिवस अथवा जून माह में ऐसी तारीख होगी जिसे विश्वविद्यालय नियत कर सकेगा।

---

1. दिनांक 23 नवम्बर, 1983 की अधिसूचना सं० शिक्षा-11- 6657/XV-83 (11)-3 (58)-79 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) The candidate shall send by registered post one copy of the application to the Registrar of the University.

(3) Another copy of such application containing the number and date of the postal registration receipt shall be sent to the college by registered post.

(4) No such application received in the office of Registrar or the college after such date as may be prescribed by the University in this behalf shall be entertained.

7. **Basis of selection.**—In respect of every candidate for admission to a course of instructions in B.Ed. classes, a statement of marks allotted to him shall be prepared in the manner hereinafter provided and the candidates shall subject to the other provisions of these rules be admitted to such course of instruction strictly on the basis of such marks an order of merit.

8. **Allotment of marks.**—(1) Every candidate shall be allotted marks equal to a total of percentage of total marks obtained by him in each of the High School, Intermediate and graduate examinations and one-fourth of the percentage of marks obtained by him in the postgraduate examination and such additional marks, if any as he may be entitled to under these Rules.

Explanations.—(a) Where a candidate has passed the Higher Secondary Examination and thereafter graduated after passing a three-year degree course, marks shall be allotted to him equal to a total of twice the percentage of marks obtained by him in the Higher Secondary Examination and marks obtained in the graduation examination.

(b) Where a candidate has passed more than one postgraduate examination, he shall be allotted one-fourth of the marks which the candidate has indicated in his application under Rule 6.

(2) A candidate falling under any of the categories specified below shall on furnishing such certificates as may be specified by the University in that behalf be allotted extra marks indicated against each but the total of extra marks thus obtained shal not exceed twenty-five.

			Marks
(1)	Candidates taking part in National or State or Inter-University games and sports competition (Certificates of participating in the National or State level games or sports competitions issued by the Government Sports Department only shall be accepted)	...	15
(2)	Candidates taking part in Inter-College Sports competition conducted by any University	...	10
(3)	Male candidates obtaining "C" certificates and female candidates obtaining "G-2" certificates in the National Cadets Corps	...	15
	Or		
	Male candidates obtaining "B" certificates and female candidates obtaining 'G-1' certificates	...	10

(2) अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन की एक प्रति पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करेगा।

(3) डाक की पंजीयन पावती की संख्या एवं तारीख को अन्तर्विष्ट करते हुए उस आवेदन की एक अन्य प्रति पंजीकृत डाक द्वारा महाविद्यालय को प्रेषित की जायेगी।

(4) उस तारीख के पश्चात्, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त नियत किया जा सकेगा, रजिस्ट्रार के कार्यालय या महाविद्यालय के कार्यालय में प्राप्त ऐसा कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा।

7. चयन का आधार—बी० एड० की कक्षाओं में शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी के सम्बन्ध में उसे आबंटित अंकों का विवरण ऐसी रीति से तैयार किया जायेगा जिसे एतद्पश्चात् प्रदान किया गया है और अभ्यर्थियों को मेरिट के क्रम में नियमत: ऐसे अंकों के आधार पर इन नियमों के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन शिक्षा के ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा।

8. अंकों का आबंटन—(1) प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके द्वारा हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट और स्नातक की प्रत्येक परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंकों के कुल प्रतिशत के बराबर और स्नातकोत्तर परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के एक चौथाई अंकों तथा अतिरिक्त अंक, यदि कोई हो, जिसका वह इन नियमों के अधीन हकदार हो सकेगा, अंक आबंटित किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण—(क) जहाँ अभ्यर्थी ने हायर सेकेन्ड्री की परीक्षा उत्तीर्ण की है और तत्पश्चात् तीन वर्षीय उपाधि के पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के पश्चात् वह स्नातक हुआ है, तो वहाँ उसे उसके द्वारा हायर सेकेन्ड्री परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के दोगुने के बराबर अंक आवंटित किये जायेंगे।

(ख) जहाँ किसी अभ्यर्थी ने एक से अधिक स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो वहाँ उसे उन अंकों के एक चौथाई को आबंटित किया जायेगा जिसे अभ्यर्थी ने नियम 6 के अधीन अपने आवेदन में बताया है।

(2) निम्न बिनिर्दिष्ट कोटियों में से किसी के भी अधीन आने वाले अभ्यर्थी को, ऐसे प्रमाणपत्र प्रदान करने पर, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, प्रत्येक के सामने बताये गये अतिरिक्त अंकों को आबंटित किया जायेगा लेकिन, इस प्रकार प्राप्त अतिरिक्त अंकों का योग पच्चीस से अधिक नहीं होगा।

			अंक
(1)	राष्ट्रीय या राज्य या अन्तर्विश्वविद्यालीय खेलकूदों और क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी (केवल सरकार के क्रीड़ा विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय या राज्य स्तर के खेलकूदों अथवा क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र को स्वीकार किया जायेगा)	...	15
(2)	किसी विश्वविद्यालय द्वारा अन्तर्महाविद्यालयीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी	...	10
(3)	नेशनल कैडेट कोर में 'सी' प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले पुरुष अभ्यर्थी और ''जी-2'' प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने वाली महिला	...	15
	अथवा		
	''बी'' प्रमाणपत्र को प्राप्त करने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा ''जी-1'' प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाली महिला अभ्यर्थी	...	10

Or

Candidates serving for 240 hours and participating in two or more special camps in National Service Scheme	...	15
Candidates serving for 240 hours and participating in one special camp in National Service Scheme	...	10
Or		
Candidates serving for 240 hours in National Service Scheme	...	5
(4) Candidates related to a freedom-fighter as his son or daughter or his son's son or his son's unmarried daughter (this concession shall cease after the year 1985)	...	15
(5) Candidates being defence employee in active service or demobilised or honourably retired or related to such an employee or a disabled, diseased or traceless defence employee as his son, daughter or wife	...	15
(6) Candidates employed in Police or PAC or Homeguard or B.S.F. for S.S.B. or ITB or CRP or Civil Defence Organisation or related to such an employee whether in active service or retired, disabled or diseased as his son or daughter.	...	15
(7) Candidates being widows or divorced or abandoned women (such candidates shall furnish legal certificates to this effect)	...	15
[1][(8) Son/Daughter/Wife of Teacher or non-teaching employee of any recognised educational institution	...	10 Marks].

Illustrations.—A candidate, who has secured 55 per cent marks in the High School Examination, 50 per cent marks in Intermediate Examination, 52.2 per cent marks in graduation examination and 60 per cent marks in the post-graduation examination shall be allotted 172.2 Marks [55 + 50 + 52.2 + 15 (One fourth of 60 per cent) = 1772.2].

If this candidate obtains extra 30 marks on furnishing prescribed certificates under Rule 8 (2) then out of these extra marks 25 extra marks only, shall be added to the marks allotted above. Thus the total of all marks allotted to this candidate will be 197.2.

(3) If marks obtained on the basis of the above Rules 8 (1) and 8 (2) are of equal preference shall be given to that candidate who has graduated from the same University to which the college in which he is seeking admission, is affiliated or associated, but no extra marks shall be allotted on this account to that candidate.

---

1. Added by Noti. No. Shiksha-11-3278/XV-84 (II)-3-(58)-79, dated 30th May, 1984. Published in U.P. Gazette Extra., dated 28th November, 1984.

अथवा

राष्ट्रीय सेवा योजना में 240 घण्टे और दो या अधिक विशेष कैम्पों में सेवा करने वाले अभ्यर्थी ... 15

राष्ट्रीय सेवा योजना में 240 घण्टे और एक विशेष कैम्प में भाग लेने वाले अभ्यर्थी ... 10

अथवा

राष्ट्रीय सेवा योजना में 240 घण्टे सेवा करने वाले अभ्यर्थी ... 5

(4) स्वतन्त्रता सेनानी के उसके पुत्र या पुत्री या पुत्र के पुत्र या उसके पुत्र की अविवाहित पुत्री के रूप में रिश्तेदार अभ्यर्थी (यह विसुविधा वर्ष 1985 के पश्चात् समाप्त हो जायेगी) ... 15

(5) अभ्यर्थी, जो सक्रिय सेवा में अथवा समाप्त की गई सेवा में या सम्मानजनक ढंग से सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी है अथवा वे ऐसे कर्मचारी के या विकलांग या मृत या लापता प्रतिरक्षा कर्मचारी के रिश्तेदार हैं ... 15

(6) अभ्यर्थी, जो पुलिस या पी० ए० सी० या होमगार्ड या एस० एल० बी० के लिए बी० एस० एफ० या आई० टी० बी० या सी० आर० पी० या सिविल डिफेंस संगठन में नियोजित हैं अथवा ऐसे कर्मचारी से उसके पुत्र या पुत्री के रूप में रिश्तेदार हैं चाहे वह सक्रिय सेवा में हो या सेवानिवृत्त या निर्योग्य या रोगग्रस्त हों ... 15

(7) अभ्यर्थीगण जो विधवायें या तलाकशुदा या सम्परित्यक्त स्त्रियां हैं (ऐसे अभ्यर्थी इस विषयक विधिक प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे) ... 15

[1][(8) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था के अध्यापक या गैर शिक्षण कर्मचारी का पुत्र/पुत्री/पत्नी ... 10 अंक]

दृष्टान्त—अभ्यर्थी, जिसने हाईस्कूल परीक्षा में 55%, इण्टरमीडिएट परीक्षा में 50%, स्नातक की परीक्षा में 52.2% और स्नातकोत्तर परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किये हैं, को 172.2 अंक (55+50+52.2+15 (60% का एक चौथाई)=172.2 आवंटित किये जायेंगे।

यदि यह अभ्यर्थी नियम 8(2) के अधीन निर्धारित प्रमाण-पत्रों को प्रदान करने पर अतिरिक्त 30 अंक को प्राप्त करता है तो इन अतिरिक्त अंकों में से केवल 25 अतिरिक्त अंक को ही उपरोक्त आवंटित अंकों में जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार इस अभ्यर्थी को आवंटित किये गये सभी अंकों का योग 197.2 होगा।

(3) उपरोक्त नियम 8(1) तथा 8(2) के आधार पर प्राप्त अंक समान अधिमान के हैं, तो उन्हें अभ्यर्थी को प्रदान किया जायेगा जिसने उसी विश्वविद्यालय से स्नातक किया जिससे वह महाविद्यालय, जिसमें वह प्रवेश लेने का प्रयास कर रहा है, सम्बद्ध अथवा सहयुक्त है लेकिन इस कारण से उस अभ्यर्थी को कोई अतिरिक्त अंक आवंटित नहीं किया जायेगा।

1. दिनांक 28 नवम्बर, 1984 के उ० प्र० गजट, असाधारण में प्रकाशित 30 मई, 1984 की अधिसूचना-11-3278/XV-84 (II)- 3-(58)-79 द्वारा परिवर्तित।

9. Preparation of list of candidates in order of merit.—(1) On receiving the applications under Rule 6 there shall be prepared in quadruplicate in every college in respect of such applications, two lists namely list 'A' for the reserved seats and the list 'B' for unreserved seats, containing the names in order of merit of qualified candidates together with the particulars mentioned in Rule 8.

(2) The list prepared under this Rule duly signed by the Principal of the college shall be sent to the University within one week from the last date fixed for submission of applications under Rule 6.

10. Selection Committee.—(1) For selection of candidate for admission to the B.Ed. Classes there shall be a selection committee consisting of the following three members for every college, namely :

(i) A nominee of the Vice-Chancellor of the University (who shall also be convener of the committee).

(ii) A nominee of the Director of Education (Higher Education).

(iii) Principal of the college or in his absence the seniormost teacher of the B.Ed. Department of the college.

(2) The selection committee shall hold its sittings at the headquarters of the University or with prior approval of the Vice-Chancellor, in the College.

(3) All the applications for admission received in the college as well as the lists of candidates forwarded to the University under Rule 9 shall after comparison with the application received in such University and due verification be placed before the selection committee.

(4) The selection committee shall on a consideration of the applications and lists referred to in sub-rule (3) prepare in order of merit list of candidates fit for admission.

(5) The list prepared under sub-rule (4) shall contain the names of candidates selected for admission to the reserved and the unresserved seats available in the college as well as the marks allotted to each such candidate under these Rules.

(6) The selection committee shall also prepare a waiting list of such candidates as may be admitted in a college in accordance with these Rules in the event of the failure of a candidate included in the list under sub-rule (5) to join the college.

(7) The selection committee shall prepare the lists under sub-rule (5) or sub-rule (6) ordinarily by the end of June and shall forthwith furnish one copy thereof to the University and another copy thereof to the college.

(8) In the event of any one member of selection committee being absent, the proceedings of selection shall not be rendered illegal.

11. Admission of selected candidates.—(1) The Principal of the college shall send intimation by registered post at the earliest to every candidate whose name is included in the list prepared under sub-rule (5) of Rule 10 and that candidate shall within fifteen days of the date of registration of intimation in the post office, take admission in that college and on his failure to do so he shall forfeit his claim to admission.

9. मेरिट के क्रम में अभ्यर्थियों की सूची को तैयार करना—(1) नियम 6 के अधीन आवेदनों को प्राप्त करने पर, उन आवेदनों के सम्बन्ध में प्रत्येक महाविद्यालय में, दो सूचियाँ अर्थात् आरक्षित सीटों के लिए सूची "ए" तथा अनारक्षित सीटों के लिए सूची "बी" को चार प्रतियों में तैयार किया जायेगा जिसमें नियम 8 में उल्लिखित विशिष्टियों के साथ अर्हित अभ्यर्थियों की मेरिट के क्रम में नाम अन्तर्विष्ट होंगे।

(2) उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित इस नियम के अधीन तैयार की गयी सूची नियम 6 के अधीन आवेदनों के दाखिल किये जाने के लिए नियत अन्तिम तारीख के एक सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय को भेजी जायेगी।

10. चयन समिति—(1) बी० एड० की कक्षाओं के लिए प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के चयन के लिए, प्रत्येक महाविद्यालय के लिए चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य होंगे, अर्थात्

(i) विश्वविद्यालय के उपकुलपति का नाम निर्देशिती (जो समिति का संयोजक भी होगा)।

(ii) शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) का नाम निर्देशिती।

(iii) महाविद्यालय का प्रधानाचार्य अथवा उसकी अनुपस्थिति में महाविद्यालय के बी० एड० विभाग का वरिष्ठतम अध्यापक।

(2) चयन समिति विश्वविद्यालय के मुख्यालय में या उपकुलपति के पूर्वानुमोदन से महाविद्यालय में अपनी बैठकों को आयोजित करेगा।

(3) महाविद्यालय में प्राप्त प्रवेश के सभी आवेदन और साथ ही नियम 9 के अधीन विश्वविद्यालय को अग्रेषित अभ्यर्थियों की सूची को उस विश्वविद्यालय में प्राप्त आवेदन के साथ तुलना करके और उसका सम्यक सत्यापन करने के पश्चात् चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) चयन समिति आवेदनों और उपनियम (3) में निर्दिष्ट सूचियों पर विचार करने पर प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों की मेरिट सूची के क्रम में तैयार करेगी।

(5) उपनियम (4) के अधीन तैयार की गयी सूची महाविद्यालय में उपलब्ध आरक्षित तथा अनारक्षित सीटों में प्रवेश के लिए चयन किये गये अभ्यर्थियों के नामों तथा इस नियमावली के अधीन ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को आवंटित अंक अन्तर्विष्ट होंगे।

(6) चयन समिति ऐसे अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची को भी तैयार करेगी जिन्हें महाविद्यालय में उस महाविद्यालय में सम्मिलित होने के लिए उपनियम (5) के अधीन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की असफलता की दशा में इन नियमों के अनुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।

(7) चयन समिति साधारणतया जून के अन्त तक उपनियम (5) या उपनियम (6) के अधीन सूची तैयार करेगी और वह विश्वविद्यालय को उसकी एक प्रति तथा महाविद्यालय को उसकी एक प्रति अविलम्ब प्रदान करेगी।

(8) चयन समिति के किसी एक सदस्य के अनुपस्थित होने की दशा में, चयन की कार्यवाही को अविधिक नहीं किया जायेगा।

11. चयन किये गये अभ्यर्थियों का प्रवेश—(1) महाविद्यालय का प्रधानाचार्य ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को, जिसका नाम नियम 10 के उपनियम (5) के अधीन तैयार की गयी सूची में सम्मिलित किया गया है, को यथा शीघ्र पंजीकृत डाक द्वारा सूचना प्रेषित करेगा और वह अभ्यर्थी डाक घर में सूचना के पंजीयन की तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर उस महाविद्यालय में प्रवेशले लेगा तथा उसके ऐसा करने में असफल होने पर वह प्रवेश पाने का दावे का समपहरण कर लेगा।

(2) Where any seat falls vacant under sub-rule (1) it may be filled by the admission of a candidate out of the candidates in serial order included in the list prepared under sub-rule (6) of Rule 10.

12. Medical Certificate.—Every candidate selected under Rule 10 shall have to furnish, before admission, a certificate given or countersigned by the Chief Medical Officer in which it should be clearly mentioned that the candidate does not stammer and on account of any disease of the ear, the eye or any other limb, is not unfit to be a teacher.

13. Disqualification for admission in certain cases.—Notwithstanding anything in these Rules where it is discovered that a candidate has been punished on account of using unfair means in any examination or has been expelled from any educational institution the Principal of the college may, subject to the approval of the Vice-Chancellor of the University, refuse to admit such candidate.

CHAPTER III

ADMISSION TO M.Ed. CLASSES

14. Introductory.—The provisions of this Chapter shall apply for admission to a course of instruction in M.Ed. classes only in any college.

15. Academic qualifications for admission.—(1) No person shall be admitted in any college unless he has passed an examination for the degree of B.Ed. conducted by a University established by law or an examination for the diploma of recognised B.T. or L.T.

(2) Only those applications for admission to M.Ed. will be considered where the candidates, according to the statutes of the concerned University, fulfil all other qualifications except M.Ed., for appointment as a lecturer in B.A. (Education) or in the B.Ed. department in the degree colleges of the State.

16. Admission according to merit.—Candidates shall be admitted strictly in order of merit on the basis of percentage of marks obtained in the B.Ed. or its equivalent other recognised examinations, full marks obtained in the theory and fifty per cent marks obtained in the practical examination shall be considered in calculating the percentage.

Illustration.—If a candidates has secured 240 marks out of 500 in the Theory and 140 marks out of 200 in the Practical Examination, there for the sake of calculation, the full marks obtained by him will be 240 + (140/2 or 70) = 310 and his percentage will be 44.28 (310 + 100)/700.

17. Application of Rules of Chapter II.—The provisions of Rules 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 shall *mutatis mutandis* apply to admission under this Chapter also.

(2) जहाँ उपनियम (1) के अधीन कोई पद रिक्त होता है तो उसे नियम 10 के उपनियम (6) के अधीन तैयार की गयी सूची में सम्मिलित क्रम संख्या में अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी के प्रवेश द्वारा भरा जा सकेगा।

12. चिकित्सीय प्रमाण-पत्र—नियम 10 के अधीन चयन किये गये प्रत्येक अभ्यर्थी को, प्रवेश के पूर्व, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त अथवा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रदान करना होगा जिसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि अभ्यर्थी नहीं हकलाता है और वह कान, आँख अथवा अन्य किसी अंग के रोग के कारण अध्यापक बनने के लिए अनुपयुक्त नहीं है।

13. कतिपय वादों में प्रवेश के लिए अनर्हता—इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए, जहाँ इस बात का पता चलता है कि अभ्यर्थी को किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने के कारण दण्डित किया गया है अथवा उसे किसी शैक्षिक संस्था से निकाल दिया गया है तो उस महाविद्यालय का प्रधानाचार्य, विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पूर्वानुमोदन से ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश देने से इन्कार कर सकेगा।

अध्याय 3

एम० एड० की कक्षाओं में प्रवेश

14. प्रारंभिक—इस अध्याय के प्रावधान किसी महाविद्यालय में केवल एम० एड० की कक्षाओं में शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए लागू होंगे।

15. प्रवेश के लिए शैक्षिक अर्हताएँ—(1) किसी भी व्यक्ति को किसी भी महाविद्यालय में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब कि उसने विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी० एड० की उपाधि के लिए परीक्षा अथवा मान्यता प्राप्त बी० टी० अथवा एल० टी० के डिप्लोमा की परीक्षा को उत्तीर्ण न कर लिया हो।

(2) एम० एड० में प्रवेश के लिए केवल उन आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा जहाँ अभ्यर्थीगण, सम्बन्धित विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार, एम० एड० को छोड़कर राज्य के डिग्री कालेजों में बी० ए० (शिक्षा) अथवा बी० एड० विभाग में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु अन्य सभी अर्हताओं को पूरा करते हों।

16. मेरिट के अनुसार प्रवेश—अभ्यर्थियों को बी० एड० में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर अथवा उसके समकक्ष अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षाओं के आधार पर ही नियमत: मेरिट के क्रम में ही प्रवेश दिया जायेगा, सैद्धान्तिक प्रश्न में प्राप्त पूर्ण अंक और व्यावहारिक परीक्षा में प्राप्त 50% अंकों पर प्रतिशत की संगणना करने में विचार किया जायेगा।

दृष्टान्त—यदि अभ्यर्थी ने सैद्धान्तिक प्रश्न में 500 में से 240 अंक और व्यावहारिक परीक्षा में 200 में से 140 अंक प्राप्त किये हैं तो संगणना के लिए उसके द्वारा प्राप्त पूर्ण अंक 240 (140/2 अथवा 70) = 310 होंगे और उसका प्रतिशत 44.28 (310 + 100)/700 होगा।

17. अध्याय 2 के नियमों का उपयोजन—नियम 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 के प्रावधान यथा आवश्यक परिवर्तन के साथ इस अध्याय के अधीन भी प्रवेश के लिए लागू होंगे।

UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (RESERVATION IN ADMISSION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) ORDER, 1994[1]

In exercise of the powers under Clause (a) of sub-section (5) of Section 28 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act No. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act No. 29 of 1974), the Governor is pleased to make the following order :

1. (1) This order may be called the Uttar Pradesh State Universities (Reservation in Admission for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Order, 1994.

(2) It shall come into force at once.

2. [2] [(1)] Subject to the provisions of sub-section (5) of Section 28 of the Uttar Pradesh States Universities Act, 1973, with effect from the academic Session of 1994-95, following percentages of seats in any course of study in a University, Institute, Constituent College, Affiliated College or Associated College shall be reserved for admission for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens, namely :

Scheduled Castes	Twenty-one per cent
Scheduled Tribes	Two per cent
Other Backward Classes of citizens	Twenty-seven per cent

Provided that where any University has provided for Reservation in admissions in favour of any other category of candidates than those referred to above, the candidate selected for admission on the basis of such reservation shall be placed in the appropriate category to which he belongs. For example, if a candidate, selected for admission to any course of study on the basis of reservation in favour of sports person, belongs to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes, he will be placed in the respective category to which he belongs by making necessary adjustments and similarly, if he belongs to general category, he will be placed in that category after making necessary adjustment :

Provided further that the seats, if any, reserved under any other law for the time being in force, or under any order of the Government of India, for the students belonging to any other State, shall not be included in the total number of seats for the purpose of computing the percentages under this paragraph.

Explanation.—For the purposes of this order the term general category, means the category other than those referred to in paragraph 2.

---

1. *Vide* Noti No. 2638/XV-X-94-15 (66)-89, dated July 20, 1994. Published in the U.P. Gazette, Extra., Part 4, Section (Kha), dated 20th July, 1994.
2. Renumbered by Noti No. 3509/XV-10-94-15 (66)-89, dated 30-8-1994 (w.e.f. 30-8-1994).

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश में आरक्षण) आदेश, 1994[1]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (1974 के उ० प्र० अधिनियम संख्यांक 29 द्वारा यथा संशोधित और पुन: अधिनियमित वर्ष 1973 के राष्ट्रपति का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 28 की उक्त धारा 5 के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित आदेश को करने में संतोष का अनुभव किया है—

1. (1) इस आदेश को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछले वर्गों के लिए प्रवेश में आरक्षण) आदेश, 1994 के नाम से जाना जा सकेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव में आ जायेगा।

2. [2][(1)] उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उक्त धारा 5 के प्रावधानों के अध्यधीन, वर्ष 1994-95 के शैक्षिक सत्र से, किसी विश्वविद्यालय संस्था, संघटक महाविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय अथवा सहयुक्त महाविद्यालय में अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम में सीटों में निम्नलिखित प्रतिशत को नागरिकों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए आरक्षित किया जायेगा, अर्थात्—

अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजातियों	02 प्रतिशत
नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग	27 प्रतिशत

परन्तु यह कि जहाँ किसी भी विश्वविद्यालय ने उपरोक्त निर्दिष्ट कोटियों को छोड़कर अभ्यर्थियों को अन्य किसी कोटि के पक्ष में प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है, तो वहाँ उस आरक्षण के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थी को ऐसी कोटि में रखा जायेगा जिससे उसका सम्बन्ध है। उदाहरण के लिए, यदि किसी खिलाड़ी व्यक्ति के पक्ष में आरक्षण के आधार पर अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चयन किया गया अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों का है तो उसे क्रमश: उस कोटि में आवश्यक समायोजनों को करके रखा जायेगा जिसका वह है और यदि वह सामान्य कोटि का है तो उसे आवश्यक समायोजन करने के पश्चात् उस कोटि में रखा जायेगा :

परन्तु अग्रेतर यह कि तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन अथवा भारत सरकार के किसी भी आदेश के अधीन अन्य किसी राज्य के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित पदों को, यदि कोई हो, इस पैराग्राफ के अधीन प्रतिशत की संगणना करने के प्रयोजनार्थ सीटों की कुल संख्या में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण—इस आदेश के प्रयोजनों के लिए, पद सामान्य कोटि का अभिप्राय पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट कोटियों को छोड़कर अन्य कोटि से है।

---

1. देखें, दिनांक 20 जुलाई, 1994 के उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण, भाग 4 अनुभाग (ख) में प्रकाशित दिनांक 20 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 2638/XV-X-94-15(66)-89।
2. दिनांक 30-8-1994 की अधिसूचना संख्या 3509/XV-10-94-15(66)-89 द्वारा पुनर्संख्यांकित 30-8-1994 से प्रभावी।

[1][(2) The reservation in admission as provided in sub-paragraph (1) shall also apply in any course of study in an University, Institute or such College in respect of any academic session, prior to academic session 1994-95, for which admissions are to be made.]

3. If eligible candidates belonging to the Scheduled Tribes are not available to fill in the seat reserved for them under paragraph 2, such seat shall in be filled by candidates belonging to the Scheduled Castes.

4. Subject to paragraph 3, where due to non-availability of eligible candidates any of the seats reserved under paragraph 2, remains unfilled, it shall be filled in by candidate of general category.

Explanation.—For the purposes of paragraphs 3 and 4 it is clarified that a candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes of citizens shall not be ineligible if he fails to secure the minimum qualifying marks, if any, at any admission test or under any norm relating to admissions.

5. If a candidate belonging to any of the categories mentioned in paragraph 2 gets selected for admission on the basis of merit with general category candidates, he shall not be adjusted against the seats reserved for such category under paragraph 2.

6. The teachers, belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes of citizens shall, so far as possible, be given representation in the admission committees to ensure fair admissions.

7. The Chairperson of the Admission Committee and the Vice-Chancellor in the case of University and such Chairperson and the Head of Institution in any other case, shall be responsible for due observance of this order.

8. Whoever wilfully acts in a manner intended to contravene or defeat the purposes of this order shall, on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

---

1. Ins. by Noti. No. 3509/XV-10-94-15 (66)-89, dated 30-8-1994 (w.e.f. 30-8-1994).

[1][(2) उक्त पैराग्राफ (1) ने यथा उपबन्धित प्रवेश में आरक्षण उस शैक्षिक सत्र 1994-95 के पूर्व, किसी शैक्षिक सत्र के सम्बन्ध में, जिसके लिए प्रवेश किया जाना है, विश्वविद्यालय संस्था या उस महाविद्यालय, जिसके लिए प्रवेश किया जाना है, में अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम के लिए लागू होगा]।

3. यदि अनुसूचित जनजातियों के पात्र अभ्यर्थी पैराग्राफ 2 के अधीन उनके लिए आरक्षित पद को भरने हेतु उपलब्ध नहीं है तो वह पद अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।

4. पैराग्राफ 3 के अध्यधीन, जहाँ पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण, पैराग्राफ 2 के अधीन आरक्षित पदों में से कोई बिना भरा ही रह जाता है तो सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।

स्पष्टीकरण—पैरा 3 तथा 4 के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का अभ्यर्थी उस दशा में अपात्र नहीं है जब वह न्यूनतम अर्हकारी अंकों, यदि कोई हो, को किसी प्रवेश परीक्षा के समय या प्रवेशों के सम्बन्ध में किसी मानक के अधीन प्राप्त करने में विफल हो गया हो।

5. यदि पैराग्राफ 2 में उल्लिखित कोटियों में से किसी का कोई अभ्यर्थी सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के साथ मैरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित होता है तो उसे पैराग्राफ 2 के अधीन उस कोटि के लिए आरक्षित पदों से समायोजित नहीं किया जायेगा।

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अध्यापकों, जहाँ तक सम्भव हो, को निष्पक्ष प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश समितियों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायेगा।

7. प्रवेश समिति का अध्यक्ष और किसी विश्वविद्यालय की दशा में उपकुलपति तथा वह अध्यक्ष एवं अन्य किसी भी दशा में संस्था का प्रधान इस आदेश के सम्यक पालन के लिए उत्तरदायी होगा।

8. जो कोई इच्छापूर्ण ढंग से ऐसी किसी रीति से कार्य करता है जो इस आदेश के प्रयोजनों का उल्लंघन कारित करने या उसे विफल बनाने के लिए आशयित है, दोषसिद्धि होने पर कारावास, जो 3 माह तक हो सकेगा या अर्थदण्ड से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

------

1. दिनांक 30-8-1994 की अधिसूचना संख्या 3509/XV-10-94-15(66)-89 द्वारा अन्तःस्थापित 30-8-1994 से प्रभावी।

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (VALIDATION OF APPOINTMENTS) ACT, 1984[1]

[U. P. Act No. 18 of 1984]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An Act to validate certain appointments, made in the State Universities

It is hereby enacted in the Thirty-fifth year of the Republic of India as follows :

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Validation of Appointments) Act, 1984.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 16, 1984.

2. Validation of appointments.—Notwithstanding any judgment, decree or order of any Court or order of any officer or authority or anything contained in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 or Statutes framed thereunder, the appointment of every teacher made in any University governed by the said Act or in any affiliated or associated college thereof during the period July 1, 1978 and the date of commencement of this act, in excess of the number of posts advertised, shall be and be deemed always to have been valid and validity of such appointments shall not be called in question before any Court, tribunal, officer or authority merely on the ground that the post was not separately advertised or that the prescribed procedure was not followed.

3. Repeal and savings.—(1) The Uttar Pradesh State Universities (Validation of Appointment) Ordinance, 1984 (U.P. Ordinance No. 16 of 1984) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times.

---

1. Received the assent of the Governor on September 29, 1984 and published in U.P. Gazette, Extra., dated 1st October, 1984.

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों का वैधकरण) अधिनियम, 1984[1]

(1984 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 18)

(उत्तर प्रदेश विधानमण्डल द्वारा यथा पारित)

राज्य विश्वविद्यालयों में की गयी कतिपय नियुक्तियों को वैधकृत करने का अधिनियम

भारतगण राज्य के पैंतीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों का वैधकरण) अधिनियम, 1984 के रूप में जाना जा सकेगा।

(2) इसका 16 अगस्त, 1984 को प्रभावी होना समझा जायेगा।

2. नियुक्तियों का वैधकरण—किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के अथवा किसी अधिकारी या प्राधिकारी के आदेश अथवा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 अथवा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, उक्त अधिनियम द्वारा शासित किसी भी विश्वविद्यालय में अथवा 1 जुलाई, 1978 की अवधि के दौरान उसके किसी भी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय में विज्ञापित पदों की संख्या के अतिरिक्त की गयी प्रत्येक अध्यापक की नियुक्ति इस कृत्य के प्रारंभ होने की तारीख से वैध होगी और उसका सदैव वैध होना समझा जायेगा और ऐसी नियुक्तियों की वैधता को मात्र इस आधार पर किसी भी न्यायालय, अधिकरण, अधिकारी अथवा प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जायेगा कि वह पद पृथक रूप से विज्ञापित नहीं किया गया था अथवा यह कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

3. निरसन और व्यावृत्तियाँ—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों का वैधकरण) अध्यादेश, 1984 (1984 का उ० प्र० अध्यादेश संख्या 16) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) इस निरसन के होते हुए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन किया गया कोई भी कार्य अथवा की गयी किसी भी कार्रवाई का इस अधिनियम के अधीन उसी प्रकार से किया जाना समझा जायेगा मानों यह अधिनियम सभी सुसंगत समयों पर प्रवृत्त था।

---

1. 29 सितम्बर, 1984 को राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हुई और दिनांक 1 अक्टूबर, 1984 के उ० प्र० गजट, असाधारण में प्रकाशित किया गया।

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (REGULATION OF ADMISSION TO COURSES OF INSTRUCTION FOR DEGREE IN EDUCATION IN AFFILIATED ASSOCIATED AND CONSTITUENT COLLEGES) ORDER, 1987[1]

In exercise of the powers under sub-section (5) of Section 28 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 as amended and re-enacted by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974 (U.P. Act No. 29 of 1974) and in supersession of all previous Rules and Orders issued in this behalf, the Governor is pleased to make the following order—

CHAPTER I

GENERAL

1. Short title and commencement.—(i) These orders may be called the Uttar Pradesh State Universities (Regulation of Admission to Courses of Instruction for Degree in Education in Affiliated, Associated and Constituent Colleges) Order, 1987.

(ii) They shall come into force with effect from the academic session 1987-88.

2. Definitions.—In these orders unless the context otherwise requires—

(a) *"Act"* means the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 as amended and re-enacted by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment and Amendment) Act, 1974;

(b) *"College"* means such college as is duly affiliated to or associated with or constitutent of a University established under the Act;

(c) *"Course of Instruction"* means such course of instruction as is imparted in a college for preparing students for admission to examination for B.Ed. or as the case may be, M.Ed. degree conducted by the University to which such college is affiliated or associated constituent;

(d) *"University"* means the University to or with which the college where admissions to a course of instruction is sought or made is affiliated or associated or constituent.

CHPATER II

ADMISSION TO B.Ed. CLASSES

3. Qualifications for admission and the responsibility of preparing the merit list.—[2][“(1) The minimum educational qualification requisite for the admission in B.Ed. Classes shall be—

---

1. *Vide* Noti. No. 451/XV-11-87-3 (58)-79, dated 5 May, 1987. Published in U.P. Gazette, Extra., Part-4, Section (ka), dated 5 May, 1987.
2. Para 3 sub-para (1) subs. by Noti. No. 416/LX-2-2007-3 (58)-79, dated 1 February, 2007. Published in U.P. Gazette, Extra., Part-4, Section (ka), dated 1, February, 2007.

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (सम्बद्ध, सहयुक्त और संघटक महाविद्यालयों में शिक्षा में उपाधि के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश का विनियमन) आदेश, 1987[1]

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का उ० प्र० "अधिनियम" संख्या 29) द्वारा यथा संशोधित और पुन: अधिनियमित उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उपधारा (5) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त जारी सभी पूर्व नियमों तथा आदेशों के अधिक्रमण में, माननीय राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित आदेश को करने में संतोष का अनुभव किया है।

अध्याय 1
सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन आदेशों को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (सम्बद्ध, सहयुक्त और संघटक महाविद्यालयों में शिक्षा में उपाधि के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश का विनियमन) आदेश, 1987 के नाम से जाना जा सकेगा।

(2) ये शैक्षिक सत्र 1987-88 से प्रभाव में आयेंगे।

2. परिभाषाएँ—इन आदेशों में जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) *"अधिनियम"* उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुन: अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 से अभिप्रेत है;

(ख) *"महाविद्यालय"* ऐसे महाविद्यालय से अभिप्रेत है जो अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से सम्यक रूप से, अथवा सहयुक्त है अथवा उसका संघटक है;

(ग) *"शिक्षा का पाठ्यक्रम"* ऐसे शिक्षा के पाठ्यक्रम से अभिप्रेत है जिसे महाविद्यालय में उस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित, जिससे वह महाविद्यालय समबद्ध या सहयुक्त या उसका संघटक है, बी० एड०, अथवा जैसा विषय हो, एम० एड० की परीक्षा में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए महाविद्यालय में प्रदान किया जाता है;

(घ) *"विश्वविद्यालय"* ऐसे विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है जिससे वह महाविद्यालय जहाँ शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश की मांग की जाती है या प्रवेश किया जाता है, सम्बद्ध या सहयुक्त या संघटक है।

अध्याय 2
बी० एड० की कक्षाओं में प्रवेश

3. प्रवेश की अर्हताएँ और मेरिट सूची तैयार करने का उत्तरदायित्व—[2][(1) बी० एड० की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्न होगी—

---

1. देखें : दिनांक 5 मई, 1987 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग-4, अनुभाग (क) में प्रकाशित दिनांक 5 मई, 1987 की अधिसूचना संख्या 451/XV-11-87-3(58)-79।
2. दिनांक 1 फरवरी, 2007 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग 4, अनुभाग(क) में प्रकाशित दिनांक 1 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 416/LX-2-2007-3 (58)-79 द्वारा पैरा 3 के उप-पैरा (1) को प्रतिस्थापित किया गया।

(a) a graduate or post graduate degree of University established by law in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and

(b) a graduate or post graduate degree of University established by law with a minimum of 50% marks in case of other candidates.

(2) It will be the responsibility of the State University conducting entrance test to prepare the merit list for admission to B.Ed. Courses in an affiliated, associated or a constitutent college. Admissions shall be made according to the merit list so prepared, unless a candidate is found in eligible for admission under sub-para (3) of Para 12."

4. Maximum number approved for admission to B.Ed. Classes.—(1) The maximum number of students to be admitted in every college shall be such, as may be, prescribed by the Vice-Chancellor of the University and no person shall be admitted in excess of such number in any case. In prescribing the maximum number of students to be admitted the Vice-Chancellor shall take into account the teachers available in the college concerned for B.Ed. instructions so as to maintain the teacher-pupil ratio at 1 : 15.

(2) (a) Number of seats for admission to Science graduates for B.Ed. training will be allotted by the Vice-Chancellor on the basis of availability of Science teachers in the B.Ed. Department so that teacher-pupil ratio is maintained at 1 : 15 provided such college fulfills the following conditions :

It has Science classes up to B.Sc. Standard.

or

It has high school standard science laboratory in the B.Ed. department itself.

or

The school in which actual teaching training is given has science recognition of high school standard.

(b) The colleges, other than the colleges mentioned in clause (a) recognised for B.Ed. training shall not admit Science graduates even if it has science teachers on its B.Ed. staff.

(3) The admissions in the candidates of outside states shall be given up to 5 per cent if such candidates are eligible for admission on the basis of merit list prepared under para 3. If the eligible candidates of other states on the basis of merit list are not available for admission the seats so reserved for them shall be filled by general candidates.

5. Reservation of Seats.—In every college, researvation of seats for admission to B.Ed. classes shall in relation to the total number of seats in such college be made in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Backward Castes and Handicapped candidates to the extent of 18 per cent, 2 per cent, 10 per cent and 2 per cent respectively :

Provided that where sufficient number of eligible candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Castes and handicapped candidates is not available for admission such seats as are preserved for them and remain unfilled shall be filled by the general candidates.

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि, और

(ख) अन्य अभ्यर्थियों की दशा में 50 प्रतिशत के न्यूनतम अंक के साथ विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।

(2) किसी सम्बद्ध, सहयुक्त या संघटक महाविद्यालय में बी० एड० के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मेरिट सूची तैयार करने हेतु प्रवेश परीक्षा को संचालित करना राज्य विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व होगा। प्रवेश को इस प्रकार तैयार की गयी मेरिट सूची के अनुसार तैयार किया जायेगा जब तक कि पैरा 12 के उप-पैरा (3) के अधीन प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को अपात्र न पाया जाये।]

4. बी० एड० की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अनुमोदित अधिकतम संख्या—(1) प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश कराये जाने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या उतनी होगी जितनी उस विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा निर्धारित की जाये और किसी भी व्यक्ति को किसी भी दशा में उस संख्या से अधिक भर्ती नहीं किया जायेगा। प्रवेश दिलाये जाने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या को निर्धारित करने में उपकुलपति बी० एड० के शिक्षा निर्देशों के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय में उपलब्ध अध्यापकों पर विचार करेगा जिससे कि अध्यापक- शिष्य का अनुपात 1:15 पर बरकरार रखा जा सके।

(2) (क) बी० एड० के प्रशिक्षण के लिए विज्ञान स्नातकों के प्रवेश हेतु सीटों की संख्या उपकुलपति द्वारा बी० एड० विभाग में विज्ञान अध्यापकों की उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जायेगी ताकि अध्यापक-शिष्य अनुपात को 1:15 पर बनाये रखा जाये बशर्ते वह महाविद्यालय निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर दे :

उसमें बी० एस० सी० स्तर तक विज्ञान की कक्षाएं हैं।

अथवा

उसमें स्वयं बी० एड० विभाग में ही हाईस्कूल स्तर तक की विज्ञान प्रयोगशाला है।

अथवा

यह विद्यालय, जिसमें वास्तविक अध्यापन दिया जाता है, में हाईस्कूल स्तर की विज्ञान की मान्यता प्राप्त है।

(ख) बी० एड० के प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त, खण्ड (क) में उल्लिखित महाविद्यालयों को छोड़कर अन्य महाविद्यालय विज्ञान स्नातकों को प्रवेश नहीं देंगे भले ही उसके पास अपने बी० एड० स्टाफ में विज्ञान अध्यापक क्यों न हो।

(3) बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को प्रवेश उस समय 5 प्रतिशत तक प्रदान किया जायेगा जब वह अभ्यर्थी पैरा 3 के अधीन तैयार की गयी मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश के पात्र हो। यदि मेरिट सूची के आधार पर अन्य राज्यों के पात्र अभ्यर्थी प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं हैं तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित सीटों को सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।

5. सीटों का आरक्षण—प्रत्येक महाविद्यालय में बी० एड० की कक्षाओं में प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और विकलांग अभ्यर्थियों के पक्ष में क्रमशः 18 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 2 प्रतिशत की सीमा तक, उस महाविद्यालय में सीटों की कुल संख्या के सम्बन्ध में किया जायेगा :

परंतु यह कि जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और विकलांग अभ्यर्थियों में से पात्र अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं है तो ऐसी सीटें जिन्हें उनके लिए परिरक्षित किया गया है और जो अभी भरी जानी शेष है, सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी।

Note.—A handicapped candidate shall have to submit along with his application a certificate from the Chief Medical Officer of the district to the effect that though he is handicapped he is not dumb, deaf, does not stammer, or does not suffer from skin disease or any other disease which is likely to spread among children or cause hindrance in class teaching.

6. Application for admission.—[1]["(1) Every candidate for admission of B.Ed. classes shall apply in the manner hereinafter provided in the prescribed form to be obtained from the office of the Registrar of the State University conducting entrance test or other prescribed places on prescribed fee. The last date for applying for admission shall ordinarily be the 31st day of May or such date in the month of June as the State University conducting entrance test may prescribe."

(2) The candidate shall send the application form by Registered post to the Registrar of the State University conducting entrance test.

(3) No application received in the office of the Registrar after such date as may be prescribed by the State University conducting entrance test in this behalf shall be entertained."

7. Examination for Admission.—[2]["Joint Entrance Examination will be conducted by a State University authorised by the State Government for admission to B.Ed. courses in each academic session. The date of examination will be determined by the State Government.

(a) in case the entrance examination for admission to B.Ed. Course is conducted by the State Level Association of self-financing institution, the date of this examination shall be other than the date of examination conducted by the State University."]

8. Examination Fee.—[3]["The examination fee for B.Ed. admission will be fixed with previous sanction of State Government, which shall be charged by the State University conducting entrance test."]

9. Courses for Examination and qualifying marks.—(1) 'There shall be following two papers in the admission examination.

Subject	*Marks*	*Time*
(a) Language and General Knowledge.	200	3 hours
(b) Aptitude test in which there shall be separate questions for Arts, Science and Commerce students.	200	3 hours

(2) Candidate securing at least 40 per cent marks in each paper shall be eligible for admission in B.Ed. Courses.

---

1. Para 6 subs. by Noti. No. 416/LXX-2-2007-3 (58)-79, dated 1 February, 2007. Published in U.P. Gazette, Extra., Part-4, Section (ka),dated 1 February, 2007.
2. Paras 7 and 8 subs. by Notification No. 416/LXX-2-2007-3 (58)-79, dated 1 February, 2007. Published in U.P. Gazette, Extra., Para-4, Section (ka), dated 1 February, 2007.
3. Paras 7 and 8 subs. by Noti. No. 416/LXX-2-2007-3 (58)-79, dated 1 February, 2007. Published in U.P. Gazette, Extra., Part-4, Section (ka), dated 1 February, 2007.

टिप्पण—विकलांग अभ्यर्थी को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी से इस विषयक प्रमाण-पत्र को अपने आवेदन के साथ दाखिल करना पड़ेगा कि यद्यपि वह विकलांग है, लेकिन फिर भी वह मूक, बधिर नहीं है, हकलाता नहीं है अथवा त्वचा रोग से या ऐसे किसी अन्य रोग से पीड़ित नहीं है जिसका बच्चों के मध्य फैलना अथवा कक्षा अध्यापन में अवरोध कारित करना संभाव्य हो।

6. प्रवेश के लिए आवेदन—[1][(1) बी० एड० की कक्षाओं के प्रवेश के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा को आयोजित कर रहे राज्य विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के कार्यालय से या निर्धारित शुल्क पर अन्य निर्धारित स्थान से प्राप्त किये जाने वाले निर्धारित प्ररूप में एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से आवेदन करना होगा। प्रवेश के लिए आवेदन करने की तारीख साधारणतया मई का 31वां दिवस अथवा जून के माह में ऐसी तारीख होगी जिसे प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाला राज्य विश्वविद्यालय निर्धारित कर सकेगा।

(2) अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा को आयोजित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन प्ररूप को प्रेषित करेगा।

(3) उस तारीख के पश्चात् जिसे प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाला राज्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा, के पश्चात् रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्राप्त किसी भी आवेदन को ग्रहण नहीं किया जा सकेगा।]

7. प्रवेश की परीक्षा—[2][प्रत्येक शैक्षिक सत्र के लिए बी० एड० के पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत राज्य विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा संचालित की जायेगी। परीक्षा की तारीख को राज्य सरकार द्वारा नियत किया जायेगा।

(क) यदि बी० एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा को स्वपोषित संस्था के राज्य स्तर के एसोसिएशन द्वारा संचालित किया जाता है तो इस परीक्षा की तारीख राज्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा की तारीख के पश्चात् होगी।]

8. परीक्षा शुल्क—[3][बी० एड० के प्रवेश के लिए परीक्षा शुल्क राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से नियत किया जायेगा जिसे प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय द्वारा लिया जायेगा।]

9. परीक्षा के पाठ्यक्रम और अर्हकारी अंक—(1) प्रवेश परीक्षा में निम्नलिखित दो प्रश्नपत्र होंगे—

	विषय	अंक	समय
(क)	भाषा एवं सामान्य ज्ञान	200	3 घण्टे
(ख)	अभिरुचि की जाँच जिसमें कला, विज्ञान और वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए पृथक प्रश्न होंगे।	200	3 घण्टे

(2) प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंकों को प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी बी० एड० के पाठ्यक्रमों में प्रवेश का पात्र होगा।

---

1. दिनांक 1 फरवरी, 2007 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग 4, अनुभाग (क) में प्रकाशित दिनांक 1 फरवरी, 2007 को अधिसूचना संख्या 416/LXX-2-2007-3 (58)-79 द्वारा पैरा 6 को प्रतिस्थापित किया गया।
2. दिनांक 1 फरवरी, 2007 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग 4, अनुभाग (क) में प्रकाशित दिनांक 1 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 416/LXX-2-2007-3 (पैरा 58)-79 द्वारा पैरा 7 तथा 8 को प्रतिस्थापित किया गया।
3. दिनांक 1 फरवरी, 2007 के उ० प्र० गजट, असाधारण भाग 4, अनुभाग (क) में प्रकाशित दिनांक 1 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 416/LXX-2-2007-3 (58)-79 द्वारा पैरा 7 तथा 8 को प्रतिस्थापित किया गया।

[1][**10. Examination Centre.**—The centres of the admission examination shall be decided by the State University conducting entrance test but efforts shall be made for minimum number of Examination centres. The institutions which have reputation for conducting fair examinations shall only be selected as examination centres.

11. Allotment of extra marks.—A candidate falling under any of the categories specified below shall on furnishing such certificates as may be specified by the University in that behalf be allotted extra marks indicated against each, but the total of extra marks thus obtained shall not exceed twenty-five.

(a) Candidates taking part in National or State level or Inter University games and sports competition,—

(i) In individual items candidate obtaining—

First position	—	15 marks
Second position	—	10 marks
Third position	—	5 marks

(ii) In the team items the candidates being member of—

Champion team	—	15 marks
Runners-up team	—	10 marks
Participating team	—	5 marks

(iii) In Inter-Collegiate tournament or games or athletic meet organised by the University candidate being—

Member or Champion team	—	10 marks
First position in individual item	—	10 marks

Notes.—(1) The candidates shall be given benefit of only one item under the item Nos. (i) to (iii) mentioned above.

(2) Certificates of participation in the National or State level games or sprts competitions issued by the Government Sports Department only shall be accepted.

(b) Male candidates obtaining 'C' Certificates and female candidates obtaining G-2 Certificates in the National Cadets Corps;	—	15 Marks
Or		
Male candidates obtaining (B) Certificates and female candidates obtaining 'G-1' Certificates;	—	10 Marks
Or		
Candidates serving for 240 hours and participating in two or more special camps in National Service Scheme;	—	15 Marks
Or		

1. Para 10 subs. by Noti. No. 416/LXX-2-2007-3 (58)-79, dated 1 February, 2007.

[1][**10. परीक्षा केन्द्र**—प्रवेश परीक्षा के केन्द्रों को प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जायेगा, लेकिन प्रयास यही होगा कि परीक्षा केन्द्रों की संख्या न्यूनतम हो संस्थाएं, जिनकी प्रतिष्ठा निष्पक्ष परीक्षाओं को कराने की है, को ही परीक्षा केन्द्रों के रूप में चुना जायेगा।

11. अतिरिक्त अंकों का आबंटन—निम्न विनिर्दिष्ट कोटियों में से किसी के भी अधीन आने वाला अभ्यर्थी, ऐसे प्रमाण-पत्रों के प्रदान करने पर, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, को प्रत्येक के सामने बताये गये अतिरिक्त अंकों को आबंटित किया जायेगा, लेकिन इस प्रकार प्राप्त अतिरिक्त अंकों का कुल योग पच्चीस से अधिक नहीं होगा।

(क) राष्ट्रीय या राज्य स्तर के अथवा अन्तर्विश्वविद्यालयीय खेलकूदों और क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी—

(i) व्यक्तिक मदों में निम्न को प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी—

प्रथम पोजीशन ... ... 15 अंक

द्वितीय पोजीशन ... ... 10 अंक

तृतीय पोजीशन ... ... 5 अंक

(ii) टीम मदों में निम्न के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी—

चैम्पियन टीम ... ... 15 अंक

रनरअप टीम ... ... 10 अंक

प्रतिभागी टीम ... ... 5 अंक

(iii) अन्तर महाविद्यालयीय टुर्नामेण्ट या खेलकूदों या एथलेटिक्स खेलकूद में जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है, अभ्यर्थी निम्न होने पर—

टीम सदस्य या चैम्पियन ... ... 10 अंक

व्यक्तिक टीम में प्रथम पोजीशन ... ... 10 अंक

टिप्पण—(1) अभ्यर्थीगण को उपरोक्त उल्लिखित मद संख्या (i) से (iii) के अधीन केवल एक मद के लाभ को ही प्रदान किया जायेगा।

(2) केवल सरकारी खेलकूद विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के खेलकूदों या क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेने के प्रमाण-पत्रों को स्वीकार किया जायेगा।

(ख) नेशनल कैडेट कोर में ''सी'' प्रमाण पत्र को प्राप्त करने वाले पुरुष अभ्यर्थी और जी-2 प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने वाली महिला अभ्यर्थी ... 15 अंक

अथवा

''बी'' प्रमाण-पत्र को प्राप्त करते हुए पुरुष अभ्यर्थी और जी-1 प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करते हुए महिला अभ्यर्थी ... 10 अंक

अथवा

राष्ट्रीय सेवा योजना में 240 घण्टे के लिए सेवारत तक अथवा दो या अधिक विशेष कैम्पों में भाग लेने वाले अभ्यर्थी ... 15 अंक

अथवा

---

1. दिनांक 1 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 416/LXX-2-2007-3 (58)-79 द्वारा पैरा 10 को प्रतिस्थापित किया गया।

Candidates serving for 240 hours and participating in one special camp in National Service Scheme;	—	10 Marks
Or		
Candidates serving for 240 hours in National Scheme;	—	5 Marks
Or		
The candidates getting National Prize in Scouts & Guides;	—	15 Marks
Or		
The candidates getting Governors prize in Scouts and Guides;	—	10 Marks
Or		
The candidate trained as 'DHRUVA PAD' or 'GURU PAD' in Scouts and Guides.	—	5 Marks

Notes.—The candidates shall be given benefit of only one item under the item mentioned above.

(c)	Candidates related to a freedom fighter as his son or daughter or his son's son or the unmarried daughter of son.	—	15 Marks
(d)	Candidates being defence employee in active service or demobilised or related to such an employee or to a disabled, deceased or traceless defence employee as his son, daughter or wife.	—	15 Marks
(e)	Candidates employed in Police or B.S.F. or P.A.C. or S.S.B. or L.T.B. or C.R.P. or Home Guard (the certificate of Home Guard should be countersigned by Senior Superintendent of Police or Superintendent of Police) or related to such an employee whether in active service or retired, disabled or deceased as his son or daughter.	—	15 Marks
(f)	Candidates being widow or divorced or abandoned women (such candidates should furnish legal certificates to this effect).	—	15 Marks
(g)	Teaching and non-teaching staff (only of approved institutions) or his/her son/daughter/wife/husband.	—	15 Marks

Notes.—(1) The certificate signed by Regional Higher Education Officer/District Inspector of School/Basic Shiksha Adhikari/Regional Inspectress or Girls School in case of 11 (G) mentioned above will be accepted.

(2) If a candidate gets more than 25 marks in the items mentioned in (a) to (g) above, he shall be given benefit of only 25 marks and not more.

राष्ट्रीय सेवायोजना में 240 घण्टे के लिए सेवारत और एक विशेष कैम्प में भाग लेते हुए अभ्यर्थी ... 10 अंक

अथवा

राष्ट्रीय योजना में 240 घण्टे के लिए सेवारत अभ्यर्थी ... 5 अंक

अथवा

स्काउट्स एण्ड गाइड्स में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ... 15 अंक

अथवा

स्काउट्स एण्ड गाइड में राज्यपाल महोदय के पुरस्कार को प्राप्त करते हुए अभ्यर्थी ... 15 अंक

अथवा

स्काउट्स एण्ड गाइड में "ध्रुव पद" अथवा "गुरू पद" के रूप में प्रशिक्षित अभ्यर्थी ... 5 अंक

टिप्पण—अभ्यर्थियों को उपरोक्त उल्लिखित मदों के अधीन केवल एक मद का लाभ प्रदान किया जायेगा।

(ग) अभ्यर्थी स्वतन्त्रता सेनानी का उसके पुत्र या पुत्री, पुत्र के पुत्र या पुत्र की अविवाहित पुत्री के रूप में रिश्तेदार ... 15 अंक

(घ) अभ्यर्थीगण सक्रिय सेवा अथवा समाप्त सेवा में प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा कर्मचारी या निर्योग्य व्यक्ति, मृत व्यक्ति का रिश्तेदार अथवा लापता प्रतिरक्षा कर्मचारी का उसके पुत्र, पुत्री के रूप में रिश्तेदार ... 15 अंक

(ङ) अभ्यर्थी पुलिस या बी० एस० एफ० या पी० ए० सी० या एस० एस० बी० या आई० टी० बी० या सी० आर० पी० या होमगार्ड में नियोजित हो, (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक द्वारा होमगार्ड के प्रमाण-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर किया जाना चाहिए (अथवा ऐसे कर्मचारी का, चाहे वह सक्रिय सेवा में हो या सेवानिवृत्त या निर्योग्य या मृतक हो उसके पुत्र या पुत्री के रूप में रिश्तेदार ... 15 अंक

(च) विधवा या तलाक शुदा या परित्यक्त स्त्रियाँ होने के कारण (ऐसे अभ्यर्थियों को इस विषयक विधिक प्रमाण-पत्र जारी करने चाहिए ... 15 अंक

(छ) शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारिवृन्द (केवल अनुमोदित संस्था के) अथवा उसके पुत्र/पुत्री/पति ... 15 अंक

टिप्पण—(1) उपरोक्त उल्लिखित 11(छ) के वाद में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी/क्षेत्रीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र को स्वीकार किया जायेगा;

(2) यदि अभ्यर्थी को उपरोक्त (क) से (छ) में उल्लिखित मदों में 25 अंकों से अधिक प्राप्त होते हैं उन्हें केवल 25 अंक के लाभ को ही प्रदान किया जायेगा न कि उससे अधिक।

[1][12. **Preparation of merit list.**—(1) Separate merit lists for reserved and general seats shall be prepared on the basis of marks obtained in admission examination and the marks obtained under Para 11 mentioned above.

(2) If the marks obtained by two or more candidates on the basis of admission examination and Para 11 are equal, preference shall be given to the candidates of the same University conducting entrance test or of college affiliated or associated with or constituent of the same University. If still the marks are equal then candidate being elder will be given preference.

(3) If against the conduct of any candidate there is report in writing of District Magistrate or against whom criminal proceedings are in process in any Court of law or if candidate has been punished by any Court in any criminal case or if the candidate has been debarred from University Examination for two or more years due to use of unfair means the principal of the college can refuse admission to such candidate with prior written approval of the Vice-Chancellor of the State University conducting entrance test.

(4) The criteria for preparing merit list on the basis of entrance examinations conducted by the State Level Association of self-financing institutions at State Level with prior permission and supervision of the Entrance Procedure Determination Committee shall be the same as provided above.

[2][13. **Option of the candidate in respect of admission to college.**—(1) Each candidate may indicate five names of the colleges in order of priority in his application form. If it is not possible to admit the candidate in the indicated colleges on the basis of merit list then the State University conducting entrance test shall be free to give him admission in some other college.

(2) The merit list shall be prepared by State University conducting entrance test as indicated in Para 12 clearly indicating the marks obtained in admission examination and extra marks obtained along with details of the items under Para 11.

On the basis of merit list the State University conducting entrance test shall prepare the admission list of each college and shall communicate the same to the college. The State University conducting entrance test shall send intimation by registered post to every candidate whose name is included in the list so prepared.

(3) The merit list shall be published by the State University conducting entrance test in important newspapers having wide circulation.

(4) The candidate should present and take admission in the college as indicated in the admission list within 21 days of the date of registration of the intimation in the post office by the State University conducting test. After that date the candidate will have no claim for admission."

1. Paras 12, 13 and 14 subs. by Noti. No. 416/LXX-2-2007-3 (58), 79, dated 1 February, 2007. Published in U.P. Gazette, Extra., Part-4, Section (ka) dated 1 February, 2007.
2. Paras 12, 13 and 14 subs. by Noti No. 416/LXX-2-2007-3 (58)-79, dated 1 February, 2007. Published in U.P. Gazette, Extra., Part-4, Section (ka), dated 1 February, 2007.

[1][**12. मेरिट सूची की तैयारी**—आरक्षित और सामान्य सीटों के लिए पृथक मेरिट सूचियों को प्रवेश परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों और उपरोक्त उल्लिखित पैरा 11 में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जायेगा।

(2) यदि प्रवेश परीक्षा के तथा पैरा 11 के आधार पर दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक बराबर हैं तो प्रवेश परीक्षा को संचालित करते हुए उसी विश्वविद्यालय के अथवा उसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त अथवा उसके संघटक महाविद्यालय के अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा। यदि फिर भी अंक समान हों तो बड़े अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।

(3) यदि किसी अभ्यर्थी के आचरण के विरुद्ध, जिला मजिस्ट्रेट की लिखित रिपोर्ट दी गयी है अथवा जिसके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाहियाँ विधि के किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया में हैं अथवा यदि अभ्यर्थी को किसी भी दाण्डिक वाद में किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है अथवा यदि अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय परीक्षा से अनुचित साधनों का प्रयोग करने के कारण दो या अधिक वर्ष के लिए दण्डित किया गया है तो विद्यालय का प्रधानाचार्य, ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा संचालित करते हुए राज्य विश्वविद्यालय के उपकुलपति के लिखित पूर्वानुमोदन के साथ प्रवेश देने से इन्कार कर सकता है।

(4) प्रवेश प्रक्रिया अवधारण समिति की पूर्वानुमति एवं पर्यवेक्षण के साथ राज्य स्तर पर स्वपोषित संस्थाओं के राज्य स्तर के एसोसिएशन द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर मेरिट सूची तैयार करने का मापदण्ड उपरोक्त यथा उपबन्धित वही होगा।

[2][**13. महाविद्यालय में प्रवेश के सम्बन्ध में अभ्यर्थी का विकल्प**—(1) प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन प्ररूप में वरीयता के क्रम में महाविद्यालयों के पाँच नामों को बता सकेगा। यदि मेरिट सूची के आधार पर बताये गये महाविद्यालयों में अभ्यर्थी को प्रवेश देना संभव नहीं है तो प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाला राज्य विश्वविद्यालय किसी अन्य महाविद्यालय में उसे प्रवेश देने के लिए स्वतन्त्र होगा।

(2) पैरा 12 में यथा उल्लिखित प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों को और पैरा 11 के अधीन मदों के विवरण के साथ प्राप्त अतिरिक्त अंकों को स्पष्ट रूप से बताते हुए मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

प्रवेश परीक्षा को संचालित करने वाला राज्य विश्वविद्यालय, मेरिट सूची के आधार पर, प्रत्येक महाविद्यालय के प्रवेश की सूची को तैयार करेगा और उसे महाविद्यालय को संसूचित करेगा। प्रवेश परीक्षा *को संचालित करने वाला महाविद्यालय ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी* को पंजीकृत डाक द्वारा सूचना *भेजेगा* जिसके नाम *को इस प्रकार तैयार की गयी सूची में सम्मिलित किया गया है।*

(3) व्यापक प्रसार वाले महत्वपूर्ण समाचार-पत्रों में प्रवेश परीक्षा को संचालित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट सूची को प्रकाशित किया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी, प्रवेश परीक्षा संचालित करने वाले राज्य विश्वविद्यालय द्वारा डाकघर में सूचना के पंजीयन की तारीख के 21 दिन के भीतर प्रवेश सूची में यथा बताये गये महाविद्यालय में प्रस्तुत होगा और प्रवेश ले लेगा। उस तारीख के पश्चात्, अभ्यर्थी प्रवेश के लिए कोई दावा नहीं करेगा।]

---

1. दिनांक 1 फरवरी, 2007 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग 4, अनुभाग (क) में प्रकाशित दिनांक 1 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 416/LXX-2-2007-3 (58)-79 द्वारा पैरा 12, 13 तथा 14 को प्रतिस्थापित किया गया।
2. दिनांक 1 फरवरी, 2007 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग 4, अनुभाग (क) में प्रकाशित दिनांक 1 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 416/LXX-2-2007-3 (58)-79 द्वारा पैरा 12, 13 तथा 14 को प्रतिस्थापित किया गया।

[1][14. **Admission.**—(a) The principal of the concerned college shall give admission to the candidate after verifying their original certificates;

(b) The provisional certificate specially for the marks under Para 11 shall not be accepted;

(c) The principal has to take prior approval of the Vice-Chancellor of the State University conducting entrance test before finally refusing admission to any candidate;

(d) The State University conducting entrance test shall also prepare a waiting list. If any seat falls vacant within a month after the classes have started it will be filled from waiting list. It shall be the responsibility of the State University conducting entrance test to intimate the college and the candidate to fill the vacant seats;

(e) Every candidate selected for admission shall before admission have to furnish a certificate countersigned by the Chief Medical Officer in which it should be clearly mentioned that the candidate does not stammer and on account of any disease of the ear, eye or any other limb is not unfit to be a teacher."]

CHAPTER III

ADMISSION TO M.Ed. CLASSES

15. Introductory.—The provision of this Chapter shall apply for admission to a course of instruction in M.Ed. classes only in any college.

16. No person shall be admitted in any college unless he has passed an examination for the degree of B.Ed. conducted by a University established by law or an examination for the diploma of recognised B.T. or LT.

17. Only those applications for admission to M.Ed. will be considered where the candidates, according to the statutes of the concerned University, fulfil all other qualifications except M.Ed., for appointment as a Lecturer in B.A. (Educational) or in the B.Ed., department in the degree colleges of the State.

18. Admission according to merit.—Candidates shall be admitted strictly in order of merit on the basis of percentage of marks obtained in the B.Ed. or its equivalent other recognised examinations. Full marks obtained in the theory and fifty per cent marks obtained in the practical examination shall be considered in calculating the percentage.

Illustration.—If a candidate has secured 240 marks out of 500 in the theory and 140 marks out of 200 in the practical examination then for the sake of calculation, the full marks obtained by him will be 240+ (140/2 or 70) = 310 and his percentage will be 44.28 (310x100)/700.

19. Application of Orders of Chapter II.—The provisions of paras 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 and *mutaits mutandis* apply to admission under this Chapter also.

---

1. Paras 12, 13 and 14 subs. by Noti No. 416/LXX-2-2007-3 (58)-79, dated 1 February, 2007. Published in U.P. Gazette, Extra., Part-4, Section (ka), dated 1 February, 2007.

[1][14. प्रवेश—(क) सम्बन्धित महाविद्यालय का प्रधानाचार्य अभ्यर्थियों को उनके मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करने के पश्चात ही प्रवेश देगा।

(ख) पैरा 11 के अधीन अंकों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अन्तिम प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ग) प्रधानाचार्य किसी भी अभ्यर्थी अन्तिम रूप से प्रवेश देने से इन्कार करने के पूर्व प्रवेश परीक्षा को संचालित करते हुए राज्य विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पूर्वानुमोदन को लेगा।

(घ) प्रवेश परीक्षा को संचालित करते हुए महाविद्यालय प्रतीक्षा सूची भी तैयार करेगा। यदि कोई सीट कक्षाओं के प्रारंभ होने के पश्चात् माह के भीतर ही रिक्त हो जाती है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जायेगा। प्रवेश परीक्षा को संचालित करते हुए राज्य विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व यह होगा कि वह रिक्त सीटों को भरने के लिए महाविद्यालय तथा अभ्यर्थी को सूचित करें।

(ङ) प्रवेश के लिए चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश के पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रदान करना होगा जिसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि अभयर्थी हकलाता नहीं है और कान, नेत्र अथवा अन्य किसी अंग के रोग के कारण अध्यापक बनने के लिए अनुपयुक्त नहीं है।]

अध्याय 3

एम० एड० की कक्षाओं में प्रवेश

15. **परिचय**—इस अध्याय का प्रावधान किसी भी महाविद्यालय में केवल एम० एड० की कक्षाओं में शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए लागू होगा।

16. किसी भी महाविद्यालय में किसी भी व्यक्ति को उस समय तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसने विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी० एड० की उपाधि की परीक्षा को अथवा मान्यता प्राप्त बी० टी० अथवा एल० टी० के डिप्लोमा की परीक्षा को उत्तीर्ण न कर लिया हो।

17. एम० एड० में प्रवेश के लिए केवल उन आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा जहाँ सम्बन्धित विश्वविद्यालय के परिनियमों के अनुसार अभ्यर्थी राज्य के डिग्री महाविद्यालयों में बी० ए० (शिक्षा) में अथवा बी० एड० विभाग में प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु एम० एड० के सिवाय अन्य सभी अर्हताओं को पूर्ण करते हों।

18. मेरिट के अनुसार प्रवेश—अभ्यर्थियों को बी० एड० में उसके समकक्ष अन्य मान्यता प्राप्त कक्षाओं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट के क्रम में नियमत: प्रवेश दिया जायेगा। सैद्धान्तिक प्रश्न में प्राप्त पूर्ण अंक तथा व्यावहारिक परीक्षा में प्राप्त 50 प्रतिशत अंक पर प्रतिशत की संगणना करने में विचार किया जायेगा।

दृष्टान्त—यदि अभ्यर्थी सैद्धान्तिक प्रश्न में 500 में से 240 अंक को और व्यावहारिक परीक्षा में 200 में से 140 अंकों को प्राप्त कर चुका है तो संगणना के लिए, उसके द्वारा प्राप्त पूर्ण अंक 240+(140/2 अथवा 70) = 310 होंगे और उसका प्रतिशत 44.28 (310 × 100)/700 होगा।

19. अध्याय 2 के आदेशों का उपयोजन—पैरा 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 के प्रावधान इस अध्याय के अधीन भी यथा आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

———————

1. दिनांक 1 फरवरी, 2007 के उ० प्र० गजट, असाधारण, भाग 4, अनुभाग (क) में संप्रकाशित दिनांक 1 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 416/LXX-2-2007-3 (58)-79 द्वारा पैरा 12, 13 तथा 14 को प्रतिस्थापित किया गया।

U. P. STATE UNIVERSITIES FIRST STATUTES (AGE OF SUPERANNUATION, SCALES OF PAY AND QUALIFICATION OF TEACHERS), 1975[1]

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 50 of th Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act No. 10 of 1973), a re-enacted and amended by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment an Amendment) Act, 1974 (U.P. Act No. 29 of 1974), the Governor is pleased t make the First Statutes of the Universities of Allahabad, Lucknow, Agra Gorakhpur, Kanpur, Meerut, Kumaun, Garhwal, Avadh and Rohilkhand, th Kashi Vidyapith and Sampurnaand Sanskrit Vishwavidyalaya as follows :

First Statutes

1. Short title and commencement.—(1) These statutes may be called the Uttar Pradesh State Universities First Statutes (Age of Superannuation, Scales of Pay and Qualifications of Teachers), 1975.

(2) They shall come into froce on August 1, 1975.

2. Definitions.—In these Statutes, unless the context otherwise requires.—

(a) *"Act"* means the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 amended re-enacted by the Uttar Pradesh Universities (Re-enactment Amendment) Act, 1974;

(b) *"New scale of pay"* means the scale of pay admissible to a teacher in accordance with the G.O. No. Shi. X (ii) 9045/XV-14 (7)-73, dated December 28, 1974, as amended from time to time and "old scale of pay" means the scale of pay admissible to a teacher before the enforcement of the new scale of pay.

(c) *"University"* means the University of Allahabad, Lucknow, Agra, Gorakhpur, Kanpur, Meerut, Kumaun, Garhwal, [2][Avadh, Rohilkhand or Bundelkhand], the Kashi Vidyapith or the Sampurnanad Sanskrit Vishwavidyalaya;

(d) other words and expressions used in the Act and not defined in these Statutes shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Age of superannuation of teachers.—(1) Subject to the provisions of Statutes 4, 5, 6 and 7, the age of superannuation of a teacher governed by the new scale of pay shall be sixty years.

(2) The age of superannuation of teachers not governed by the new scales of pay shall, subject to Statute 7, be sixty years.

(3) No extension in service beyond the age of superannuation shall be granted to any teacher after the date of commencement of these Statutes :

[3][Provided that if the date of superannuation of a teacher does not fall on June 30, the teacher shall continue in service till the end of the academic

1. Shiksha Anubhag 10, Noti No. 4546/XV-10-75, dated July 25, 1975. Published in U.P. Gazette. Extra., dated 25th July, 1975.
2. Subs. by Noti. No. 1791/XV-10-77, dated 15 April, 1977 (w.e.f. 15-4-1977).
3. Ins. by Noti. No. 1791/XV-10-77, dated 15 April, 1977 (w.e.f. 15-4-1977).

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम (अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु, वेतनमान और अध्यापकों की अर्हता), 1975[1]

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनर्अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 29) द्वारा यथा पुनर्अधिनियमित एवं संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (1973 का राष्ट्रपति महोदय का अधिनियम संख्या 10) की धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल महोदय ने इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, कुमायूँ, गढ़वाल, अवध और रोहिल खण्ड के विश्वविद्यालयों काशी विद्यापीठ और सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों को निम्नवत् बनाने में संतोष का अनुभव किया है—

प्रथम परिनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन परिनियमों को उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम (अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु, वेतनमान और अर्हता), 1975 के नाम से जाना जा सकेगा।

(2) वे 1 अगस्त, 1975 को प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ—इन परिनियमों, जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) *"अधिनियम"* उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनर्अधिनियमितीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1973 से अभिप्रेत है;

(ख) *"नया वेतनमान"* समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 के शासनादेश संख्या सी० X(ii)-9045/XV-14 (7)-73 के अनुसार अध्यापक को ग्राह्य वेतनमान से अभिप्रेत है और "पुराना वेतनमान" नये वेतनमान के लागू होने के पूर्व अध्यापक के लिए ग्राह्य वेतनमान से अभिप्रेत हैं;

(ग) *"विश्वविद्यालय"* इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, कुमायूँ, गढ़वाल [2][अवध, रोहिल खण्ड अथवा बुन्देलखण्ड] काशी विद्यापीठ अथवा सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है;

(घ) अधिनियम में प्रयुक्त अन्य पदावली एवं अभिव्यक्तियों, जिन्हें इन परिनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में प्रदान किया गया है।

3. अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु—(1) धारा 4, 5, 6 एवं 7 के प्रावधानों के अध्यधीन नये वेतनमान द्वारा शासित अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु साठ वर्ष होगी।

(2) नये वेतनमानों द्वारा शासित न किये जाने वाले अध्यापकों की अधिवर्षिता की आयु परिनियम 7 के अध्यधीन, साठ वर्ष होगी।

(3) अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् सेवा में कोई भी विस्तार किसी भी अध्यापक को इन परिनियमों के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् प्रदान नहीं किया जायेगा :

[3][परन्तु यह कि यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की तारीख 30 जून को नहीं पड़ती है तो अध्यापक शैक्षिक सत्र के अन्त तक अर्थात् अगली 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और उसे उसकी

---

1. दिनांक 25 जुलाई, 1975 के उ० प्र० गजट असाधारण में प्रकाशित दिनांक 25 जुलाई, 1975 की अधिसूचना सं० 4546/XV-10-75 शिक्षा अनुभाग 10 ।
2. दिनांक 15 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना सं० 1791/XV-10-77 द्वारा प्रतिस्थापित (15 अप्रैल, 1977 से प्रभावी)।
3. दिनांक 15 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना सं० 1791/XV-10-77 द्वारा अन्तःस्थापित (15 अप्रैल, 1977 से प्रभावी)।

session i.e. June 30 following and he will be treated as on re-employment from the date immediately following the date of his superannuation till June 30 following.]

4. Superannuation and scales of pay of teachers of Allahabad University serving from before the commencement of these Statutes.—(1) This Statute shall apply to the teachers of the University of Allahabad.

(2) Every teacher of the University—

(a) who has crossed his 60th birthday before the date of commencement of these Statutes shall retire at the age of 62 years, and such teacher shall not be entitled to avail the new scale of pay;

(b) who has not crossed his 60th birthday before the date of commencement of these Statutes, shall opt whether he shall retire—

(i) at the age of 60 years and shall avail the new scale of pay; or

(ii) at the age of 62 years and shall continue to avail the old scale of pay.

(3) The option under sub-clause (b) of clause (2) shall be exercised in Form 1 annexed to these Statutes and shall be submitted to the Finance Officer within a period of one month from the date of commencement of these Statutes or before his 60th birthday, whichever is earlier. The option once exercised shall be final.

(4) Where a teacher fails to exercise the option in accordance with sub-clause (b) of clause (2), he shall be deemed to have opted for the new scale of pay and shall retire at the age of 60 years.

5. Superannuation of teachers of other Universities serving on extension from before the commencement of these Statutes.—(1) This Statute shall apply to the teachers of Universities other than the University of Allahabad.

(2) Every teacher of the University who, on the date of commencement of these Statutes, was serving on extension, beyond the age of superannuation specified in Statute 3, and such extension was granted before the date of such commencement, shall retire on the expiry of the period of extension in accordance with the provisions of the Statutes and Ordinances then in force, but he shall not be entitled to avail the new scale of pay.

6. Superannuation of the teachers of colleges.—The provisions of Statute 5 shall *mutatis mutandis* apply to the teachers of—

(a) every college affiliated to or associated with any University (other than the Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya);

(b) every medical college, agricultural college, engineering college or veterinary science college which is a constituent college maintained by any such University.

7. Date of birth for purposes of superannuation.—(1) For determining the age of superannuation or retirement of a teacher in accordance with these Statutes, the date of birth of the teacher as mentioned in the High School certificate or that of any other examination recognised as equivalent thereto, shall be conclusive.

अधिवर्षिता की तारीख के तत्काल पश्चात् तारीख से अगली 30 जून तक पुनर्नियोजन पर होना माना जायेगा।]

4. इन परिनियमों के प्रारंभ होने के पहले से सेवारत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अधिवर्षिता और वेतनमान—(1) यह परिनियम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए लागू होगा।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक—

(क) जिसने इन परिनियमों के प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व अपना 60वां जन्म दिवस पूर्ण किया है, 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होगा, और ऐसा अध्यापक नये वेतनमान के लाभ को उठाने का हकदार नहीं होगा;

(ख) जिसने इन परिनियमों के प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व अपने 60वें जन्म दिवस को पूरा नहीं किया है, इस बात का चुनाव करेगा कि वह निम्न में से किस पर सेवानिवृत्त होगा—

(i) 60 वर्ष की आयु पर तथा नये वेतनमान का लाभ उठायेगा, अथवा

(ii) 62 वर्ष की आयु पर तथा पुराने वेतनमान के लाभ को उठाता रहेगा।

(3) खण्ड 2 के उपखण्ड (ख) के अधीन विकल्प का प्रयोग इन परिनियमों से संलग्न प्ररूप 1 में किया जायेगा और उसे इन परिनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर या उसके 60वें जन्म दिवस के पूर्व, जो भी पहले हो, वित्त अधिकारी के समक्ष दाखिल किया जायेगा। एक बार विकल्प का प्रयोग किये जाने पर वह अन्तिम हो जायेगा।

(4) जहाँ अध्यापक खण्ड 2 के उपखण्ड (ख) के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने में विफल हो जाता है तो उसका नये वेतनमान को चुनना समझा जायेगा और वह 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होगा।

5. इन परिनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व विस्तार पर कार्यरत अन्य विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की अधिवर्षिता—(1) यह परिनियम इलाहाबाद विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए लागू होगा।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक, जो इन परिनियमों के प्रारंभ होने की तारीख पर परिनियम 3 में विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् विस्तार पर सेवारत था, और ऐसा विस्तार उस प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व प्रदान किया गया था, उस समय प्रवृत्ति परिनियमों और अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार विस्तार की अवधि के समाप्त होने पर सेवानिवृत्त होगा लेकिन वह नये वेतनमान के लाभ को उठाने का हकदार नहीं होगा।

6. महाविद्यालयों के अध्यापकों की अधिवर्षिता—परिनियम 5 के प्रावधान निम्न के अध्यापकों के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे—

(क) किसी भी विश्वविद्यालय (सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़कर) से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय;

(ख) प्रत्येक मेडिकल कालेज, कृषि महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय अथवा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, जो ऐसे किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित संघटक महाविद्यालय है।

7. अधिवर्षिता के प्रयोजनों के लिए जन्मतिथि—(1) इन परिनियमों के अनुसार किसी अध्यापक की अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति की आयु का अवधारण करने के लिए, हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य किसी परीक्षा के प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित अध्यापक की जन्मतिथि निर्णायक होगी।

(2) The date of retirement shall be the date immediately preceding the 60th or 62nd birthday of a teacher according as his age of superannuation is 60 or 62 years.

[1][8. **Qualifications for Lecturers in the University.**—(1) In the case of a University, the following shall be the minimum qualifications for the post of Lecturer in the Faculties of Arts, Commerce, Science and Social Sciences, namely—

(a) a Doctorate in the subject of study concerned or a published work of a high standard in that subject; and

(b) consistently good academic record (that is to say, the overall record of all assessments throughout the academic careers of a candidate), with first class or high second class (that is to say, with an aggregate of more than 54 per cent marks) master's degree in the subject concerned or equivalent degree of a foreign university in such subject.

(2) Where the Selection Committee is of opinion that the research work of a candidate, as evidenced either by his thesis or by his published work, is of a very high standard, it may relax any of the qualifications specified in sub-clause (b) of clause (1).

(3) If a candidate possessing the qualification specified in sub-clause (a) of clause (1) is not available or is not considered suitable, a person possessing a consistently good academic record (due weightage being given to M. Phil. or equivalent degree or research work of quality) may be appointed on the condition that he will attain the said qualification (namely, Doctorate or published work is aforesaid) within five years from the date of his appointment :

Provided that where the teacher so appointed fails to attain the prescribed qualification within the said period of five years, he shall not be entitled to yearly increments after such period, until he attains such qualifications.

[2][(4) in the case of the Faculty of Law, the minimum qualification for the post of a Lecturer in the University shall be a degree of Master of Laws.]

[3][9. (1) No teacher appointed before the commencement of these statutes shall be deemed to be qualified for appointment to the post of Reader or Professor if he does not posses the qualifications prescribed in Statute 8, provided that where the Selection Committee is of opinion that the research work of a candidate, as evidenced by his thesis or by his published work, is of a very high standard, it may relax any of the qualifications specified in sub-clause (b) of clause (1) of Statute 8.

(2) In addition, a candidate for appointment to the post of Reader or Professor shall fulfil any other qualifications laid down in the Ordinances of the University concerned.

---

1. Statutes 8, 9 and 10 subs. by Noti. 7251/XV-10-75-60 (115)-73, dated 20 October, 1975 (w.e.f. 20-10-1975).
2. Subs. by Noti. No. 1791/XV-10-77, dated 15 April, 1977 (w.e.f. 15-4-1977).
3. Statutes 8, 9 and 10 subs. by Noti. 7251/XV-10-75-60 (115)-73, dated 20 October, 1975 (w.e.f. 20-10-1975).

(2) सेवानिवृत्ति की तारीख अध्यापक के 60वें अथवा 62वें जन्म दिवस के ठीक पूर्व की तिथि होगी क्योंकि अधिवर्षिता की उसकी आयु 60 या 62 वर्ष है।

8. विश्वविद्यालय में प्रवक्ताओं की अर्हताएँ—[1][(1) विश्वविद्यालय की दशा में, कला, वाणिज्य, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान संकायों में प्रवक्ता के पद के लिए निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएँ होंगी, अर्थात्—

(क) सम्बन्धित अध्ययन के विषय में डाक्टरेट अथवा उस विषय में उच्च स्तर का प्रकाशित कार्य; और

(ख) लगातार अच्छा शैक्षणिक अभिलेख (कहने का अभिप्राय यह है कि अभ्यर्थी के सम्पूर्ण शैक्षिक वृत्तियों के दौरान सभी आकलनों का सम्पूर्ण अभिलेख) सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा उस विषय में विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि प्रथम श्रेणी या उच्च द्वितीय श्रेणी के साथ (कहने का अभिप्राय यह है कि कुल मिलाकर 54 प्रतिशत से अधिक)।

(2) जहाँ चयन समिति की यह राय हो कि अभ्यर्थी का अनुसंधान कार्य, जैसा कि उसकी या तो थिसिस द्वारा या उसके प्रकाशित कार्य द्वारा साक्ष्यित है, अत्यन्त उच्च स्तर का है, तो वहाँ खण्ड 1 के उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अर्हताओं में से किसी में छूट प्रदान कर सकेगी।

(3) यदि खण्ड 1 के उपखण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अर्हता को रखने वाला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है अथवा उसे उपयुक्त नहीं समझा जाता है तो निरन्तर अच्छा शैक्षणिक अभिलेख रखने वाले व्यक्ति को (एम० फिल अथवा उसके समकक्ष उपाधि अथवा गुणवत्तायुक्त अनुसंधान कार्य को महत्व दिया जायेगा) इस शर्त पर नियुक्त किया जा सकेगा कि वह अपनी नियुक्ति की तारीख से पाँच वर्ष के भीतर ऐसी अर्हता (अर्थात् डाक्टरेट अथवा यथा पूर्वोल्लिखित प्रकाशित कार्य) को प्राप्त कर लेगा :

परन्तु यह कि जहाँ इस प्रकार नियुक्त किया गया अध्यापक पाँच वर्ष की उक्त अवधि के भीतर निर्धारित अर्हता को प्राप्त करने में विफल हो जाता है, तो वहाँ वह उस अवधि के पश्चात् वार्षिक वृद्धियों का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह उन अर्हताओं को प्राप्त नहीं कर लेता है।

(4) [2][विधि संकाय की दशा में विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद के लिए न्यूनतम अर्हता विधि में स्नातकोत्तर की उपाधि होगी।]

9. [3][(1) इन परिनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व नियुक्त किये गये किसी भी व्यक्ति का रीडर अथवा प्रोफेसर के पद हेतु नियुक्ति के लिए अर्हित होना नहीं समझा जायेगा बशर्ते उसके पास परिनियम 8 में निर्धारित अर्हताएँ न हों, परन्तु यह कि जहाँ चयन समिति की यह राय हो कि अभ्यर्थी को अनुसंधान कार्य, जैसा कि उसकी थिसिस द्वारा या उसके प्रकाशित कार्य द्वारा साक्ष्यित है, अत्यन्त उच्च स्तर का है, तो वह परिनियम 8 के खण्ड 1 के उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अर्हताओं में से किसी में छूट दे सकेगा।

(2) इसके अतिरिक्त, रीडर अथवा प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में निर्दिष्ट किसी अन्य अर्हता को पूरा करेगा।

---

1. दिनांक 20 अक्टूबर, 1975 की अधिसूचना सं० 7251/XV-10-75-60 (115)-73 द्वारा परिनियम 8, 9 तथा 10 को प्रतिस्थापित किया गया (20 अक्टूबर, 1975 से प्रभावी)।
2. दिनांक 15 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना सं० 1791/XV-10-77 द्वारा प्रतिस्थापित (15 अप्रैल, 1977 से प्रभावी)।
3. दिनांक 20 अक्टूबर, 1975 की अधिसूचना सं० 7251/XV-10-75-60 (115)-73 द्वारा परिनियम 8, 9 तथा 10 को प्रतिस्थापित किया गया (20 अक्टूबर, 1975 से प्रभावी)।

[1][**10. Qualifications for lecturers in affiliated and associated Colleges.**—(1) In the case of a college affiliated to or associated with any University other than the Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, the following shall be the minimum qualifications for the post of Lecturer in the Faculties of Arts. Commerce, Science and Social Science, namely—

(a) a consistently good academic record (that is to say, the overall record of all assessments throughout the academic carrer of a candidate) with first or high second class (that is to say, with an aggregate of more than 54 per cent marks) Master's degree in the subject concerned or equivalent degree of a foreign University in such subject; and

(b) M. Phil. degree or a recognised degree beyond the Master's level or published work indicating the capacity of a candidate for independent research work.

(2) If a candidate possessing the qualification specified in sub-clause (b) of clause (1) is not available or is not considered suitable, the management of a college may, on the recommendation of the Selection Committee, appoint a candidate possessing consistently good academic record on the condition that he will have to attain the qualification referred to in that sub-clause within a period of five years from the date of his appointment :

Provided that where the teacher so appointed fails to attain such qualification within the said period of five years, he shall not be entitled to yearly increments after such period, until he attains such qualification.]

[2][(3) If a candidate holds a doctorate degree in the subject concerned, the Selection Committee may relax the requirement relating to more than 54 per cent marks in the Master's Degree.

(4) In the case of any college affiliated to the University, the minimum qualifications for the post of a Lecturer in the Faculty of Law shall be a degree in Master of Laws.]

[3][**10-A.** In the case of any college affiliated to the University the following shall be minimum qualifications for the post of Principal for a—

(1) *Degree College :*

(a) a consistently good academic record (that is to say, the overall record of all assessments throughout the academic career of a candidate) with first or high second class (that is to say, with an aggregate of more than 54 per cent marks) Master's degree, or an equivalent degree of a foreign University in one of the subjects taught in the college; and

(b) a doctorate degree in one of the subjects taught in the college, with 10 years' experience of teaching degree classes :

Provided that if a candidate possesses 15 years or more experience of teaching degree classes or 10 years or more experience of teaching postgraduate

1. Subs. by Noti. 7251/XV-10-75-60 (115)-73, dated 20 October, 1975 (w.e.f. 20-10-1975).
2. Ins. by Noti. No. 1791/XV-10-77, dated 15 April, 1977 (w.e.f. 15-4-1977).
3. Ins. by Noti. No. 1890/XV-10-77-60 (36)-76, dated 20 April, 1977.

[1][**10. सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं की अर्हताएँ**—(1) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य किसी भी महाविद्यालय से सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय की दशा में कला, वाणिज्य, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के संकायों में प्रवक्ता के पद हेतु निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएँ होंगी, अर्थात्

(क) सुसंगत रूप से अच्छा शैक्षणिक अभिलेख (कहने का अभिप्राय यह है अभ्यर्थी की सम्पूर्ण शैक्षिक वृत्तियों के दौरान सभी आंकलनों का सम्पूर्ण अभिलेख) सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा उस विषय में विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि प्रथम श्रेणी या उच्च द्वितीय श्रेणी के साथ (कहने का अभिप्राय यह है कि कुल मिलाकर 54 प्रतिशत से अधिक); और

(ख) एम० फिल की उपाधि अथवा स्वतन्त्र अनुसंधान कार्य के लिए अभ्यर्थी की क्षमता को बताते हुए स्नातकोत्तर स्तर के पश्चात् की मान्यता प्राप्त उपाधि।

(2) यदि खण्ड 1 के उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अर्हता को रखते हुए अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है अथवा उसे उपयुक्त नहीं माना जाता है तो महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र, चयन समिति की सिफारिश पर लगातार अच्छे शैक्षणिक अभिलेख को रखने वाले अभ्यर्थी को इस आधार पर नियुक्त करेगा कि उसे अपनी नियुक्ति की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर उस उपनियम में निर्दिष्ट अर्हता को प्राप्त करना होगा :

परन्तु यह कि जहाँ इस प्रकार नियुक्त किया गया अध्यापक पाँच वर्ष की उक्त अवधि के भीतर उस अर्हता को प्राप्त करने में विफल हो जाता है तो वह उस अवधि के पश्चात्, जब तक वह उस अर्हता को प्राप्त नहीं कर लेता है, वार्षिक वृद्धियों का हकदार नहीं होगा।

[2][(3) यदि कोई अभ्यर्थी सम्बन्धित विषय में डाक्टरेट की उपाधि को धारित करता है तो चयन समिति स्नातकोत्तर उपाधि में 54 प्रतिशत से अधिक के अंकों से सम्बन्धित शर्त में छूट प्रदान कर सकेगी।

(4) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय की दशा में, विधि संकाय में प्रवक्ता के पद के लिए न्यूनतम अर्हता विधि में स्नातकोत्तर की उपाधि होगी।]

10.-क. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय की दशा में निम्न हेतु प्रधानाचार्य के पद के लिए निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएँ होंगी—

(1) डिग्री कालेज :

(क) सुसंगत रूप से अच्छा शैक्षणिक अभिलेख (कहने का अभिप्राय यह है कि अभ्यर्थी की सम्पूर्ण शैक्षिक वृत्तियों के दौरान सभी आकलनों का सम्पूर्ण अभिलेख) सम्बन्धित महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयों में से एक में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि प्रथम श्रेणी या उच्च द्वितीय श्रेणी के साथ (कहने का अभिप्राय यह है कि कुल मिलाकर 54 प्रतिशत से अधिक); तथा

(ख) महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयों में से एक डाक्टरेट की उपाधि, उपाधि की कक्षाओं में अध्यापक का दस वर्ष का अनुभव :

परन्तु यह कि यदि कोई अभ्यर्थी 15 वर्ष या उससे अधिक डिग्री उपाधि की कक्षाओं में अध्यापन कार्य का अनुभव रखता है अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन या 10 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव रखता

---

1. दिनांक 20 अक्टूबर, 1975 की अधिसूचन संख्या 725/XV-10-75-60 (115)-73 द्वारा प्रतिस्थापित (20 अक्टूबर, 1975 से प्रभावी)।
2. दिनांक 15 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना संख्या 1791/XV-10-77 द्वारा अन्तः स्थापित (15 अप्रैल, 1977 से प्रभावी)।

classes, or if he is or has been a confirmed Principal of four years or more standing of any Degree College, the Selection Committee may relax the requirement of doctorate degree.

(2) *Post-Graduate College :*

(a) a consistently good academic record (that is to say, the overall record of all assessments throughout the academic career of a candidate) with first or high second class (that is to say, with an aggregate of more than 54 per cent marks) Master's degree, equivalent degree of a foreign University, in one of the subjects taught in the college; and

(b) a doctorate degree in one of the subjects taught in the college with 7 years' experience of teaching postgraduate classes or 5 years' experience of Principalship of a degree college :

Provided that if a candidate possesses 10 years' experience of teaching postgraduate classes or 20 years or more experience of teaching degree classes or 7 years' experience of Principalship of a Degree College or if he is or has been a confirmed Principal of five years or more standing of any Postgraduate College, the Selection Committee may relax the requirement of doctorate degree.

10-B. When the office of Principal of an affiliated college falls vacant, the Management may appoint any teacher to officiate as Principal for a period of three months or until the appointment of a regular Principal, whichever is earlier. If on or before the expiry of the period of three months, any regular Principal is not appointed or such a Principal does not assume office, the seniormost teacher, in the college shall officiate as Principal of such college until a regular Principal is appointed.]

11. Overriding effect of these Statutes.—The provisions of these Statutes shall have effect notwithstanding anything contained in any contract to the contrary, and all Statutes and Ordinances in force on the date immediately before the commencement of these Statutes, in so for as they are inconsistent with these Statutes, shall, with effect from such commencement, stand repealed.

FORM I

[*See* Statute 4 (2)]

FORM OF OPTION FOR THE TEACHERS OF UNIVERSITY OF ALLAHABAD

I,..................................son of Shri ...., Professor or Reader or Lecturer in the Department of .... of Allahabad University hereby declare that I opt to :

(i) at the age of sixty years and shall avail the new scale of pay.

Or

(ii) at the age of sixty-two years and shall avail the old scale of pay. I understand that this option shall be final and irrevocable.

Signature ....

Date ....

है अथवा यदि वह किसी महाविद्यालय में चार वर्ष या उससे अधिक की प्रास्थिति में स्थायी प्रधानाचार्य है अथवा रह चुका है तो चयन समिति डाक्टरेट की उपाधि की शर्त में छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) **स्नातकोत्तर महाविद्यालय :**

(क) सुसंगत रूप से अच्छा शैक्षणिक अभिलेख (कहने का अभिप्राय यह है कि अभ्यर्थी की सम्पूर्ण शैक्षिक वृत्तियों के दौरान सभी आकलनों का सम्पूर्ण अभिलेख) सम्बन्धित महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयों में से एक में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि प्रथम श्रेणी या उच्च द्वितीय श्रेणी के साथ (कहने का अभिप्राय यह है कि कुल मिलाकर 54 प्रतिशत से अधिक); तथा

(ख) किसी डिग्री कालेज में स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन कार्य करने के 7 वर्ष के अनुभव अथवा प्रधानाचार्य के पद के 5 वर्ष के अनुभव के साथ महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयों में से एक डाक्टरेट की उपाधि :

परन्तु यह कि यदि कोई अभ्यर्थी स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन कार्य करने के 10 वर्ष का अनुभव अथवा उपाधि की कक्षाओं में अध्यापन कार्य करने के 20 वर्ष या उससे अधिक के अनुभव अथवा डिग्री कालेज में प्रधानाचार्य के पद के 7 वर्ष का अनुभव को रखता है अथवा वह किसी भी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 5 वर्ष या उससे अधिक की प्रास्थिति में स्थायी प्रधानाचार्य है अथवा रह चुका है तो चयन समिति डाक्टरेट की उपाधि की शर्त में छूट प्रदान कर सकेगी।

[1][10.-ख. जब किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रधानाचार्य का पद रिक्त होता है तो प्रबन्धतन्त्र तीन माह की अवधि के लिए अथवा नियमित प्रधानाचार्य की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, किसी भी अध्यापक को स्थानापन्न प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त कर सकेगा। यदि तीन माह की अवधि के समाप्त होने पर अथवा उसके पूर्व किसी नियमित प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं की जाती है अथवा ऐसे प्रधानाचार्य पद को ग्रहण नहीं करता है तो महाविद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक, नियमित प्रधानाचार्य की नियुक्ति होने तक उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में स्थानापन्न रूप में कार्य करेगा।]

11. **इन परिनियमों का अध्यारोही प्रभाव**—इन परिनियमों के प्रावधानों का संविदा में अन्तर्विष्ट किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए प्रभाव होगा और इन परिनियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व तारीख पर प्रवृत्त सभी परिनियम एवं अध्यादेश, जहाँ तक वे इन परिनियमों से असंगत है, उस प्रारंभ होने के समय से निरसित हो जायेंगे।

प्ररूप 1

[देखें परिनियम 4 (2)]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए विकल्प का प्ररूप

मैं,......................पुत्र श्री............................ प्रोफेसर या रीडर या प्रवक्ता .... विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, एतद्द्वारा यह घोषित करता हूँ कि मैं निम्न का चुनाव करता हूँ।

(i) साठ वर्ष की आयु पर और नये वेतनमान के लाभ को प्राप्त करूँगा।

अथवा

(ii) बासठ वर्ष की आयु पर और पुराने वेतनमान के लाभ को प्राप्त करूँगा मैं यह समझता हूँ कि यह विकल्प अन्तिम तथा अप्रतिहरणीय होगा।

हस्ताक्षर.........................

दिनांक.........................

———

1. दिनांक 10 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना संख्या 1890/XV-10-77-60 (36)-76 द्वारा अन्त:स्थापित।

THE UTTAR PRADESH ADMISSION TO EDUCATIONAL INSTITUTIONS (RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) ACT, 2006[1]

(U. P. Act No. 23 of 2006)

(As passsed by the Uttar Pradesh Legislature)

An Act to provide for the reservation in admission to educational institutions including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizen and for matters connected therewith or incidental thereto

It is hereby enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :

Prefatory Note—Statement of Objects and Reasons.—The State Government have been empowered by the Constitution Ninety-third Amendment to make special provisions regarding admission to the educational institution including private educational institutions, whether aided or unaided by the State other than the minority educational institutions referred to in clause (1) or Article 30 of the Constitution of India in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizen. It was, therefore, decided to make a law to provide for the reservation in admission to the said educational institutions in favour of the said persons.

Since the State Legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Admission to Educational Institution (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance No. 2 of 2006) was promulgated by the Governor on July 10, 2006.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Admission to Educational Institutions (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 2006.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 10, 2006.

2. Applicability.—This Act shall apply to all admissions taking place in Educational Institutions, including Private Educational Institutions, whether aided or unaided by the State, other than the Minority Educational Institutions referred to in clause (1) of the Article 30 of the Constitution of India.

3. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

1. Received the Governor on September 7, 2006 and published in the U.P. Gazette, Extra., Part I, Section (ka), dated 8th September, 2006.

उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण) अधिनियम, 2006[1]

(2006 का उ० प्र० अधिनियम संख्या 23)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा यथा पारित)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर राज्य द्वारा, चाहे सहायता प्राप्त हो या असहायता प्राप्त हो, निजी शैक्षिक संस्थाओं सहित शैक्षिक संस्था में प्रवेश देने में नागरिकों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण हेतु और उससे संबद्ध अथवा उससे आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने का अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तावनें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो।

प्रारम्भिक टिप्पण—उद्देश्यों एवं कारणों का कथन—राज्य सरकार को संविधान के तिरानवें संशोधन द्वारा इस बात के लिए सशक्त किया गया है कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर राज्य द्वारा, चाहे सहायता प्राप्त हो या असहायता प्राप्त हो, निजी शैक्षिक संस्थाओं सहित शैक्षिक संस्था में प्रवेश देने में नागरिकों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में प्रवेश के सम्बन्ध में विशेष प्रावधानों को बना सकेगी। अत: उक्त व्यक्तियों के पक्ष में उक्त शैक्षिक संस्था में प्रवेश में आरक्षण के लिए प्रावधान करने हेतु विधि की विरचना करने का निर्णय लिया गया था।

चूंकि राज्य विधान मण्डल का सत्र नहीं चल रहा था और तत्काल विधायी कार्रवाई पूर्वोल्लिखित विनिश्चय का पालन करने के लिए आवश्यक थी, इसलिए उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण) में प्रवेश अध्यादेश, 2006 (2006 का उ० प्र० अध्यादेश संख्या 2) को राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2006 को प्रख्यापित किया गया था। यह विधेयक पूर्वोल्लिखित अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया है।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण) अधिनियम, 2006 के नाम से जाना जा सकेगा।

(2) इसका 10 जुलाई, 2006 से प्रभाव में आना समझा जाएगा।

2. प्रयोज्यता—यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर राज्य द्वारा चाहे सहायता प्राप्त हो या असहायता प्राप्त निजी शैक्षिक संस्थाओं सहित शैक्षिक संस्थाओं में लेने वाले सभी प्रवेशों के लिए लागू होगा।

3. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

---

1. दिनांक 25 जुलाई, 1975 के उ० प्र० गजट असाधारण में प्रकाशित दिनांक 25 जुलाई, 1975 की अधिसूचना सं० 4546/XV-10-75 शिक्षा अनुभाग 10 ।

(a) *"academic year in relation to an admission"* means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year within which the process of admission is initiated;

(b) *"aided institution"* means a private educational institution, excluding minority institution, receiving recurring grants-in-aid or financial assistance in whole or in part from the State Government or from any body under the control of State Government disbursing grants-in-aid or financial assistance;

(c) *"general candidate"* means a candidate selected on the basis of merit on an unreserved seat;

(d) *"head of the institution"* means the President or the Manager or the Secretary of a society running the institution and includes the Director, the Principal or any Administrative Head of the institution;

(e) *"educational institution"* means—

(i) a college or a school or an institution, by whatever name called, imparting education approved or recognized by a competent Statutory Body and affiliated to a State University, including a Private University established or incorporated by an Act of the State Legislature or a constituent unit of a deemed to be University defined under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 imparting education.

(ii) a college or a school or an institution, by whatever name called, imparting professional courses, approved or recognized by the Competent Statutory Body leading to the award of a degree, diploma or a certificate, by whatever name called.

(f) *"Other Backward Classes or citizens"* means the Other Backward Classes or citizens specified in the Schedule-I to the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

(g) *"Private Institution"* means an educational institution not established or maintained by State Government or any Public Body;

(h) *"Professional Course"* means a course of study notified as a professional course by the Competent Statutory Body leading to the award of a degree, diploma or certificate by whatever name called;

(i) *"Reserved Seat"* means a seat reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens;

(j) *"Sanctioned Intake"* means and implies the total number of seats sanctioned by an authority notified by the State Government for admitting students in each course of study in an Institution;

(k) *"State University"* means a University established or incorporated by an Act of the State Legislature;

(क) *''प्रवेश के सम्बन्ध में शैक्षिक वर्ग''* का अभिप्राय बारह माह की ऐसी अवधि से अभिप्रेत है जो कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस पर प्रारम्भ होती है जिसके भीतर प्रवेश की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया जाता है;

(ख) *''सहायता प्राप्त संस्था''* अल्पसंख्यक संस्था को छोड़कर ऐसी निजी संस्था से अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार से या सहायता अनुदान अथवा वित्तीय सहायता को संवितरित करते हुए राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी निकाय से पूर्णतः या आंशिक रूप से आवर्ती सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता प्राप्त होती है;

(ग) *''सामान्य अभ्यर्थी''* किसी अनारक्षित सीट पर मैरिट के आधार पर चयन किए गए अभ्यर्थी से अभिप्रेत है;

(घ) *''संस्था का प्रधान''* संस्था को चलाने वाली सोसाइटी के अध्यक्ष या प्रबन्धक या सचिव से अभिप्रेत है और उसमें संस्था का निदेशक, प्रधानाचार्य या कोई प्रशासनिक प्रधान सम्मिलित है;

(ङ) *''शैक्षिक संस्था''* निम्न से अभिप्रेत है—

(i) राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित निजी विश्वविद्यालय सहित किसी सक्षम वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त और राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित निजी विश्वविद्यालय सहित राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शिक्षा प्रदान करते हुए अथवा शिक्षा प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय होना समझे गए विश्वविद्यालय की संघटक इकाई, चाहे जिस भी नाम से जाना जाए महाविद्यालय या विद्यालय या संस्था;

(ii) उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र, जिस भी नाम से जाना जाए, प्रदान करते हुए सक्षम वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रदान करते हुए चाहे जिस भी नाम से जाना जाए महाविद्यालय या विद्यालय संस्था।

(च) *''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग''* उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से अभिप्रेत है;

(छ) *''निजी संस्था''* ऐसी शैक्षिक संस्था से अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार या किसी लोक निकाय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित न किया जाता हो;

(ज) *''व्यावसायिक पाठ्यक्रम''* उपाधि, डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र, चाहे जिस भी नाम से जाना जाए के प्रदान करते हुए सक्षम वैधानिक निकाय द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में अधिसूचित अध्ययन के पाठ्यक्रम से अभिप्रेत है;

(झ) *''आरक्षित सीट''* नागरिकों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीट से अभिप्रेत है;

(ञ) *''स्वीकृत ग्राह्यता''* राज्य सरकार द्वारा किसी संस्था में अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत सीटों की कुल संख्या से अभिप्रेत है एवं उसकी विवश करती है;

(ट) *''राज्य विश्वविद्यालय''* राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है;

(l) *"Unaided Institution"* means a private Educational Institution, not being an Aided Institution;

(m) *"Unreserved Seat"* means a seat other than reserved seats.

4. Reservation in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.—(1) In admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, there shall be reservation at the stage of admission in the following percentage of sanctioned intake to which admission is to be made in favour of person belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens, in the academic year—

(a) in the case of Scheduled Castes — twenty one per cent

(b) in the case of Scheduled Tribes — two per cent

(c) in the case of Other Backward Classes of citizen — twenty-seven per cent

(2) In respect of any academic year if any vacancy reserved for any category of persons under sub-section (1) remains unfilled, another special admission drive shall be made to fill such vacancy from amongst the person belonging to that category.

(3) If in the special admission drive referred to in sub-section (2) suitable candidates belonging to the Scheduled Tribes are not available to fill the vacancy reserved for them, such vacancy shall be filled by persons belonging to the Scheduled Castes.

(4) Where, due to non-availability of suitable candidates, any of the seats reserved under sub-section (1) remains unfilled even after special admission drive referred to in sub-section (2), or sub-section (3), then such vacancy shall be filled by any other suitable candidate, on the basis of merit.

(5) If a person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) gets selected on the basis of merit as a general candidate, and if he wants to remain as a general candidate, then he shall not be adjusted against the vacancies reserved for such category under sub-section (1).

5. Responsibility and powers for compliance of the Act.—The State Government may, by a notified order, entrust the Head of the Institution or any officer or employee of the Institution with the responsibility of ensuring the compliance of the provision of this Act.

6. Penalty and withdrawal of affiliation.—(1) Any Head of the Institution or any officer or employee of the institution entrusted with the responsibility under Section 5 wilfully acts in a manner intended to contravene or defeat the purpose of this Act shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) No Court shall take cognizance of an offence under this section except with the previous sanction of the State Government or an officer authorized in this behalf by the State Government by an order.

(ठ) *''असहायता प्राप्त संस्था''* ऐसी निजी शैक्षिक संस्था से अभिप्रेत है जो सहायता प्राप्त संस्था नहीं है;

(ड) *''अनारक्षित सीट''* आरक्षित सीटों को छोड़कर अन्य सीट से अभिप्रेत है।

4. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण— (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या असहायता प्राप्त, निजी शैक्षिक संस्थाओं सहित शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में, स्वीकृत ग्राह्यता के निम्नलिखित प्रतिशत में प्रवेश के प्रक्रम पर आरक्षण होगा जिसके लिए शैक्षिक वर्ष में नागरिकों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति के पक्ष में प्रवेश किया जाना चाहिए—

(क) अनुसूचित जातियों की दशा में — इक्कीस प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जनजातियों की दशा में — दो प्रतिशत

(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की दशा में — सत्ताइस प्रतिशत

(2) किसी शैक्षिक वर्ष के सम्बन्ध में, यदि उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी भी कोटि के लिए आरक्षित कोई भी रिक्ति भरे जाने के लिए शेष रह जाती है, तो उस रिक्ति को भरने के लिए उस कोटि के व्यक्तियों में से एक अन्य विशेष प्रवेश अभियान चलाया जाएगा।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान में, अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उस रिक्ति का अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों द्वारा भरा जायेगा।

(4) जहां उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण, उपधारा (1) के अधीन आरक्षित सीटों में से कोई सीट, उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान के पश्चात् भी भरे जाने के लिए शेष रह जाती है, तो उस रिक्ति को मेरिट के आधार पर अन्य किसी उपयुक्त अभ्यर्थी द्वारा भरा जायेगा।

(5) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित कोटियों में से किसी कोटि का कोई व्यक्ति सामान्य अभ्यर्थी के रूप में मेरिट के आधार पर चयनित होता है और यदि वह सामान्य अभ्यर्थी के रूप में बना रहना चाहता है, तो उसे उपधारा (1) के अधीन उस कोटि के लिए आरक्षित रिक्तियों से समायोजित नहीं किया जाएगा।

5. अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्तियां—राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश के माध्यम से संस्था के प्रधान अथवा संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी को इस अधिनियम के प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व सौंप सकेगा।

6. शास्ति और सम्बद्धता को वापस लेना—(1) संस्था का कोई प्रधान या संस्था का कोई अधिकारी या कर्मचारी, जिसे धारा 5 के अधीन दायित्व सौंपा गया है, इच्छायुक्त ढंग से इस अधिनियम के उद्देश्य का अतिलंघन करने या उसे विफल बनाने के लिए आशयित रीति से कार्य करता है, तो वह कारावास से, जो तीन माह तक हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना इस धारा के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(3) An offence punishable under sub-section (1) shall be tried summarily by a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class and the provisions of sub-section (1) of Section 262, Section 263, Section 264 and Section 265 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall *mutatis mutandis* apply.

(4) Where the State Government or any officer or an authority authorised by it is satisfied that any institution has violated any provision of this Act or the rules or the orders made thereunder by the State Government, it may recommend to the appropriate statutory body for the withdrawal of the affiliation of (*sic* for) recognition of such institution.

7. Power to call for record.—If it comes to the notice of the State Government that any person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) of Section 4 has been adversely affected on account of non-compliance of the provisions of this Act or the rules made thereunder or the Government orders, it may call for such records from the concerned institution and take such action as it may consider necessary.

8. Admission committee.—The State Government may, by order, provide for nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizen in the Admission Committee to such extent and in such manner as may be prescribed.

9. Caste certificate.—For the purpose of reservation provided under this Act, caste certificate shall be issued by such authority or officer as may be notified by the State Government and in such manner and in such form as the State Government may, by order, provide.

10. Removal of difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

11. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or any other legal proceeding shall lie against the State Government or any person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

12. Power to make rules.—The State Government may, by notification, makes rules for carrying out the purpose of this Act.

13. Laying of Order etc.—Every order made under Section 5 and Section 9 shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of Section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

14. Repeal and saving.—(1) The Uttar Pradesh Admission to Educational Institutions (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance No. 2 of 2006) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

(3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध का महानगरीय मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्ततः विचारण किया जाएगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धारा 262, धारा 264 एवं धारा 265 के प्रावधान यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(4) जहां राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी संस्था के इस अधिनियम अथवा राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के किसी भी प्रावधान या किए गए आदेश का उल्लंघन किया है, तो वह समुचित वैधानिक निकाय से उस संस्था की सम्बद्धता अथवा मान्यता को वापस लेने की सिफारिश कर सकेगा।

7. अभिलेख को मंगाने की शक्ति—यदि राज्य सरकार के संज्ञान में यह बात आती है कि धारा 4 की उपधारा (1) में उल्लिखित कोटियों में से किसी कोटि का कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधानों के अथवा सरकार के आदेशों के अननुपालन के कारण प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हुआ है, तो वह सम्बन्धित संस्था से उन अभिलेखों को मंगा सकेगा और ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जिसे वह आवश्यक समझे।

8. प्रवेश समिति—राज्य सरकार, आदेश के माध्यम से, प्रवेश समिति में नागरिकों के अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग को ऐसी सीमा तक एक और ऐसी रीति से जिसे विहित किया जा सकेगा, प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अधिकारियों के मनोनयन का प्रावधान कर सकेगी।

9. जाति प्रमाण-पत्र—इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित आरक्षण के प्रयोजनार्थ ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा जाति प्रमाण-पत्र ऐसी रीति और ऐसे प्ररूप में जारी किया जायेगा जिसका राज्य सरकार आदेश से प्रावधान कर सकेगी।

10. कठिनाइयों का अपसारण—यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, ऐसे प्रावधानों को बना सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं है जिनका उसे उस कठिनाई का अपसारण करने के लिए आवश्यक तथा समीचीन होना प्रकट होता हो।

11. सद्भाव में की गयी कार्रवाई का संरक्षण—इस अधिनियम या उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुसरण में ऐसी किसी भी बात के लिए, जिसे सद्भाव में किया गया है अथवा किया जाना आशयित है, राज्य सरकार अथवा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कोई भी कार्यवाही दाखिल नहीं की जायेगी।

12. नियमों को बनाने की शक्ति—राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए नियमों को बना सकेगी।

13. आदेश का प्रस्तुत किया जाना आदि—धारा 5 और धारा 9 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथा संभव शीघ्र राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के प्रावधान उसी प्रकार से लागू होंगे जैसे कि वे किसी भी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

14. निरसन और व्यावृत्ति—उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण) में प्रवेश अध्यादेश, 2006 (2006 का उ० प्र० अध्यादेश संख्या 2) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उस निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या की गयी किसी भी कार्रवाई का इस अधिनियम के अधीन उसी प्रकार से किया जाना समझा जायेगा मानों इस अधिनियम के प्रावधान सभी सुसंगत समयों पर प्रवृत्त रहे हों।

THE UTTAR PRADESH PRIVATE PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSION AND FIXATION OF FEE) ACT, 2006[1]

(Act No. 24 of 2006)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An Act to provide for the regulation of admission and fixation of fee in private professional educational institutions and the matters connected therewith or incidental thereto

It is hereby enacted in the Ffty-seventh Year of the Republic of India as follows :

Prefatory Note—Statement of Objects and Reasons.—The State Government has been empowered by the Constitution Ninety-third Amendment to make special provisions regarding admission to the educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the State other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizen. Besides, the Ministry of Human Resources, Government of India had suggested that the legislation should also be made for the regulation of admission and fixation of fee in such educational institutions. In the light of the suggestions given by the Ministry of Human Resources, Government of India it has been decided to make law to provide for the regulation of admission and fixation of fee in private educational institutions and the matter connected therewith and incidental thereto.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance No. 1 of 2006) was promulgated by the Governor on July 10, 2006.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2006.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 10, 2006.

2. Applicability.—This Act shall be applicable to the private aided or unaided professional educational institutions, excluding minority institutions.

3. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) *"aided institution"* means a private professional educational institution, other than a minority institution receiving recurring financial grant-in-aid or assistance in whole or in part from the State Government or from any body, under the control of State Government disbursing grants-in-aid or financial assistance;

---

1. Received the Governor on September 7, 2006 and published in the U.P. Gazette, Extra., Part-1, Section (Ka), dated 8th September, 2006.

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षा संस्था (प्रवेश का विनियमन और शुल्क का स्थिरीकरण) अधिनियम, 2006[1]

(2006 का अधिनियम संख्या 24)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा यथा पारित)

निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन और शुल्क के स्थिरीकरण और उनसे सम्बद्ध तथा उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने का अधिनियम भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

प्रारम्भिक टिप्पण—उद्देश्यों एवं कारणों का कथन—राज्य सरकार को संविधान के तिरानवे संशोधन द्वारा निजी शैक्षिक संस्थाओं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या असहायता प्राप्त हो सहित, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षित संस्थाओं को छोड़कर अन्य शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के सम्बन्ध में नागरिकों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष प्रावधानों को करने के लिए सशक्त किया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार ने यह सुझाव दिया था कि विधान की ऐसी शैक्षिक संस्थाओं के पक्ष में प्रवेश के विनियमन तथा शुल्क के स्थिरीकरण के लिए भी बनाया जाना चाहिए मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिये गये सुझावों के प्रकाश में, निजी शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन तथा शुल्क के स्थिरीकरण और उससे सम्बद्ध एवं उससे आनुषंगिक मामले का प्रावधान करने के लिए विधि की रचना करने का निर्णय लिया गया है।

चूंकि राज्य विधान मण्डल का सत्र नहीं चल रहा था और तत्काल विधायी कार्यवाही पूर्वोल्लिखित विनिश्चय के अनुपालन के लिए आवश्यक थी, इसलिए उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और शुल्क का स्थिरीकरण), अध्यादेश, 2006 (2006 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1) राज्यपाल महोदय द्वारा 10 जुलाई, 2006 को प्राख्यापित किया गया था। यह विधेयक पूर्वोल्लिखित अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए सम्मिलित किया गया है।

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और शुल्क का स्थिरीकरण) अधिनियम, 2006 के नाम से जाना जा सकेगा।

(2) उसका 10 जुलाई, 2006 को प्रभावी होना समझा जाएगा।

2. प्रयोज्यता—यह अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर निजी सहायता प्राप्त अथवा असहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं के लिए प्रयोज्य होगी।

3. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) *''सहायता प्राप्त संस्था''* का अभिप्राय राज्य सरकार से या राज्य सरकार के नियंत्रण किसी निकाय से पूर्णतः या आंशिक रूप से आवर्ती वित्तीय सहायता अनुदान या सहायता प्राप्त करती है जो सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता का संवितरण करता है;

---

1. दिनांक 25 जुलाई, 1975 के उ० प्र० गजट असाधारण में प्रकाशित दिनांक 25 जुलाई, 1975 की अधिसूचना सं० 4546/XV-10-75 शिक्षा अनुभाग 10।

(b) *"Committee"* means the Admission and Fee Regulatory Committee constituted under Section 4;

(c) *"Common Entrance Test"* means an Entrance Test, conducted by the State Government or an Agency authorized by it for admission to a Professional Course, run by a professional educational institution;

(d) *"Fee"* means all fees including tution fee and development charges;

(e) *"general category"* means and implies seats from out of the sanctioned intake of professional educational institution, not being seats in the management category;

(f) *"management category"* shall mean and imply seats from out of the sanctioned intake allotted by the State Government to the management of the institutions;

(g) *"minority"* means a minority defined under clause (f) of Section 2 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (Act No. 2 of 2005);

(h) *"minority institution"* means an institution, established and administered by a minority and notified as such by the State Government;

(i) *"private professional educational institution"* means a professional educational institution not established or maintained by the Central Government, the State Government or any public body;

(j) *"professional course"* means a course of study notified as a professional course by the State Government;

(k) *"professional educational institution"* means a College or a School or an Institution by whatever name called, imparting professional education,—

(i) affiliated to a State University, including a Private University established or incorporated by an Act of the State Legislature or constitutent unit of a deemed to be University defined under Section 3 of University Grant Commission Act, 1956.

(ii) approved or recognized by the Competent Statutory Body established by State Government, regulating professional education.

(j) *"sanctioned intake"* means and implies the total number of seats sanctioned by an authority notified by the State Government for admitting students in each course of study in a professional institution;

(m) *"senior administrative officer"* means an Officer of the Indian Administrative Service or Provincial Civil Service of Uttar Pradesh;

(n) *"State University"* means a University established or incorporated by an Act of the State Legislature;

(o) *"unaided institution"* means a private professional educational institution, not being an aided institution;

(ख) *"समिति"* का अभिप्राय धारा 4 के अधीन गठित प्रवेश एवं स्वतन्त्र विनियमनकारी समिति से है;

(ग) *"सामान्य प्रवेश परीक्षा"* का अभिप्राय ऐसी प्रवेश परीक्षा से है जिसे राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकरण द्वारा ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के लिए किया जाता है जिसे व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा संचालित किया जाता है;

(घ) *"शुल्क"* का अभिप्राय ट्यूशन फ्री और विकास प्रभारों सहित सभी शुल्कों से है;

(ङ) *"सामान्य कोटि"* का अभिप्राय और विवक्षा व्यावसायिक शैक्षिक संस्था की स्वीकृति भर्ती में से सीटों से है न कि प्रबन्ध तन्त्र में सीटों से;

(च) *"प्रबन्धतन्त्र कोटि"* का अभिप्राय एवं विवक्षा संस्थाओं के प्रबन्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित स्वीकृति भर्ती में से सीटों से अभिप्रेत है;

(छ) *"अल्पसंख्यक"* का अभिप्राय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 2 के खण्ड च के अधीन परिभाषित अल्पसंख्यक से है।

(ज) *"अल्पसंख्यक संस्था"* का अभिप्राय ऐसी संस्था से है जिसे अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित किया जाता है और जिसे इस रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो;

(झ) *"निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था"* का अभिप्राय ऐसी व्यावसायिक शिक्षा संस्था से है जिसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी लोक निकाय द्वारा स्थापित एवं अनुरक्षित न किया गया हो;

(ञ) *"व्यावसायिक पाठ्यक्रम"* का अभिप्राय ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम से है जिसे राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में अधिसूचित किया गया हो;

(ट) *"व्यावसायिक शैक्षिक संस्था"* का अभिप्राय महाविद्यालय या विद्यालय या किसी संस्था, चाहे जिस भी नाम से पुकारी जाये, से अभिप्रेत है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती है—

(i) राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित निजी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अधीन परिभाषित विश्वविद्यालय के रूप में समझे गए संघटक इकाई सहित राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध;

(ii) व्यावसायिक शिक्षा को विनियमित करते हुए राज्य सरकार द्वारा स्थापित सक्षम वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त है;

(ठ) *"स्वीकृत ग्राह्यता"* से अभिप्राय और विवक्षा विद्यार्थियों के व्यावसायिक संस्था में अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति सीटों की संख्या से है;

(ड) *"वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी"* का अभिप्राय भारतीय प्रशासनिक सेवा या उत्तर प्रदेश की प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारी से है;

(ढ) *"राज्य विश्वविद्यालय"* राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा प्रशासित या निगमित विश्वविद्यालय से है;

(ण) *"असहायता प्राप्त संस्था"* ऐसी निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था से अभिप्रेत है जो सहायता प्राप्त संस्था नहीं है;

(p) *"University Grants Commission"* means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956.

CHAPTER II
THE COMMITTEE

4. Composition, disqualification and functions.—(1) There shall be a Committee for admission and fee regulation to be constituted in such manner as may be prescribed. The Committee shall be presided over by a person who is or who has been a Senior Administrative Officer of the State or Vice-Chancellor of a Central University or a State University or a deemed to be University; who shall be called the Chairman of the Committee and shall include two other Members having experience in matters of finance or administration.

(2) The State Government shall appoint the Chairman and the Members of the Committee mentioned in sub-section (1).

(3) The term of the Chairman and every Member of the Committee shall be three years from the date of its notification; and, in case of any vacancy arising earlier, for any reason, the State Government shall fill such vacancy for the remainder of the term.

(4) No act or proceedings of the Committee shall be deemed to be invalid by reason merely of any vacancy or any defect in the constitution of the Committee.

(5) No person who is associated with a private aided or unaided instiution shall be eligible for being a Member of the Committee.

(6) The Chairman or any Member of the Committee shall be removed, if he performs any act, which in the opinion of the State Government is unbecoming of Chairman or Member of the Committee :

Provided that, no such Chairman or any Member shall be removed by the State Government, without giving him an opportunity of being heard.

(7) The Committee may frame its own procedure in such manner as may be prescribed.

(8) The Committee may require a private aided or unaided professional educational institution or, a deemed to be University or a private University to furnish, by a prescribed date, information as may be necessary for enabling the Committee to determine the fee as prescribed under Section 10 of this Act that may be fixed by the institution in respect of each professional course, and the fee so determined shall be valid for such period as notified by the State Government.

(9) The State Government or the Committee may, if satisfied that a professional educational institution has violated any provisions of this Act or is charging more fee, than as determined under Section 10 of this Act then it will recommend to the appropriate statutory body for the withdrawal of the affiliation or recognition of such institution.

CHAPTER III
ADMISSION

5. Eligibility.—The eligibility for admission to a private aided or unaided professional educational institution shall be such as may be notified by the State Government.

(त) *"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग"* का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है।

अध्याय 2

समिति

4. संरचना, अनहर्ता और कार्य—(1) प्रवेश तथा शुल्क विनियमन के लिए ऐसी रीति से, जिसे विहित किया जाये, समिति का गठन किया जायेगा। उस समिति की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायेगी को राज्य का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है अथवा जो इस प्रकार रह चुका है अथवा केन्द्रीय विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय या ऐसा विश्वविद्यालय जिसका इस प्रकार होना समझा जाता है, के उपकुलपति द्वारा की जायेगी जिसे समिति का अध्यक्ष कहा जायेगा और जिसमें वित्त अथवा प्रशासन के मामलों में अनुभव रखने वाले दो अन्य सदस्य सम्मिलित होंगे।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) में उल्लिखित समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करेगी।

(3) समिति के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उसकी अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष होगा और किसी भी कारण से इसके पूर्व उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्ति की दशा में राज्य सरकार शेष अवधि के लिए उस रिक्ति को भरेगी।

(4) समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र किसी भी रिक्ति या समिति के गठन में किसी दोष के कारण अवैध होना नहीं समझी जायेगी।

(5) कोई भी व्यक्ति, जो किसी निजी सहायता प्राप्त अथवा असहायता प्राप्त संस्था से संयुक्त है, समिति का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

(6) समिति के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को उस दशा में अपसारित किया जायेगा जब वह किसी ऐसे कृत्य को सम्पादित करता है जो राज्य सरकार की आय में, समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य के लिए अशोभनीय है :

परन्तु यह कि ऐसे किसी भी अध्यक्ष अथवा किसी भी सदस्य को राज्य सरकार द्वारा उसे सुने जाने का अवसर प्रदान किये बिना अपसारित नहीं किया जायेगा।

(7) समिति अपनी निजी प्रक्रिया को ऐसी रीति से तैयार कर सकेगी जिसे विहित किया जाये।

(8) समिति निजी सहायता प्राप्त या असहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक संस्था या समझे गये विश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह निर्धारित तारीख तक ऐसी सूचना को प्रदान कर सकेगी जो इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन यथा निर्धारित शुल्क का अवधारण करने के लिए समिति को समर्थ बनाते हुए आवश्यक हो सकेगी जिसे प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में संस्था द्वारा नियत किया जा सकेगा और इस प्रकार अवधारित शुल्क राज्य सरकार द्वारा यथा अभिसूचित ऐसी अवधि के लिए वैध होगा।

(9) राज्य सरकार अथवा समिति, यदि यह समाधान हो जाये कि व्यावसायिक शैक्षिक संस्था में अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है अथवा उससे अधिक शुल्क ले रहा है जिसका इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन अवधारण किया जा चुका है तो वह उस संस्था की सम्बद्धता अथवा मान्यता को वापस लेने के लिए समुचित वैधानिक निकाय से सिफारिश करेगी।

अध्याय 3

प्रवेश

5. पात्रता—निजी सहायता प्राप्त अथवा असहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक संस्था में प्रवेश की पात्रता ऐसी होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा।

6. Allocation of seats.—(1) The State Government may, by notified order, reserve seats out of sanctioned intake, in an unaided professional educational private institution, other than minority institution, under management category.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, there shall be no reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens in the seats reserved for management category.

7. Manner of admission.—An unaided professional educational institution,—

(a) shall make admission to a seat under the general category, on the basis of the Common Entrance Test, in such manner as may be prescribed by the State Government.

(b) may make admission to a seat reserved under management category, in such manner, as may be prescribed by the State Government, through a notified order.

8. Common entrance test.—In aided professional educational institution, admission to sanctioned intake shall be on the basis of the Common Entrance Test in such manner as may be prescribed.

9. Admission.—(1) Every admission to an aided or unaided educational institution, shall be made in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder and every admission made in contravention thereof shall be void.

(2) The State Governmemnt or the Committee if satisfied that an aided or unaided professional educational institution has taken admission in violation of any provision of this Act or the rules or an order of the State Government issued in this behalf, it may recommend to the appropriate statutory body for the withdrawal of the affiliation or recognition of such institution.

CHAPTER IV

FIXATION OF FEE

10. Factors.—(1) The Committee shall determine, the fee to be charged by a private aided or unaided professional educational institution having regard to—

(i) the nature of the professional course;

(ii) the available infrastructure;

(iii) a reasonable surplus required for growth and development of the professional institution;

(iv) the expenditure on administration and maintenance;

(v) the expenditure on teaching and non-teaching employees of the institution;

(vi) any other relevant factor.

(2) The Committee, shall give the institution an opportunity of being heard before fixing any fee :

Provided that no such fee, as may be fixed by the Committee, shall amount to profiteering or commercialization of education.

6. सीटों का आबंटन—(1) राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश से प्रबन्धतन्त्र की कोटि के अन्तर्गत अल्पसंख्यक संस्था को छोड़कर अन्य असहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक निजी संस्था में स्वीकृत ग्राह्यता में से सीटों का आरक्षण कर सकेगी।

(2) तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि में अन्तर्विष्ट प्रतिकूल किसी भी बात के होते हुए कि प्रबन्ध तन्त्र की कोटि के लिए आरक्षित सीटों में नागरिकों के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा।

7. प्रवेश की रीति—असहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक संस्था—

(क) सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर सामान्य कोटि के अधीन किसी सीट में ऐसी रीति से प्रवेश दे सकेगी जिसे राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये;

(ख) प्रबन्धतन्त्र की कोटि के अधीन आरक्षित सीट के लिए ऐसी रीति से प्रवेश दे सकेगी जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश के माध्यम से निर्धारित किया जा सकेगा।

8. सामान्य प्रवेश परीक्षा—सहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक संस्था में स्वीकृत सहायता में प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर ऐसी रीति से होगा जिसे विहित किया जाये।

9. प्रवेश—(1) सहायता प्राप्त या असहायता प्राप्त शैक्षिक संस्था में प्रत्येक प्रवेश को इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा और उसके अतिलंघन में किया गया प्रत्येक प्रवेश शून्य होगा।

(2) राज्य सरकार अथवा समिति यदि समाधान हो जाये की सहायता प्राप्त अथवा असहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक संस्था में इस अधिनियम अथवा नियमावली के किसी भी प्रावधान का अथवा इस निमित्त जारी राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन करते हुए प्रवेश लिया है, तो वह उस संस्था की सम्बद्धता अथवा उसकी मान्यता के वापस लिए जाने के लिए समुचित वैधानिक निकाय से सिफारिश कर सकेगी।

अध्याय 4

शुल्क का स्थिरीकरण

10. घटक—(1) समिति निम्न को ध्यान में रखते हुए निजी सहायता प्राप्त या असहायता प्राप्त व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा लिये जाने वाले शुल्क का अवधारण करेगी—

(i) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति;

(ii) उपलब्ध मूलभूत ढांचा;

(iii) व्यावसायिक संस्था की प्रगति और विकास के लिए अपेक्षित युक्तियुक्त अतिरेक;

(iv) प्रशासन और अनुरक्षण पर व्यय;

(v) संस्था के अध्यापन और गैर अध्यापन कर्मचारियों पर व्यय;

(vi) अन्य कोई सुसंगत घटक।

(2) समिति संस्था को किसी शुल्क को नियत करने के पुर्व सुने जाने का अवसर प्रदान करेगी :

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी शुल्क, जिसे समिति द्वारा नियत किया जा सकेगा, शिक्षा के लाभकरण या वाणिज्य करण की कोटि में नहीं आयेगा।

CHAPTER V
MISCELLANEOUS

11. Appeals.—The State Government shall appoint an Appellate Authority, headed by a peson who has been a Judge of the High Court, before which a person or professional institution aggrieved by an order of the Committee may file an appeal, within a period of 30 days, from the date of receipt of such an order.

12. Act to have overrding effect.—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

13. Power to make rules.—The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

14. Power to make regulations.—(1) The State Government or any authority authorized by the State Government may, by notification, make regulations conssitent with this Act and the rules made thereunder.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely—

(a) the constitution and working and, terms and conditions of the Committee;

(b) the manner or criterion of determination of fee to be charged by a Private Professional Educational Institution from the students;

(c) the fees to be charged by the Private Professional Educational Institution from the students.

15. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the State Government may, by notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may after it is made, be laid before each House of Legislature.

16. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution of other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer of the State Government or the Appellate Authority, or Chairman and Members of the Committee for anything, which is in good faith done or intended to be done under this Act.

17. Repeal and saving.—(1) The Uttar Pradesh Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance No. 1 of 2006) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

अध्याय 5

प्रकीर्ण

11. अपीलें—राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में अपील प्राधिकरण की नियुक्ति करेगी जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, जिसके समक्ष समिति के आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति या व्यावसायिक संस्था ऐसे आदेश के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा।

12. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा—इस अधिनियम के प्रावधान, तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी भी विधि में अथवा इस अधिनियम को छोड़कर अन्य किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी भी लिखत में अन्तर्विष्ट, उससे असंगत किसी भी बात के होते हुए प्रभाव रखेंगे।

13. नियम बनाने की शक्ति—राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियमों की विरचना कर सकेगी।

14. विनियमों को बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी प्राधिकारी, अधिसूचना के माध्यम से, इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनायी गयी नियमावली से सुसंगत विनियमों की विरचना कर सकेगी।

(2) विशेष कर और शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित मामलों में से सभी के लिए या उनमें से किसी एक के लिए प्रावधान किये जा सकेंगे, अर्थात्—

(क) समिति के गठन तथा कार्य प्रणाली और निबन्धन एवं शर्तें;

(ख) निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा विद्यार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क के अवधारण की रीति अथवा मापदण्ड;

(ग) निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क।

15. कठिनाईयों का अपसारण करने की शक्ति—(1) यदि इस अध्यादेश के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश के माध्यम, ऐसे प्रावधानों को बना सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जिनका उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन होना प्रकट होता हो।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, जैसे ही उसे किया जाता है, विधान सभा के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

16. सद्भाव में की गयी कार्रवाई का संरक्षण—ऐसी किसी भी बात के लिए जिसे सद्भाव में किया जाता है अथवा इस अधिनियम के अधीन किया जाना आशयित है, राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी अधिकार अथवा अपील प्राधिकारी या समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्यों के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

17. निरसन एवं व्यावृत्ति—(1) उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और शुल्क का स्थिरीकरण) अध्यादेश, 2006 (वर्ष 2006 का उ० प्र० अध्यादेश संख्या 1) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन की गयी किसी भी बात अथवा की गयी किसी भी कार्रवाई की, उस निरसन के बावजूद, इस अधिनियम के अधीन उसी प्रकार से किया जाना समझा जायेगा मानो इस अधिनियम के प्रावधान सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों।

———————